



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2015 की सं. 18

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2015 की सं. 18

विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय I : प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.2	3
केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.3	3
संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	1.4	4
उपयोग प्रमाण पत्र	1.5	5
प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	6
अध्याय II : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय		
वाणिज्य विभाग		
मूल्य स्थिरता (डी.ओ.सी.) फंड स्कीम	2.1	8
भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद		
सेवा कर के संग्रहण न होने के कारण परिहार्य व्यय	2.2	18
भारतीय टी बोर्ड		
चाय के घरेलू संवर्धन हेतु भारतीय टी बोर्ड के चाय केन्द्रों को चलाने हेतु ₹7.27 करोड़ का निष्फल व्यय	2.3	20
अध्याय III : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
निष्फल व्यय	3.1	25
खराब आंतरिक नियंत्रण, निधियों के अधिक निर्गम के गैर-समायोजन का कारण बना	3.2	28
अस्वीकार्य घटक पर अनुदानों का उपयोग	3.3	30
प्रवाह मीटर किटों का गैर-उपयोग जो ₹1.47 करोड़ के निष्फल व्यय का कारण बना	3.4	32

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय IV : संस्कृति मंत्रालय		
संगीत नाटक अकादमी		
निष्फल व्यय	4.1	35
अनुत्पादक व्यय तथा निधियों का अवरोधन	4.2	37
अध्याय V : विदेश मंत्रालय		
रोम में चांसरी भवन खरीदने में विफलता	5.1	41
व्यवसायिक वीजा शुल्कों की कम उगाही	5.2	43
संस्वीकृति के बिना आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति पर ₹429.81 लाख का अप्राधिकृत व्यय	5.3	46
अध्याय VI : वित्त मंत्रालय		
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण		
सेवा कर पर परिहार्य व्यय	6.1	50
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे		
क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र हेतु कार्यालय स्थान किराए पर लेने हेतु किया गया निष्फल व्यय	6.2	52
अध्याय VII : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना		
यातायात भत्ते का अधिक भुगतान	7.1	56
जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, पुदुचेरी		
यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान	7.2	58
सफदरजंग अस्पताल		
वेतन के गलत निर्धारण के कारण ₹1.68 करोड़ का अधिक भुगतान	7.3	59
भारतीय चिकित्सा परिषद		
विवेकाधीन वेतन वृद्धि एवं कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण	7.4	62
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दक्षिण क्षेत्र		
स्त्रोत पर कर की कम कटौती	7.5	67
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल		
एक्स-रे फिल्मों के प्रापण पर अधिक व्यय	7.6	68

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय VIII : गृह मंत्रालय		
फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय		
खराब योजना के कारण योजना उद्देश्य की गैर-पूर्णता	8.1	71
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस		
आयुध फैक्टरियों द्वारा हथियार एवं गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण अग्रिम के रूप में दिए ₹15.58 करोड़ का अवरोधन	8.2	74
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड		
₹2.15 करोड़ का अनाधिकृत व्यय	8.3	75
सीमा सुरक्षा बल		
त्रुटिपूर्ण क्रय योजना के कारण उपकरणों की व्यर्थता	8.4	77
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल		
अतिरिक्त व्यय	8.5	81
अध्याय IX : मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, मेघालय		
परिहार्य अतिरिक्त देयता	9.1	84
₹63.75 लाख के सेवा कर का अनियमित भुगतान	9.2	89
उच्चतर शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, सत्यावती कॉलेज		
सा.भ.नि./के.भ.नि. अभिदाताओं को ब्याज का अधिक भुगतान	9.3	90
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद		
जल प्रभारों पर छूट की प्राप्ति न होना	9.4	92
भारतीय तकनीकी संस्थान		
श्रम कल्याण उपकर की गैर-वसूली	9.5	93
विश्व भारती		
प्रकाशक को अनुचित लाभ	9.6	95
अध्याय X : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
निधियों का असामयिक निर्गम	10.1	99
प्रसार भारती		
100 मी. एफ.एम. टावर के झुकाव को समय पर ठीक न करना इसके	10.2	102

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
गिरने तथा परिणामस्वरूप ₹84.92 लाख का व्यय व्यर्थ रहने का कारण बना।		
अध्याय XI : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय		
श्रम कल्याण संगठन, कोलकाता		
कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन	11.1	106
अध्याय XII : अल्प संख्यक मामलों का मंत्रालय		
निधियों का असामयिक निर्गम	12.1	122
अध्याय XIII : पोत परिवहन मंत्रालय		
मार्मुगाओ पत्तन न्यास		
डीपीआर के बिना एक घाट के विस्तार पर पूँजी लगाना	13.1	124
अध्याय XIV : कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय		
भारतीय खेल प्राधिकरण		
व्यर्थ व्यय होना	14.1	127
निष्फल व्यय	14.2	129
अध्याय XV : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता		
नगर पालिका प्राधिकरण को अधिक भुगतान	15.1	131
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान		
कर्मचारियों को अदेय लाभ	15.2	133
अध्याय XVI : पर्यटन मंत्रालय		
लेखापरीक्षा के आग्रह पर धन की वापसी	16.1	136
अध्याय XVII : जनजातीय कार्य मंत्रालय		
अनुदान का अधिक निर्गम	17.1	138
अध्याय XVIII : सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	18.1	140
ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर	18.2	143
अनुबंध	147-187	
परिशिष्ट	191-266	

प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान की धारा 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा आर्थिक/सामान्य एवं समाज सेवाओं के अंतर्गत उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेनदेनों की अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण वह हैं जोकि 2013-14 की अवधि हेतु जाँच लेखापरीक्षा के समय नोट किए गए थे, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए गए थे, आवश्यकतानुसार 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरणों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुरूप संचालित किया गया था।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं जोकि सिविल मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए थे। इसमें XVIII अध्याय शामिल हैं। अध्याय I संक्षिप्त परिचय देता है जबकि अध्याय II से XVII वर्तमान के विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं। अध्याय XVIII पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्रवाई टिप्पणियों की सारांशिकृति स्थिति तथा इस प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों को मंत्रालयों से प्राप्त उत्तरों की स्थिति दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद

सेवा कर के संग्रहण न होने के कारण परिहार्य व्यय

भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद का अधिसूचित वस्तुओं के निर्यातकों से निरीक्षण और प्रमाणन पर सेवा कर के संग्रहण के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरणों को समय पर निर्देश देने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹9.98 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.2)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

निष्फल व्यय

राज्यों में भार एवं माप अवसंरचना के सुदृढीकरण के दृष्टिकोण से, उपभोक्ता मामले विभाग ने विभिन्न राज्यों को धर्मकांटों की जांच करने के लिए मोबाईल वैन किटों (मो.वै.कि.) की आपूर्ति की। तथापि, विभाग ने मो.वै.कि. के प्रापण से

पहले राज्यों में उनके संभावित उपयोग का निर्धारण करने हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, 2007 से 2010 के दौरान 11 राज्यों में, ₹12.87 करोड़ की कीमत की 22 मो.वै.कि. की आपूर्ति की गई थी जो जनवरी 2015 तक उपयोग में नहीं थी।

(पैराग्राफ 3.1)

संस्कृति मंत्रालय

संगीत नाटक अकादमी

निष्फल व्यय

कला प्रदर्शन के प्रोत्साहन हेतु सृजित दिल्ली रिज पर स्थित रबिंद्र रंगशाला को अप्रैल 1993 में संगीत नाटक अकादमी को सुपूँर्ण किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (मई 1996) में, दिल्ली रिज, जहाँ रंगशाला स्थित थी, में सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था। अकादमी ने 2002-03 से 2012-13 के दौरान रंगशाला के अनुरक्षण, रखरखाव तथा स्टाफ की नियुक्ति पर ₹3.70 करोड़ का व्यय किया जबकि यहाँ किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.1)

विदेश मंत्रालय

रोम में चांसरी भवन खरीदने में विफलता

गैर-योजनागत व्यय पर समिति द्वारा जुलाई 2011 में आवश्यक अनुमति तथा निधियों की उपलब्धता के बावजूद मिशन तथा मंत्रालय रोम में चांसरी हेतु भवन खरीदने में विफल रहा जिससे बहिर्गमन उपबंध के बिना भवन को लगातार किराए पर लिया जाता रहा जिसके कारण ₹41.71 करोड़ की प्रतिबद्ध देयता उत्पन्न हुई।

(पैराग्राफ 5.1)

वित्त मंत्रालय

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

सेवा कर पर परिहार्य व्यय

ग्राहकों से सेवा कर की वसूली में विफलता तथा स्वयं की निधियों में से उसके अनुवर्ती भुगतान का परिणाम ₹22.58 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ 6.1)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना

यातायात भत्ते का अधिक भुगतान

उच्च प्रशासनिक ग्रेड (उ.प्र.ग्रे.) वेतनमान में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के डॉक्टरों को केन्द्र सरकार विभागों के संयुक्त सचिवों के स्तर के अधिकारियों के साथ सममूल्य पर ₹7000 प्रतिमाह की दर पर यातायात भत्ते का भुगतान किया गया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों के नियमावली में वह प्रतिमाह केवल ₹3200 के यात्रा भत्ते के लिए हकदार थे। के.स.स्वा.यो. द्वारा नियमों के गलत उपयोग के कारण नवम्बर 2008 एवं मार्च 2014 के बीच डॉक्टरों को ₹5.74 करोड़ के यातायात भत्ते का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 7.1)

सफदरजंग अस्पताल

वेतन के गलत निर्धारण के कारण ₹ 1.68 करोड़ का अधिक भुगतान

सफदरजंग अस्पताल ने गलत तरीके से अपने नर्सिंग स्टाफ के वेतन का निर्धारण किया था जिसके कारण अगस्त 2014 तक ₹1.68 करोड़ के वेतन एवं भत्ते का अधिक भुगतान हुआ था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संज्ञान में लेकर अस्पताल ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अपने नर्सिंग स्टाफ के वेतन में संशोधन किए (मार्च 2015)।

(पैराग्राफ 7.3)

गृह मंत्रालय

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

आयुध फैक्टरियों द्वारा हथियार एवं गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण अग्रिम के रूप में दिए ₹15.58 करोड़ का अवरोधन

आई.टी.बी.पी. के सपोर्ट बटालियन ने हथियार तथा गोला बारूद की खरीद के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र के अभाव में विभिन्न आयुध फैक्टरियों को ₹15.58 करोड़ की अग्रिम निधियों का भुगतान किया जो तत्काल आवश्यक हथियार तथा गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण अवरूद्ध रह गई।

(पैराग्राफ 8.2)

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

₹ 2.15 करोड़ का अनाधिकृत व्यय

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने ₹ 2.15 करोड़ का व्यय उन गतिविधियों पर किया जो चार क्षेत्रीय केन्द्रों के निर्माण हेतु मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अंतर्गत आच्छादित नहीं थी।

(पैराग्राफ 8.3)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, मेघालय

परिहार्य अतिरिक्त देयता

संस्था ने परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए ठेके के अकुशल संचालन के कारण ₹12.67 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त देयता की।

(पैराग्राफ 9.1)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

निधियों का असामयिक निर्गम

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) के साथ किए अनुबंध की शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल रहा तथा निर्माण

कार्यों के चरणबद्ध लक्ष्यों को उनकी प्राप्तियों के साथ जोड़े बिना रा.भ.नि.नि. को असामयिक रूप से भुगतान जारी किए गए। मार्च 2010 तथा मार्च 2011 के बीच रा.भ.नि.नि. को जारी कुल ₹88.11 करोड़ की राशि में से केवल ₹36.72 करोड़ का उपयोग किया गया था जिससे एक बड़ी धनराशि रा.भ.नि.नि. के पास अवरूद्ध पड़ी रही।

(पैराग्राफ 10.1)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम कल्याण संगठन, कोलकाता

कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम कल्याण संगठन (श्र.क.सं.) बीड़ी कर्मकारों, लौह, मैंगनीज, क्रोमियम, चूना पत्थर खदानों एवं सिने उद्योगों में श्रमिकों के कल्याण हेतु निधियों की स्थापना करने के लिए ससंद के अधिनियमों के क्रियान्वयन तथा इन कोषों से संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। श्र.क.सं., कोलकाता की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए नकली/एकाधिक कार्ड जारी किये जाने से बचने हेतु न तो कोई निर्धारित प्रक्रिया थी और न ही कोई नियंत्रण लगाये जा रहे थे। आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे तथा उपयुक्त डाटा बेस के अभाव में श्र.क.सं. यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि लाभ पात्र श्रमिकों तक समायोचित रूप से पहुँच रहे हैं।

(पैराग्राफ 11.1)

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

निधियों का असामयिक निर्गम

मंत्रालय ने “राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढीकरण” योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए बिना केन्द्रीय वक्फ परिषद (के.व.प.) को कुल ₹1.91 करोड़ की राशि समय से पूर्व जारी की। इससे भारत की समेकित निधि से रोकड़ की समयपूर्व निकासी हुई तथा के.व.प. के पास निधियाँ अनावश्यक रूप से पड़ी रही।

(पैराग्राफ 12.1)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर केन्द्र, कोलकाता

व्यर्थ व्यय होना

सुरक्षा मामलों की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना खेल अवसंरचना का निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹14.15 करोड़ मूल्य की अवसंरचना बेकार रही और ₹1.28 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त जनजातीय युवकों को खेल प्रशिक्षण देने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 14.1)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता

नगरपालिका प्राधिकरण को अधिक भुगतान

सुसंगत अधिनियम की प्रचलित धारा का सत्यापन किए बिना नगर पालिका प्राधिकरण को नगरपालिका राशियों का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹1.47 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

(पैराग्राफ 15.1)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अनुदान का अधिक निर्गम

मंत्रालय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ए.आ.आ.वि.) की स्थापना की योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय उचित सचेतना लागू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, इसने राज्य में दो ए.आ.आ.वि. में वास्तविक छात्र संख्या की गणना किए बिना अनुदानें जारी की जो ₹2.21 करोड़ के अधिक निर्गम का कारण बनी।

(पैराग्राफ 17.1)

अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि, क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों, लागू नियमों, नियमावली, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, का उल्लेख करती है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों तथा अनुदेशों की वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक की जांच करना भी शामिल होता है।

लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) की ओर से उसके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों¹ के अनुसार की जाती है। ये मानक वे मानदण्ड निर्धारित हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा संचालन करने में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और उनके पालन न होने तथा दुरुपयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में विद्यमान कमियों की सूचना देना अपेक्षित होता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से, कार्यकारी अधिकारी को शोधक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने तथा उन नीतियों और निर्देशों को बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन का मार्गदर्शन करेंगे, इस प्रकार, ये बेहतर शासन के लिए योगदान दे सकें।

मार्च 2014 को, वैज्ञानिक विभागों को शामिल करते हुए संघ सरकार के 53 मंत्रालय/विभाग थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालयों/विभागों का सकल व्यय नीचे दिया गया है:

¹ www.cag.gov.in/html/auditing_standards.htm

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय
2011-12	47,62,240.00
2012-13	47,93,466.00
2013-14	49,90,057.83

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य संघ सिविल मंत्रालयों द्वारा वास्तविक संवितरण नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय	2011-12	2012-13	2013-14
कृषि	23396.00	24800.00	26056.69
नागरिक उड्डयन	2040.00	7069.00	6954.59
वाणिज्य एवं उद्योग	5715.00	6076.00	6606.51
विदेश मामले	7871.00	10121.00	11807.35
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	28683.00	29667.00	31894.03
गृह मामले	45707.00	48030.00	53904.08
मानव संसाधन विकास	78798.00	65571.00	71521.74
खनन	804.00	799.00	1037.41
पोतपरिवहन	1664.00	1203.00	1870.20
वस्त्र	5057.00	4385.00	3954.98
पर्यटन	1115.00	934.00	1029.20
महिला एवं बाल विकास	15677.00	17037.00	18038.59
युवा मामले एवं खेल	986.00	999.00	1143.78

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकेगा कि व्यय का बड़ा भाग चार मंत्रालयों अर्थात् कृषि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह तथा मानव संसाधन

विकास द्वारा किया गया था जो 2013-14 के दौरान उपरोक्त मंत्रालयों द्वारा किए गए कुल संवितरणों का 77.76 प्रतिशत था।

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

नि.म.ले. द्वारा लेखापरीक्षा करना तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 तथा 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 से प्राप्त हुआ है। नि.म.ले.प., नि.म.ले.प. के (क.श.से.श.) अधिनियम² की धारा 13³ तथा 17⁴ के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों अथवा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत नि.म.ले.प. को सौंपी गई है। इसके अलावा, के.स्वा.नि. जो मूलतः भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा वित्तपोषित हैं, की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा अधिनियम की धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

1.3 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब


सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी, कि लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखे, तीन माह की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेने चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

² नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971।

³ (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, से संबंधित लेनदेनों, (iii) सभी व्यापक, विनिर्माण, लाभ एवं हानि

⁴ संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार तथा स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा रिपोर्ट

वर्ष 2012-13 के लिए, 371 के.स्वा.नि. के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नि.म.ले.प. द्वारा की जानी थी। इनमें से 163 स्वा.नि. के लेखे, देय तिथि के बाद दिये गये थे, जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



स्वायत्त निकायों जिनके लेखे दिसम्बर 2014 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे के विवरण **परिशिष्ट-1** में दिये गये हैं।

1.4 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर प्रस्तुत प्रलेखों पर समिति ने, अपने पहले प्रतिवेदन (1975-76) में, सिफारिश की थी कि स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन-वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर अर्थात् आगामी वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जाएं।

31 दिसम्बर 2014 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति निम्न प्रकार है:

लेखे का वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गये थे, लेकिन संसद के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये	देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या
2012-13	18#	83*

2011-12 के 2 निकाय शामिल हैं

*2011-12 के 2 लेखापरीक्षित लेखे शामिल हैं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष निर्धारित समय में प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

स्वा.नि. के विवरण जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये अथवा देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, **परिशिष्ट-II** तथा **परिशिष्ट-III** में दिए गए हैं।

1.5 उपयोग प्रमाण पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वैधानिक निकायों/संगठनों को दिये गये अनुदानों के संबंध में, वित्त वर्ष की समाप्ति से 12 माह के अंदर संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है। मार्च 2013 तक दिये गये अनुदानों के संबंध में मार्च 2014 तक देय (वित्त वर्ष जिसमें अनुदान दिये गये, के 12 माह के बाद) ₹43874.99 करोड़ की राशि के 44329 बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या को दर्शाते हुए मंत्रालय/विभाग-वार विवरण **परिशिष्ट-IV** में दिये गये हैं। 13 मंत्रालयों⁵ ने बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी।

⁵ विद्युत विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आई.पी.पी. विभाग, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, योजना मंत्रालय तथा प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय।

मार्च 2014 को 10 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बकाया उपयोग प्रमाणपत्र की स्थिति नीचे दी गई है:

31 मार्च 2014 को बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2013 को समाप्त अवधि हेतु	
		संख्या	राशि
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6724	16192.46
2.	कृषि	3089	12380.20
3.	मानव संसाधन विकास	3889	9954.21
4.	युवा मामले एवं खेलकूद	7100	1439.31
5.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	10046	653.26
6.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	343	591.08
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2704	483.59
8.	जनजातीय कार्य	164	365.93
9.	महिला एवं बाल विकास	4611	312.72
10.	संस्कृति	3248	245.09
कुल		41918	42617.85

1.6 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे के साथ संलग्न करके संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

प्रत्येक केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखे पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ **परिशिष्ट-V** में दी गई हैं।

संबंधित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों/मंत्रालयों को जारी की गयी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गयी हैं:

- (क) वर्ष 2013-14 के लिए 123 स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी (**परिशिष्ट-VI**)।

- (ख) वर्ष 2013-14 के दौरान 131 स्वायत्त निकायों की स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-VII)।
- (ग) वर्ष 2013-14 के दौरान 103 स्वायत्त निकायों की वस्तु-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था (परिशिष्ट-VIII)।
- (घ) 68 स्वायत्त निकायों ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार भविष्य निधि शेषों का निवेश नहीं किया था (परिशिष्ट-IX)।
- (ङ) 94 स्वायत्त निकाय प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों की गणना कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के साथ संगतपूर्ण नहीं थी (परिशिष्ट-X)।
- (च) 135 स्वायत्त निकायों ने ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की गणना बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर नहीं की है (परिशिष्ट-XI)।
- (छ) 23 स्वायत्त निकायों द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य-हास नहीं दिया गया था (परिशिष्ट-XII)।
- (ज) 31 स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया (परिशिष्ट-XIII)।

अध्याय: II : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

2.1 मूल्य स्थिरता फंड स्कीम

वाणिज्य विभाग (डी.ओ.सी) ने अप्रैल 2003 में 10 वर्षों के लिए मूल्य स्थिरता फंड स्कीम (पी.एस.एफ.एस) शुरू की, जिसका उद्देश्य चाय, कॉफी, रबड़ और तम्बाकू पैदा करने वाले 3.42 लाख छोटे किसानों को सरकारी एजेंसियों (द्वारा अधिप्राप्ति) गतिविधियों के अभ्यास का सहारा लिये बिना, जिसके पास चार हेक्टेयर तक की जमीन थी, को उस समय वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जब मूल्य निर्धारित स्तर से नीचे आ गया हो। मूल्य स्थिरता फंड ट्रस्ट (पी.एस.एफ.टी) स्कीम के संचालन के लिये नोडल एजेंसी था। पी.एस.एफ.टी को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के सैटलर के रूप में 11 सितम्बर 2003 को पंजीकृत किया गया था। स्कीम के अन्तर्गत, भारत सरकार के लोक लेखे में 500 करोड़ रुपये का एक कॉरपस रखना था। फंड को, ₹482.88 करोड़ सरकारी और उत्पादकों को ₹17.12 करोड़ (प्रवेश शुल्क के तौर पर) के अंशदान से सृजन करना प्रस्तावित था। कॉरपस पर अर्जित ब्याज¹ पी.एस.एफ.टी. को स्कीम के क्रियान्वयन के लिये देना था। कॉरपस फंड को बिना छेड़छाड़ किये केवल, अर्जित ब्याज को ही स्कीम के परिचालन के लिए उपयोग करना था। डी.ओ.सी. ने (अप्रैल 2003) पी.एस.एफ.एस. के संचालन और संवीक्षा के लिए एक उच्च प्रभाव समिति (एच.पी.सी) का गठन किया। सरकार और उत्पादकों का वास्तविक अंशदान 31 मार्च 2013 को क्रमशः ₹432.88 करोड़ और ₹2.67 करोड़ रुपये था।

पी.एस.एफ.एस. सामान्य तेजी संकट वाले वर्षों में, प्रत्येक संकट वाले वर्ष में, प्रत्येक योग्य उत्पादक द्वारा ₹1000 की निकासी के प्रावधान के साथ उत्पादक और सरकार के अंशदानों के सिद्धांत पर आधारित था। उत्पादक सदस्य को प्रवेश शुल्क के रूप में ₹500 (वापिस न होने वाले) जमा करने आवश्यक थे, जो कि पी.एस.एफ.टी के कॉरपस का भाग होगा। प्रत्येक वर्ष एच.पी.सी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के 7 वर्षों का औसत परिचाय को +/-20% की रेंज के भीतर एक मूल्य स्पैक्ट्रम बैंड (पी.एस.बी) घोषित करेगा। यदि घरेलू मूल्य बैंड

¹ जोकि विशिष्ट जमा योजना (SOS) में सामान्य भविष्य निधि में समय-समय पर लागू था।

के अन्दर होगा तो वर्ष को 'सामान्य वर्ष' घोषित किया जायेगा और पी.एस.एफ.टी. के साथ-साथ उत्पादक को फसल के पी.एस.एफ बचत खाते में ₹500 जमा कराने होंगे। यदि घरेलू मूल्य नीचे वाले बैंड से नीचे गिर जाता है, तो वर्ष को "विपत्ति वर्ष" घोषित किया जायेगा। और पी.एस.एफ.टी. उत्पादक के पी.एस.एफ.एस.बी. लेखे में ₹1000 जमा करेगा। इसी तरह, यदि घरेलू मूल्य ऊपर वाले बैंड से ऊपर होगा, तो वर्ष को "तेजी वाला वर्ष" घोषित किया जायेगा और केवल उत्पादक को अपने पी.एस.एफ.बी. लेखे में ₹1000 का अंशदान देना होगा। इस तंत्र प्रणाली से हर वर्ष फसल उगाने वाले के पी.एस.एफ.एस.बी. लेखे में ₹1000 जमा होंगे और 10 वर्ष के अन्त तक (स्कीम की अवधि) पी.एस.एफ.एस.बी. लेखों की शेष राशि, सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज सहित उत्पादक द्वारा आहरित हो सकेगी।

डी.ओ.सी. ने जनवरी 2004 में स्कीम के निष्पादन की संवीक्षा की और पाया कि योजना की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही, जिसके कारण स्कीम के संचालन के दौरान विभिन्न समितियों (जैसे जुलाई 2004 में विशेषज्ञ समिति, जुलाई 2006 में टास्क फोर्स, 2007 में मंत्रियों का समूह (जी.ओ.एम) और अक्टूबर 2011 में उप समिति) का गठन किया गया।

विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया (जुलाई 2004) कि विपत्ति वर्ष 1 के दौरान प्रत्येक सदस्य को ₹1000 की क्षतिपूर्ति की जायेगी और पी.एस.एफ. ट्रस्ट में से कुल निकासी ₹34.2 करोड़ तक होगी। विपत्ति वर्ष 2 में, प्रत्येक सदस्य को ₹5000 की क्षतिपूर्ति स्वीकृत की जायेगी और पी.एस.एफ. ट्रस्ट से कुल निकासी ₹171 करोड़ तक होगी।

टास्क फोर्स ने सुझाव (जुलाई 2006) दिया कि उत्पादकों को धीरे-धीरे पी.एस.एफ. उपायों से फसल बीमा से आई.ओ.यू. विकल्पों और उसके बाद वस्तु बाजारों की ओर परिवर्तित हो सकें। जी.ओ.एम ने फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन का सुझाव दिया जिसे सी सी ई ए ने अनुमोदित किया था। उप समिति ने निम्नलिखित मसलों पर चर्चा (दिसम्बर 2011) की:

- I. प्लांटेशन सैक्टर के लिए फसल बीमा योजना की रूपरेखा हेतु विधि।
- II. पी एस एफ स्कीम को पुनर्रचना का प्रस्ताव
- III. अलग इलायची मूल्य स्थिरता फंड (सी.पी.एस.एफ.) की स्थापना का प्रस्ताव और एक ड्राफ्ट संशोधित मूल्य स्थिरता फंड (एम.पी.एस.एफ.)

2013 योजना और एक ड्राफ्ट प्लॉटेशन क्राप बीमा स्कीम (पी सी आई एस) की रूपरेखा बनाई।

यद्यपि, समिति की किसी भी अनुशंसा को नहीं अपनाया गया। इसी बीच, एच पी सी की अनुशंसा पर 2005 से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम (पी.ए.आई.एस.) शुरू की गई।

मार्च 2013 में पी.एस.एफ.एस. में पंजीकरण की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

विवरण	वस्तुएँ				
	रबड़	काफी	चाय	तम्बाकू	कुल
विवरण	1,97,461	71,949	42,619	30,317	3,42,346
लक्षित उत्पादकों की संख्या	18,919	11,594	15,730	0	46,243
31.3.2013 को कुल पंजीकरण	9.6	16.1	36.9	0	13.5
प्रतिशत	5,482	4,474	507	0	10,463
योग्य उत्पादकों की संख्या जिन्हें वित्तीय सहायता निर्गत की गई	13,433	7,034	15,223	0	35,690
चूककर्ता करने वाले/ उत्पादकों जिनकी सहायता लम्बित है की संख्या	71.00	60.67	96.78	0.00	77.18
पंजीकरण के विपरीत चूक करने वालों की प्रतिशत	2.8	6.2	1.2	0.0	3.1

स्कीम की अनाकर्षित विशेषताओं² के कारण, केवल 46,243 उत्पादकों का पंजीकरण हुआ जैसे कि 3.42 लाख फसल उगाने वालों के प्रारंभिक लक्ष्य के विपरीत 13.5 प्रतिशत ही प्राप्त हुए (मार्च 2013)। इसके अतिरिक्त, उत्पादक, जिन्होंने इस स्कीम में पंजीकरण किया था, साल दर साल अंशदान का भुगतान करने में चूक करते रहे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शुरुआत में स्कीम में पंजीकरण लक्षित संख्या के 13.5 प्रतिशत तक था, जो कि 31 मार्च 2013 तक घटकर केवल 3.1 प्रतिशत रह गया। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सभी तीनों वस्तुएँ (क्योंकि तम्बाकू में कोई पंजीकरण नहीं था) “सामान्य वर्ष” या “तेजी वाले वर्ष” श्रेणी (अनुबंध-1) में मुख्यतः आई, जिससे पता चला कि उत्पादकों का अंशदान सरकारी निकासी से ज्यादा था।

² आने की फीस की मांग, वित्तीय सहायता का निम्न स्तर, निकालने में रुकावटें, निम्न ब्याज दर, मूल्य स्पैक्ट्रम बैंड का अनुचित डिज़ाइन

मार्च 2014 तक डी.ओ.सी. द्वारा खर्च किये गये ₹8.21 करोड़ के व्यय में से ₹6.23 करोड़ पी एस एफ टी (75.88 प्रतिशत), के प्रशासनिक खर्च पर व्यय हुए और केवल ₹1.98 करोड़ (0.40 प्रतिशत)³ [₹1.53 करोड़ (0.31 प्रतिशत)⁴ पी.एस.एफ.एस. पर और ₹0.45 करोड़ (0.09 प्रतिशत) पी.ए.आई.एस पर हुए], जोकि 31 मार्च 2014 को ₹490.25 करोड़ अर्जित ब्याज में से लक्षित लाभार्थियों द्वारा उपयोग किया गया।

समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वित न होने के कारण जुलाई 2014 तक न तो कोई संशोधित स्कीम अनुमोदित की गई न ही कोई वर्तमान स्कीम को समापन की निर्धारित अवधि यानी मार्च 2013 से आगे बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त व्यय विभाग योजना आयोग की सलाह के बावजूद, डी.ओ.सी. द्वारा जुलाई 2014 तक कॉरपस फंड में पड़ी राशि को भारत की समेकित निधि में जमा करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह भी पाया गया कि पी.एस.एफ.टी. का प्रशासनिक ढाँचा अभी भी मौजूद है और इस संबंध में लगातार व्यय हो रहा है।

2.1.1 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

योजना में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई, जिसके कारण यह शुरू नहीं हो पाई और अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही:

1. पी.एस.एफ. योजना की अवधारणा और रूपरेखा

योजना शुरू नहीं हो पाई और कॉरपस के सृजन का उद्देश्य विफल रहा क्योंकि अर्जित ब्याज का केवल 0.40 प्रतिशत ही, सामान्य/ विपत्ति वर्षों (मार्च 2014) के दौरान, स्कीम से सहायता प्रदान करने में उपयोग किया गया, क्योंकि इसके रूपरेखा/विचार धारणा में ही निम्नलिखित कमियाँ थी।

• सहायता की मात्रा

वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर ₹1000 की सहायता की मात्रा निर्धारित करने के लिये कोई विश्लेषण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, डी.ओ.सी. ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित मुद्रास्फीति निकालने के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई।

³ $((₹1.53+₹0.45)\times 100)/ ₹490.25$

⁴ $(₹1.53\times 100)/ ₹490.25$

उदाहरण के तौर पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि कॉफी रोबस्टा के 2000-01 के मूल्यों के आधार पर, मूल्यों (विपत्ति वर्ष) में 20 प्रतिशत की तेज गिरावट के कारण, ₹9,381.20 प्रति हैक्टेयर की आय में कमी (चार हैक्टेयर के लिये ₹37,524.80) के साथ-साथ ₹1,367.70 प्रति हैक्टेयर (चार हैक्टेयर के संबंध में ₹5,470.80) का वास्तविक नुकसान होगा। इस प्रकार स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की गई ₹1000 वित्तीय सहायता, उत्पादकों की आय में भारी कमी के साथ वास्तविक नुकसान की भरपाई करने में अपर्याप्त थी।

• मूल्य स्पैक्ट्रम बैंड (पी.एस.बी.) का डिजाईन

➤ उत्पादन की लागत की अपेक्षा पूर्व मूल्यों के परिचालित औसत की अवधारणा को अपनाना

ज्यादातर उत्पादकों और वस्तु बोर्ड, प्लांटेशन वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर पी एस एफ स्कीम को बनाने के पक्ष में थे, और पी.एस. एफ को उत्पादकों के द्वारा एक समाधान के रूप में नहीं देखा गया। यद्यपि नैशनल काउन्सिल फॉर एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) स्टडी और ओपरेशनल मॉडलेटीज कमेटी (ओ एम सी) ने निष्कर्ष निकाला कि व्यवहारिक रूप से एक मूल्य स्थिर करना असंभव था, जो प्रत्येक किसान के उत्पादन की लागत को कवर करें और पूर्व अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के परिचालित औसत की अवधारणा की अनुशंसा की। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि देश में छोटे उत्पादक कुछ ही स्थानों पर केन्द्रित (अनुबंध-II) थे। परिणामस्वरूप केवल इन छोटे उत्पादकों को प्रभावित करने वाले घटकों/स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उत्पादन की लागत, राजस्व आय वसूलने को आंकलन करने के लिए विश्वसनीय सूचक समझा जा सकता था।

➤ चौड़े प्राईस स्पैक्ट्रम बैंड का निर्धारण करना

एक आदर्श बैंड का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्राईस बैंड को आदर्श स्वरूप मानक के साथ साथ कुशल तथ्य दर्शाना चाहिए। एन.सी.ए.ई.आर. में पाया गया कि संकीर्ण बैंड से सरकार को लागत ज्यादा पड़ती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि जैसा कि ओ.एम.सी. में उल्लेख है कि कॉरपस से प्राप्त संभावित वार्षिक व्याज सभी वर्षों में विपत्ति वर्ष सहित सभी लक्षित उत्पादकों को सहायता प्रदान करने में पर्याप्त थी। इस प्रकार, एक वाईड अपेक्षाकृत बैंड को

अपर्याप्त निर्धारण के कारण, पी.एस.एफ.एस. में निधियों का अपेक्षाकृत कम उपयोग हुआ।

- **सभी वस्तुओं के लिये सहायता की एकल मात्रा और 40 प्रतिशत एकल बैंडविडथ का प्रावधान**

एन.सी.ए.ई.आर. ने अपने अध्ययन में कहा कि इन वस्तुओं के उत्पादन की इकाई लागत बहुत भिन्न थी और उत्पादन की कोई एकल लागत नहीं थी क्योंकि यह फॉर्म के आकार, क्षेत्र और अन्य तत्वों जैसे मिट्टी के प्रकार, भूमि, उर्वरकों और कीटनाशकों, मजदूरी इत्यादि के अनुसार भिन्न था। फिर भी ओ.एम.सी. ने ऊपर वर्णित भिन्नताओं पर विचार नहीं किया और सभी वस्तुओं के लिये ₹1000 की सहायता की एकल मात्रा की अनुशंसा की। यद्यपि, एन.सी.ई.आर. अध्ययन ने दर्शाया कि रबड़ और तम्बाकू की औसत इन्ट्रा-ईयर प्राईस भिन्नता (1980 और 1990 के दौरान) 20 और 30 प्रतिशत के बीच था, जबकि चाय और कॉफी 35 और 47 प्रतिशत के बीच था, उत्पादकों के लिये वित्तीय राहत के प्रावधान के अलग व्यवहार की अपेक्षा सभी वस्तुओं के लिये 40 प्रतिशत के एकल बैंडविडथ की अनुशंसा की।

- **मूल्यों के चक्रीय उतार-चढ़ाव**

चाय, अरेबिका कॉफी, कॉफी रोबस्टा, और रबड़ (अनुबंध III में दर्शाये गये ब्यौरे) के पिछले 19 वर्ष (1994-2012) के दौरान विश्लेषण में पाया कि वर्ष दर वर्ष मूल्यों में लगातार उतार चढ़ाव थे। यह पाया कि तुलनात्मक अवधि में अधिकतर 4-5 वर्षों के मूल्यों में तेजी के बाद के समय में मूल्यों में हमेशा गिरावट रही। इस प्रकार, इन वस्तुओं के मूल्यों में भिन्नता स्वभाव से चक्रीय थी। मूल्यों में गिरावट को मूल्यों में तेज बढ़ोतरी के साथ पाया गया। इस प्रकार, मूल्यों में गिरावट की अवधि के दौरान उत्पादकों द्वारा वहन किये गये नुकसानों (मूल्य गिरने के कारण) को आने वाले वर्षों में मूल्यों में तेज बढ़ोतरी से पूरा किया सकता था। इसके अलावा मूल्य में बढ़ोतरी के चलन मूल्यों में ड्रॉप की तुलना में ज्यादा पाये गये।

डी.ओ.सी. ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) कि वह स्कीम की अवधारणा में कमियों के बारे में शुरुआती दौर से ही अवगत था। उत्पादन के लागत की अपेक्षा मूल्यों में परिचालित औसत की धारणा को अपनाने के संबंध में डी.ओ.सी. ने परिचालित औसत अवधारणा को अपनाने की सरलता पर जोर

दिया। डी.ओ.सी ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति ने 2005 में 20 प्रतिशत से 5 प्रतिशत/15 प्रतिशत से पी.एस.बी. को कम करने की सलाह दी, जिसे एम.पी.एस.एफ. के प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया। एकल बैंडविड्थ और एकल मात्रा के संबंध में, यह कहा जाता है कि आवश्यकता को अच्छी तरह दर्शाने के लिये एक सांकेतिक आँकड़ा लेने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, जागरूकता के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि स्कीम में कमियों को दूर करने के लिये डी.ओ.सी. ने कोई विश्लेषण करने के प्रयत्न नहीं किये।

2.1.2 पी.एस.एफ स्कीम का क्रियान्वन

- पी.एस.एफ. ट्रस्ट द्वारा चूककर्ताओं के कोई आंकड़े नहीं रखे गये। लेखापरीक्षा को वस्तु बोर्ड से तिमाही विवरणियाँ प्राप्त होने के कोई सबूत भी नहीं मिले, जिसमें बैंको द्वारा चूक की राशि को वापिस करने से संबंधित सूचना हो। लेखापरीक्षा में पाया कि बहुत से उत्पादकों/सदस्यों द्वारा, पी.एस.एफ लेखों में अपना अंशदान जमा कराने में हुई चूक के कारण पी.एस.एफ.टी. के पास ₹468.32 लाख⁵ का भुगतान लम्बित हैं।
- स्कीम दिशानिर्देशों के पैरा 7 के विरोध में चाय वस्तु और रबड़ बोर्ड ने 2011-12 के वित्तीय वर्ष के लिये पी.एस.एफ. के लिये कोई अलग बैंक खाता नहीं बनाया। इसके अभाव में, पी.एस.एफ. निर्गतों का वास्तविक उपयोग/विमोचन लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।
- स्कीम के खत्म होने पर, पी.एस.एफ.टी. ने वस्तु बोर्ड को दिशानिर्देश दिये (मई 2013) कि फसल उगाने वालों को पी एस एफ बचत बैंक खातों के पूरे शेष को निकालने की इजाजत सरकारी सहायता निकासी न करने के आश्वासन और चूककर्ताओं के संबंध में सरकारी लेखों में जमा के बिना दे दी।
- अनुमोदित लेखा प्रक्रिया के अनुसार, 31 मार्च 2014 को पी.एस.एफ कोरपस में ₹13.50 करोड़ की कमी थी।
- पी एस एफ स्कीम, मार्च 2013 में खत्म हो गई। फिर भी डी.ओ.सी ने अगले 10 वर्षों के लिये ट्रस्ट का पंजीकरण बढ़ा दिया, इस के बावजूद कि पी एस एफ स्कीम 2003 न तो बढ़ाई गई थी न ही कॉरपस फंड में

⁵ चाय ₹365.28 लाख, कॉफी ₹35.89 लाख और रबड़ ₹67.15 लाख

स्थानांतरण के लिए कोई नई/संशोधित स्कीम नहीं लाई गई थी। परिणामस्वरूप, पी.एस.एफ.टी अभी भी प्रचलन में थी और अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान, ₹58.73 लाख का व्यय प्रशासनिक उद्देश्यों पर किया गया।

डी.ओ.सी. का उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2015) है।

2.1.3 वैयक्तिक दुर्घटना बीमा स्कीम

- पी.ए.आई.एस. सक्षम प्राधिकारी, इकनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के अनुमोदन के बिना सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में ₹25000 प्रति उत्पादक कवर के साथ पी.एस.एफ. स्कीम के फसल उत्पादक सदस्यों के लिये 2005 में शुरू किया गया। पी.ए.आई.एस, सी.सी.ई.ए. द्वारा जून 2002 और फरवरी 2003 विचार किये गये मूल प्रस्तावों में भी शामिल नहीं था। मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए बीमा कवर को ₹25000 से ₹1.00 लाख बढ़ाने के लिए सी.सी.ई.ए. का अनुमोदन मार्च 2007 में ही प्राप्त किया जा सका। अतः पी.ए.आई.एस. बिना किसी अनुमोदन के दो साल तक क्रियाशील रही।
- पी.ए.आई.एस. के उद्देश्यों और पी.एस.एफ योजना के उद्देश्यों में तारतम्य नहीं था।
- रबड़ एवं तम्बाकू क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए बीमा योजना, पी.ए.आई.एस के साथ-साथ चल रही थी।
- यह भी देखा गया कि पी.ए.आई.एस. में मुख्य भागीदारी तम्बाकू क्षेत्र से थी तथा पी ए आई एस के दिशा-निर्देशों में इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया कि पी.ए.आई.एस. के तहत किये गए दावों के संदर्भ में अन्य योजनाओं से प्रतिपूर्ति नहीं प्राप्त की गयी थी।
- पी.ए.आई.एस. के लिए चाय, रबड़, कॉफी, तम्बाकू तथा मसालों के क्षेत्रों के उत्पादकों को एक मुश्त ₹100 का प्रवेश शुल्क देकर, पी एस एफ योजना का सदस्य बनाने के लिए दिसम्बर, 2008 में सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के बिना, योजना संशोधित कर दी गयी। लेखा परीक्षा जाँच ने, हाँलाकि, उदघाटित किया कि माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने (नवम्बर 2007) में अनुमोदित किया कि “मसाला क्षेत्र के

लिए 4 हेक्टेयर तक के बागवानी के उत्पादकों के लिए सदस्यता शुल्क ₹100 तथा 4 हेक्टेयर से ऊपर के लिए ₹500 होगा।” नामांकन शुल्क में कमी के बावजूद, पी.ए.आई.एस. योजना की सदस्यता संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई क्योंकि 57.17 लाख के लक्ष्य की तुलना में कुल सदस्य संख्या केवल 4.46 लाख थी (7.8 प्रतिशत)।

डी.ओ.सी द्वारा पी.ए.आई.एस को प्रारम्भ करने तथा समवर्ती योजनाओं को चलाने के संदर्भ में कोई विशिष्ट उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया। नामांकन शुल्क में कमी के संदर्भ में डी.ओ.सी ने कहा (दिसम्बर 2014) कि नामांकन शुल्क में कमी को दिसम्बर, 2008 में अनुमोदित किया गया था। हालांकि, अनुमोदन की प्रतिलिपि प्रतीक्षित है। (मार्च 2015)

2.1.4 निम्न स्तरीय निगरानी

- पी.एस.एफ योजना के दौरान (2003-13) एच.पी.सी की 27 मार्च 2006 तक मात्र 10 बैठकें हुईं। इसके पश्चात, योजना की समाप्ति के बाद इसे (जुलाई 2014) पुनर्गठित किया गया। इस प्रकार पी.ए.आई.एस दो साल तक बिना किसी अनुमोदन के परिचालन में रही। इस प्रकार योजना के कार्यान्वयन के एक बड़े हिस्से की निगरानी के लिए तथा योजना से सम्बंधित नीतिगत विषयों पर निर्णय के लिए निर्दिष्ट तंत्र अनुपस्थित रहा।
- योजना दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान था कि प्रत्येक उत्पादक बोर्ड को प्राप्त निधियों का विवरण तैयार करना चाहिए तथा पी.एस.एफ.टी को भेजने के लिए त्रैमासिक विवरणिका तैयार करना चाहिए। लेखा परीक्षा जाँच ने हालांकि दर्शाया कि:
 - ❖ पी.एस.एफ.टी के अभिलेखों में कोई विवरणिका उपलब्ध नहीं थी।
 - ❖ त्रैमासिक विवरणिका के प्रारूप में सदस्यों का अंशदान, बकायेदारों के खातों की संख्या तथा वापस की जाने वाली राशि से सम्बंधित सूचना को मंगवाने का उल्लेख नहीं था।
 - ❖ पी.एस.एफ.टी. ने (सितम्बर 2014) गलत व्यक्तव्य दिया कि सभी आँकड़ों को उत्पाद बोर्डों द्वारा बनाया जाना चाहिए था, तथा दिशा-निर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान/प्रारूप नहीं था जिसमें उत्पाद बोर्डों द्वारा

पी.एस.एफ.टी. को बैंक खातों के कार्यान्वयन/बंद होने से सम्बंधित आँकड़े भेजे जायें।

- यह देखा गया कि चूककर्ताओं की संख्या में वार्षिक बढ़ोतरी हो रही थी। हालांकि लेखापरीक्षा ने चूक तथा एस.बी. खातों के बंद होने के संदर्भ में कोई अभिलेख नहीं पाया।
- उत्पादकों के अंशदान की प्राप्ति से संबंधित मूलभूत आँकड़ों के अभाव के बावजूद, पी. एस.एफ.टी. उत्पाद बोर्डों को मात्र उनकी माँग के आधार पर निधि निर्गत कर रही थी।
- पी.एस.एफ.एस. ने पाँच वर्षों बाद भी बिना समीक्षा के योजना जारी रखी जो कि योजना के संकल्पना के अनुसार आवश्यक थी।
- लेखा परीक्षा ने पाया कि यदि उत्पादकों से प्राप्त नामांकन शुल्क/ अंशदान पर विचार किया गया होता तो प्रारम्भिक अवस्था में ही पी.एस.एफ.टी की राशि कम हो जाती तथा आठ वर्षों के लिए ₹432.88 करोड़⁶ राशि को निष्प्रयोज्य होने से बचाया जा सकता था।
- यद्यपि पी.एस.एफ.एस तथा इसकी परिचालन प्रक्रिया में चिहिनित अवरोधों का विभिन्न समितियों द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया था, फिर भी वे कभी दूर नहीं किये गये।
- पी.एस.एफ.एस. मार्च 2013 में समाप्त हो गयी; हालांकि, डी.ओ.सी के ट्रस्ट के पंजीकरण को अगले 10 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया तथा पी.एस.एफ. कॉर्पस राशि ₹918.53 करोड़ (मार्च 2014) को अपने पास रखा। लेखा परीक्षा ने पाया कि एक नवीन बीमा प्रीमियम छूट योजना परामर्श के स्तर पर थी। ऐसे परिदृश्य, में पी.एस.एफ.टी. के पास कॉर्पस निधि का होना न्याय संगत नहीं था।

डी.ओ.सी. द्वारा अपने उत्तर में कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की (दिसम्बर 2014)।

इस प्रकार, वह उद्देश्य जिसके लिए पीएसएफ योजना प्रारम्भ की गई, अप्राप्य रहा जैसा कि योजना की संकल्पना में कमियों अर्थात अपर्याप्त सहायता, मूल्य

⁶ कुल सरकारी अंशदान

स्पैक्ट्रम बैंड की अभिकल्पना, एकल बैंडविड्थ तथा राशि सभी वस्तुओं के लिए इत्यादि के कारण उत्पादकों को आकृष्ट नहीं कर पायी, जिसके परिणामस्वरूप ₹8.21 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जो कि मुख्यतः योजना के प्रशासन पर था तथा 31 मार्च 2014 को ₹918.53 करोड़ की राशि निष्प्रयोज्य पड़ी रही।

भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद

2.2 सेवा कर के संग्रहण न होने के कारण परिहार्य व्यय

भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद का अधिसूचित वस्तुओं के निर्यातकों से निरीक्षण और प्रमाणन पर सेवा कर के संग्रहण के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरणों को समय पर निर्देश देने की विफलता के परिणाम स्वरूप ₹9.98 करोड़ की हानि हुई।

भारत की निर्यात निरीक्षण परिषद (इ.आई.सी) 1 जनवरी 1964 को निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण अधिनियम 1963 के खण्ड 3 के तहत भारत सरकार (भा.स.) द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण तथा उससे संबंधित मामलों के में से निर्यात उद्योग के उचित विकास हेतु स्थापित किया गया था। इ.आई.सी को उसके कार्यों में सहायता, अधिनियम के खण्ड 7 के तहत स्थापित चेन्नई, दिल्ली, कोच्चि, कोलकाता तथा मुम्बई में स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (ई.आइ.ए) द्वारा की जाती है। ई.आई.सी का कार्यादेश निर्यात हेतु विचार की गयी वस्तुओं के निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन हेतु कदमों के विषय में केन्द्र सरकार को सलाह देना है। निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन इ.आइ.ए. द्वारा किया जाता है जिसके लिए वे ऐसे शुल्क प्रभारित करते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित हो। ई.आई.सी, ई.आइ.ए के कर्मचारियों, लेखाओं तथा अभिलेखों पर प्रशासकीय नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधिकार का प्रयोग करता है।

वित्त अधिनियम 2003 ने सेवा के सात नये मर्दों जिसमें 'तकनीकी परीक्षण तथा विश्लेषण, तकनीकी निरीक्षण तथा प्रमाणन' शामिल हैं, उस दिनांक से, जिसकी अधिसूचना बाद में जारी होगी पर सेवाकर उद्ग्रहीत किया। तत्पश्चात, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 7/2003-सेवा कर दिनांक 20 जून 2003 द्वारा 1 जुलाई 2003 की तिथि निर्धारित की जिस तिथि से उपरोक्त सेवाओं पर सेवा कर प्रभाव में आएगा। इस प्रकार इ.आइ.ए द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली प्रमाणन एवं परीक्षण सेवाएँ, 01

जुलाई, 2003 से प्रभावी सेवा कर के दायरे में आयीं। परिणाम स्वरूप, सेवा कर प्राधिकारी, इ.आइ.ए तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों से सेवा कर तथा दण्ड ब्याज की माँग कर रहे थे। हाँलाकि, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (इ.आई.सी का प्रशासकीय मंत्रालय) ने अपने पत्र (नवम्बर, 2004) में अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क परिषद (सी.बी.इ.सी) के माध्यम से इस आधार पर कि इ.आई.ए द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात को उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाएं सांविधिक प्रवृत्ति की थी, इ.आइ.सी/इ.आई.ए पर सेवा कर के लागू होने से छूट माँगी थी। आगे यह तर्क दिया गया कि इन अधिकरणों द्वारा ये सेवाएं अधिसूचित दरों/शुल्कों पर उपलब्ध करायी जा रही थी जो कि उनके द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती थी और इस प्रकार अभिकरणों, सेवा कर संग्रह तथा भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि उनके सांविधिक दायित्वों पर योग्य सेवाओं के रूप में नहीं बनाया जा सकता था। प्रत्युत्तर में अध्यक्ष, सी.बी.इ.सी ने स्पष्ट किया (मार्च 2006) कि सेवा कर सेवा की प्रवृत्ति के आधार पर अधिभारित किया गया था न कि सेवा प्रदाता की परिस्थिति के आधार पर, इसलिए परिषद एवं इसके क्षेत्रीय संगठनों को सेवा कर में छूट नहीं दी जा सकती थी। सी.बी.इ.सी के स्पष्टीकरण के प्रसंग में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ई.आई.सी को निर्देश (अप्रैल, 2007) दिया कि वह सेवा कर के संग्रह का मार्ग तलाश करे। इसके अनुसार, ई.आई.सी ने अपनी 101वीं बैठक (दिसम्बर 2007) में 01 अक्टूबर 2007 से ई.आई.सी/इ.आई.ए के सेवाओं के उपभोक्ताओं से सेवा कर के संग्रह प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। इ.आई.सी ने लेकिन निर्यातकों से सेवा कर संग्रह करना 1 दिसम्बर 2013 से प्रारम्भ किया। ई.आई.सी ने (सितम्बर 2014) ई.आई.ए की तरफ से, 01 दिसम्बर 2012 से 30 नवम्बर 2013 के अवधि के लिए ₹9.98 करोड़⁷ सेवा कर जमा किया, तथापि इस अवधि के लिए सेवा कर निर्यातकों से संग्रह नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अध्यक्ष सी.बी.ई के स्पष्टीकरण, प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा निर्देश दिये जाने तथा इ.आई.सी के अपनी 101वीं बैठक में निर्णय लिये जाने के बाद भी इ.आई.सी सेवा कर के प्रति अपनी जिम्मेदारी लगभग 10 वर्ष के लिए टालती रही। इस प्रकार इ.आई.सी से किसी निर्देशों के अभाव में, इ.आई.ए ने निर्यातकों से सेवा कर की वसूली नहीं करी।

⁷ दिल्ली ई.आई.ए. ₹2.01 करोड़ मुम्बई ₹2.13 करोड़ चेन्नई ₹2.07 करोड़, कोलकाता ₹1.90 करोड़. कोचि ₹1.87 करोड़

प्रबन्धन ने (अक्टूबर 2014 में) लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल तथ्य एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए 01 जुलाई 2012 से अपनी सेवा कर देयता को माना।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 जुलाई 2012 से निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाओं पर सेवा कर संग्रहण एवं जमा करने की इ.आइ.ए की देयता स्वीकार करने के बावजूद भी इ.आइ.सी ने इ.आइ.ए को आवश्यक निर्देश नहीं दिये। परिणामस्वरूप इ.आइ.ए की तरफ से, इ.आइ.सी को अपने स्वयं के संसाधनों से 01 दिसम्बर 2012 से 30 नवम्बर 2013 की अवधि के लिए ₹9.98 करोड़ का सेवा कर जमा कराना पड़ा।

इस प्रकार इ.आइ.सी. का इ.आइ.ए को अधिसूचित वस्तुओं के निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाओं पर निर्यातकों से सेवा कर का संग्रह करने के सामयिक रूप से निर्देश देने में हुई अनिर्णायकता के फलस्वरूप निर्यातकों की तरफ से 1 दिसम्बर 2012 से 30 नवम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹9.98 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा। इ.आइ.ए ने 1 दिसम्बर 2012 के पूर्ववर्ती कार्य के लिए सेवा कर की वसूली नहीं थी जिसके लिए वर्ष 2013-14 के लेखा पुस्तकों में ₹28.99 करोड़ की आकस्मिक देयताएँ भी उद्घटित हुईं। यह सम्भावना है कि इ.आइ.सी को इस राशि का भी भुगतान करना पड़े।

मंत्रालय को यह मामला प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2015), उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय टी बोर्ड

2.3 चाय के घरेलू संवर्धन हेतु भारतीय टी बोर्ड के चाय केन्द्रों को चलाने हेतु ₹7.27 करोड़ का निष्फल व्यय

टी बोर्ड ने वर्षों से हो रहे अत्याधिक घाटे तथा अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति न कर पाने के बावजूद भी विभिन्न चाय केंद्रों जो चाय के घरेलू संवर्धन हेतु स्थापित किये गये थे का संचालन जारी रखा।

चाय अधिनियम 1953 के खंड-4 के अंतर्गत टी-बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना शीर्ष निकाय के तौर पर की गई जो कि भारत में चाय उद्योग के संमग्न विकास के लिये प्रमुख भूमिका निभाता है। बोर्ड के क्रियाकलापों में शामिल है, कृषि हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता, चाय का उत्पादन और विपणन, अनुसंधान

और विकास के क्रियाकलापों में सहायता देना तथा स्वदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाय के उपभोग को बढ़ाते हुए संवर्धन क्रियाकलापों को पूरा करना।

घरेलू बाजार में संवर्धन और जनसमूह के बीच चाय की खपत को बढ़ाने हेतु बोर्ड ने घरेलू मेले और प्रदर्शनियों में भागीदारी द्वारा तथा प्रकाशित और प्रदर्शित मीडिया में विज्ञापन देने की योजना बनाई। इसके अतिरिक्त बोर्ड सात चाय-केन्द्रों⁸ का संचालन भी करता है, नई दिल्ली के संसद भवन, उद्योग भवन, वित्त मंत्रालय और योजना भवन, दक्षिण भारत के चेन्नई सचिवालय तथा सी.एम.बी.टी-कोएमबेडू, चेन्नई और तिरुमाला, तिरुपति जहां चाय मामूली दरों पर दी जाती है ताकि इसके उपभोग को लोकप्रिय बनाया जा सके। इन केन्द्रों के दैनिक संचालन हेतु गैर-योजना और योजना बजट के तहत नियमित निधियां बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती हैं।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि, लम्बी अवधि से, बोर्ड के द्वारा संचालित चाय की इकाईयाँ जोकि नई दिल्ली और दक्षिणी भारत में विभिन्न स्थानों पर हैं, चाय को सहायता दरों पर बेच रही हैं जिससे चाय का बिक्री मूल्य स्थिर रहा है। बोर्ड ने चाय सेवा को अपने सीमित बजट संसाधनों से निधियां प्रदान करके जारी रखा। हालाँकि चाय, दूध, चीनी और अन्य परिवर्तकों जैसे संघटकों के तेजी से बढ़ते मूल्यों के साथ-साथ स्थापना खर्चों में वृद्धि के कारण बोर्ड को अपने चाय केन्द्रों को चला पाने में घोर कठिनता का अनुभव हुआ।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि :

- चाय के घरेलू संवर्धन के लिये चाय-केन्द्रों द्वारा कुछ भी योगदान नहीं दिया गया। 2008 से 2012 के दौरान प्रति व्यक्ति चाय का उपभोग 701 ग्राम प्रति व्यक्ति और 738 ग्राम प्रति व्यक्ति के बीच में रहा। एक ओर, भारत में चाय का उत्पादन जमीन और मजदूरों की कमी के कारण चाय के उत्पादन क्षेत्रों के सीमित विकास की संभावना से स्थिर रहा तो वही दूसरी ओर, भारतीयों में प्रति व्यक्ति चाय की खपत में वृद्धि केवल 5.28 प्रतिशत ही हो पाई।
- चाय-केन्द्रों की घरेलू खपत की बढ़ोतरी पर सीमित प्रभाव रहा क्योंकि ये मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों, उच्चाधिकारियों और अतिथियों को विभिन्न मंत्रालय के भवनों में चाय की सेवा प्रदान करते थे। तिरुमाला और चेन्नई

⁸ केन्द्र में बार/बुफे/नुक/कक्ष सम्मिलित है।

स्थित सी.एम.बी.टी. के चाय-केन्द्रों को छोड़ कर बाकि चाय-केन्द्र मुख्यतः न्यूनतम मूल्यों पर चाय की सेवा-आम जनता का नहीं देते थे बल्कि उन्हीं नियमित ग्राहकों अर्थात् सरकारी विभागीय कर्मचारियों को देते थे। अतः उत्तम गुणवत्ता की चाय न्यूनतम मूल्यों पर उपलब्ध होने का लाभ, समाज के बड़े भाग को इन केन्द्रों द्वारा प्राप्त नहीं हो पाया।

- सभी चाय-केन्द्रों को प्रति वर्ष बार-बार संचालन - घाटा उठाना पड़ा जिसके लिये योजना और गैर-योजना निधि की एक बड़ी राशि बोर्ड द्वारा खर्च की गई। 2008-09 से 2012-13 की अवधि में ₹11.47 करोड़ (जिसमें ₹3.97 करोड़ संघटकों के तथा ₹7.50 करोड़ स्थापना के शामिल है) का खर्च सात चाय-केन्द्रों के संचालन के लिये किया गया। जिसके बदले में केवल ₹4.20 करोड़ की राशि बोर्ड के द्वारा चाय की बिक्री के फलस्वरूप प्राप्त की गई। अतः वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹7.27 करोड़ का संचालन घाटा इन सात चाय-केन्द्रों को चलाने में बोर्ड को हुआ।
- बार-बार हो रहे संचालन घाटे मुख्यतः संघटकों के मूल्य, स्थापना खर्च में वृद्धि और चाय के मूल्य में आवर्ती अंतराल पर संशोधन न होने से हुए।
- चाय की सेवा न्यूनतम दरों पर, यहां तक कि संघटकों के मूल्य से भी कम पर दी गई (उदाहरणतः संसद भवन, उद्योग भवन और वित्त मंत्रालय में)। एक कप चाय का मूल्य वर्ष 1989 से उद्योग भवन और वित्त मंत्रालय में ₹0.88, संसद भवन में वर्ष 2001 से ₹1.00 और योजना आयोग में (वर्ष 2009 से) ₹5.00 रहा। इसके विपरीत, चाय-केन्द्रों में स्थापना लागत (₹3.93 और ₹17.77) प्रति कप के बीच रही और संघटकों का मूल्य ₹2.55 से ₹4.02 प्रति कप चाय का रहा।
- बोर्ड ने योजना आयोग का चाय-केन्द्र बंद कर दिया परंतु उसे योजना आयोग के आग्रह पर चाय के मूल्य को ₹2.25 प्रति ट्रे (दो कप) से ₹10.00 प्रति ट्रे (दो कप) मई 2009 से बढ़ा देने के बाद पुनः खोल दिया गया। यदि ऐसी ही पद्धति अन्य चाय-केन्द्रों के लिए अपनाई होती तो, बोर्ड अपने संचालन घाटे को कुछ हद तक कम कर सकता था।
- केवल मार्च 2011 में, चाय संवर्धन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बोर्ड ने अपने संचालन खर्चों के एक अंश की वसूली करने तथा अतिरिक्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न करने के लिए विभिन्न चाय-केन्द्रों पर बेची जाने

वाली चाय के मूल्य में संशोधन करने का निर्णय लिया। दक्षिण भारत के विभिन्न चाय-केन्द्रों पर दी जाने वाली चाय-सेवा का मूल्य जुलाई 2011/अक्टूबर 2012 से संशोधित किया गया जबकि ये 24 वर्षों से अधिक समय तक नई दिल्ली के चाय-केन्द्रों में बिना संशोधन के रहा।

- नई दिल्ली में उद्योग भवन, वित्त मंत्रालय और संसद भवन में परोसी जा रही चाय के मूल्य में 1989/2001 से संशोधन नहीं किया गया था क्योंकि यह मंत्रालय की स्वीकृति हेतु लंबित थे। जबकि मंत्रालय का स्पष्ट मत (मार्च 1988 और अक्टूबर 1989) था कि बोर्ड को अपने स्तर पर दरो की तार्किकता को ध्यान में रखकर, मूल्य वृद्धि का निर्णय लेना था।
- लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने अपनी रिपोर्ट (1987-88 की 107वीं रिपोर्ट) में यह सिफारिश की, कि चाय-केन्द्रों पर हो रहे निष्फल व्यय को तुरंत रोक देना चाहिए और बिना देर किए इससे प्राप्त संसाधनों को जोकि धन, सामान और जनशक्ति के रूप में होगी, इससे अधिक लाभप्रद रूप से अन्य उत्पादक कार्यकलापों में इस्तेमाल करना चाहिये। यद्यपि बोर्ड ने पी.ए.सी. की सिफारिश का पालन करने के लिए कोई पहल नहीं की।
- पी.ए.सी. ने अपनी पैंसठवीं रिपोर्ट में (15वीं लोक सभा) (जनवरी 2013) बोर्ड द्वारा योजना से गैर-योजना व्यय में निधियों के विपथन, निधियों की अपर्याप्त आंतरिक उत्पत्ति, प्रत्येक क्रियाकलाप हेतु सरकारी समर्थन पर पूर्ण निर्भरता, अशक्त वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रणों के संदर्भ में पुनः अपनी चिंता जतायी। पी.ए.सी. ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की, कि सहायता तथा अन्य सरकारी समर्थन पर निर्भरता को अस्थायी उपशमक व्यवस्था के तौर पर लेना चाहिए जिसे बाद में पूर्णतः हटा कर, अधिक लाभप्रद व्यवस्था की ओर बढ़ना है।

बोर्ड ने कहा (जुलाई 2013) कि चाय-केन्द्रों का उद्देश्य था कि सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे लोगों तथा मिलने वालों को यह जागरूकता प्रदान करना कि भारतीय उच्च गुणवत्ता की चाय को वहनीय मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। सहायता प्राप्त मूल्य ने चाय पीने की स्वस्थ आदत के विकास में योगदान दिया। अतः सहायता प्राप्त मूल्य पर चाय उपलब्ध करने को जारी रखना इस लिये जरूरी था कि ग्राहकों को अच्छे स्वाद की जानकारी देने के उत्तम कार्य को जारी रखा जा सके। बोर्ड का यह मन था कि धीरे धीरे मूल्य को बढ़ाकर, बढ़ी हुई लागत के अनुरूप लाया जाये।

बोर्ड के व्यक्तव्य को इस तथ्य से तुलना करके देखना चाहिये कि चाय का प्रति व्यक्ति घरेलू उपयोग इतने वर्षों में भी 750 ग्राम प्रति व्यक्ति पर स्थिर रहा। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त मूल्य का असर जोकि चाय-केन्द्रों में था वह आम आदमी तक नहीं पहुँचा। चाय-केन्द्रों पर चाय के मूल्य में वृद्धि के बोर्ड के निर्णय को मंत्रालय की स्वीकृति हेतु केवल जून 2011 में ही भेजा गया ताकि बोर्ड के संचालन घाटे के कुछ अंश को पूरा किया जा सके। नई दिल्ली के चाय-केन्द्रों पर मूल्य में संशोधन को तीन वर्ष की देरी के पश्चात् भी अभी लागू (जून 2014) किया जाना है।

लेखा परीक्षा के निष्कर्ष को स्वीकारते हुए बोर्ड ने अंततः कहा (नवंबर 2013) कि उनके चाय के उत्तम लाभ को बढ़ावा देने के प्रयास को पुनः निर्मित करने की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ - समाज के बड़े भाग के बीच पहुँच सके, इसके लिये चाय-केन्द्रों के संचालन लागत को न्यूनतम रखते हुए, विभिन्न चाय-केन्द्रों पर चाय का मूल्य बढ़ाना चाहिये तथा चाय-केन्द्रों के घरेलू चाय संवर्धन में दिये गये योगदान एवं प्रभाविकता की बारीकी से जांच करनी चाहिये। यह मत सही ढंग से मानते हुए उचित कार्यवाही द्वारा लेखापरीक्षा के चिंता का तुरंत समाधान किया जाएगा। तीन सदस्यों की समिति (नवंबर 2013) बनाई गई जोकि (i) सभी चाय-केन्द्रों की कार्य प्रणाली और वर्तमान स्थिति का पूर्ण अध्ययन करने और चाय-केन्द्रों के संचालन की लागत को न्यूनतम रखने हेतु सिफारिश देने, (ii) चाय-केन्द्रों के पुनरावर्ती संचालन घाटे को कम करने हेतु चाय के अनुकूलतम मूल्य वृद्धि की सिफारिश देने, और (iii) चाय के घरेलू संवर्धन के लिए चाय-केन्द्रों के योगदान और प्रभाव के संबंध में जोकि पी.ए.सी. की सिफारिशों के आधार पर हो, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यद्यपि समिति को 29 जनवरी 2014 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था, परंतु यह अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2014)।

अतः चाय के घरेलू संवर्धन के लिए चाय-केन्द्रों का योगदान के तुरन्त समीक्षा करना आवश्यक है और पी.ए.सी. की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा गैर-योजना निधि के अनवरत घाटे जो चाय-केन्द्रों के संचालन के उच्च लागत के कारण हो रहे थे, को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेना चाहिये।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (अक्टूबर 2014), उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय III : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

3.1 निष्फल व्यय

राज्यों में भार एवं माप अवसंरचना के सुदृढीकरण के दृष्टिकोण से, उपभोक्ता मामले विभाग ने विभिन्न राज्यों को धर्मकांटों की जांच करने के लिए मोबाईल वैन किटों (मो.वै.कि.) की आपूर्ति की। तथापि, विभाग ने मो.वै.कि. के प्रापण से पहले राज्यों में उनके संभावित उपयोग का निर्धारण करने हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, 2007 से 2010 के दौरान 12 राज्यों में, ₹12.87 करोड़ की कीमत की 22 मो.वै.कि. की आपूर्ति की गई थी जो जनवरी 2015 तक उपयोग में नहीं थी।

राज्यों/सं.शा.क्षे. की भार एवं माप अवसंरचना को सुदृढ करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग (विभाग), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों तथा सं.शा.क्षे. को धर्मकांटों¹ की जांच/सत्यापन हेतु 34 मोबाईल वैन किटों (मो.वै.कि.) की आपूर्ति करने का निर्णय (अगस्त 2005) लिया।

विभाग ने अगस्त 2007 में ₹52.82 लाख से ₹78.83 लाख प्रति इकाई की लागत पर महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (म.नि.आ.नि.) के साथ 34 मो.वै.कि. की आपूर्ति हेतु निविदा स्वीकृति (नि.स्वी.) प्रस्तुत की। अतिरिक्त 7 मो.वै.कि. का आपूर्ति आदेश सितंबर 2008 में दिया गया था। विभाग ने लाभार्थी राज्यों/सं.शा.क्षे. को दिसंबर 2007 तथा फरवरी 2009 के बीच मो.वै.कि. (उच्च क्षमता) की आपूर्ति की थी।

¹ एक प्लेटफार्म पैमाना जो सड़क के बराबर लगा होता है तथा इसका ट्रकों, पशुधन आदि का भार करने हेतु उपयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने प्रापण प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व कोई आवश्यकता निर्धारण नहीं किया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा 2007 तथा 2014 के बीच 12 राज्यों² को आपूर्ति की गई ₹12.87 करोड़ की कीमत की 22 मो.वै.कि. जनवरी 2015 तक व्यर्थ पड़ी हुई थीं (ब्यौरे अनुबंध-IV में)। मो.वै.कि. के गैर-उपयोग का कारण मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र का वाहनों के लिए अनुकूल न होना, सड़को का संकीर्ण होना, तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता तथा मरम्मतों की आवश्यकता थी। बाद में, पांच राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय तथा उत्तराखण्ड ने बड़े आकार की मो.वै.कि. को छोटी मो.वै.कि. से बदलने के लिए विभाग से अनुरोध किया (अक्टूबर 2009 से अगस्त 2010)। तदनुसार, विभाग द्वारा ₹19.29 करोड़ की लागत पर 31 छोटे आकार की मो.वै.कि. की खरीद (2009) की तथा राज्यों को आपूर्ति की थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि राज्यों के पास व्यर्थ पड़ी बड़ी मो.वै.कि. का अन्य क्षेत्रों, जहां इनका उपयोग किया जा सकता था, के स्थानांतरण हेतु नवम्बर 2010 में निर्णय लिया गया था। तथापि, विभाग ने इसके पश्चात मामले का अनुसरण नहीं किया था जो मो.वै.कि. के निरंतर व्यर्थता का कारण बना।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आठ राज्यों, जिनको बड़े आकार की मो.वै.कि. की आपूर्ति की गई थी, के अधिकार में पहले से ही 8927 धर्मकांटे थे फिर भी उच्च क्षमता की मशीनों के गैर-उपयोग के कारण इनकी जांच निम्न क्षमता की मशीनों से की जा रही थी। इसलिए लेखापरीक्षा इन राज्यों में धर्मकांटों की जांच के वर्तमान प्रबंधन की पर्याप्तता के संबंध में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक राज्य में 5266 धर्मकांटों की जांच के कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा सका था।

² बारह राज्य गोवा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल तथा कर्नाटक हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने बताया (अक्टूबर तथा दिसंबर 2014) कि धर्मकांटों की जांच हेतु बड़े आकार की मो.वै.कि. का प्रापण देश में पहली बार एक प्रायोगिक परियोजना थी। विभाग ने यह भी बताया कि राज्यों को मो.वै.कि. के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुरोध किया गया था।

विभाग ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि राज्यों को मो.वै.कि. की आपूर्ति का निर्णय उनको उपकरण प्रदान करना था जो धर्मकांटों के सत्यापन हेतु प्रारंभिक आधार था तथा इसलिए ऐसी आपूर्ति पूरक या अनुपूरक नहीं थी तथा इसलिए, उनकी आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु किसी व्यवहार्यता अध्ययन प्रमाणित नहीं था। उसने यह भी बताया कि राज्यों द्वारा आरोपित संकीर्ण सड़कों, पहाड़ी क्षेत्र तथा कार्मिक के प्रशिक्षण का मामला उचित नहीं था तथा कुछ राज्यों के प्रवर्तन अधिकारियों के दृष्टिकोण का परिणाम था।

उत्तर सुनिश्चित करता है कि आपूर्तियां संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श द्वारा आवश्यकता को स्थापित किए बिना की गई थीं। इसके अतिरिक्त, मो.वै.कि. के गैर-उपयोग के कथित कारण राज्यों के उपभोक्ता विभागों द्वारा सूचित किए गए थे तथा विभाग द्वारा इसे एक बहाने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। तथ्य है कि मो.वै.कि. की आपूर्ति हेतु विभाग का निर्णय प्रस्तावित परियोजना के उपयुक्त विश्लेषण तथा मूल्यांकन पर आधारित नहीं था जो ₹12.87 करोड़ की कीमत के मोबाइल वैन किटों के व्यर्थ होने का कारण बना।

3.2 खराब आंतरिक नियंत्रण, निधियों के अधिक निर्गम के गैर-समायोजन का कारण बना

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जरूरतमंद राज्यों को खाद्य अनाजों की आपूर्ति हेतु 'ग्राम अनाज बैंक योजना' के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) को निधियां जारी की गई थीं। निगम को निधियां खाद्य अनाज की उस समय की आर्थिक लागत के आधार पर जारी की गई थीं बाद में निर्धारित वास्तविक लागत से अधिक पाया गया था, जो भा.खा.नि. को ₹1.75 करोड़ की निधियों के अधिक निर्गम का कारण बनी। मंत्रालय ने केवल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ही आधिक्य राशि के समायोजन की कार्रवाई प्रारम्भ की।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राज्य सरकारों द्वारा लम्बे समय से खाद्य अभाव वाले क्षेत्रों के रूप में चयनित ग्रामों में 'ग्राम अनाज बैंक योजना'³ (ग्रा.अ.बैं. योजना) को कार्यान्वित (नवम्बर 2004) कर रहा है। योजना अत्यधिक रूप से खाद्य असुरक्षित परिवारों को उनके ग्रामों के भीतर स्थापित ग्राम अनाज बैंकों से खाद्य अनाजों को उधार लेने में समर्थ बनाती थी।

योजना प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय सहायता दो घटकों अर्थात् नकद घटक⁴ तथा खाद्य घटक के अंतर्गत प्रदान की गई थी। खाद्य घटक के अंतर्गत, प्रत्येक अनाज बैंक को औसतन 40 परिवारों के लिए एक क्विंटल खाद्य अनाज (चावल, गेहूं अथवा मोटा अनाज) प्रति परिवार का भण्डारण करना था, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा एक बार अनुदान के रूप में प्रदान किया जाना था। खाद्य अनाज की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) द्वारा संबंधित राज्यों को निःशुल्क आधार पर की जानी थी। इस उद्देश्य के लिए, मंत्रालय को अनाजों की

³ राज्यों की निरूत्साही प्रतिक्रिया के कारण मंत्रालय द्वारा योजना को समाप्त (जनवरी 2014) कर दिया गया था।

⁴ भार एवं माप, गोदामों, प्रशिक्षण, परिवहन आदि की लागत शामिल है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अनाज बैंकों की स्थापना तथा चलाए जाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाना था।

औसत वर्तमान आर्थिक लागत के आधार पर भुगतान करना था। भा.खा.नि. को आर्थिक लागत में भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण पश्चात आकस्मिक प्रभार जैसे सांविधिक प्रभार, मण्डी प्रभार, पैकिंग सामग्री की लागत आदि तथा आधिक्य वाले राज्यों से अभाव वाले राज्यों को खाद्य अनाजों को ले जाने की परिचालन लागत शामिल है।

लेखापरीक्षा द्वारा जांच ने उजागर किया कि मंत्रालय उस समय की खाद्य अनाजों की आर्थिक लागत, जिसका निर्धारण किया गया था, के आधार पर विभिन्न राज्यों में ग्राम अनाज बैंकों की स्थापना हेतु खाद्य अनाज सहायता (भा.खा.नि. को अग्रिम में देय) जारी कर रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जारी की गई राशि केवल एक प्रावधानिक आँकड़ा⁵ था तथा भा.खा.नि. के वार्षिक लेखाओं की समाप्ति तक निश्चितता से इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य के बावजूद, मंत्रालय ने अंत में निर्धारित आर्थिक लागत के साथ किसी भी विचलन के मामले में, बाद में समायोजन का प्रावधान नहीं किया था। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित खाद्य अनाज बुलेटिन (आर्थिक लागत के अंतिम आंकड़ों को शामिल करते हुए) के साथ भा.खा.नि. को निधियां जारी करने के संस्वीकृति आदेशों की तुलना ने प्रकट किया कि 11 अवसरों पर मंत्रालय द्वारा अपनाई गई दरें वास्तविक लागत, जिस पर अंत में पहुंचा गया, से अधिक थी जबकि दो अवसरों पर यह कम थी। यह 2006-07 से 2011-12 के दौरान ₹1.75 करोड़ के निवल अधिक निर्गम का कारण बना। ब्यौरे **अनुबंध-V** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, तथ्य कि मंत्रालय द्वारा अपनाई गई दरें अंतिम दरों से अधिक थी, मंत्रालय द्वारा अवास्तविक निर्धारण का सूचक है।

इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने भा.खा.नि. को अधिक निर्गम को सुनिश्चित किया तथा बताया कि भा.खा.नि. को आधिक्य राशि को वापस करने तथा जवाबदेही निर्धारित करने का अनुरोध किया था।

⁵ आर्थिक लागत की विभिन्न चरणों अर्थात् बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, प्रावधानिक चरण आदि में समीक्षा की जा रही थी।

मंत्रालय का उत्तर, यह स्वीकार किए बिना कि मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने तक अधिक निर्गम के मामले से अवगत नहीं था, भा.खा.नि. पर उत्तरदायित्व डालने का प्रयास करता है। तथ्य है कि मंत्रालय भा.खा.नि. के साथ अंतिम लागत की तुलना में जारी आर्थिक लागत की राशि के समाधान हेतु एक प्रभावी मॉनीटरिंग प्रक्रिया स्थापित करने तथा उनके सामायिक समायोजन हेतु उपाय निकालने में विफल रहा जो संगठन के भीतर खराब आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बाद में बताया (फरवरी 2015) कि लेखापरीक्षा ने केवल उन मामलों को लिया था जिसमें खाद्य अनाजों की अंतिम आर्थिक लागत को अधिक निर्धारित किया गया था। तथापि, यदि अवधि के दौरान सभी मामलों को शामिल किया जाए तो इस हेतु मंत्रालय के प्रति ₹8.05 करोड़ की राशि बकाया थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के परिणाम अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित थे तथा आर्थिक लागत के अधिक निर्धारण के मामलों को शामिल किया गया था तथा निवल आधिक्य को दर्शाते थे। मंत्रालय का उत्तर सुनिश्चित करता है कि मंत्रालय द्वारा खाद्य अनाज की अंतिम आर्थिक लागत के आधार पर समाधान कार्य केवल लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाए जाने के पश्चात ही किया गया था। मंत्रालय को नियमित रूप से समाधान करना चाहिए।

3.3 अस्वीकार्य घटक पर अनुदानों का उपयोग

‘राज्यों के भार एवं मापन अवसंरचना के सशक्तिकरण’ की योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा चुनी गई भूमि हेतु नई प्रयोगशाला इमारत के निर्माण या निर्मित इमारत को सीधे क्रय की अनुमति थी। राज्य सरकार ने उसे जारी की गई निधियों में से ₹ 1.48 करोड़ की कीमत की भूमि का क्रय अनियमित रूप से किया था और मंत्रालय उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संवीक्षा के माध्यम से पर्याप्त निरीक्षण कर पाने में विफल रहा।

उपभोक्ता मामला, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 2009-12 के दौरान राज्य/सं.शा.क्षे. के वैध माप पद्धति विभागों की अवसंरचना में संवर्धन हेतु कार्यान्वित की जाने वाली 'भार एवं मापन अवसंरचना सुदृढीकरण' योजना संस्वीकृत की थी (सितम्बर 2009)। योजना के अंतर्गत मंत्रालय को मानक उपकरण⁶ की आपूर्ति तथा प्रयोगशाला इमारतों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना था।

योजना प्रावधानों के अनुसार, राज्यों/सं.शा.क्षे. के पास जैसी स्थिति हो उसके अनुसार या तो राज्य द्वारा चुनी गई और प्रदत्त भूमि या फिर निर्मित इमारत को सीधे क्रय के माध्यम से व्यावहारिक मानक प्रयोगशाला (व्या.मा.प.) एवं माध्यमिक मानक प्रयोगशाला (मा.मा.प्र.) के निर्माण हेतु सहायता अनुदान का उपयोग करने का विकल्प था। हालांकि, राज्यों को व्या.मा.प्र./मा.मा.प्र. हेतु कम से कम 90 वर्गमीटर की जगह की उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी।

मंत्रालय ने 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राज्य में विभिन्न स्टेशनों पर केलीब्रेशन टॉवर हेतु टैंक लॉरियों की जांच हेतु मा.मा.प्र., व्या.मा.प्र. के निर्माण हेतु विधिक माप पद्धति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को ₹2.70 करोड़ की कुल राशि संस्वीकृत की थी।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि उसके द्वारा प्राप्त अनुदानों में से भूमि के क्रय हेतु ₹1.48 करोड़ की राशि का व्यय किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस घटक को न तो योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवृत्त किया गया था और न ही मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृति के अंतर्गत आवृत्त किया गया था। राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय, योजना प्रावधानों की सीमा से बाहर था और इसलिए अनियमित था। यह तथ्य कि राज्य सरकार द्वारा किए गए निधि उपयोग का मंत्रालय द्वारा उचित निरीक्षण करने में विफल रहना भी इसके मॉनीटरिंग तंत्र की कमी को दर्शाता है।

⁶ सभी प्रकार के भार, वितरण मापन, सर्वेक्षण श्रृंखला, रक्तचाप मापने वाले उपकरण, टैक्सी मीटर, सी.एन.जी. डिस्पेंसर, पेट्रोलियम उत्पादों हेतु वर्टिकल भण्डारण, तेल भण्डारण टैंक

लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाये जाने (जून 2014) के पश्चात् मंत्रालय ने मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाया (जून 2014) बदले में राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2014) कि उसने उन स्थानों से भूमि का क्रय किया है जहाँ से मुफ्त भूमि उपलब्ध नहीं थी तथा निर्मित इमारत के क्रय में भूमि की लागत भी शामिल थी। अतः भूमि का क्रय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया था।

राज्य सरकार का उत्तर योजना के प्रावधानों से मेल नहीं खाता था क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि राज्यों को व्या.मा.प्र./मा.मा.प्र. के संस्थापन हेतु भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। अतः, राज्य सरकार ने अस्वीकार्य घटक हेतु निधियों को विपथित किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (सितम्बर 2014) पर मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार (दिसम्बर 2014) किया और उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि के क्रय हेतु उसके द्वारा उपयोग में लाए गए ₹1.48 करोड़ के अनुदान की वापसी हेतु निवेदन किया।

3.4 प्रवाह मीटर किटों का गैर-उपयोग जो ₹1.47 करोड़ के निष्फल व्यय का कारण बना

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवाह मीटर किटों का प्रापण किया तथा इनकी 'भार एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण' की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आपूर्ति की। किटों की आपूर्ति उन राज्यों को की गई थीं जहां संकुचित प्राकृतिक गैस/तरल पेट्रोलियम गैस भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह सात राज्यों में ₹1.47 करोड़ की कीमत की 19 किटों के गैर-उपयोग का कारण बना।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने XIवीं योजना अवधि (2007-12) में कार्यान्वित की जाने वाली 'राज्यों/सं.शा.क्षे. की भार एवं माप अवसंरचना का सुदृढीकरण' की योजना को स्वीकृत (सितम्बर 2009)

किया। योजना में राज्यों/सं.शा.क्षे. में सं.प्रा.गै./त.पै.गै. डिस्पेंसर स्टेशनों की जांच हेतु संकुचित प्राकृतिक गैस (सं.प्रा.गै.)/तरल पेट्रोलियम गैस (त.पै.गै.) पदार्थ प्रवाह मीटरों⁷ की 100 किटों की खरीद शामिल थी।

योजना प्रावधानों के अनुसार, मंत्रालय को महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (म.नि.आ.नि.) के माध्यम से सं.प्रा.गै./त.पै.गै. किटों का प्रापण करना था जिसकी निःशुल्क आपूर्ति विभिन्न राज्यों को की जानी थी। म.नि.आ.नि. ने मई 2010 में प्रापण हेतु निविदाएं जारी कीं तथा ₹7.76 करोड़ की लागत पर एक फर्म को कार्य सौंपा (जनवरी 2012)। निविदा की स्वीकृति (नि.स्वी.) के अनुसार, 20 राज्यों/सं.शा.क्षे. को 40 सं.प्रा.गै. किटों तथा 27 राज्यों/सं.शा.क्षे. को 60 त.पै.गै. किटों की जून 2012 तक आपूर्ति की जानी थी। सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. में अक्टूबर 2012 तक किटों की निःशुल्क आपूर्ति की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जब विचार-विमर्श, किटों के प्रापण का निर्णय लेने पर थे, वैधिक माप-पद्धति नियंत्रक, असम तथा अरुणाचल प्रदेश ने अप्रैल 2010 में सूचित किया कि राज्यों में कोई सं.प्रा.गै. सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं तथा इसलिए किसी भी सं.प्रा.गै. किट की आपूर्ति की जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के अनुरोध पर विचार किया तथा इसका नाम परेषिती सूची से निकाल दिया। तथापि, इसने असम को किटों की आपूर्ति की।

अभिलेखों की नमूना जांच ने आगे उजागर किया कि असम तथा अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के प्रकाश में समुपस्थित व्यवहार्यता मामलों से अवगत हो जाने के बावजूद भी मंत्रालय आगे बढ़ा तथा छः राज्यों,⁸ जहां सं.प्रा.गै./त.पै.गै. भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, को किटों (10 सं.प्रा.गै. तथा 7 त.पै.गै. किटों) की आपूर्ति की। लेखापरीक्षा ने बाद में पाया कि ओडिशा राज्य में दो त.पै.गै. किटों को तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण

⁷ प्रवाह मीटर को सं.प्रा.गै./त.पै.गै. डिस्पेंसिंग स्टेशनों का सत्यापन करने हेतु बैटरी के साथ एक पोर्टेबल कैरिंग के केंस में रखा जाता है।

⁸ असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु

उपयोग में नहीं लाया जा सका था (अक्टूबर 2012 में आपूर्ति की गई)। इन 19 मशीनों की 12/15 महीनों की गारंटी अवधि भी दिसम्बर 2014 तक इन्हें उपयोग में लाए बिना ही समाप्त हो गई थी।

इस प्रकार, सं.प्रा.गै./त.पै.गै. किटों के प्रत्याशित उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाए बिना इनकी आपूर्ति करने का मंत्रालय का कार्य सात राज्यों में ₹1.47 करोड़ के परिणामी निष्फल व्यय (ब्यौरे अनुबंध-VI में) सहित 19 किटों के गैर-उपयोग का कारण बना।

इसे इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि संबंधित राज्य सरकारों को सं.प्रा.गै./त.पै.गै. डिस्पेंसर जांच किटों के उपयोग का विवरण प्रदान करने तथा इन किटों, जो उनके पास व्यर्थ पड़ी थीं, की आवश्यकता का पता लगाने को भी कहा था।

मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2015) कि कुछ राज्यों को इस प्रत्याशा में किटें प्रदान की गई थीं कि हरित ईंधन होने से यह दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होने वाला था तथा इसलिए अधिकांश राज्यों को सं.प्रा.गै./त.पै.गै. डिस्पेंसरों के सत्यापन हेतु पूर्व-अपेक्षित मानक उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए थे। उसने यह भी बताया कि वह सं.प्रा.गै. तथा त.पै.गै. की प्रत्येक छः⁹ किटों का अन्य मांगकर्ता राज्यों को विपणन पर विचार कर रहा था तथा कुछ राज्यों¹⁰ से किटों के गैर-उपयोग हेतु स्पष्टीकरण की मांग भी की गई थी।

उत्तर स्थापित करता है कि मंत्रालय ने पहले ही किटों के उपयोग की व्यवहार्यता का पता नहीं लगाया था, जो आखिरकार उनके गैर-उपयोग का कारण बना।

⁹ असम (2 सं.प्रा.गै. किटें) अरुणाचल प्रदेश (2 त.पै.गै.किटें), नागालैण्ड (2 त.पै.गै. किटें) हिमाचल प्रदेश (2 सं.प्रा.गै. एवं 2 त.पै.गै.) किटें), तमिलनाडु (2 सं.प्रा.गै. किटें)

¹⁰ केरल, ओडिशा, नागालैण्ड तथा असम

अध्याय IV : संस्कृति मंत्रालय

संगीत नाटक अकादमी

4.1 निष्फल व्यय

कला प्रदर्शन के प्रोत्साहन हेतु सृजित दिल्ली रिज पर स्थित रबिंद्र रंगशाला को अप्रैल 1993 में संगीत नाटक अकादमी को सुपुर्द किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (मई 1996) में, दिल्ली रिज, जहाँ रंगशाला स्थित थी, में सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था। अकादमी ने 2002-03 से 2012-13 के दौरान रंगशाला के अनुरक्षण, रखरखाव तथा स्टाफ की नियुक्ति पर ₹3.70 करोड़ का व्यय किया जबकि यहाँ किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था।

रबिन्द्र नाथ टैगोर शताब्दी समिति ने कल्पना की तथा 1960 के दशक शुरू में एक बड़े ओपन एयर थियेटर अर्थात् रबिन्द्र रंगशाला की स्थापना की। थियेटर दिल्ली रिज पर स्थित था जिसमें 37 एकड़ भूमि शामिल थी तथा इसका संगीत, नाट्य एवं नृत्य हेतु उपयोग किया जाता था। संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, रबिन्द्र रंगशाला परिसर को अप्रैल 1993 में उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद द्वारा संगीत नाटक अकादमी (सं.ना.अ.) को औपचारिक रूप से सुपुर्द किया गया था।

सं.ना.अ. ने रंगशाला में अपने स्वयं के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया था परंतु वह विभिन्न सरकारी अभिकरणों/निजी संगठनों को उनके कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु मंच तथा सभा भवन को किराए पर दे रही थी। अंतिम कार्यक्रम का पहले से पहले 1993-94 में आयोजन किया गया था तथा इसके पश्चात रंगशाला में किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। मई 1996, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर दिल्ली रिज, जहाँ रंगशाला स्थित थी, में सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था।

सं.ना.अ. ने रंगशाला को फिर से सक्रिय बनाने हेतु संस्कृति विभाग को एक कार्य योजना, जो इसके शासी निकाय द्वारा उचित रूप से स्वीकृत थी, का प्रस्ताव किया। सांस्कृति विभाग ने सं.ना.अ. को रिज प्रबंधन बोर्ड से अनुमति की मांग करने की सलाह दी (जनवरी 2002)। कार्यक्रमों का कालानुक्रम जिसका बाद में आयोजन किया गया, को अनुबंध-VII में तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

रंगशाला उपयोग न किए गए के मामले को लेखापरीक्षा द्वारा 2003 के निरीक्षण प्रतिवेदन में उजागर किया गया था। इसके अतिरिक्त, सं.ना.अ. द्वारा रंगशाला को उस उद्देश्य हेतु, जिसके लिए इसको स्थापित किया गया था, उपयोग में लाने के लिए प्रारम्भ किए गए प्रयास अपर्याप्त तथा निष्फल थे। मंत्रालय ने अपनी ओर से परिसर को लाभदायक रूप से उपयोग करने हेतु अथवा सदा के लिए बंद करने हेतु सक्रिय दृष्टिकोण नहीं अपनाया था। इसी बीच, सं.ना.अ. ने 2002-03 से 2012-13 के दौरान रंगशाला के अनुरक्षण, रखरखाव तथा स्टाफ की नियुक्ति पर ₹3.70 करोड़¹ का व्यय किया। रंगशाला में नियुक्त स्टाफ के कार्य मुख्यतः प्रशासनिक कार्य जैसे कि बजट/वार्षिक लेखाओं को तैयार करना, वेतन बिल पंजिका का अनुरक्षण, आयकर रिटर्न का प्रस्तुतीकरण, के.सि.स्क., अ.भा.रे. के साथ पत्राचार आदि के आस पास घूमते थे।

इस प्रकार, रंगशाला के उपयोग न किया जाना अथवा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसके सदा के लिए बंद करने के मामले को 20 वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी सुलझाया नहीं गया था।

सं.ना.अ. ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि सं.ना.अ. मामले में कभी भी एक पक्ष नहीं था और न ही इसका सम्पत्ति पर स्वामित्व था। उसने आगे

¹ सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों हेतु केन्द्रीय सिविल स्कंध (अ.भा.रे.) को ₹2.55 करोड़ तथा रंगशाला पर नियुक्त अपने स्टाफ के वेतन एवं भत्ते के प्रति ₹1.15 करोड़ अदा किए।

बताया कि सं.ना.अ. केवल मामले में आवश्यक दिशानिर्देश हेतु सां.में. के साथ अनुसरण कर सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सं.ना.अ. 20 वर्षों से अधिक तक मामले को सुलझाने हेतु समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा तथा उसने प्रशासनिक एवं अनुरक्षण व्यय करना जारी रखा।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2015)।

4.2 अनुत्पादक व्यय तथा निधियों का अवरोधन

संस्कृति मंत्रालय ने अतिक्रमण को हटाए जाने को सुनिश्चित किए बिना पार्क के रूप में भूमि के विकास की एक परियोजना प्रारम्भ की जो बीच में कार्य की समाप्ति का कारण बनी। परियोजना को अंत में हटा दिया गया था जिसका परिणाम ₹35 लाख के अनुत्पादक व्यय तथा ₹1.02 करोड़ की निधियों के अवरोधन में हुआ।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्म शताब्दी उत्सव के भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने निर्णय लिया (दिसंबर 2003) कि नई दिल्ली में फिरोजशाह कोटला किले से सटी एक्सप्रेस बिल्डिंग के पीछे के क्षेत्र को हाल में विकसित जे.पी. पार्क तथा विद्यमान शहीदी पार्क की निरंतरता में पार्क के रूप में विकसित किया जाना अपेक्षित था। विकसित किए जाने वाला क्षेत्र पांच एकड़ था तथा भूमि को भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हस्तांतरित किया गया था।

मंत्रालय ने भूमि के विकास हेतु जमा के रूप में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को ₹1.25 करोड़ (दिसंबर 2003) की राशि जारी की। के.लो.नि.वि. ने फरवरी 2004 में परियोजना हेतु ₹2.82 करोड़ के प्रारम्भिक अनुमानों को प्रस्तुत करते समय यह भी सूचित किया कि कार्य को केवल अतिक्रमण को हटाए जाने तथा उनको स्पष्ट भूमि उपलब्ध कराने के पश्चात

ही प्रारम्भ किया जा सकेगा। अनुमान में अतिक्रमण को हटाने के प्रति ₹1.02 करोड़ का व्यय शामिल था। तदनुसार, मंत्रालय ने अतिक्रमण को हटाने के लिए सीधे दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि) को मार्च 2004 में ₹1.02 करोड़ की निधि जारी की।

जबकि भूमि के विकास से संबंधित कार्य प्रारम्भ किया जा रहा था, फिर भी सांसद के इस आग्रह पर कि क्षेत्र में कार्य को रोका जाए तथा एक पुरानी पहुंच सड़क, जिसे पार्क का भाग बनने के लिए प्रस्तावित किया गया था, को लोगों के उपयोग हेतु फिर चालू किया जाए, के.लो.नि.वि. ने जून 2004 में मामला मंत्रालय को सूचित किया तथा कार्य को रोक दिया गया था। मंत्रालय ने, मार्च तथा जून 2005 में, सांसद से मामले पर चर्चा करने तथा सुलझाने की सिफारिश की परंतु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं कर सका। उसके बाद से मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.लो.नि.वि. कार्य² पर इसे रोके जाने से पूर्व ₹35.30 लाख का व्यय पहले ही कर चुका था तथा शेष राशि अभी भी उसके पास पड़ी थी। जून 2004 तथा जनवरी 2006 के बीच, के.लो.नि.वि. ने कार्य की निरंतरता के संबंध में निर्णय लेने के लिए मंत्रालय को बार-बार अनुरोध किया था। चूंकि मंत्रालय से कोई उत्तर उपलब्ध नहीं था इसलिए के.लो.नि.वि. ने 2007 से जून 2011 तक मंत्रालय को ₹89.70 लाख की अव्ययित राशि को वापस करने का प्रस्ताव किया।

मंत्रालय ने ₹35.30 लाख के व्यय के भीतर प्रारम्भ कार्य के ब्यौरो की मांग करके तथा इस पर अभिपुष्टि की मांग करते हुए कि क्या पूर्ण कार्य को के.लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के अनुसार समाप्त किया गया था,

² जे.पी. पार्क तथा शहीदी पार्क के साथ पार्किंग निरंतरता के रूप में एक्सप्रेस बिल्डिंग के पीछे भूमि का विकास, फिरोजशाह कोटला किले के सामने प्रवेश द्वार रेलिंग आदि प्रदान कराना, पहुंच सड़क प्रदान करना, बस क्यू शैल्टर को शिफ्ट करना, फुटपाथ फव्वारा, फुहारा सिस्टम, घेरा दीवार, द्वार रेलिंग आदि प्रदान करना।

नवम्बर 2011 में प्रतिक्रिया दर्शायी। के.लो.नि.वि. ने दिसंबर 2011 में किए गए कार्य के विवरण प्रस्तुत किए। मंत्रालय ने फिर से मामले को संसाधित करना प्रारम्भ किया तथा परिणामस्वरूप, जून 2012 में के.लो.नि.वि. द्वारा ₹89.70 लाख की अव्ययित राशि को वापस किया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि परियोजना का खराब प्रबंधन तथा न तो निर्णय लेने और न ही के.लो.नि.वि. के पास पड़े अव्ययित शेष को वापसी का दावा करने में मंत्रालय का निरुत्साही दृष्टिकोण छः वर्षों तक निधियों के अवरोधन का कारण बना। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि मंत्रालय के अभिलेख यह नहीं दर्शाते थे कि इसने दि.न.नि. को जारी ₹1.02 करोड़ की निधियों के उपयोग की स्थिति का पता लगाने हेतु कभी प्रयास किया था और न ही इसकी वापसी की मांग की थी।

इसलिए, मंत्रालय द्वारा समर्थित तथा उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई का अभाव ₹35 लाख के अनुत्पादक व्यय तथा दि.न.नि. के पास ₹1.02 करोड़ की लोक निधियों के अवरोधन का कारण बनी जबकि परियोजना के उद्देश्य पूरे हुए बिना रहे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2015) कि पिछले कक्ष, जो मामले को संभाल रहा था, को अगस्त/सितंबर 2004 में समाप्त कर दिया गया था तथा सभी अभिलेखों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया था। नए विशेष कक्ष ने दिसंबर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ किया। चूंकि नए बनाए गए कक्ष का स्टाफ नया था तथा लंबित मामलों से अवगत नहीं था तथा 2005-11 के दौरान के.लो.नि.वि. से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं किया गया था इसलिए इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। मंत्रालय ने, दि.न.नि. को अदा किए ₹1.02 करोड़ की राशि के संबंध में भी बताया कि दि.न.नि. ने मंत्रालय को कभी भी सूचित नहीं किया था कि उनको जारी की गई राशि अप्रयुक्त रही। बाद में संबंधित अभिलेखों को के.जा.ब्यू. द्वारा अन्य मामले के संबंध में भी ले

जाया गया था। इस प्रकार, पूर्ण अभिलेख अनुमार्गणीय नहीं थे तथा मामले का अनुसरण किए जा रहा था।

उत्तर मंत्रालय में अभिलेखों की सुपुर्दगी तथा उनको अधिकार में लेने की मानक प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति को स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त, लोक निधियों के प्रभावी तथा सामयिक उपयोग की निगरानी करने का भार निधि जारी करने वाला अभिकरण होने से, मंत्रालय पर था जिसे पूरा करने में वह विफल था। तथ्य यह रहा कि मंत्रालय द्वारा लोक निधियों का निरुत्साही प्रकार से प्रबंधन किया गया था।

अध्याय V: विदेश मंत्रालय

5.1 रोम में चांसरी भवन खरीदने में विफलता

गैर-योजनागत व्यय पर समिति द्वारा जुलाई 2011 में आवश्यक अनुमति तथा निधियों की उपलब्धता के बावजूद मिशन तथा मंत्रालय रोम में चांसरी हेतु भवन खरीदने में विफल रहा जिससे बहिर्गमन उपबंध के बिना भवन को लगातार किराए पर लिया जाता रहा जिसके कारण ₹41.71 करोड़ की प्रतिबद्ध देयता उत्पन्न हुई।

लोक लेखा समिति (1987-88 का 108वां प्रतिवेदन) तथा विदेश मंत्रालय पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा उपयुक्त सम्पत्तियों में विवेकपूर्ण निवेश द्वारा वि.म. के किराया व्यय की उत्तरोत्तर कटौती की आवश्यकता पर बल दिया गया। स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की कि वि.म. को विदेश में सम्पत्तियों के प्रभावी दीर्घकालिक लागत प्रबंधन हेतु निरंतर योजना, मॉनीटरिंग, मूल्यांकन तथा नियंत्रण सहित एक स्पष्ट दीर्घकालिक नीति स्थापित करनी चाहिए।

अगस्त 2013 में भारतीय दूतावास, रोम (मिशन) की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि चांसरी 1977 से वाया XX सेतैम्ब्रे, 5, रोम में स्थित थी। दूतावास को भवन के मालिक मैसर्स लियोनिदी 3 एस.आर.एल, से 30 नवम्बर 2008 को पट्टे की समाप्ति पर परिसर को खाली करने हेतु दिसंबर 2006 में एक कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ। मिशन ने 30 जून 2011 तक परिसर के अधिग्रहण को जारी रखने तथा उस तिथि के बाद रहने हेतु € 1500 प्रतिदिन के जुर्माने सहित मकान मालिक के साथ न्यायालय से बाहर निपटान हेतु एक अनुबंध किया (फरवरी 2008)। अनुबंध को स्वीकृत करते समय, मंत्रालय ने मिशन को सहमत किए गए भारी जुर्माने को देखते हुए मई 2011 से पहले स्थानांतरण हेतु उपयुक्त वैकल्पिक परिसरों की खोज करने का निर्देश दिया। तदनुसार, मिशन ने वाया दी विलिनी 2, रोम में स्थित सम्पत्ति को चुना।

गैर-योजनागत व्यय पर समिति (गै.व्य.स.)¹ ने 18 जुलाई 2011 को इस सम्पत्ति की खरीद हेतु मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया। समिति ने € 23 मिलियन की कुल लागत पर सम्पत्ति की खरीद के प्रस्ताव की अनुशंसा की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन न केवल सम्पत्ति की खरीद तथा अधिग्रहण करने में विफल रहा बल्कि उसने बहिर्गमन उपबंध के बिना करों समेत € 850000 की वार्षिक दर पर 1 अगस्त 2012 से छः वर्ष तथा पांच महीनों हेतु मौजूदा परिसर को किराए पर जारी रखने के लिए एक लीज डीड निष्पादित (दिसंबर 2012) की।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2014) में स्पष्ट किया कि चूंकि वाया दी विलिनी 2, रोम पर संरचनात्मक अभियंता (परियोजना) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भवन की संरचनात्मक स्थिरता संदेहजनक बतायी गई थी तथा साथ ही सम्पत्ति के मालिकों द्वारा भी मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करने में अनिच्छा जतायी गयी थी, इसलिए सम्पत्ति की खरीद हेतु प्रस्ताव त्यागने का निर्णय लिया गया था। मंत्रालय ने यह भी जोर देकर कहा कि निर्णय लेते समय भारत सरकार के वित्तीय हित तथा संरचनात्मक रूप से सुरक्षित कार्यालयी वातावरण की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि निर्णय लेने से पूर्व उसने वैकल्पिक चांसरी परिसर किराए पर लेने के विकल्पों सहित मिशन के द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर € 850000 प्रति वर्ष के बढ़े हुए किराए के औचित्य की जांच की थी। हालांकि, मंत्रालय ने स्वीकार किया कि मिशन द्वारा बहिर्गमन उपबंध को शामिल न करके गलती की गयी है यद्यपि यह भारत सरकार द्वारा निष्पादित सभी पट्टा अनुबंधों में एक नियमित/मानक उपबंध है।

¹ गै.व्य.स.- किसी नई सेवा अथवा विद्यमान सेवाओं के विस्तार हेतु ₹75.00 करोड़ से अधिक के आवर्ती अथवा गैर-आवर्ती व्यय के सभी गैर-योजनागत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सचिव (व्यय), भारत सरकार की अध्यक्षता में गैर-योजनागत व्यय पर गठित एक समिति है।

मिशन/मंत्रालय का उत्तर त्रुटिपूर्ण योजना का परिचायक है क्योंकि संरचनात्मक अभियंता (परियोजनाएं) की नियुक्ति प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि (जुलाई 2011) से पर्याप्त विलम्ब के पश्चात (मार्च 2012) की गई थी। विक्रेता द्वारा कई अवसरों पर सौदा पूरा की मंशा स्पष्ट रूप से दर्शायी गयी थी परंतु उसे मंत्रालय/मिशन की ओर से विलम्ब के कारण पीछे हटना पड़ा। संरचनात्मक सुदृढ़ता के मामले को काफी बाद के चरण में उठाया गया था। जबकि इसे गै.व्य.स. को मामला भेजे जाने से पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। सम्पत्ति के चयन (दिसंबर 2010) तथा गै.व्य.स. की स्वीकृति (जुलाई 2011) के बीच के अंतराल का उपयोग संरचनात्मक रूप से सुरक्षित कार्यालयी वातावरण सहित सभी पहलुओं को शामिल कर एस.पी.ए. में आवश्यक सुधार करने हेतु किया जाना चाहिए था।

इससे यह स्पष्ट होता है कि जुलाई 2011 में गै.व्य.स. से स्वीकृति प्राप्त किए जाने तथा निधियों की उपलब्धता के बावजूद मंत्रालय/मिशन समयपूर्व कार्यवाही तथा सभी प्रकार से परिसर की उपयुक्तता के संबंध में स्वयं संतुष्ट न रहने के कारण सितंबर 2014 तक रोम में चांसरी हेतु सम्पत्ति खरीदने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, वर्तमान पट्टा अनुबंध में बहिर्गमन उपबंध को शामिल करने की चूक से दिसंबर 2018 तक वर्तमान अनुबंध को जारी रखने तथा ₹41.71 करोड़² के किराये के भुगतान की बाध्यता हो सकती है।

5.2 व्यावसायिक विज्ञा शुल्कों की कम उगाही

व्यावसायिक विज्ञा के मामले पर मंत्रालय के अनुदेशों के गैर-कार्यान्वयन के कारण विदेश स्थित मिशनों तथा केन्द्रों में कुल ₹10.20 करोड़ के व्यवसाय विज्ञा शुल्क की कम उगाही।

² € 850000 प्रति वर्ष की दर पर 6 वर्ष तथा 5 महीनों की अवधि हेतु किराया € 5454167 होता है जो 1€ = ₹76.48 की वर्तमान विनिमय दर पर ₹417134692.16 के बराबर है

विदेश मंत्रालय (वि.म.) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विज्ञाओं के लिए अलग-अलग विज्ञा शुल्कों को निर्धारित करता है। मंत्रालय ने 10 जून 2008 को पर्यटन विज्ञा शुल्क के सिवाए भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते वाले राष्ट्रों को छोड़कर अन्य सभी देशों के नागरिकों, हेतु व्यवसाय विज्ञाओं सहित सभी प्रकार के विज्ञा शुल्कों में संशोधन किया। वि.मं. ने विज्ञा शुल्कों का संशोधन करते समय, विशेष रूप से निर्देश दिया था कि व्यवसायिक विज्ञा न्यूनतम एक वर्ष की वैधता हेतु जारी किया जाना चाहिए।

वर्ष 2012-13 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं. 13 में विदेश मंत्रालय के जून 2008 के अनुदेशों (1 जुलाई 2008 से लागू), जिसके अनुसार व्यवसायिक विज्ञा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु जारी किया जाना चाहिए, के उल्लंघन में व्यवसायिक विज्ञा शुल्क की कम वसूली के मामले उठाये गये थे। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया था तथा बताया था (नवम्बर 2010) कि व्यवसायिक विज्ञा शुल्क पर अनुदेशों को विदेश स्थित सभी मिशनों तथा केन्द्रों को पुनः भेजा गया था। मंत्रालय ने एक ओर स्पष्टीकरण जारी किया (नवम्बर 2010) कि आवेदक द्वारा मांग किए जाने पर मिशन तथा केन्द्र एक वर्ष से कम अवधि के लिए वैध विज्ञा जारी कर सकते हैं परंतु शुल्क एक वर्ष के लिए ही लगाया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मिशनों तथा केन्द्रों में व्यवसाय विज्ञा शुल्क की कम वसूली के मामले पाए:

मिशन/केन्द्र	स्थानीय मुद्रा में एक वर्ष के लिए व्यवसाय विज्ञा शुल्क	स्थानीय मुद्रा में छः महीनों के लिए व्यवसाय विज्ञा शुल्क	अंतर	जारी छमाही व्यवसाय विज्ञाओं की संख्या	राजस्व की हानि	
					स्थानीय मुद्रा में	भारतीय ₹ में
भा.उ. ओटावा	सी.ए.डी. 183	सी.ए.डी 123	सी.ए.डी 60	819	सी.ए.डी. 49140	2722356
भा.प्र.वा.दू. टोरोंटो	सी.ए.डी 183	सी.ए.डी. 123	सी.ए.डी 60	7778	सी.ए.डी. 466680	25854072
भा.प्र.वा.दू. वनकोवर	सी.ए.डी 183	सी.ए.डी 123	सी.ए.डी 60	2593	सी.ए.डी 155580	8619132
भा. दू. मैक्सिको	एम.एक्स.एन 1680	एम.एक्स.एन. 1120	एम.एक्स. एन. 560	3940	एम.एक्स.एन 2206400	10325952
भा.दू. हैंग	यूरो 148	यूरो 99	यूरो 49	13152	यूरो 644448	54521718
योग	102043230					

उत्तर में, भा.उ. ओटावा ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि मंत्रालय के जून 2008 के अनुदेशों की व्याख्या में गलती के कारण भा.उ. ओटावा तथा कनाडा में स्थित इसके केन्द्र छः महीनों के लिए व्यवसायिक विज्ञा जारी करते रहे जिसमें निर्धारित शुल्क कम था परंतु दिसंबर 2012 से एक वर्ष का व्यवसायिक विज्ञा जारी करना प्रारम्भ कर दिया गया। भा.दू. मैक्सिको ने बताया कि एक वर्ष का व्यवसायिक विज्ञा जारी करने के संबंध में मंत्रालय का दिनांक 10 जून 2008 का पत्र मिशन में प्राप्त नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मिशन ने मार्च 2014 से मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार निर्धारित दरों पर एक वर्ष का व्यवसायिक विज्ञा जारी करना प्रारम्भ कर दिया था। हैंग स्थित मिशन भी लेखापरीक्षा से सहमत (अक्टूबर 2014) हुआ तथा इसने बताया कि 31 मार्च 2014 से न्यूनतम एक वर्ष के लिए व्यवसायिक विज्ञा शुल्क लगाना प्रारम्भ कर दिया गया था।

मंत्रालय (दिसंबर 2014) ने, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकर करते हुए, व्यवसायिक विज्ञा जारी करने पर मंत्रालय के अनुदेश के गैर-कार्यान्वयन के कारणों का समर्थन किया तथा बताया व्यवसायिक विज्ञा शुल्क की वसूली में विसंगति मंत्रालय के परिपत्र की गलतफहमी तथा अनुदेशों की अलग व्याख्या के कारण हुई थी जो वाणिज्यदूतीय अधिकारियों के मन में वास्तविक उलझन का कारण बनी। निश्चित रूप से उलझन को समाप्त करने हेतु इस विषय पर समेकित अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

तथापि, तथ्य यह है कि एक वर्ष के व्यवसायिक वीजाओं, जिनमें मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार उच्च निर्धारित दरें लगनी थीं, के स्थान पर कम निर्धारित शुल्क वाले छः महीने के व्यवसायिक विज्ञाओं को जारी करने के कारण मिशन तथा केन्द्रों ने राजस्व वसूल नहीं की जिसे अन्यथा भारत सरकार को जमा किया जाना था परिणामस्वरूप ₹10.20 करोड़ के राजस्व की कम वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा व्यवसायिक विज्ञा शुल्कों की कम उगाही इंगित किए जाने पर मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

अतः मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके द्वारा विदेशी मिशनों तथा केन्द्रों को जारी सभी अनुदेशों में पर्याप्त स्पष्टता एवं एक व्याख्या हो तथा यह समय पर पहुंचाएं भी जाएं। सभी मिशनों तथा केन्द्रों द्वारा इसके अनुदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु एक अनुपालना तंत्र भी अपेक्षित है क्योंकि कुछ मिशनों तथा केन्द्रों, जो लेखापरीक्षा की नमूना जांच में शामिल नहीं थे, में विज्ञा शुल्कों की कम वसूली की संभावना हो सकती है।

5.3 संस्वीकृति के बिना आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति पर ₹429.81 लाख का अप्राधिकृत व्यय

ह्यूस्टन तथा शिकागो में महावाणिज्य दूतावास ने मंत्रालय के नियमों तथा अनुदेशों के उल्लंघन में आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति की।

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 22 के अनुसार, कोई भी प्राधिकारी तब तक कोई व्यय नहीं करेगा अथवा व्यय की कोई देयता, ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत न किया गया हो। इसके अतिरिक्त, विदेश में स्थित भारत सरकार के प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियों की सारणी-1 की मद सं. 12(2) के अनुसार मिशन/केन्द्र द्वारा इस शर्त पर आकस्मिकता स्टाफ नियुक्त किया जा सकेगा कि नियमित प्रवृत्ति के कार्य के लिए अथवा नियमित स्थापना से वहन किये जाने वाले रिक्त पदों के प्रति न हो। विदेश मंत्रालय (वि.मं.) ने मिशन/केन्द्रों को निर्धारित नियमों एवं विनियमों के उल्लंघन में आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति न करने के विभिन्न अनुदेश जारी किए। मंत्रालय ने सभी आकस्मिकता कर्मियों को हटाने हेतु मिशनों तथा केन्द्रों को जनवरी 2009 में पुनः परामर्श दिया था तथा ऐसा करने में विफल होने पर उपयुक्त प्राधिकार के बिना आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों पर जवाबदेही निर्धारित की जानी थी।

भारतीय महावाणिज्य दूतावास (भा.म.दू.), ह्यूस्टन (मार्च 2014) में अप्रैल 2011 से फरवरी 2014 तथा भा.म.दू., शिकागो (अक्टूबर 2013) में अप्रैल 2012 से सितंबर 2013 की अवधि हेतु अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इन वाणिज्य दूतावासों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के बिना तथा वर्तमान नियमों तथा मंत्रालय के अनुदेशों का उल्लंघन कर आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति पर क्रमशः ₹211.02 लाख तथा ₹218.79 लाख का व्यय किया था।

भा.म.दू., ह्यूस्टन

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.म.दू., ह्यूस्टन ने वाणिज्यदूतीय कार्य हेतु अप्रैल 2011 से फरवरी 2014 तक की अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के बिना नौ आकस्मिकता कर्मियों की नियुक्ति की थी तथा उनमें से

दो को सन्देशवाहक के रूप में उपयोग किया जा रहा था। भा.म.दू., ह्यूस्टन द्वारा आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति पर किया गया अप्राधिकृत व्यय ₹211.02³ लाख का था।

उत्तर में, भा.म.दू., ह्यूस्टन ने बताया (मई 2014) कि ओ.सी.आई. तथा पी.आई.ओ. कार्ड जारी करने से बढ़े कार्य भार की समस्या से निपटने के लिए आकस्मिकता स्टाफ नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य दूतावास द्वारा दो सन्देशवाहकों को प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत नियुक्त किया गया था तथा वि.मं. द्वारा दो पद अगस्त 2011 (क्यू./सी.सी.पी./576/09/10) तथा जनवरी 2012 (क्यू./सी.सी.पी./576/12/2010) में संस्वीकृत किये गये थे।

भा.म.दू., ह्यूस्टन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वर्तमान नियमों के तहत वाणिज्य दूतावास नियमित प्रवृत्ति के कार्य हेतु आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यदूतावास द्वारा उल्लिखित वि.मं. की संस्वीकृतियाँ आकस्मिकता स्टाफ लगाने के लिए न होकर एक-एक वर्ष की अवधि हेतु स्थानीय कर्माचारियों की नियुक्ति के लिए थी। इसलिए, भा.म.दू., ह्यूस्टन द्वारा आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति से नियमों तथा मंत्रालय के अनुदेशों का उल्लंघन हुआ।

भा.म.दू., शिकागो

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि भा.म.दू., शिकागो ने वाणिज्यदूतीय कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के बिना 2012-13 से 2014-15 (सितंबर 2014 तक) की अवधि के दौरान अलग-अलग समय पर 7 से 18 आकस्मिकता कर्मियों की नियुक्ति की तथा उनमें से एक से सन्देशवाहक का कार्य लिया

³ ₹72.03 लाख 2011-12 के दौरान; ₹52.32 लाख 2012-13 के दौरान; तथा ₹86.67 लाख 2013-14 के दौरान (फरवरी 2014 तक)

जिन पर कुल ₹218.79⁴ लाख का अप्राधिकृत व्यय किया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2012-13 के दौरान, वर्तमान नियमों के उल्लंघन में तीन आकस्मिकता कर्मियों को नियमित स्थापना से वहन किये जाने वाले रिक्त पदों के प्रति लगाया गया था।

उत्तर (अक्टूबर 2014) में, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए भा.म.दू., शिकागो ने बताया कि आकस्मिकता स्टाफ की नियुक्ति अपरिहार्य हो गई थी क्योंकि वाणिज्यदूतावास में विज्ञा तथा ओ.सी.आई. कार्डों से संबंधित कार्य काफी अधिक था। आकस्मिकता स्टाफ को नियुक्त करने पड़े क्योंकि वाणिज्यदूतावास द्वारा प्रस्तावित कम वेतन-मान के कारण योग्य उम्मीदवार नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं थे। मंत्रालय को आकस्मिकता स्टाफ हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध कर दिया गया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2014) कि सक्षम व्यय की प्राधिकारी द्वारा कार्योत्तर मंजूरी हेतु कार्यवाही कर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का समाधान किया जा रहा है।

किन्तु, तथ्य यही है कि वाणिज्य दूतावासों द्वारा आकस्मिकता स्टाफ पर किया गया ₹429.81 लाख का व्यय अप्राधिकृत एवं मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में था। कार्योत्तर मंजूरी द्वारा मामले का निपटान करना वि.मं. तथा मिशनों/वाणिज्य दूतावासों में व्यय के पुष्टिकरण तथा प्राधिकरण की प्रक्रिया पर कमजोर नियंत्रण को ही दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से कार्योत्तर मंजूरी प्रदान किया जाना भविष्य में मिशनों/वाणिज्यदूतावासों द्वारा बार-बार उलंघनों को बढ़ावा देगा।

⁴ 110.92 लाख 2012-13 के दौरान; 69.01 लाख 2013-14 के दौरान; तथा 38.86 लाख 2014-15 के दौरान (सितम्बर 2014 तक)

अध्याय VI : वित्त मंत्रालय

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

6.1 सेवा कर पर परिहार्य व्यय

ग्राहकों से सेवा कर की वसूली में विफलता तथा स्वयं की निधियों में से उसके अनुवर्ती भुगतान का परिणाम ₹22.58 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.), हैदराबाद प्रभारों/शुल्कों का संग्रहण करके सार्वजनिक/निजी बीमा कम्पनियों, ऐजेंटों, दलालों आदि को सेवाएं प्रदान कर रहा है। वित्त बिल 2012 के प्रावधानों के अनुसार, सेवा कर उन सेवाओं, जो धारा 66 घ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, (नकारात्मक सूची तथा छूट प्राप्त सेवाएं), को छोड़कर सभी सेवाओं पर वसूल किया जाना है। बी.नि.वि.प्रा. द्वारा प्रदत्त सेवाएं नकारात्मक सूची में शामिल नहीं थीं। इसलिए, बी.नि.वि.प्रा. को 1 जुलाई 2012 से इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर प्रभारों/शुल्कों को वसूलना अपेक्षित था।

बी.नि.वि.प्रा. ने, कर का संग्रहण करने के बजाए, इसके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं को नकारात्मक सूची में शामिल किए जाने हेतु मंत्रालय को अनुरोध किया (अप्रैल 2012)। तथापि, बी.नि.वि.प्रा. ने मंत्रालय से निर्णय लंबित होने से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सेवाकर का संग्रहण नहीं किया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2013) कि छूट को न्यूनतम पर रखने का सरकार का सचेतन निर्णय था तथा इस प्रकार बी.नि.वि.प्रा. की सेवाएं सेवाकर के अधीन हैं।

बाद में, बी.नि.वि.प्रा. ने एक कर सलाहकार से राय की मांग की, जिसने सेवाकर देयता को सुनिश्चित किया (दिसम्बर 2013) तथा 1 जुलाई 2012 से 2 दिसम्बर 2013 की अवधि के लिए इसका ₹17.09 करोड़ पर निर्धारण किया।

बी.नि.वि.प्रा. ने सेवा प्राप्तकर्ताओं से 1 जनवरी 2014 से देय सेवा कर का एकत्र करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013)। तथापि, इसने 01.07.2012 से 31.12.2013 की अवधि के लिए ₹22.58¹ करोड़ का सेवा कर अदा किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2014) कि

- बी.नि.वि.प्रा. ने मंत्रालय का उत्तर जो 15 महीनों के पश्चात प्राप्त हुआ था, लंबित होने से अपने सेवा प्राप्तकर्ताओं से सेवा कर वसूलना विवेकपूर्ण नहीं समझा था।
- जुलाई 2013 में मंत्रालय के उत्तर की प्राप्ति के पश्चात भी, बी.नि.वि.प्रा. अपने ग्राहकों से सेवा कर वसूलने हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी तथा इसकी बजाए इसने अपनी स्वयं की निधियों से कर अदा करने का निर्णय लिया।

बी.नि.वि.प्रा. ने बताया (सितम्बर 2014) कि

- चूंकि विषय पर कोई स्पष्टता नहीं थी इसलिए इसने मंत्रालय की राय मांगी तथा स्पष्टीकरण जुलाई 2013 में प्राप्त हुआ था।
- कर सलाहकार से मांगी गई राय सेवा कर के परिकलन के लिए थी न कि इसकी उपयुक्तता के संबंध में थी।
- इसको लगा कि ऐजेंटों (20 लाख), दलालों (300) आदि से सेवा कर की वसूली करना दुर्वहनीय था तथा इसलिए सेवा कर देयता को वहन करने का सचेतन निर्णय था।

¹ अदा किया गया सेवा कर ₹6.42 करोड़ (01.07.2012 से 31.12.2012) तथा ₹16.16 करोड़ (01.01.2013 से 31.12.2013) कुल ₹22.33 करोड़

उत्तर को निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

- बी.नि.वि.प्रा. द्वारा प्रदत्त सेवाएं न तो नकारात्मक सूची में और न ही किसी विशिष्ट छूट अधिसूचना में शामिल थी तथा इसलिए यह सेवा कर के अधीन थीं।
- कर सलाहकार ने भी अपनी राय में सुनिश्चित किया कि बी.नि.वि.प्रा. द्वारा प्रदत्त सेवाएं न तो नकारात्मक सूची और न ही विशाल छूट सूची के अंतर्गत शामिल थी, इसलिए सेवा कर को आकर्षित करती थी।
- बी.नि.वि.प्रा. को लाइसेंसों के नवीकरण के समय अपने सेवा प्राप्त कर्ताओं से कर के संग्रहण हेतु प्रयास करने चाहिए थे क्योंकि बी.नि.वि.प्रा. द्वारा प्रदत्त सेवाएं स्पष्ट रूप से करयोग्य थीं तथा इसकी वसूली हेतु कदम उठाए बिना भार वहन करने का इसका निर्णय त्रुटिपूर्ण था।

इसलिए सेवा कर का एकत्र न करने के पहले तथा बाद में कर देयता को वहन करने के बी.नि.वि.प्रा. के निर्णय का परिणाम ₹22.58 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ था।

मामला मंत्रालय को सूचित किया (अक्टूबर 2014) गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे

6.2 क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र हेतु कार्यालय स्थान किराए पर लेने हेतु किया गया निष्फल व्यय

योजना एवं इसकी आवश्यकता के उपयुक्त विश्लेषण के बिना पुणे में क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र का सृजन करने के के.प्र.क.बो. के निर्णय का परिणाम कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे द्वारा ₹3.83 करोड़ तक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र हेतु कार्यालय स्थान को किराए पर लेने के प्रति निष्फल व्यय में हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 21 वित्तीय औचित्य को निर्दिष्ट करता है तथा अपेक्षित करता है कि प्रत्येक अधिकारी, जो, लोक धन से व्यय करता है या प्राधिकृत करता है, को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा दिशानिर्देशित किया जाना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को लोक धन से किए गए व्यय के संबंध में वैसी ही सतर्कता का उपयोग करने के लिए, जैसा साधारण समझदार व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में उपयोग करेगा, वित्तीय आदेश तथा कड़ी मितव्ययता को लागू करना चाहिए। व्यय अवसर मांगों से अधिक प्रत्यक्षतः नहीं होना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री ने 2010 के बजट प्रस्तुतीकरण में कर्नाटक तथा गोवा क्षेत्र को छोड़कर मैनुअल रिटर्नों का संसाधन करने के लिए पुणे तथा मानेसर में क्षेत्रीय संसाधनों केन्द्र (क्षे.सं.के.) की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव किया था। क्षे.सं.के. के मुख्य कार्य नामित स्थानों से रिटर्नों के संकलन सहित पैपर रिटर्नों को प्रबंधित करना, डिजीटाइजेशन, डाटा एंट्री तथा डिजीटाइज्ड रिटर्न डाटा को केन्द्रीय संसाधन केन्द्र (के.सं.के.), बेंगलुरु, जिसे इंफोसिस द्वारा सभी ई-रिटर्नों का संचालन करने हेतु चलाया जा रहा है, को आगे बढ़ाना था। तदनुसार, आयकर निदेशालय (प्रणालियां) के निर्देशों (जून 2010) के आधार पर, मुख्य आयकर आयुक्त (मु.आ.आ.) पुणे ने एक समिति गठित की (नवम्बर 2010) तथा सभी प्रक्रियाओं तथा सावधानियों के पश्चात निविदाएं प्रारम्भ की गई थीं तथा हिगेवाड़ी, तालुका मूलश्री, पुणे में कोल्ड शैल हेतु ₹28 प्रति व.फु. प्रति माह के कारपेट एरिया की दर तथा वार्म शैल हेतु ₹36 प्रति व.फु. प्रति माह के कारपेट एरिया की दर पर मैसर्स वासन इंजीनियरिंग लि. (फोनिक्स वेंचर्स) से 1,06,278/व.फुट के स्थान का चयन किया गया था। के.प्र.क.बो. द्वारा इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति जून 2011 में दी गई थी। विभाग ने अनुबंध दिनांक 20 जुलाई 2011 के अनुसार 20 जुलाई 2011 से किराया देना आरम्भ किया।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) ने बाद में अनुभव किया कि केन्द्र में पैपर रिटर्नों को संसाधित करने में शामिल लागत (के.सं.के.) बेंगलुरु में मैसर्स इंफोसिस द्वारा प्रभारित वर्तमान दरों की तुलना में असाधारण रूप से अधिक होगी। विभाग ने यह भी पाया कि क्षे.सं.के. की स्थापना करना व्यवहार्य नहीं था क्योंकि ई-रिटर्नों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ी थी जबकि पैपर रिटर्नों की संख्या काफी कम हुई थी तथा इसलिए रिटर्नों की ई-फाइलिंग की ओर बढ़ने की आवश्यकता थी। संभावित रूप से, के.प्र.क.बो. ने जून 2012 में मु.आ.आ.-1 पुणे को सूचित किया कि क्षे.सं.के. पुणे को रद्द किया जाना था तथा परवर्ती को 2 महीने का नोटिस जारी करने के पश्चात किराए के परिसरों के पट्टे को समाप्त करने को कहा। मु.आ.आ.-1 पुणे ने तदनुसार पट्टादाता को 2 महीने की अवधि का नोटिस दिया (15/06/2012) तथा 15.08.2012 से पट्टे को समाप्त किया। इस प्रकार, यद्यपि मु.आ.आ. ने जुलाई 2011 से अगस्त 2012 तक की अवधि हेतु कुल ₹3.83 करोड़ (जैसा अनुबंध VIII में ब्यौरा दिया गया है) का किराया अदा किया फिर भी न तो बिल्डिंग का वास्तविक अधिग्रहण किया गया था और न ही कोई कार्य किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2014) विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि गैर-पैन आधारित ए.आई.आर. सूचना को संसाधित करने हेतु अलग संसाधन केन्द्र की स्थापना करने सहित किराए के परिसर के वैकल्पिक उपयोग के के.प्र.क.बो. के प्रस्ताव को इस आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया था कि इसके लिए एक पूर्ण नया प्रस्ताव अपेक्षित होगा जो स्वयं एक वर्ष से अधिक का समय लेगा। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय तथा के.प्र.क.बो. क्षे.सं.के. पुणे को किराए पर लेने तथा पट्टे की समाप्ति की पूर्ण प्रक्रिया में शामिल थे।

लेखापरीक्षा जांच से आगे पता चला कि डाटा एंट्री कार्य के आउटसोर्सिंग के विरुद्ध आयकर कर्मचारी संघ के विरोध का मामला निविदा प्रक्रिया के शुरुआत से ही निरंतर बना हुआ था क्योंकि कर्नाटक तथा गोवा की पैपर रिटर्नों की

अप्रैल 2010 से के.सं.के. को आपूर्ति नहीं की जा रही थी। आ.क.सं. के विरोध के कारण प्रत्याशित दल बोली के अनिच्छुक थे जिसके परिणामस्वरूप बोलियों के प्रस्तुतीकरण तथा पुनः निविदा हेतु समय के विस्तार के बावजूद बोलियों की कम संख्या प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, विभाग उस अवधि जिसमें क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रिया में था, के दौरान निर्धारितियों की अधिक से अधिक संख्या हेतु ई-फाईलिंग, को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया में था। इस प्रकार, विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि के.प्र.क.बो. ने वित्तीय विविक्षा का मूल्यांकन किए बिना जल्दी में निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, ई-फाईलिंग में वृद्धि तथा पेपर रिटर्न में कमी की प्रवृत्ति की के.सं.के. पुणे की स्थापना का निर्णय लेने से पूर्व विभाग द्वारा अभिकल्पना तथा विश्लेषण नहीं किया गया था। इसका परिणाम मु.आ.आ. पुणे द्वारा ₹3.83 करोड़ का निष्फल व्यय में हुआ।

मामला मंत्रालय को भेजा गया था (दिसम्बर 2014); उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय VII : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना

7.1 यातायात भत्ते का अधिक भुगतान

उच्च प्रशासनिक ग्रेड (उ.प्र.ग्रे.) वेतनमान में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के डॉक्टरों को केन्द्र सरकार विभागों के संयुक्त सचिवों के स्तर के अधिकारियों के साथ सममूल्य पर ₹7000 प्रतिमाह की दर पर यातायात भत्ते का भुगतान किया गया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों के नियमावली में वह प्रतिमाह केवल ₹3200 के यात्रा भत्ते के लिए हकदार थे। के.स.स्वा.यो. द्वारा नियमों के गलत उपयोग के कारण नवम्बर 2008 एवं मार्च 2014 के बीच डॉक्टरों को ₹5.74 करोड़ के यातायात भत्ते का अधिक भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन (का.ज्ञा.) में छठे वेतन आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर यातायात भत्ते की दरें निर्धारित की थीं। इसके अनुसार, ₹5400 और इससे अधिक ग्रेड वेतन वाले कर्मचारियों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते की दर ₹3200 में उस पर महंगाई भत्ता (म.भ.) जोड़कर निर्धारित की गई थी (अगस्त 2008)। इसके अतिरिक्त, का.ज्ञा.के पैरा 3 के अनुसार, ₹10,000 एवं ₹12,000 के ग्रेड वेतन तथा उच्च प्रशासनिक ग्रेड+ वेतनमान वाले अधिकारी जोकि जनवरी 1994 के का.ज्ञा के नियमों के अनुसार सरकारी गाड़ी का उपयोग करने के लिए हकदार हैं, उनके पास मौजूदा सुविधा का लाभ उठाने या ₹7,000 प्रतिमाह की दर पर यात्रा भत्ते सहित उस पर दिए गए महंगाई भत्ता लेने का विकल्प हैं।

इसके अतिरिक्त, स्टाफ गाड़ी नियमावली के नियम 8 के नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्णय सं. 2 के अनुसार, संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी जिन्हें मंत्रालय के 1994 के पूर्वोक्त का.ज्ञा. के अंतर्गत कार्यालय एवं घर के बीच यात्रा करने के लिए स्टाफ गाड़ी की सुविधा दी गई है उन्हें

विकल्प दिया जाए कि या तो वर्तमान सुविधा का स्वयं उपयोग करें या फिर इन आदेशों के अंतर्गत स्वीकार्य यात्रा भत्ते का भुगतान लें।

2008-09 से 2013-14 की अवधि हेतु ₹10,000 का ग्रेड वेतन लेने वाले केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.) के विभिन्न क्षेत्रों के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (के.स्वा.से.) के डॉक्टरों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि प्रतिमाह ₹7,000 की दर पर यात्रा भत्ते के सहित उस पर महंगाई भत्ते का भुगतान उन्हें किया जा रहा था। नवम्बर 2008 से मार्च 2014 के दौरान, इन दरों पर कुल ₹10.58 करोड़ का यात्रा भत्ते का भुगतान डॉक्टरों को किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर पर नहीं थे तथा वह स्टाफ की गाड़ी की सुविधा के हकदार नहीं थे और इसलिए वह केवल ₹3200 (म.भ. सहित) की दर पर यात्रा भत्ते के भुगतान के हकदार थे। के.स.स्वा.यो. द्वारा नियमावली की गलत व्याख्या के कारण डॉक्टरों को ₹5.74¹ करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया जैसा कि अनुबंध-IX में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्टीकरण हेतु मामले को वित्त मंत्रालय को अग्रेषित किया था (अगस्त 2014)। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया (दिसम्बर 2014) कि के.स.स्वा.यो. के डॉक्टर पूर्वोक्त का.जा. के अनुसार ₹7,000 प्रतिमाह की दर पर यात्रा भत्ते के आहरण हेतु हकदार नहीं थे, चाहे वह प्रतिमाह ₹10,000 के ग्रेड वेतन के साथ वेतन का आहरण कर रहे हो।

यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्थापित करता है। यह सिफारिश की जाती है कि डॉक्टरों को किए गए ₹5.74 करोड़ के यात्रा भत्ते के अधिक भुगतान की वसूली की जाए।

¹ आहरित राशि ₹10.58 करोड़, देय राशि ₹4.84 करोड़, आधिक्य ₹5.74 करोड़

मार्च 2015 में मंत्रालय के समक्ष मामले को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी

7.2 यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी ने भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन में अपने अधिकारियों को ऊंची दर पर यात्रा भत्ते का भुगतान किया था जिसके कारण ₹3.51 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ था।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 209(6)(iv)(क) के अनुसार “सभी अनुदेयी संगठन या संस्थाएं जो सहायता अनुदान के रूप में अपने आवर्ती व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्यतः अपने कर्मचारियों की सेवा के नियम एवं शर्तें निर्धारित करनी चाहिए जोकि सामान्यतः कुल मिलाकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की इसी तरह की श्रेणियों पर लागू होने वाले नियम एवं शर्तों से ऊपर न हो।” ऐसा ही एक संगठन होते हुए जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (ज.स्ना.चि.शि.अ.सं.), पुदुचेरी ने 2008 के अपने विनियमन 43 के माध्यम से उस नियमावली को अपनाया जोकि सेवा, वेतन, यात्रा भत्ता सहित भत्ते, अवकाश वेतन, कार्यग्रहण समय, विदेश सेवा शर्तें, आदि की सामान्य परिस्थितियों के संबंध में केन्द्र सरकार कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) ने अगस्त 2008 में आदेश जारी किए कि ₹10,000 एवं ₹12,000 का ग्रेड वेतन (ग्रे.वे.) लेने वाले अधिकारी और वह जो उ.प्र.ग्रे + वेतनमान में हैं, जो दिनांक 28.01.1994 के का.जा.सं. 20(5) ई 11 ए/93 के अनुसार कार्यालय की गाड़ी के उपयोग हेतु हकदार हैं, उन्हें यह विकल्प दिया जाएगा कि वह निवास से कार्यालय और कार्यालय से निवास तक जाने के लिए स्टाफ की गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं या 1 सितम्बर 2008

से प्रभावी प्रतिमाह ₹7,000 प्रतिमाह के यात्रा भत्ते सहित उस पर महंगाई भत्ता आहरित कर सकते हैं।

तदनुसार, ज.स्ना.चि.शि.अ.सं. के निदेशक एवं चिकित्सा अधीक्षक केवल दो अधिकारी हैं जो स्टाफ की गाड़ी के हकदार हैं। हालांकि, ₹10,000 और ₹10,500 के शैक्षिक ग्रेड वेतन (शै.ग्रे.वे.) आहरित करने वाले अधिकारी जो दिनांक 28.01.1994 के का.जा. के अनुसार कार्यालय की गाड़ी के उपयोग हेतु हकदार नहीं है उन्हें प्रतिमाह ₹1,600 के पात्र यात्रा भत्ते (पुदुचेरी के लिए लागू) के प्रति प्रतिमाह ₹7,000 के यात्रा भत्ते सहित उस पर म.भ. का भुगतान किया जाता है।

इस प्रकार, गैर-हकदार अधिकारियों को म.भ. सहित प्रतिमाह ₹7000 के यात्रा भत्ते के भुगतान का परिणाम सितम्बर 2008 से नवम्बर 2014 तक ₹3.51 करोड़ के अनियमित भुगतान में हुआ था जिसका विवरण **अनुबंध-X** में दिया गया है।

ज.स्ना.चि.शि.अ. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि दिसम्बर 2014 से प्रतिमाह ₹7000 के या.भ. के भुगतान को बंद कर दिया गया है तथा अतिरिक्त भुगतान की वसूली के साधनों पर कार्य किया जा रहा है तथा वसूली हेतु आदेशों को अलग से जारी किया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी संस्थान के उत्तर की पुष्टि की है (जनवरी 2015)।

सफदरजंग अस्पताल

7.3 वेतन के गलत निर्धारण के कारण ₹ 1.68 करोड़ का अधिक भुगतान

सफदरजंग अस्पताल ने गलत तरीके से अपने नर्सिंग स्टाफ के वेतन का निर्धारण किया था जिसके कारण अगस्त 2014 तक ₹1.68 करोड़ के वेतन एवं भत्ते का अधिक भुगतान हुआ था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संज्ञान में लेकर अस्पताल ने पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अपने नर्सिंग स्टाफ के वेतन में संशोधन किए (मार्च 2015)।

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2008, (के.सि.से-सं.वे.) के अनुसार 1 जनवरी, 2006 (संशोधित वेतन संरचना के अनुसार) से सरकारी कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन का निर्धारण 01.01.2006 को उस समय के मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके परिणामी आंकड़े को 10² के अगले गुणक तक पूर्णांकित करना है।

इसके अतिरिक्त, छठे के.वे.आ. की अनुशंसाओं के कारण पदों में हुए उन्नयन के मामलों में, पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप दिनांक 30 अगस्त 2008 के कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारण तालिका को वेतन बैंड में वेतन के निर्धारण के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा। निर्धारित वेतन बैंड में वेतन में वृद्धि हुए पद के अनुरूप ग्रेड वेतन शामिल किया जाएगा। छठे के.वे.आ. अनुशंसा³ के परिणामस्वरूप जिस सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि हुई है, यह उसका संशोधित वेतन होगा। उसी की पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केन्द्र सरकार अस्पतालों को निर्देश दिया (फरवरी 2009) कि वह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग कार्मिकों का वेतन एवं भुगतान का निर्धारण किया जाए।

के.सि.से. (सं.वे.) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची भाग-‘ख’ के नीचे दिए गए अनुच्छेद 1 के अनुसार, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ वेतनमान में वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त, के.सि.से. (सं.वे.) नियमावली, 2008 की प्रथम सूची भाग-‘क’ के नीचे दिए गए अनुच्छेद II के अनुसार, 01.01.2006 को या उसके बाद में नियुक्त सीधी भर्तियों हेतु संशोधित वेतन संरचना में शुरुआती वेतन को संबंधित वेतन बैंड में निर्धारित किया जाएगा तथा इसे नीचे दिया गया है:

² के.सि.से (सं.वे.) नियमावली, 2008 का नियम 7(1)

³ के.सि.से (सं.वे.) नियमावली, 2008 के नियम 7 के नीचे दिए गए नोट 2 क के प्रति स्पष्टीकरण

(राशि ₹ में)

मौजूदा स्टाफ हेतु (01.01.2006 को या उससे पूर्व)					सीधी भर्तियों हेतु (01.01.2006 को या उसके बाद)		
पद	पूर्व संशोधित स्केल	संशोधित वेतन स्केल	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड वेतन	कुल
स्टाफ नर्स	5000-8000	7450-11500	वे.बैं.-2 (9300-34800)	4600	12540 में वे.बैं.-2 (9300-34800)	4600	17140
नर्सिंग सिस्टर	5500-9000	7500-12000	वे.बैं.-2 (9300-34800)	4800	13350 में वे.बैं.-2 (9300-34800)	4800	18150

सफदरजंग अस्पताल के 172 स्टाफ नर्सों एवं नर्सिंग सिस्टरों की सेवा पंजिका की नमूना जांच से पता चला कि के.सि.से (संशोधित वेतन) के अंतर्गत उनका वेतन निर्धारण गलत रूप से किया गया था। मौजूदा स्टाफ नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर के वेतन निर्धारण हेतु 01.01.2006 को उस समय के मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करना तथा परिणामी आंकड़े को 10 के अगले गुणक तक पूर्णांक करना आवश्यक था। इसकी बजाय, स्टाफ नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर का वेतन क्रमशः ₹12,540 तथा ₹13,350 पर सीधी भर्तियों के शुरुआती वेतन के अनुसार निर्धारित की गई थी। इसके कारण जनवरी 2006 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान 172 स्टाफ नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर को ₹1.68 करोड़ (मकान किराया भत्ता छोड़कर) की राशि के वेतन का अधिक भुगतान हुआ था (अनुबंध-XI में दिए गए विवरणों के अनुसार)।

इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (मार्च 2015) कि उसने स्पष्टीकरण हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को मामला भेजा है। इसी दौरान, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को संज्ञान में लेकर पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ अपने नर्सिंग स्टाफ के वेतन में संशोधन किए (मार्च 2015)। अस्पताल द्वारा की गई शोधक कार्रवाई लेखापरीक्षा दृष्टि की पुष्टि करती है।

भारतीय चिकित्सा परिषद

7.4 विवेकाधीन वेतन वृद्धि एवं कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

भारतीय चिकित्सा परिषद ने अपने 18 कर्मचारियों की अनियमित रूप से वेतनमानों में वृद्धि का तथा वेतन निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹91.57 लाख के वेतन एवं भत्ते का अधिक भुगतान हुआ। .

चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अनुसार, परिषद केन्द्र सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) की पूर्व संस्वीकृति से परिषद के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का निर्धारण करेगा। वित्त मंत्रालय कार्यालय जापन (अक्टूबर 1984) के अनुसार पद के सृजन, वेतन एवं भत्तों में संशोधन तथा स्वायत्त निकायों के उसी प्रकार के स्थापना व्यय केन्द्र सरकार के सामान्य प्रतिमान के अनुरूप होना चाहिए। तदनुसार, इस मानक से किसी प्रकार के विचलन के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

भारतीय चिकित्सा परिषद (परिषद) सेवा पंजिकाओं एवं संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच ने छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात 18 मामलों में अपने कर्मचारियों के वेतन के गलत निर्धारण एवं पदों के अनियमित संवर्धन को दर्शाया जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क. प्रत्येक कर्मचारी के वेतन मान का अनियमित संवर्धन

नमूना जांच से छः मामलों⁴ में प्रत्येक कर्मचारी के वेतनमानों के अनियमित संवर्धन का पता चला (अनुबंध-XII में दिए गए विवरणों के अनुसार)। ऐसा संवर्धन भारत सरकार से अनुमति लिए बिना केवल परिषद की कार्यकारी समिति/प्रशासन द्वारा संस्वीकृत किया गया था। यह भी देखा गया था कि अन्य उसी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को ऐसे लाभ नहीं दिए गए थे।

⁴ सुश्री प्रेमलता, श्री अनिल कुमार अहलूवालिया, श्री अनुपम दुआ, श्री वी.के. अग्रवाल, सुश्री महेश्वरी एवं सुश्री अतुला के माथुर

उत्तर में, परिषद ने बताया (फरवरी 2015) कि अपने अक्टूबर 1994 के पत्र के माध्यम से मंत्रालय ने इस शर्त के साथ कि परिषद को सरकार के अनुदानों की आवश्यकता नहीं है तथा अपने संसाधनों से अपना व्यय करेंगे, परिषद ने अपने स्टाफ के वेतन मान के संशोधन तथा पदों के सृजन हेतु परिषद को शक्तियां प्रदान की हैं। उसने आगे बताया कि परिषद के भर्ती नियमों के अनुसार, ये पद पृथक एकल पद हैं तथा इनमें आगे पदोन्नति नहीं है, तदनुसार, परिषद ने अपने स्टाफ के वेतन में संवर्धन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (का.प्र.वि.) के मई 1998 के आदेश अपनाए थे।

परिषद का यह तर्क कि यह पद सिंगल आइसोलेटिड पद है और इनमें आगे पदोन्नतियां नहीं हैं स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि परिषद ने उस संवर्ग में सभी कर्माचारियों के वेतनमान में संवर्धन नहीं किया था परंतु केवल चुनिंदा कर्माचारियों को संवर्धन दिया गया था। वैसे सरकारी आदेश विवेकाधीन वित्तीय संवर्धन का समर्थन नहीं करता था। यह भी देखा गया था कि परिषद भारत सरकार से अनुदानों को प्राप्त कर रहा था।

ख. सहायकों एवं निजी सहायकों के वेतन का गलत निर्धारण

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के नवम्बर 2009 के का.जा. के अनुसार 1 जनवरी 2006 को जो पद ₹6500-10500 के पूर्व-संशोधित मान में थी तथा जिन्हें वे.बै. 2 के वेतन मान में ₹4200 के ग्रेड वेतन वाली वेतन संरचना प्रदान की गई थी उन्हें 1 जनवरी 2006 से प्रभावी ₹7450-11500 के पूर्व-संशोधित मान के अनुसार वे.बै.2 के वेतनमान में ₹4600 का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाना था। दिसम्बर 2010 में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सलाह से का.प्र.वि. द्वारा बाद में स्पष्टीकरण जारी किया गया था जैसा नीचे प्रदान किया गया है:

(क) 1.1.2006 को सहायकों के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी: ₹5500-10500 के पूर्व-संशोधित मान की निर्धारण तालिका के संदर्भ में वेतन

का निर्धारण किया जाएगा तथा उन्हें ₹4600 का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाएगा। इस मामले में बचिंग का लाभ स्वीकार्य नहीं है।

- (ख) 1.1.2006 को सहायकों के रूप में कार्य कर रहे अधिकारी जिन्हें ₹6500-10500 के मान के संदर्भ में 15.9.06 से प्रभावी वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रदान किया गया है: ₹6500-10500 के पूर्व-संशोधित मान की निर्धारण तालिका के संदर्भ में वेतन को निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, वह 1.1.2006 से विकल्प की तिथि तक वेतन के बकाया के लिए हकदार नहीं होंगे।
- (ग) 1.1.2006 एवं 31.8.2008 के बीच सहायक/नि.स. के रूप में पदोन्नत किए गए अधिकारी: उनके पास निम्न पद अर्थात् अ.श्रे.लि./आशुलिपिक डी के पूर्व-संशोधित मान के संदर्भ में 1 जनवरी 2006 से उनके वेतन निर्धारण का विकल्प होगा। वैकल्पिक रूप से, उन्हें संवर्धित वेतनमान अर्थात् ₹7450-11500 के पूर्व-संशोधित मान की निर्धारण तालिका के संदर्भ में पदोन्नति की तिथि से अपने वेतन को निर्धारित करने का विकल्प है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परिषद ने प्रावधानों की गलत व्याख्या की तथा इन मामलों में स्वीकार्य ₹6500-10500 के वेतनमान की गणना करने की बजाय 2 जनवरी 2006 से प्रभावी उन सहायकों/नि.स.के वेतन निर्धारित किए जो 1 जनवरी 2006 को ₹13860 (₹7450 के पूर्व संशोधित मूल वेतन हेतु निर्धारण तालिका के अनुरूप) पर कार्यरत थे।

11 सहायकों/नि.स. के गलत वेतन निर्धारण के कारणवश 01 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2014 के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों को अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ में)

अधिकारी का नाम	पद	01.01.06 को मूल वेतन	31.03.14 तक अधिक भुगतान
श्री राज कुमार डोगरा	सहायक	5850	454801
श्री लखन सिंह	सहायक	5850	454801
श्री वी.के प्रसाद	सहायक	5850	454801
श्री राजकुमार जैन	सहायक	6200	448838
श्री अनिल कुमार	सहायक	6200	448838
श्री बिजेन्द्र सिंह	सहायक	6200	448838
श्री बौनी हैरिसन	सहायक	6375	381642
श्री अनुज कुमार	सहायक/अ.अ.	6725	362426
श्री राजीव कुमार	सहायक/अ.अ.	6725	362426
श्री रवि भार्गव	नि.स.	6200	449864
सुश्री सरोज भसीन	व.आशुलिपिक	6550	403836
कुल			4671111

परिषद ने बताया (फरवरी 2015) कि सहायकों एवं निजी सहायकों के वेतन निर्धारण के मुद्दे की दोबारा जांच की गई थी तथा आवश्यक सुधार किए गए हैं। इन कर्मचारियों को भविष्य में देय भुगतानों में से अतिरिक्त भुगतान का समायोजन किया जाएगा।

ग. विधि अधिकारी के वेतन का गलत निर्धारण

परिषद ने ₹7600 के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 (₹15,600- ₹39,100) में मई 2011 में एक विधि अधिकारी को नियुक्त किया था। परिषद ने विधि अधिकारी के मूल संगठन को स्वायत्त निकाय के रूप में मानते हुए उसके द्वारा आहरित वेतन को संरक्षण प्रदान किया तथा चयन समिति द्वारा अनुशंसित दो अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमति देते हुए प्रतिमाह ₹31,200

(₹7600 के ग्रेड वेतन को छोड़कर) विधि अधिकारी का मूल वेतन निर्धारित किया। उसे प्रथम वेतन वृद्धि 01 जुलाई 2011 को दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विधि अधिकारी का उपरोक्त वेतन निर्धारण निम्नलिखित कारणों से अनियमित था:

- परिषद के भर्ती नियमों के अनुसार, विधि अधिकारी के चयन का एकमात्र माध्यम निर्दिष्ट वेतन मान में सीधी भर्ती था। किसी पद पर सीधी भर्ती पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए भर्ती नियम किसी प्रकार के प्रावधान प्रदान नहीं करते। हालांकि, चयन समिति प्रारम्भिक नियुक्ति पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने में सक्षम नहीं थी।
- विधि अधिकारी द्वारा अपने पूर्व संगठन में आहरित वेतन का संरक्षण भी अनियमित था। का.प्र.वि. ने मार्च 2010 के अपने का.जा के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार संस्थानों या स्वायत्त निकायों में कार्य कर रहे प्रत्याशियों जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार में सीधी नियुक्ति से हुई है उनके वेतन का संरक्षण निर्धारित करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि परिषद में उसकी सीधी नियुक्ति से पूर्व, विधि अधिकारी नई दिल्ली में सचिवालय के साथ 47 सदस्य राज्यों के अंतर्संरकारी निकाय, एशियाई अफ्रीकी कानूनी सलाहकार संगठन (ए.अ.का.स.सं.) में कार्य कर रहा था। इसलिए यह का.प्र.वि. के का.जा. में दिए गए रूप में संगठनों अर्थात्, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विश्वविद्यालय, अर्ध-सरकारी संस्थान या स्वायत्त निकायों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- 1 जुलाई 2011 से प्रभावी विधि अधिकारी को दी गई प्रथम वेतन वृद्धि अनियमित थी क्योंकि नियमावली के अनुसार वेतन वृद्धि लेने के लिए पात्रता अवधि 1 जुलाई को सेवा के छः माह की सेवा होना है। विधि अधिकारी ने 06 मई 2011 को कार्यभार संभाला तथा इस शर्त को पूरा नहीं करता था।

इस प्रकार, विधि अधिकारी के वेतन के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप मई 2011 से मार्च 2014 के दौरान उसे ₹7,61,145 का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

परिषद ने बताया (फरवरी 2015) कि जुलाई 2011 में विधि अधिकारी को दी गई वार्षिक वेतन वृद्धि के मुद्दे की जांच कर ली गई थी तथा उचित सुधार भी कर लिया गया है। अतिरिक्त भुगतान का समायोजन भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों में से कर लिया जाएगा। वेतन संरक्षण के मामले में, परिषद ने आगे बताया कि पूर्व संगठन (ए.अ.का.स.सं.) जहा विधि अधिकारी कार्यरत था, वह अर्ध-सरकारी संगठन था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि का.प्र.वि. के का.जा. में दी गई संगठनों की श्रेणी के अंतर्गत ए.अ.का.स.सं. नहीं आता था।

इस प्रकार, परिषद ने स्थापित नियमावली एवं प्रक्रियाओं को लागू किए बिना अपने कर्मचारियों के वेतन में निरंकुश रूप से वृद्धि की थी।

मंत्रालय को मामला सूचित किया गया था (दिसम्बर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2015)।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दक्षिण क्षेत्र

7.5 स्रोत पर कर की कम कटौती

निजी कम्पनी द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.) केन्द्रों द्वारा 10 प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कर की कटौती न कर पाने के कारण ₹66.34 लाख तक की राशि के कर की कम कटौती हुई थी।

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान 194 जे के अनुसार व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के संबंध में स्रोत पर कर का ऐसे शुल्क पर 10 प्रतिशत की दर पर कटौती होनी चाहिए।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (के.स.स्वा.यो.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने के.स.स्वा.यो. दिल्ली में दंत चिकित्सा सेवाओं की आउटसोर्सिंग के उद्देश्य हेतु मैसर्स फॉरसन एक्सियोज टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया। अनुबंध के अनुसार, प्राधिकारियों द्वारा कम्पनी को किए गए सारे भुगतानों जैसा लागू हो स्रोत पर कर की कटौती की शर्त थी।

कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवा प्रकृति में व्यावसायिक एवं तकनीकी थी, इसलिए स्रोत पर कर की कटौती की शर्त थी। के.स.स्वा.यो. (दक्षिण क्षेत्र) के विभिन्न कल्याण केन्द्रों से संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित वाउचरों की नमूना जांच से पता चला कि अनुबंध-XIII में दिए गए विवरणों के अनुसार अगस्त 2011 से जून 2013 के बीच कम्पनी को किए गए ₹6.63 करोड़ के भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं हुई थी।

इस प्रकार, निर्धारित प्रावधानों तथा अनुबंध की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में के.स.स्वा.यो. केन्द्रों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹66.34 लाख तक की राशि के कर की कम कटौती हुई थी। यह संगठन के भीतर आंतरिक नियंत्रण के सशक्तिकरण की आवश्यकता को दर्शाता है।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (जनवरी 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल

7.6 एक्स-रे फिल्मों के प्रापण पर अधिक व्यय

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल एक्स-रे फिल्मों के प्रापण में उचित सचेतना का प्रयोग करने में विफल रहा जो उच्चतर दरों पर उनके प्रापण का कारण बना। अस्पताल ने फरवरी 2011 से अगस्त 2013 के दौरान एक्स-रे फिल्मों के प्रापण पर ₹57.17 लाख का अधिक व्यय किया।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 150 तथा 160 के अनुसार, सभी सरकारी खरीद पारदर्शी, प्रतियोगितात्मक तथा स्पष्ट प्रकार से की जानी चाहिए जिससे कि धन की उत्तम उपयोगिता को प्राप्त किया जा सके। ₹25 लाख अथवा अधिक के अनुमानित मूल्य के माल के प्रापण के मामले में विज्ञापित निविदा पूछताछ की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। सा.वि.नि. का नियम 154 आगे प्रवधान करता है कि एकल स्रोत से प्रापण का सहारा लिया जा सकता है अगर यह उपयोगकर्ता विभाग के संज्ञान में है कि केवल एक विशिष्ट फर्म ही अपेक्षित माल की निर्माता है तथा यह निर्धारित प्रारूप में एक स्वामित्व अनुच्छेद प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।

डॉ. रा.म.लो. अस्पताल (अस्पताल) मैसर्स रेजे इमेजिंग एण्ड सिने फिल्मस (प्रा.) लि. (फर्म), कम्पनी का एक प्राधिकृत वितरक, से विभिन्न आकारों (मैसर्स केयरस्ट्रीम हैल्थ इण्डिया (प्रा.लि.) (कम्पनी) की कोडक ड्राई व्यू लेसर इमेजिंग फिल्में (एक्स-रे फिल्मों) का प्रापण कर रहा है। फर्म द्वारा चार विभिन्न आकारों की फिल्मों हेतु फरवरी 2011 से अगस्त 2013 की अवधि के दौरान प्रस्तावित दरें ₹5397.75 से ₹16206.75 (कर सहित) के बीच थीं। फर्म ने यह भी घोषित किया था कि इसके द्वारा प्रस्तुत मूल्य उसके द्वारा किसी निजी अथवा सरकारी खरीदार को उसी प्रकृति/श्रेणी अथवा विवरण के भण्डार हेतु आमतौर पर प्रभारित किए जाने वाले मूल्य से अधिक नहीं था।

लेखापरीक्षा ने सुनिश्चित किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अ.भा.आ.सं.) ने कम्पनी जिसने सामग्री की आपूर्ति हेतु मैसर्स कैंट इंडस्ट्रीज एक अन्य प्राधिकृत वितरक को प्राधिकृत किया, के साथ अनुबंध करके (जनवरी 2011) समान मदों का प्रापण कर रहा था। तथापि, मैसर्स कैंट इंडस्ट्रीज द्वारा अ.भा.आ.सं. को चार विभिन्न आकारों की फिल्मों हेतु प्रस्तावित दरें डा.रा.म.लो. अस्पताल को प्रस्तावित दरों से कम थीं जो ₹3728.80 से ₹11185.31 (कर सहित) के बीच थीं। परिणामस्वरूप, अस्पताल

ने फरवरी 2011 से अगस्त 2013 के दौरान एक्स-रे फिल्मों के प्रापण पर ₹57.17 लाख का अधिक व्यय कर दिया (विवरण अनुबंध-XIV में)।

चूंकि एक्स-रे फिल्म प्रत्येक अस्पताल में उपयोग की जाने वाली एक आम मद है इसलिए अस्पताल को फर्म द्वारा प्रस्तुत एक प्रमाणपत्र पर विश्वास करने के बजाए उन दरों का पता लगाना चाहिए था जिन पर अन्य अस्पतालों द्वारा मदों का प्रापण किया जा रहा था विशेष रूप से जब कम्पनी के पास एक से अधिक वितरक थे। इस प्रकार, अस्पताल एक्स-रे फिल्मों के प्रापण में मितव्ययों को लागू करने में विफल था जो इनके प्रापण पर अधिक व्यय का कारण बना।

अस्पताल ने अपने उत्तर (सितंबर 2014) में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को संज्ञान में ले लिया गया था तथा भविष्य में सभी स्वामित्व मदों को मूल कम्पनी से खरीदा जाएगा तथा इन मदों की खरीद से पहले अन्य अस्पतालों से भी परामर्श किया जाएगा।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2015)।

अध्याय VIII : गृह मंत्रालय

फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय

8.1 खराब योजना के कारण योजना उद्देश्य की गैर-पूर्णता

‘क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं/जिला गतिशील फॉरेंसिक इकाईयों’ के सृजन की योजना को निधियों की वास्तविक आवश्यकता तथा व्यय के रूप को निश्चित किए बिना आरंभ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप विचारित 58 प्रयोगशालाओं में से केवल छः प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी, जिसके कारण योजना उद्देश्यपूर्ण नहीं हो पाई।

गृह मंत्रालय (गृ.मं.) की व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) ने फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (फो.वि.से.नि.) की योजना अर्थात् क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (क्षे.फो.वि.प्र.) तथा जिला गतिशील फॉरेंसिक इकाई (जि.ग.फो.इ.) का सृजन केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने का अनुमोदन किया (फरवरी 2009)। योजना द्वारा सामान्य फॉरेंसिक मामला विश्लेषण कार्य की क्षमता को सुदृढ़ करना, राज्यों में रासायनिक, भौतिक, जैविक तथा दस्तावेज विज्ञानों में फॉरेंसिक विश्लेषणों के लिए अतिरिक्त क्षमता का निर्माण तथा अपराध स्थल प्रबंधन को मजबूत करना था। एक राज्य/के.शा.प्र. में क्षे.फो.वि.प्र./जि.ग.फो.इ. की स्थापना के मापदण्ड नियामक आधार थे जिसमें अपराध की प्रकृति अथवा स्तर, सुरक्षा परिदृश्य, अपराध दर, विद्यमान सुविधाओं इत्यादि जैसे कारक शामिल थे। योजना के अंतर्गत ₹48 करोड़ की राशि छः क्षे.फो.वि.प्रा. तथा ₹52 करोड़ की राशि 52 जि.ग.फो.इ. की स्थापना के लिए आवंटित की गई थी।

योजना के कार्यान्वयन के लिए फो.वि.से.नि. को क्षे.फो.वि.प्र. तथा जि.ग.फो.इ. के सृजन हेतु राज्यों/के.शा.प्र. के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) करना आवश्यक था।

योजना ने ₹100 करोड़ का परिव्यय किया, जिसमें से ₹35.99 करोड़ की राशि की निधियां 15 राज्यों तथा 5 के.शा.प्र. को 2010-11 तथा 2011-12¹ के दौरान जारी की गई थी। फो.वि.से.नि., ने 14 राज्यों/के.शा.प्र. के साथ स.जा. पर हस्ताक्षर किए (अनुबंध-XV)। गृ.मं. के अनुमोदन के अनुसार, योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान कार्यान्वित किया जाना था, ताकि योजना अवधि की समाप्ति के पश्चात क्षे.फो.वि.प्र./जि.ग.फो.ई., को राज्य सरकारों को स्थानांतरित किया जा सके। स.जा. की शर्तों में योजना अवधि की समाप्ति के पश्चात क्षे.फो.वि.प्र./जि.ग.फो.ई. के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को राज्य/के.शा.प्र. के बजट के माध्यम से पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जबकि योजना को व्य.वि.स. द्वारा फरवरी 2009 में अनुमोदित किया गया था, फो.वि.से.नि. द्वारा मार्च 2011 में प्रथम किश्त की प्रारंभिक राशि को इस तथ्य के बावजूद जारी किया गया कि योजना को 11वीं योजना में स्वयं ही समापन पर पहुंच जाना था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि विलंब के लिए योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न प्रकार से कार्य करना जैसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी, कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई योजना, पुनरीक्षण तथा अनुवीक्षण का तंत्र, राज्य/के.शा. सरकारों के साथ स.जा. पर हस्ताक्षर करना इत्यादि उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि स.जा. में फो.वि.से.नि. तथा संबंधित राज्य/के.शा. सरकारों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व शामिल थे, योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियों को आरंभ करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। समय सीमा के अभाव में वहां क्षे.फो.वि.प्र. तथा जि.ग.फो.ई. की स्थापना के लिए राज्यों की ओर से भूमि के अर्जन, उपकरणों की प्राप्ति तथा जनशक्ति को लगाना इत्यादि में विलंब हुए थे।

¹ ₹ 13.59 करोड़ – 2010-11, ₹ 22.40 करोड़ – 2011-12.

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि ₹9.79 करोड़ की निधियां 3 राज्यों तथा 2 के.शा.प्र.² को उनके साथ स.जा. पर हस्ताक्षर किए बिना जारी की गई थीं, जबकि पांच³ मामलों में राज्यों के साथ स.जा. निधियां जारी करने के बाद दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त मंत्रालय/फो.वि.से.नि. का अपने प्रारंभिक निर्णय में आगे बढ़कर 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में योजना को बंद करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था, जिससे यह तथ्य पता चलता है कि अलग से चिन्हित निधियों का 50 प्रतिशत भी, मार्च 2012 तक जारी नहीं किया गया था जैसाकि प्रारंभ में बताया गया था। परिणामस्वरूप दो क्षे.फो.वि.प्र. तथा चार जि.ग.फो.ई. को ही दिसम्बर 2014 तक स्थापित किया गया था। बाद में फो.वि.से.नि. ने मंत्रालय से दो बार (फरवरी 2013 तथा अप्रैल 2013) आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा; मंत्रालय का निर्णय प्रतीक्षित था।

14 राज्यों/के.शा.प्र. को जारी ₹18.88 करोड़⁴ से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अभाव में इन मामलों में की गई प्रगति भी अनिश्चित रह गई। स्थिति को **अनुबंध-XVI** में इंगित किया गया है।

फो.वि.से.नि. ने कहा (फरवरी 2015) कि पर्याप्त बजटीय प्रावधानों की गैर-उपलब्धता के कारण, यह योजना को जारी रखने की स्थिति में नहीं था।

इस प्रकार यह स्पष्ट था कि योजना को निधि आवश्यकता तथा प्रकारता के उचित निर्धारण के बिना देर से शुरू किया गया। इसके कारण धीमी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति हुई तथा बहुत से राज्य स.जा. पर हस्ताक्षर करके इसके लिए वचनबद्ध थे, इसके बावजूद उद्देश्यों को पूरा किए बिना योजना को समय से पूर्व बन्द करना पड़ा।

² सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी तथा अं. एवं नि. द्वीपसमूह

³ मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, हरियाणा तथा जम्मू व कश्मीर

⁴ सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, गोवा, पुदुचेरी तथा अं. एवं नि. द्वीपसमूह जहां प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं/उ.प्र. प्राप्त किए गए थे, को ₹17.11 करोड़ की जारी की गई निधियों को छोड़कर।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

8.2 आयुध फैक्टरियों द्वारा हथियार एवं गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण अग्रिम के रूप में दिए ₹15.58 करोड़ का अवरोधन

आई.टी.बी.पी. के सपोर्ट बटालियन ने हथियार तथा गोला बारूद की खरीद के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र के अभाव में विभिन्न आयुध फैक्टरियों को ₹15.58 करोड़ की अग्रिम निधियों का भुगतान किया जो तत्काल आवश्यक हथियार तथा गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण अवरूद्ध रह गई।

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 161 अनुबंध करता है कि मंत्रालय/विभाग द्वारा खरीद के प्रत्येक चरण के लिए उचित समय निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे खरीद में विलम्ब को कम किया जा सके। गृह मंत्रालय, भारत सरकार में आयुध तथा गोला बारूद की आपूर्ति के लिए संस्वीकृत आदेश जारी करने तथा आयुध फैक्टरियों को संस्वीकृत राशियों के प्रति अग्रिम भुगतान करने के समय, पर समय रूपरेखा बनाना व्यवहार में नहीं था। तथापि, आयुध फैक्टरियों के प्रोफॉर्मा बीजक के अनुसार आपूर्तियां, अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक और नौ माह के बीच की अवधि के भीतर की जानी थीं।

सपोर्ट बटालियन, भारत-तिब्बतन सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), केरल, शिवपुरी, म.प्र. के कार्यालय के अभिलेखों (अगस्त 2009 तथा मई 2013) की संवीक्षा से पता चला कि 2007-08 से 2012-13 के दौरान विभिन्न आयुध फैक्टरियों की हथियार तथा गोला बारूद की तत्काल आवश्यकता की आपूर्ति के लिए ₹15.58 करोड़ अर्थात् कुल लागत के 60 प्रतिशत का भुगतान अग्रिमों के रूप में किया गया (अनुबंध-XVII)। तथापि आदेशित हथियार एवं गोला बारूद की आपूर्ति विभिन्न आयुध फैक्टरियों द्वारा नहीं की गई (नवम्बर 2014) थी। लेखापरीक्षा द्वारा (08/2009, 05/2013 तथा 01/2014) इंगित किए जाने पर आई.टी.बी.पी. की सपोर्ट बटालियन ने कहा कि शीघ्र आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए

मासिक पत्राचार, टेलीफोनिक संदेश तथा फैक्स संदेश किए गए थे और यहां तक कि विशेष संदेशवाहक को भी नियुक्त किया गया था। यह भी कहा गया कि मांगे गए हथियार एवं गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण सेनाबलों के निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा था। मंत्रालय ने भी हथियार एवं गोला बारूद की लम्बिता को स्वीकार किया (जून 2014) और कहा कि आयुध फैक्टरी बोर्ड (आ.फै.बो.), परिस्थितियां नियंत्रण में न होने के कारण मर्दों की आपूर्तियां नहीं कर सका। मंत्रालय ने आगे कहा कि आ.फै.बो. ने 2014-15 के दौरान इन लम्बित मर्दों की आपूर्ति के लिए प्रबंध किए हैं।

तथ्य यह है कि आई.टी.बी.पी. में खरीद के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र के अभाव में सपोर्ट बटालियन द्वारा विभिन्न आयुध फैक्ट्रियों को अग्रिम के रूप में ₹15.58 करोड़ की धनराशि का भुगतान हथियार एवं गोला बारूद की गैर-आपूर्ति के कारण एक से छः वर्षों के बीच की अवधि के लिए अवरूद्ध रहा।

लेखापरीक्षा का विचार है कि मंत्रालय को आयुध फैक्ट्रियों को किए अग्रिम भुगतान के मामले को देखना चाहिए तथा आयुध फैक्ट्रियों को और अधिक उत्तरदायी बनाकर तथा आई.टी.बी.पी. को हथियार एवं गोला बारूद की तत्काल आवश्यक आपूर्ति को सुनिश्चित करके प्रणाली में अकुशलता को दूर करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

8.3 ₹ 2.15 करोड़ का अनाधिकृत व्यय

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने ₹ 2.15 करोड़ का व्यय उन गतिविधियों पर किया, जो चार क्षेत्रीय केन्द्रों के निर्माण हेतु मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अंतर्गत आच्छादित नहीं थी।

गृह मंत्रालय (मंत्रालय) ने चार महानगरीय शहरों⁵ में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (रा.सु.गा.) के क्षेत्रीय केन्द्रों के उत्थान हेतु आवश्यक प्री-फैब तथा स्थायी ढांचों के निर्माण के लिए ₹ 186.36 करोड़ संस्वीकृत किया (जून 2009)। मंत्रालय ने आगे निर्देश दिया कि कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। मंत्रालय के निर्देशों पर रा.सु.गा. ने कार्य के निष्पादन हेतु जून 2009 में रा.भ.नि.नि. के साथ एक स.जा. पर हस्ताक्षर किए। क्षेत्रीय केन्द्रों का निर्माण सितम्बर 2009 में शुरू हुआ तथा समापन जुलाई 2012 (चेन्नई), अक्टूबर 2011 (कोलकाता), जनवरी 2012 (हैदराबाद) तथा अक्टूबर 2012 (मुम्बई) में हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि संस्वीकृति ढांचों जैसे आवास, बैरक, मैस, कार्यालय तथा भंडारों इत्यादि के निर्माण हेतु दी गई थी, रा.सु.गा. ने गैर-अनुमोदित घटकों जैसे फर्नीचर की खरीद, विद्युत बिलों का भुगतान, भवनों के अनुरक्षण पर भी व्यय किया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि रा.सु.गा. द्वारा इन घटकों के भुगतान के लिए स.जा. भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रा.सु.गा. ने **अनुबंध-XVIII** में दिखाई गई वे मदें जो मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृतियों के अंतर्गत कवर नहीं थी, पर ₹1.81 करोड़ (एजेन्सी प्रभार के 7 प्रतिशत सहित) का अनाधिकृत व्यय किया। यह भी देखा गया कि रा.सु.गा. ने रा.भ.नि.नि. को कोलकाता (मार्च 2013 तक) तथा हैदराबाद (2012-13) में केन्द्र के निर्माण के बाद के अनुरक्षण कार्यों के लिए क्रमशः ₹ 26.83 लाख तथा ₹ 7.58 लाख का भुगतान किया। यह व्यय मंत्रालय के आवश्यक अनुमोदन के बिना, केन्द्रों के निर्माण हेतु निर्दिष्ट निधियों में से किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने रा.सु.गा. के जवाब को पृष्ठांकित किया (दिसम्बर 2014) जिसमें कहा गया कि सभी चार महानगरीय शहरों में क्षेत्रीय केन्द्रों के अनुरक्षण पर किया व्यय रा.सु.गा. की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया गया था। जैसा कि रा.सु.गा. के पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं

⁵ चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद तथा मुम्बई

था तथा आवश्यक सेवाओं पर अनुरक्षण अपरिहार्य आवश्यकता थी इसलिए व्यय को परियोजना लागत में प्रभारित किया गया था। मंत्रालय ने रा.सु.गा. से कार्योत्तर मंजूरी के लिए अनुरोध की प्राप्ति पर, क्षेत्रीय केन्द्रों के उत्थान हेतु संस्वीकृत राशि में से फर्नीचर की खरीद, विद्युत बिलों के भुगतान तथा अन्य विविध/अनुरक्षण कार्यों पर किए ₹2.15 करोड़ के व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृत भेजी (दिसम्बर 2014)।

उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमाणित करता है कि रा.सु.गा. द्वारा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना, निर्माण से असंबंधित गतिविधियों पर व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.15 करोड़ का अनाधिकृत व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रसंग में कार्योत्तर मंजूरी, वास्तव में पहले उल्लंघन करने तथा बाद में उस पर परिशोधन प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। आवश्यक व्ययों की पूर्वानुमान करना तथा इसके लिए प्रावधान करना कार्योत्तर ऐसी स्वीकृति को अनावश्यक बनाएगा।

सीमा सुरक्षा बल

8.4 त्रुटिपूर्ण क्रय योजना के कारण उपकरणों की व्यर्थता

सीमा सुरक्षा बल के एयर विंग ने दो ग्रांडडेड हेलीकॉप्टरों में उपयोग के लिए 'सहायक पॉवर इकाईयों' का क्रय किया। इन उपकरणों को निर्माताओं द्वारा हेलीकॉप्टरों के आयु विस्तार से पहले क्रय किया गया। अतः सी.सु.ब. क्रय प्रक्रिया के निर्णय से पहले हेलीकॉप्टरों की उपयोग्यता निश्चित करने में विफल रहा जिसके कारण ₹1.41 करोड़ के उपकरण लगभग 20 महीने के लिए व्यर्थ पड़े रहे।

भारतीय वायु सेना (भा.वा.से.) के एयर मुख्यालय द्वारा जारी एम.आई.-17 हेलीकॉप्टरों की उन्नयन नीति की शर्तों में हेलीकॉप्टरों तथा उपकरणों की निवृत्ति आयु में कोई विस्तार अनुमत नहीं है। यदि आवश्यक हो तो हेलीकॉप्टरों तथा उपकरणों की निवृत्ति आयु में संशोधन हेतु मामले को

निर्माता के समक्ष उठाया जाता है। हेलीकॉप्टरों के लिए आयु विस्तार, सामान्यता मूल उपकरण निर्माता (मू.उ.नि.) द्वारा मशीनों की तकनीकी वैधता को निश्चित करने तथा यह सुनिश्चित करने के बाद दिया जाता है कि हेलीकॉप्टरों में लगे उपकरण की पर्याप्त शेष आयु है अथवा नए उपकरण लगाए जाने हैं।

सीमा सुरक्षा बल (सी.सु.ब.) के एयर विंग ने एयरफ्रेम तथा मुख्य समूहों का नियत समय/कैलेंडर आयु की समाप्ति के कारण ए.ओ.जी. स्तरों⁶ पर इसके एम.आई.-17 हेलीकॉप्टरों (पंजीकरण सं. जेड-4102 और जेड-4104) की उपयोग्यता को पुनः प्रतिष्ठापन करने का निर्णय लिया (मार्च 2012)। सी.सु.ब. के महानिरीक्षक (वा.) ने दो सहायक पॉवर इकाईयों (स.पा.इ.) सहित 10 अतिरिक्त उपस्करों की खरीद हेतु प्रशासनिक अनुमति प्रदान की (मार्च 2012)। सी.सु.ब. ने दो स.पा.इ. की खरीद मैसर्स मोटर सिच, जे.एस.सी., यूक्रेन⁷ से मू.उ.नि. होने के कारण क्रय हेतु ₹1.41 करोड़ की संस्वीकृति दी (अक्टूबर 2012)। सी.सु.ब. ने मू.उ.नि. के साथ एक समझौता किया (नवम्बर 2012) तथा ₹1.34 करोड़ की राशि (समझौते की राशि का 95 प्रतिशत) जारी की (फरवरी 2013)। स.पा.इ. की आपूर्ति मई 2013 में की गई थी।

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि सी.सु.ब. ने अतिरिक्त उपस्करों का क्रय शुरू करने से पहले इन दो हेलीकॉप्टरों के आयु विस्तार के लिए भा.वा.से. अथवा मू.उ.नि. के साथ बातचीत नहीं की, जो उन्नयन नीति के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार सी.सु.ब. ने भविष्य के प्रचालनों के लिए मशीनों की तकनीकी वैधता तथा धारणीयता को पहले निश्चित किए बिना स.पा.इ. के लिए क्रय प्रक्रिया का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹1.41 करोड़ की कीमत पर प्राप्त स.पा.इ.

⁶ एयरक्राफ्ट ओपरेशनली ग्राऊंडड

⁷ ए.पी.यू. यूक्रेन राज्य द्वारा निर्मित किया जाता है जो यू.एस.एस.आर. का एक भाग था। अन्य उपस्करों का क्रय (रूस के अन्य अभिन्न भाग द्वारा निर्मित) नहीं किया चूंकि हेलीकॉप्टर (जेड-4102 तथा जेड-4104) का आयु विस्तार नहीं किया गया था।

पूरे 20 महीनों के लिए व्यर्थ पड़े रहे जबकि हेलीकॉप्टरों को नवम्बर 2014 तक ए.ओ.जी. स्तरों पर जारी रखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर सी.सु.ब. ने अपने उत्तर (सितम्बर 2014 तथा नवम्बर 2014) में कहा कि हेलीकॉप्टरों (जेड-4102 तथा जेड-4104) का आयु विस्तार भा.वा.से के जरिए नहीं किया जा सका। आगे यह कहा गया कि स.पा.ई. के ठेके को नवम्बर 2012 के माह में अंतिम रूप दिया गया तथा जनवरी 2013 के माह में जेड-4102 और जेड-4104 की बजाए जेड-4101 तथा जेड-4105 को आयु विस्तार देने का निर्णय लिया था। दो हेलीकॉप्टरों जेड-4102 तथा जेड-4104 के लिए स.पा.ई. की आरंभिक मांग को आगे किसी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए जेड-4101 तथा जेड-4105 के लिए अनुरक्षित रखा गया था। प्राप्त की गई स.पा.ई. को अन्य दो हेलीकॉप्टरों (जेड-4101 तथा जेड-4105) में प्रयुक्त किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय वायु सेना से ऋणी स.पा.ई. के साथ उड़ रहे थे।

यह भी कहा गया कि चूंकि कोई एम.आई.-17 हेलीकॉप्टर 4 फरवरी 2015 के बाद से उड़ान नहीं करेगा, जब तक कि उसकी मरम्मत पूरी नहीं हो जाती, ये स.पा.ई., ऋण स.पा.ई. के बदले में भा.वा.से. को दी जा सकेगी। यह प्रबंध न केवल स.पा.ई. के उपयोगी जीवन की उपयोगिता को सुनिश्चित करेगा बल्कि परिणाम में कोषागार में बचत होगी।

उत्तर निम्नलिखित संदर्भों पर मान्य नहीं है:

- इन हेलीकॉप्टरों (जेड-4102 व जेड-4104) की भविष्य की उपयोग्यता का स्तर पूरी क्रय प्रक्रिया में आयु विस्तार के मामलों के कारण बहुत अधिक अनिश्चित रहा; तब भी सी.सु.ब. आगे बढ़ा तथा क्रय किए।
- यह विचार कि अब किए गए क्रयों को अन्य दो हेलीकॉप्टरों (जेड-4101 व जेड-4105) के लिए उपयोग में लाया जाएगा जो भा.वा.से. से स.पा.ई. ऋण

पर लेकर प्रचालित किए जा रहे थे, अच्छी सोच की योजना की अपेक्षा पहले से किया हुआ काम दिखाई देता था। इसके अतिरिक्त जब तक इन दो हेलीकॉप्टरों के मरम्मत कार्य होंगे तब तक इनकी आयु फरवरी 2015 में समाप्त हो जानी थी।

- क्रय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय, जबकि प्रारंभिक योजना के अंतर्गत जनवरी 2013 में जेड-4102 तथा जेड-4104 की बजाय जेड-4101 तथा जेड-4105 के आयु विस्तार का निर्णय लिया जा चुका था, अविवेकपूर्ण था जैसाकि सी.सु.ब. उस स्थिति में भी क्रय औपचारिकताओं को रद्द करने की सुधारक कार्रवाई कर सकता था। यह संकेत करता है कि सी.सु.ब. मामले को पूरी कर्मठता से करने में विफल रहा।
- सी.सु.ब. ने स.पा.ई. तथा अन्य अतिरिक्त उपस्करों के लिए क्रय गतिविधियों को एक साथ नहीं किया। तथ्य से यह स्पष्ट है कि जबकि नयी स.पा.ई. मई 2013 में क्रय की गई थीं, अन्य मर्दों को क्रय करने की प्रक्रिया को जुलाई 2013 में आरंभ किया गया तथा इस संबंध में निविदाओं को अंत में दिसम्बर 2013 में खोला गया। फिर भी मामला आगे नहीं ले जाया गया।
- जबकि सी.सु.ब. ने अप्रैल 2013 में अपने दो हेलीकॉप्टरों के लिए भा.वा.से. से स.पा.ई. को ऋण पर लिया, दो स.पा.ई. जो मई 2013 में भेजी गई थीं, निरन्तर व्यर्थ रहीं। यह तथ्य कि ये गतिविधियां एक साथ की जा रहीं थीं, त्रुटिपूर्ण क्रय प्रक्रिया का संकेतक था।
- सी.सु.ब. का यह विचार कि नयी स.पा.ई. को भा.वा.से. को उपयोग की गई स.पा.ई. के बदले दिया जा सकता है, एक अनुचित निर्णय का खराब युक्तीकरण है जिसके कारण अंत में मंहगे उपकरण बेकार हो गए।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

8.5 अतिरिक्त व्यय

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समय पर मानक फिटिंग के साथ 120 एम्बुलेंसों की प्राप्ति के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा जिसके कारण क्रय लागतों में वृद्धि तथा फलस्वरूप ₹83.79 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (के.रि.पु.ब.) ने गृह मंत्रालय (मंत्रालय) को 133 चार-स्ट्रेचर एम्बुलेंसों, वातानुकूलन तथा मानक उपकरणों की फिटिंग सहित, की खरीद के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2010)। यह सुझाव दिया कि वाहनों की खरीद मूल उपकरण निर्माता (मू.उ.नि.) होने के कारण मैसर्स टाटा मोटर्स लि. (टा.मो.लि.) से की जानी है। उपकरण सहित एम्बुलेंसों की कुल लागत ₹13.43 करोड़ अनुमानित की गई। मंत्रालय ने प्रस्ताव में (मई 2011) 120 चार-स्ट्रेचर एम्बुलेंसों की खरीद (₹10.82 करोड़) तथा मानक उपकरण के साथ वा.अनु. की फिटिंग (₹3.56 करोड़) के लिए ₹14.38 करोड़ (करों सहित) की संस्वीकृति की सहमति देते हुए निर्धारित किया कि एम्बुलेंसों की खरीद डी जी एस एंड डी की ठेका दर के जरिए तथा उपकरण के खरीद वाहन के मू.उ.नि. के जरिए की जानी चाहिए।

तदनुसार, के.रि.पु.ब. ने टा.मो.लि. के साथ प्रस्ताव किया जिस पर वह मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत दरों पर वाहन तथा फिटिंग उपलब्ध कराने को सहमत हो गया (अगस्त 2011), यह सितम्बर 2012 तक वैध एक समय विशेष प्रस्ताव था जिसे बाद में बढ़ा कर सितम्बर 2013 तक कर दिया गया।

के.रि.पु.ब. ने एम्बुलेंसों तथा अन्य उपकरणों सहित वा.अनु. उपकरणों के लिए आपूर्ति आदेश क्रमशः फरवरी 2012 तथा मार्च 2012 में किए। आपूर्ति आदेश के अनुसार एम्बुलेंसों को 2 जुलाई 2012 तक या उससे पहले भेजा जाना था। फिर भी, के.रि.पु.ब. ने उपकरण सहित वा.अनु. फिटिंग के आपूर्ति आदेश को

इस आधार पर रद्द करने का निर्णय लिया (मार्च 2012) कि इसे एकल निविदा औपचारिकताओं को पूरा किए बिना जारी किया गया था।

के.रि.पु.ब. ने पुनः अप्रैल 2012 में उसी फर्म को 120 एम्बुलेंसों पर वा.अनु. तथा उपकरण की फिटिंग के लिए एकल निविदा जांच जारी की। फिर भी फर्म ने उसी समय, फिटिंग करने के लिए दरों को ₹45000 प्रति वाहन (सितम्बर 2012) बढ़ा दिया था। इसके अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा वैट भी इस अवधि के दौरान बढ़ गए थे। लागतों में वृद्धि के ब्यौरे **अनुबंध-XIX** में दिए गए हैं।

के.रि.पु.ब. ने नवम्बर 2012 में टा.मो.लि. से ₹4.54 करोड़ (वैट सहित) की संशोधित लागत पर वा.अनु. की फिटिंग तथा अन्य मानक उपकरण की खरीद हेतु अनुमोदन सह व्यय संस्वीकृति के लिए संशोधित प्रस्ताव किया। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार करने में एक वर्ष लिया तथा अंत में ₹15.66 करोड़ (वाहनों के लिए ₹11.12 करोड़ तथा उपकरणों के लिए ₹4.54 करोड़) की संशोधित संस्वीकृति जारी की (नवम्बर 2013)। वाहनों के पूरे बेड़े का प्रेषण नवम्बर 2014 तक पूरा किया गया। ₹14.13 करोड़ का भुगतान (112 एम्बुलेंसों के लिए ₹10.61 करोड़ तथा 103 एम्बुलेंसों के मानक उपकरण के साथ वा.अनु. फिटिंग के लिए ₹3.52 करोड़) जनवरी 2015 को किया गया था। बाकी शेष वाहनों के संबंध में बिलों के भुगतान प्रक्रियागत थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय के वर्गीकृत अनुमोदन के बावजूद के.रि.पु.ब. ने प्रारंभिक आपूर्ति आदेश को रद्द कर दिया तथा इस अनुरोध पर परिहार्य अवधारणा बना ली कि आपूर्ति आदेश निविदा प्रक्रिया किए बिना जारी किया गया था, इसलिए क्रय प्रक्रिया में देरी हुई।

के.रि.पु.ब. ने कहा (दिसम्बर 2014) कि चूंकि नियमों में आपूर्ति आदेश निविदा प्रक्रिया आरंभ किए बिना सीधे तौर से फर्म को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं थी, इसने वर्तमान नियमों के अनुरूप सही कदम उठाया था।

हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि यदि एकल निविदा जांच की जानी थी, के.रि.पु.ब. को फर्म द्वारा दिए जा रहे एक समय विशेष प्रस्ताव (30 सितम्बर 2012 तक वैध) के साथ मैसर्स टा.मो.लि. से सहमत होकर तथा मिलकर करना चाहिए था।

इस प्रकार, क्रय के अकुशल प्रबंधन तथा बताए गए नियमों के असंगत प्रयोग के परिणामस्वरूप दोहरी निविदा तथा परिहार्य विलंब हुआ जिसके कारण बाद में वा.अनु. उपकरण प्रभारों की लागत वृद्धि और उत्पाद शुल्क, वैट इत्यादि में वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने ₹83.79 लाख के परिहार्य अतिरिक्त व्यय को परिकल्पित किया।

अध्याय IX : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, मेघालय

9.1 परिहार्य अतिरिक्त देयता

संस्था ने परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए ठेके के अकुशल संचालन के कारण ₹12.67 करोड की परिहार्य अतिरिक्त देयता अर्जित की।

राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान मेघालय (रा.त.सं.) ने सोहरा (फेस-1) में रा.त.सं. के स्थायी कैंपस के विकास हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श (परि.प्र.प.) सेवा को सौंपने हेतु निविदा जारी की (मार्च 2013)। कैंपस के विकास की अनुमानित लागत ₹438.52 करोड थी तथा परि.प्र.प. निविदाकारों ने अनुमानित लागत की प्रतिशतता के अनुसार अपनी वित्तीय निविदाओं को प्रस्तुत करना था। प्रत्युत्तर में नौ फर्मों ने अपनी निविदाएं प्रस्तुत की। परामर्श मूल्यांकन समिति (प.मू.स.) को परि.प्र.प. के चयन के लिए बनाया गया था जिसने निविदा दस्तावेज (अप्रैल 2013) में सूचीबद्ध कसौटी पर आधारित तकनीकी योग्यता हेतु 50 का कटऑफ स्कोर निश्चित किया। निम्नलिखित तीन निविदाकर्ता योग्य थे:

क्र.सं.	निविदाकर्ता का नाम	तकनीकी स्कोर
1.	मैसर्स राइट्स लिमि. गुडगाँव	84
2.	मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि. कोलकाता	69
3.	मैसर्स आर्कटेक कंसलटेंट प्राइवेट लिमि.(आ.कं.प्रा.लि.)	63

प.मू.स. ने वित्तीय निविदाओं के खुलने तथा तकनीकी योग्य निविदा कर्ताओं के साथ चर्चा के बाद चयन को भी अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। प.मू.स. ने 6 मई 2013 को हुई अपनी दूसरी बैठक में तकनीकी स्कोर का महत्व 70 प्रतिशत तथा वित्तीय स्कोर 30 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय किया।

समिति ने मैसर्स आ.कं.प्रा. लि. के साथ चर्चा के दौरान पाया कि निविदाकर्ता द्वारा किसी सहयोगी संस्था के बगैर स्वतंत्र रूप से परि.प्र.प. कार्य किया जाना स्पष्ट नहीं किया था। अतः प.मू.स. ने सोचा कि निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए सभी दस्तावेजों को सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। तथापि उसी बैठक में चयनित निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाएं खोली गईं मैसर्स आ.क.प्रा.लि. का एल-1 निविदाकार के रूप में 74.1 के स्कोर के साथ तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन स्कोरों के आधार पर अंतिम स्कोर निम्न प्रकार थे:

क्र.सं.	निविदाकर्ताओं के नाम	तकनीकी निविदा स्कोर (टी)	वित्तीय निविदा दर (कार्यो की लागत के % में)	वित्तीय निविदा स्कोर (एफ)	अंतिम स्कोर एस = 0.7 टी + 0.3 एफ
1.	मैसर्स राइटस लिमि. गुड़गाँव	84	6.40	23.44	65.83
2.	मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि., कोलकाता	69	1.91	78.53	71.86
3.	मैसर्स आर्कटेक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमि.(आ.कं.प्रा.लि.)	63	1.50	100	74.10

तथापि, भवन एवं निर्माण समिति (भ. एवं नि.स.) ने 18 मई 2013 की अपनी आपात बैठक में पाया कि 'बड़े भवन हेतु परि.प्र.प. सेवा' का निष्पादन के संबंध में मैसर्स आ.कं.प्रा.लि., द्वारा प्रस्तुत चार प्रमाण पत्रों में परि.प्र.प. सेवाओं का कोई उल्लेख न होकर केवल निर्माण कार्य ही दिखाया गया था। परन्तु केवल 'निर्माण कार्य' के रूप में दिखाई गई थीं। आगे यह भी देखा गया कि असम विश्वविद्यालय कार्य के अनुभव के संबंध में फर्म द्वारा, परियोजना प्रबंधन परामर्श किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था। निविदाकार द्वारा किसी शैक्षणिक परिसर की वास्तविक परि.प्र.प. सेवा को अपर्याप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए समिति ने फर्म का तकनीकी स्कोर 63 से 49 तक कम कर दिया और इसे

तकनीकी रूप से अयोग्य कर दिया। फलस्वरूप भ. एवं नि.स. ने निर्णय लिया कि शेष बची दो फर्मों अपने पुनः निकाले गए निम्नानुसार अंतिम स्कोर के आधार पर कार्य के लिये योग्य हैं:

क्र. सं.	निविदाकर्ताओं के नाम	वित्तीय निविदा दर	तकनीकी निविदा स्कोर (टी)	वित्तीय निविदा स्कोर (एफ)	अंतिम स्कोर एस=0.7टी +0.3एफ
1.	मैसर्स राइट्स लिमि., गुडगाँव	6.40	84	29.84	67.75
2.	मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि., कोलकाता	1.91	69	100.00	78.30

भ.एवं नि.स. ने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि., कोलकाता को परि.प्र.प. सेवा ठेके को 78.3 के उच्चतर स्कोर के आधार पर सौंपने, की सिफारिश की। तथापि शासकीय बोर्ड (शा.बो.) ने पाया (जून 2013) कि एल-1 निविदाकर्ता मूल्यनिविदा के खुलने के पश्चात तकनीकी रूप से योग्य नहीं पाया गया। अतः इसने भ. एवं नि.स. को अपनी सिफारिश पर एक बार पुनः विचार करने के लिए कहा। भ. एवं नि.स. ने निविदा रद्द करने (18 जुलाई 2013) तथा नयी निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, 30 जुलाई 2013 को नयी निविदाएं आमंत्रित की गईं जिसमें केवल चार फर्मों¹ ने भाग लिया जिनमें से दो फर्मों² को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया। चयन समिति ने ठेके को मै. राइट्स लिमिटेड को परियोजना लागत की 4.8 प्रतिशत की (₹438.52 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत पर ₹21.05 करोड़) उनकी उद्धृत दर पर ठेका सौंपने की सिफारिश की। शा.बो. ने ठेका मैसर्स राइट्स लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया, (23 नवंबर 2013)।

¹ मै. राइट्स लिमि., एम.एम.एस. एडवायसरी, प्राइवेट लिमि., एन.पी.सी.सी. लिमि. तथा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड ।

² मै. राइट्स लिमि. तथा एन पी सी सी लिमि.

लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थीं:

- (अ) भ. एवं नि.स. द्वारा वित्तीय निविदाओं को खोलने के पश्चात मै. आ.कं.प्रा.लि. को तकनीकी अयोग्य ठहरानी सा.वि.नि. 175 के उल्लंघन में था जो बताता है कि केवल तकनीकी योग्य निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदाओं को ही खोला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प.मू.स. ने निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी तकनीकी प्रलेखों के सत्यापन के बिना वित्तीय निविदाएं खोल कर गलती की। के.स.आ. के दिशानिर्देशों में भी योग्य फर्मों को वित्तीय निविदाओं के खुलने से पहले शार्टलिस्ट करना आवश्यक है।
- (ब) निविदा प्रलेख में तकनीकी योग्यता के लिए 50 का कट-आफ स्कोर, वित्तीय स्कोर के लिए 30 प्रतिशत तथा तकनीकी स्कोर के लिए 70 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित नहीं थी। प.मू.स. द्वारा, तकनीकी निविदाएँ खोलने के समय स्कोर नियत किए गए थे जो उचित नहीं था।
- (स) तकनीकी स्कोर को 14 प्वाइंट्स कम करना गलत था जैसा कि निविदा प्रलेखों तथा तकनीकी मूल्यांकन परिणामों ने दर्शाया कि मै. आ.कं.प्रा.लि., असम विश्वविद्यालय/त्रिपुरा विश्वविद्यालय के लिए कार्यान्वित किए गए परि.प्र.प. कार्य हेतु तीन प्वाइंट्स का अधिकारी था जिसे भ. एवं नि.स. द्वारा मना कर दिया गया। तीन प्वाइंट्स को जोड़कर मै. आ.कं.प्रा.लि. का तकनीकी स्कोर 52(49+3) हो जाता और इस प्रकार वह वित्तीय मूल्यांकन³ के योग्य हो जाता। फलस्वरूप ठेके को सौंपने के लिए मै.

³ इस स्थिति में अंतिम मूल्यांकन इस प्रकार होता।

क्र. सं.	निविदाकर्ता का नाम	तकनीकी निविदा स्कोर (टी)	वित्तीय निविदा स्कोर (एफ)	अंतिम स्कोर एस=0.7 टी +0.3 एफ
1	मैसर्स राइट्स लिमि. गुड़गाँव	84	23.44	65.83
2	मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि. कोलकाता	69	78.53	71.86
3	मैसर्स आर्कटेक कंसलटेंट प्राइवेट लिमि. (आ.कं.प्रा.लि.)	52	100	66.40

टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि. कोलकाता सबसे कम निविदाकर्ता बन जाता और निरस्तीकरण तथा पुनः निविदा से बचा जा सकता था।

इस प्रकार निविदा प्रक्रिया तथा निविदाओं के मूल्यांकन के अकुशल संचालन के परिणामस्वरूप परि.प्र.प. के ठेके को मैसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमि., कोलकाता द्वारा पहले राऊंड में उद्धत 1.91 प्रतिशत की दर के प्रति 4.80 प्रतिशत की उच्चतर दर पर सौंपे जाने से संस्थान को ₹12.67 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय व्यय वहन करना पड़ा। चूंकि यह केवल अनुमानित व्यय पर आधारित था, यह अतिरिक्त व्यय परियोजना लागत में वृद्धि के साथ बढ़ भी सकता है।

रा.त.सं. ने बताया (मई 2014) कि मै. आ.कं.प्रा.लि., जो आरंभिक निविदा का सबसे कम बोलीकर्ता था, को तकनीकी रूप से अयोग्य करार दिया गया क्योंकि वे प्रमाणित नहीं कर सके कि वे तकनीकी मापदण्ड को पूरा करते थे क्योंकि फर्म द्वारा प्रस्तुत बहुत से प्रमाणपत्रों में परि.प्र.प. सेवाओं का उल्लेख नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा परिकल्पित 52 के तकनीकी स्कोर से फर्म सबसे कम निविदाकर्ता नहीं बनती है।

उत्तर वित्तीय निविदा को पर्याप्त तकनीकी मूल्यांकन के बिना खोलने तथा वित्तीय निविदाओं के खुलने के पश्चात स्कोर कम करने से संबंधित मामलों का जवाब नहीं देता है। तथ्य यही है कि रा.त.सं. का ₹12.67 करोड़ की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ी जो परिहार्य थी।

मामला जून 2014 में मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2015) ।

9.2 ₹63.75 लाख के सेवा कर का अनियमित भुगतान

भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान का संस्थान, मोहाली तथा पी ई सी तकनीकी विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने बाह्यस्रोत सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया जबकि इन सेवाओं को ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थी।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने शैक्षिक संस्थानों को अथवा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई कुछ सेवाओं को 1 जुलाई 2012 से (अधिसूचना सं.25/2012-सेवा कर दिनांक 20.06.2012) सेवाकर से छूट दी। अधिसूचना में स्पष्ट था कि छूट प्राप्त सेवाओं में ऐसी सेवाएं शामिल थीं जिन्हें शैक्षिक संस्थान द्वारा साधारण रूप से स्वयं किया जाता है परन्तु उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से बाह्यस्रोत सेवाओं के रूप में प्राप्त किया जा रहा हो। वित्त मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि नकारात्मक सूची में प्रविष्टि होने के कारण यह स्पष्ट था कि शिक्षा से संबंधित सभी सेवाओं को सेवाकर से छूट प्राप्त है (परिपत्र सं. 172/7/2013-एसटी दिनांक 19.9.2013)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (भा.वि.शि.अ.सं.), मोहाली, पंजाब ने सुरक्षा, बागवानी तथा हाऊसकीपिंग की सेवाओं को 01.04.2011 से एक एजेन्सी⁴ से बाह्यस्रोत द्वारा लिया है तथा इस अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए 01.07.2012 से 31.03.2014 के दौरान ₹48,39,831 के सेवा कर का भुगतान किया।

इसी प्रकार पी.ई.सी. तकनीकी विश्वविद्यालय (पी.ई.सी.), चंडीगढ़, ने भी मई 2011 में उसी एजेन्सी से बाह्यस्रोत द्वारा सुरक्षा सेवाएं ली थीं तथा 01.07.2012 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान ₹15,34,746 की राशि के सेवाकर का भुगतान किया। चूंकि दोनों संस्थान शैक्षिक संस्थाएं हैं, ठेकेदार द्वारा प्रदत्त सेवाओं को सेवाकर के भुगतान से छूट प्राप्त थी। इस प्रकार इन संस्थानों द्वारा देय ₹ 63.75 लाख का सेवाकर अनियमित था।

⁴ मै. टेरियर यूटीलिटी सर्विसिस प्रा. लिमि. चंडीगढ़,

भा.वि.शि.अ.सं. ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि संस्थान को भारत सरकार की छूट अधिसूचना की जानकारी नहीं थी जब तक कि उसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नहीं किया गया तथा छूट अधिसूचना के बारे में पता चलने के तुरंत बाद सेवाकर का भुगतान रोक दिया गया है। वि.शि.अ.भा.स. के रजिस्ट्रार ने आगे सूचित किया (नवम्बर 2014) कि सेवाकर प्राधिकारियों को ₹ 48,39,831 की राशि की वापसी के लिए अनुरोध किया गया है।

पी.ई.सी. ने सूचित किया (जुलाई 2014) कि संस्थान के कानूनी परिचर से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात जनवरी 2014 से प्रदत्त सेवाओं के लिए ठेकेदार को सेवाकर का भुगतान रोक दिया गया था।

संस्थान के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम की अज्ञानता अनियमित भुगतानों के लिए बहाना नहीं है। इसके अतिरिक्त भा.वि.शि.अ.सं. का कथन कि सेवाकर प्राधिकारियों को वापसी की राशि के लिए अनुरोध किया गया है, उचित नहीं था क्योंकि संस्थान, सेवाकर विभाग से वापसी का हकदार नहीं है। वह ठेकेदार जिसने सेवाकर जमा किया है, वापसी का हकदार है।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (मार्च 2015), उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

दिल्ली विश्वविद्यालय

सत्यवती कॉलेज

9.3 सा.भ.नि./अं.भ.नि. अभिदाताओं को ब्याज का अधिक भुगतान

दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज ने अपने सा.भ.नि./अं.भ.नि. अभिदाताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर की अपेक्षा ब्याज की उच्च दर का भुगतान किया (2008-09 से 2010-11) जिसके परिणामस्वरूप ₹83.30 लाख के ब्याज का अधिक भुगतान किया गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों को अनुदेश जारी किए (अगस्त 2002) कि कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.)

/अंशदायी भविष्य निधि (अं.भ.नि.) अंशदानों पर अनुमत ब्याज केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से परामर्श के पश्चात अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी स्वायत्त संगठनों को अनुदेश दिया (फरवरी 2004) कि सा.भ.नि./अं.भ.नि. के ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज से उच्च दर पर नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि संगठन की वित्तीय स्थिति के अनुसार कम दर पर भुगतान किया जा सकता है। इस प्रकार, वि.अ.आ. द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि न्यास कॉलेजों जिनको इसके द्वारा निधि दी जाती है, इन अनुदेशों का पालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सत्यवती कॉलेज, नई दिल्ली सा.भ.नि./अं.भ.नि. अभिदाताओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर की अपेक्षा उच्च दर पर ब्याज का भुगतान कर रहा था। 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान ब्याज की निर्धारित दर तथा कॉलेज द्वारा सा.भ.नि./अं.भ.नि. अभिदाताओं को कॉलेज द्वारा किए गए भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(₹ लाख में)						
क्र. सं.	वर्ष	ब्याज की दर (ब्या.द.) प्रतिशतता में	महाविद्यालय द्वारा अनुमत ब्या.द. प्रतिशतता में	ब्याज की देय राशि	महाविद्यालय द्वारा वास्तव में अदा किए गए ब्याज की राशि	सा.भ.नि. /अं.भ.नि. अंशदाताओं को क्रेडिट किए गए अधिक ब्याज की राशि
1.	2008-09	8.00	10.25	70.27	90.03	19.76
2.	2009-10	8.00	10.90	93.31	127.13	33.82
3.	2010-11	8.00	10.04	116.58	146.30	29.72
योग						83.30

इस प्रकार कॉलेज ने 2008-11 के दौरान सा.भ.नि./अं.भ.नि. अभिदाताओं को कुल ₹ 83.30 लाख के कुल ब्याज का अधिक भुगतान किया।

कॉलेज को इसे इंगित करने पर यह कहा गया (जनवरी 2015) कि 2011-12 से पहले कॉलेज ने अभिदाताओं को अर्जित वास्तविक ब्याज के वितरण पर कभी कोई सलाह अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं की थी। कॉलेज ने आगे कहा कि सा.भ.नि./अं.भ.नि. पर अर्जित ब्याज कर्मचारियों की आय था और इसलिए अभिदाताओं के खाते में उचित रूप से जमा किया गया था और दिल्ली विश्वविद्यालय को किसी हानि का कोई प्रश्न नहीं था।

कॉलेज का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय/दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया था।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (जनवरी 2015) उनका उत्तर मार्च 2015 तक प्रतीक्षित था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

9.4 जल प्रभारों पर छूट की प्राप्ति न होना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सात कार्यात्मक रेन वाटर हारवेसटिंग प्रणालियां रखने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड से जल बिलों पर 10 प्रतिशत की देय छूट प्राप्त करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जनवरी 2010 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान जारी किए जल बिलों पर ₹54.71 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया।

दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) ने दिल्ली में जनवरी 2010 से प्रभावी जल टैरिफ के लिए अपनी अधिसूचना (दिसम्बर 2009) में निर्दिष्ट किया कि सरकारी संस्थान जल बिलों की कुल राशि पर 10 प्रतिशत छूट के पात्र होंगे। यह इस शर्त पर था कि संस्थान जल हारवेसटिंग के उपाय अपनाने के प्रमाणपत्र उपलब्ध करें। इस अधिसूचना की शर्तों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) सरकारी संस्थानों के श्रेणीकरण के अंतर्गत आता है। रा.शै.अ.प्र.प. के पास इसके परिसरों के भीतर विभिन्न स्थानों में तीन जल

कनैक्शन तथा सात कार्यात्मक रेन वाटर हारवेसटिंग प्रणालियां थीं जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) द्वारा प्रमाणित है। इस प्रकार रा.शै.अ.प्र.प. अपने मासिक जल बिलों पर 10 प्रतिशत छूट प्राप्त करने का पात्र था।

लेखापरीक्षा में, तथापि पाया गया (अप्रैल 2013 तथा मार्च 2014) कि रा.शै.अ.प्र.प. ने यह रियायत प्राप्त नहीं की। इस कारण जनवरी 2010 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान अदावित छूट ₹ 54.71 लाख थी (अनुबन्ध-XX)।

रा.शै.अ.प्र.प. ने कहा (मार्च 2014) कि इसने आवश्यक छूट प्राप्त करने के लिए मामले को दि.ज.बो. के साथ उठाया था। इसने तत्पश्चात सूचित किया (जनवरी 2015) कि दि.ज.बो. की एक टीम जनवरी 2014 में रा.शै.अ.प्र.प. में गई और पाया कि इसकी वॉटर हारवेसटिंग प्रणाली ठीक काम कर रही थी। दि.ज.बो. द्वारा उनके जल बिलों पर छूट की अनुमति देने का आश्वासन दिया। रा.शै.अ.प्र.प. ने फरवरी 2015 में स्थिति को पुनः दोहराया।

मामला, मंत्रालय को भेजा गया (जनवरी 2015) उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय तकनीकी संस्थान

9.5 श्रम कल्याण उपकर की गैर-वसूली

भारतीय तकनीकी संस्थान मुम्बई, निर्माण बिलों से श्रम कल्याण उपकर की कटौती तथा एकत्रित राशि को बोर्ड के पास जमा कराने में विफल रहा परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ तथा इसे ब्याज और जुर्मानों का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी बना दिया।

भारत सरकार ने 'भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996' (अधिनियम) को प्रवर्तित किया जो निर्माण की लागत पर उपकर का

उद्ग्रहण तथा एकत्रण का प्रावधान करता है। अधिनियम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी 2008 से निर्माण के कुल मूल्य (भूमि लागत को छोड़कर) पर एक प्रतिशत उपकर की वसूली हेतु अनुदेश जारी किए (21 अप्रैल 2008)।

अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम 4(3) के अनुसार जहां उपकर का उद्ग्रहण, सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित है, ऐसे सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ऐसे कार्यों के लिए भुगतान बिलों से अधिसूचित दरों पर देय उपकर कटौती करेंगे अथवा कटौती के निमित्त होंगे। इसके अतिरिक्त नियम 5(3) के अनुसार ऐसी एकत्रित राशि को इसके एकत्रण के 30 दिनों के भीतर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को स्थानांतरित किया जाएगा। अधिनियम में उस तिथि जिस पर भुगतान उपकर राशि के समतुल्य जुर्माने सहित देय था, से प्रत्येक माह के विलंब हेतु दो प्रतिशत की दर से ब्याज की देयता का भी प्रावधान है।

यह पाया गया कि भारतीय तकनीकी संस्थान, मुम्बई (संस्थान) ने 1 जनवरी 2008 से 336 निर्माण कार्य आरंभ किये थे जिस पर 31 मार्च 2014 तक ₹ 202.75 लाख की राशि का उपकर वसूली योग्य था। संस्थान ने 263 निर्माण कार्यों पर ₹ 80.21 लाख की उपकर राशि की कटौती नहीं की तथा शेष 73 मामलों में यद्यपि संस्थान द्वारा ₹ 122.54 लाख के उपकर की कटौती की गई, उसे बोर्ड में जमा नहीं किया गया। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने की विफलता ने इसे उपकर राशि के समतुल्य विलंबित भुगतानों तथा जुर्माने पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज सहित उपकर की अवसूल राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना दिया।

संस्थान ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि इसने केवल 2012 से ठेकेदारों के बिलों से उपकर की कटौती शुरू की थी। आगे यह कहा गया कि राशि संबंधित

कार्यालय को जमा कर दी जाएगी जब भी निर्णय इसकी प्रबंधन समिति द्वारा लिया जाएगा।

इस प्रकार संस्थान द्वारा, श्रम कल्याण उपकर की कटौती तथा उसे बोर्ड को जमा कराने की विफलता के परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन न करने से इसे ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 80.21 लाख की असंग्रहीत राशि का भुगतान करने, ठेकेदारों को अनुचित लाभ तथा निर्माण मजदूरों के कल्याण के निमित्त विफलता के लिए उत्तरदायी बना दिया।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (फरवरी 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

विश्व भारती

9.6 प्रकाशक को अनुचित लाभ

‘रविन्द्र चित्रावली’ के प्रकाशक की चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी; विश्व भारती ने प्रकाशक को ₹ 3.18 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु भुगतान शर्तों में बाद में परिवर्तन किया। विश्व भारती की कार्रवाईयों ने वित्तीय औचित्यता के मानकों का उल्लंघन करने के अतिरिक्त टैगोर के सभी कला कार्यों को सभी को ‘उचित स्तर’ पर उपलब्ध कराने के उनके कथित उद्देश्य को विफल कर दिया।

टैगोर की 150वीं जयंती के अवसर पर *प्रतीक्षण*, कोलकाता स्थित प्रकाशक ने विश्व भारती (वि.भा.) के सहयोग से रविन्द्र चित्रावली अर्थात् रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स के प्रकाशन के लिए वि.भा. को प्रस्ताव किया (मार्च 2009)। *प्रतीक्षण* ने ₹ 30 लाख की रॉयल्टी के अतिरिक्त चित्रावली के 500 सैटों का प्रस्ताव रखा तथा ₹ 6.35 करोड़ की लागत पर चार खण्डों में 8000 पुस्तकों के सैटों के प्रकाशन हेतु विस्तृत लागत ब्यौरा प्रस्तुत किया (मई 2009)। *प्रतीक्षण* ने पुस्तक के पूर्वापेक्षी क्रेताओं को प्रकाशित कीमत पर 50 प्रतिशत की छूट भी प्रस्तावित की यदि विश्व भारती ने संस्कृति मंत्रालय (सं.मं.) के माध्यम से परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 3.18 करोड़ की राशि की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

विश्व भारती के रजिस्ट्रार तथा *प्रतीक्षण* ने 07 दिसम्बर 2009 को समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) पर हस्ताक्षर किए जिसे तत्पश्चात वित्त समिति (वि.स.) द्वारा 31 जनवरी 2010 को अनुमोदित किया गया। स.ज्ञा. में अन्य बातों के अतिरिक्त यह कहा गया कि अ) वि.भा. प्रकाशन की कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रदान करेगा, और ब) *प्रतीक्षण* प्रकाशित कीमत पर 50 प्रतिशत छूट का चित्रावली के क्रेताओं को लाभ देगा।

वि.भा. ने वित्तीय औचित्यता के मानकों तथा सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में स.ज्ञा.से पहले संभावित निविदाकर्ताओं की पहचान तथा निविदाएँ आमंत्रित नहीं की। रजिस्ट्रार ने स.ज्ञा. पर हस्ताक्षर करने के पांच दिन पश्चात एक तकनीकी समिति बनाई जिसने उसी दिन इसके लिए *प्रतीक्षण* के चयन की सिफारिश की। यद्यपि समिति की टिप्पणियों में कहा गया कि दो अन्य फर्मों पर भी विचार किया गया था, निविदाओं के आमंत्रण का कोई प्रमाण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। तत्पश्चात, वि.भा. ने चित्रावली के प्रकाशन हेतु पूर्व-योग्य निविदाओं को आमंत्रित करने का निर्णय लिया (19 जनवरी 2010) परन्तु इसे बिना कोई कारण बताए रोक दिया गया। 31 जनवरी 2010 को वि.स. ने तकनीकी समिति के एक सदस्य द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के आधार पर *प्रतीक्षण* के चयन को अनुमोदित किया। वि.स. ने नोट किया कि सं.मं. ने ₹ 5.00 करोड़ की संस्वीकृति दी थी।

तत्पश्चात फरवरी 2010 में रजिस्ट्रार ने चित्रावली के प्रकाशन हेतु *प्रतीक्षण* के साथ एक अन्य स.ज्ञा.पर हस्ताक्षर किए। नये स.ज्ञा. में लागत के बंटवारे का अनुपात 50 प्रतिशत था जैसा कि 7 दिसंबर 2009 के प्रथम स.ज्ञा. में तथा *प्रतीक्षण* के प्रस्ताव में बताया गया था छोड़ दिया गया था और इसे इस शर्त के साथ परिवर्तित कर दिया गया था: “...वि.भा. प्रकाशक को रविन्द्र चित्रावली के लिए प्राप्त की गई कोई भी वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गया है....”। वित्तीय शर्तों में परिवर्तन वि.स. द्वारा अनुमोदित किए जाने हेतु। इस प्रकार

यह स्पष्ट है कि प्रतीक्षण को उनके द्वारा प्राप्त ₹ 3.18 करोड़ की सहायता से अधिक के वित्तीय लाभ देने के लिए वित्तीय शर्तों को बदला गया।

स.जा. पर हस्ताक्षर के बाद वि.भा. ने सं.मं. से ₹ 5.00 करोड़ का शीघ्र संवितरण करने हेतु अनुरोध किया (फरवरी 2010) जबकि प्रकाशक द्वारा मांगी गई कुल सहायता केवल ₹ 3.18 करोड़ थी। इस पर सं.मं. ने मद-वार लागत ब्यौरे माँगे। अभिलेखों से पता चला कि यद्यपि प्रतीक्षण ने ₹ 3.14 करोड़ की ही तात्कालिक माँग रखी थी, वि.भा. ने मंत्रालय को उत्तर दिया कि कुल परियोजना लागत ₹ 6.35 करोड़ थी तथा ₹ 3.34 करोड़ तत्काल जारी करने और उसके उपयोग के पश्चात ₹ 1.66 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया। वि.भा. ने आगे कहा कि प्रतीक्षण को ₹ 5.00 करोड़ की सहायता के बाद भी ₹ 1.35 करोड़ का और प्रबंध करना था।

सं.मं. ने 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान ₹ 4.76 करोड़ तीन किशतों में जारी किया जिसे प्रतीक्षण को दे दिया गया। सं.मं. द्वारा जारी अनुदान के संस्वीकृति पत्रों में निर्धारित था कि वि.भा. कुल लागत का 25 प्रतिशत वहन कर रहा था। प्रतीक्षण को इसकी सूचना तकनीकी समिति के एक सदस्य द्वारा दी गई। तत्पश्चात प्रतीक्षण ने ₹ 6.35 करोड़ के 25 प्रतिशत अर्थात् ₹ 1.59 करोड़ की अतिरिक्त माँग की। वि.भा. ने राशि का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) से ₹ 1.59 करोड़ की एक-बार की विशेष अनुदान के लिए अनुरोध किया। मा.सं.वि.मं. ने जुलाई 2012 में राशि जारी की। फरवरी 2013 में ₹ 4.76 करोड़ से अधिक अतिरिक्त राशि प्रतीक्षण को दी गई। इस प्रकार, ₹ 6.35 करोड़ की कुल राशि चित्रावली के प्रकाशन हेतु प्रकाशक को दी गई।

वि.भा. के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, अगस्त 2014 को केवल 6000 सैट छपवाए गए जबकि सहमति 8000 सैटों की थी। वि.भा. ने 493 सैट तथा ₹ 30.00 लाख की रॉयल्टी प्राप्त की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतीक्षण

को, वित्तीय सहायता के 50 प्रतिशत प्रस्ताव के प्रति ₹ 6.35 करोड़ की परियोजना लागत का शत प्रतिशत वापिस किया गया। इस प्रकार प्रकाशक ने अपनी ओर से कोई व्यय किए बिना ₹ 11.01 करोड़ मूल्य के चित्रावली के 5507 सैटों के बिक्री अधिकार प्राप्त किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चित्रावली की ₹ 20,000.00 प्रति सैट की मुद्रित कीमत के बावजूद, स.जा. में निर्धारित 50 प्रतिशत छूट के विरुद्ध केवल 20-33 प्रतिशत की छूट पर विभिन्न ई-कॉमर्स साइटों पर बिक्री की गई।

इस प्रकार, रबिन्द्र चित्रावली के प्रकाशन की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी। इसने प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत लागत ढाँचे के औचित्य का सत्यापन नहीं किया, तदनंतर भुगतान शर्तों को परिवर्तित किया तथा प्रकाशक को ₹ 3.18 करोड़ के अनुचित वित्तीय लाभ देने के लिये संशोधित स.जा.पर हस्ताक्षर किए। वित्तीय औचित्य के मानकों का उल्लंघन करने के अलावा वि.भा. की कार्यवाही ने सभी को 'उचित स्तर पर' उपलब्ध टैगोर कलाकृतियों को उपलब्ध कराने के कथित उद्देश्य को विफल किया।

मामला विश्व भारती और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अक्टूबर 2014 में सूचित किया गया। विश्व भारती ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति में सम्मिलित तथ्य एवं आंकड़ों की पुष्टि की। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2015)।

अध्याय X : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

10.1 निधियों का असामयिक निर्गम

मंत्रालय राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) के साथ किए अनुबंध की शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल रहा तथा निर्माण कार्यों के चरणबद्ध लक्ष्यों को उनकी प्राप्तियों के साथ जोड़े बिना रा.भ.नि.नि. को असामयिक रूप से भुगतान जारी किए गए। मार्च 2010 तथा मार्च 2011 के बीच रा.भ.नि.नि. को जारी कुल ₹88.11 करोड़ की राशि में से केवल ₹36.72 करोड़ का उपयोग किया गया था जिससे एक बड़ी धनराशि रा.भ.नि.नि. के पास अवरुद्ध पड़ी रही।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मुंबई स्थित फिल्म प्रभाग परिसर में राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय (रा.भा.सि.सं.) जिसे 2013 में भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के दौरान जनता हेतु प्रवर्तन किया जाना प्रस्तावित था, का निर्माण करने की एक परियोजना प्रारंभ की (2010)। इस उद्देश्य के लिए फिल्म प्रभाग (फि.प्र.) ने टर्नकी आधार पर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) के साथ एक अनुबंध (मार्च 2010) किया। ₹101.20 करोड़ की अनुमानित लागत के इस कार्य को जून 2012 तक समाप्त किया जाना अपेक्षित था।

अनुबंध की धारा 7 के अनुसार, रा.भ.नि.नि. को परियोजना के सभी निर्माण कार्यों की वास्तविक लागत के आधार पर भुगतान किया जाना था तथा इसमें ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं आदि को अदा किये गये सभी भुगतान भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, रा.भ.नि.नि. को अनुबंध में विनिर्दिष्ट विभिन्न चरणों की समाप्ति पर भुगतान जारी किए जाने थे। रा.भा.नि.नि. को निधियों की आवश्यकता हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी तथा इन्वॉइस प्रस्तुत करते समय इसे यह प्रमाणित करना था कि इसने सारणी के अनुसार कार्य पूरा कर लिया था।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध की धारा 10 के अनुसार, रा.भा.नि.नि. को कार्य की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाली तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, अनुबंध में निर्धारित विशिष्ट चरणों के साथ भुगतान बिना जोड़े, रा.भा.नि.नि. को निधियां जारी की और न ही इसने भुगतान जारी करने से पहले कार्य की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की। इसके अतिरिक्त, अनुबंध हस्ताक्षर किये जाने के समय भुगतान के सिवाए अग्रिम भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था।

भुगतानों को जारी करने हेतु अनुबंध की शर्तों तथा उनकी गैर-अनुपालना निम्न तालिका में दिखाई गयी है:

भुगतान जारी करने की तिथि	जारी राशि (₹ करोड़ में)	पूरे किये जाने वाले चरण	क्या अनुपालन की गई थी	अभ्युक्तियां
मार्च 2010	15.00	अनुबंध पर हस्ताक्षर करना	हाँ	करार में उल्लिखित भुगतान सारणी के अनुसार।
सितम्बर 2010	10.00	प्रारम्भिक आरेखनों का प्रस्तुतीकरण/कार्य आरम्भ करने हेतु स्थानीय निकायों से स्वीकृतियां	नहीं	रा.भा.नि.नि. ने मुंबई के यातायात प्राधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं किये। अतः मंत्रालय द्वारा करार की धारा 6.2 का उल्लंघन हुआ।
मार्च 2011	19.00	प्रारम्भिक आरेखनों का प्रस्तुतीकरण/ कार्य आरम्भ करने हेतु स्थानीय निकायों से स्वीकृतियां, खुदाई/राफ्ट/नींव कार्य,	नहीं	मंत्रालय ने चरणों के समापन को सुनिश्चित किए बिना ₹19.00 करोड़ (दूसरे, तीसरे तथा पांचवे चरण हेतु ₹5.35 करोड़ +

भुगतान जारी करने की तिथि	जारी राशि (₹ करोड़ में)	पूरे किये जाने वाले चरण	क्या अनुपालन की गई थी	अभ्युक्तियां
		तहखानों के अन्य निर्माण कार्य, गुलशन महल के भू-तल के उत्थान, मौजूदा भवनों के अगले हिस्सों के कार्य		₹4.87 करोड़ + ₹8.78 करोड़) जारी किए।
अक्टूबर 2011	44.11	इस निर्गम के लिए कोई भी शर्त निर्धारित नहीं थी। इसे संग्रहण अग्रिम तथा अन्य प्रतिबद्ध व्यय के भुगतान के रूप में जारी किया गया था।	नहीं	मंत्रालय ने यह प्रतिबद्धता पूर्ण किये जाने को सुनिश्चित किए बिना राशि जारी की।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका से अपेक्षित वैधानिक स्वीकृति अगस्त 2013 में जाकर ही प्राप्त की गई थी। इस प्रकार मंत्रालय द्वारा अपेक्षित वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने से पहले ही अनुमानित परियोजना लागत के 85 प्रतिशत से अधिक (₹101 करोड़ में से ₹88 करोड़) जारी कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि रा.भ.नि.नि. ₹88.11 करोड़ की जारी राशि में से दिसम्बर 2014 तक केवल ₹36.72 करोड़ का व्यय कर सका था जिससे मार्च 2010 से दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान विभिन्न अंतरालों हेतु बड़ी धनराशियों का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाये जाने पर मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2015) कि चूंकि परियोजना को वर्ष 2013 में भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष से पहले पूर्ण किया जाना था, इसलिए मंत्रालय ने फि.प्र. के माध्यम से रा.भ.नि.नि. को निधियां जारी करने से पूर्व रा.भ.सि.सं. के निर्माण के चरणबद्ध लक्ष्यों में ढील/संशोधन किया था। उसने यह भी बताया कि

रा.भ.नि.नि. ने रा.भा.सि.सं. परियोजना के लिए एक अलग बैंक खाता खोला था जिसमें बैंक का ब्याज भी जमा हो रहा था। संग्रहालय के निर्माण का कार्य प्रगति पर था तथा समापन की संशोधित समय सीमा के अनुसार, दिसम्बर 2015 तक संग्रहालय के निर्माण को पूर्ण कर उसकी सुपुर्दगी की जानी थी।

मंत्रालय का उत्तर कार्य की प्रगति के साथ भुगतानों के सामंजस्य के बिना निधियों के असामयिक निर्गम का समाधान नहीं करता है।

तथ्य यही है कि मंत्रालय रा.भ.नि.नि. को अग्रिम भुगतान को जारी करने से पूर्व अनुबंध के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल रहा जिससे निधियां निष्फल पड़ी रहीं जबकि जनता हेतु राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय खोले जाने का अपेक्षित उद्देश्य अपूर्ण रहा।

प्रसार भारती

10.2 100 मी. एफ.एम. टावर के झुकाव को समय पर ठीक न करना इसके गिरने तथा परिणामस्वरूप ₹84.92 लाख का व्यय व्यर्थ रहने का कारण बना।

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, एफ.एम. टावर, जो गारंटी अवधि के भीतर ही झुक गया था, को समय पर ठीक कराने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर करार की शर्तें बाध्य करने में विफल रहा। टावर की मरम्मत कराने हेतु दो वर्षों तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। अंततः टावर ध्वस्त हो गया जिससे एंटीना तथा टावर खड़ा करने पर हुआ ₹84.92 लाख का व्यय निष्फल रहा।

अपर महानिदेशक (इंजीनियरिंग) (पूर्वी क्षेत्र), आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, प्रसार भारती, कोलकाता (पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय) को चार पूर्वी राज्यों बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की योजनागत परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है। इसलिए पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय परियोजनाएं पूरी करने हेतु क्रिया-कलापों की निगरानी तथा समन्वय के लिए

उत्तरदायी है। आ.वा. नियम पुस्तिका¹ के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक परियोजना हेतु आकाशवाणी पूर्वी क्षेत्र से एक अधिष्ठापन अधिकारी (अ.अ.) चुना जाना है जो निर्माण कार्य के उचित माप तोल को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होता है।

महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली (म.नि.आ.वा.) ने कूचबिहार, पश्चिम बंगाल में समीपवर्ती क्षेत्रों में कवरेज को सुदृढ़ करने के लिए 10 कि.वा. एफ.एम. प्रसारण वाले एक रेडियो स्टेशन तथा स्टाफ आवास सुविधाओं की परियोजना को संस्वीकृति (अक्टूबर 2003) प्रदान की। उपकरण हेतु ₹2.25 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति म.नि.आ.वा. द्वारा जनवरी 2004 में प्रदान की गई थी। 100 मीटर स्वावलंबी एफ.एम. टावर की आपूर्ति, परिनिर्माण तथा चालू करने का कार्य जुलाई 2007 में ₹86.48 लाख की लागत पर इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (इ.सी.आई.एल.) को सौंपा जा सका क्योंकि इस उद्देश्य हेतु भूमि प्राप्त नहीं की जा सकी। निविदा की शर्तों के अनुसार, टावर के संस्थापन के 12 महीनों के भीतर इसमें हुए दोषों को ठीक करने हेतु इ.सी.आई.एल. प्रतिबद्ध था।

इ.सी.आई.एल. ने मार्च 2008 तक टावर हेतु सामग्रियों की आपूर्ति की, अप्रैल 2008 में टावर को खड़ा करना आरंभ किया तथा सितम्बर 2009 में इसे पूर्ण किया। टावर लगाने के लिए इ.सी.आई.एल. को नवम्बर 2009 तक ₹80.52 लाख की राशि अदा की गई। पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय को एंटीना के बिना टावर का कब्जा लेना पड़ा (सितम्बर 2009) क्योंकि म.नि.आ.वा., नई दिल्ली द्वारा इसकी आपूर्ति नहीं की जा सकी। कब्जा लेते समय टावर की शीर्षता जांच इ.सी.आई.एल. के प्रतिनिधियों तथा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियुक्त अ.अ. द्वारा संयुक्त रूप से की गई। शीर्षता रीडिंग द्वारा 40 मीटर से ऊपर कुछ परिवर्तन दर्शाया गया। इसे स्वीकार्य सीमा के भीतर बताकर अ.अ. ने टावर को 'अच्छी स्थिति' में होना प्रमाणित किया। म.नि.आ.वा., नई दिल्ली द्वारा ₹4.40

¹ आकाशवाणी नियम पुस्तिका खण्ड । भाग -III

लाख की कीमत के एंटीना की आपूर्ति किए जाने के पश्चात्, मार्च 2010 में इसे टावर पर स्थापित किया गया।

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बारह महीनों की गारंटी अवधि के भीतर अप्रैल 2010 में टावर के ऊपरी भाग में कुछ झुकाव पाया गया। उन्होंने टावर को और क्षति से बचाने के लिए दोष की मरम्मत करने हेतु इ.सी.आई.एल. को अनुरोध (मई 2010) किया। इ.सी.आई.एल. ने बार-बार स्मारकों के बावजूद कोई उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात् मार्च 2011 में, इ.सी.आई.एल. इस शर्त पर कार्य करने को तैयार हुआ कि एक कार्य आदेश जारी करके वित्तीय प्रतिपूर्ति का विस्तार किया जाये। तथापि, इ.सी.आई.एल. के प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी तथा टावर दो वर्षों तक झुकी हुई अवस्था में रहा। इसी बीच इ.सी.आई.एल. द्वारा सुरक्षा जमा राशि के रूप में प्रस्तुत ₹30.29 लाख की बैंक गारंटी भी अगस्त 2011 में समाप्त हो गई।

टावर अंततः अप्रैल 2012 में ध्वस्त हो गया जिससे टावर तथा एंटीना बेकार हो गए। म.नि.आ.वा. ने बिना किसी अतिरिक्त लागत के टावर को दोबारा खड़ा करने हेतु इ.सी.आई.एल. के साथ मामले को उठाया (जून 2012)। इ.सी.आई.एल. ने बताया (जून 2012) कि टावर को 169 कि.मी. प्रति घण्टा के पवन वेग को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया था तथा टावर में प्रारम्भिक झुकाव डिजाइन की गई क्षमता से काफी अधिक वेग वाले तूफान के कारण हुआ था। टावर ध्वस्त होने का कारण भी इ.सी.आई.एल. द्वारा इसी प्रकार का भारी तूफान बताया गया था। तथापि, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सलाह लिए जाने पर जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता (जा.वि.) के संरचनात्मक अभियांत्रिकी विभाग ने टावर के ध्वस्त होने की वजह 'प्रारम्भ में त्रुटिपूर्ण तथा उत्केन्द्रित टावर संरचना' को बताया (अक्टूबर 2012) जा.वि., कोलकाता के अनुसार "त्रुटिपूर्ण संरक्षण के कारण स्थिरता मापदण्ड की कम क्षमता टावर की विफलता हेतु उत्तरदायी हो सकती है।" अभिलेखों से यह भी ज्ञात हुआ कि जब टावर में झुकाव आया तथा जब टावर अंततः ध्वस्त हुआ उस

समय कूचबिहार वेधशाला द्वारा दर्ज हवा की अधिकतम गति 10-20 कि.मी. प्रति घण्टा के बीच थी जो 169 कि.मी. प्रति घण्टा के पवन वेग को सहन करने की टावर की क्षमता से काफी कम थी।

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (फरवरी 2015) कि चूंकि अधिष्ठापन अधिकारी ने टावर की शीर्षता सीमाओं के भीतर आंकी थी इसलिए टावर की त्रुटिपूर्णता तथा उत्केन्द्रण की ओर उसका ध्यान नहीं गया था। उन्होंने आगे बताया कि तूफान ने टावर के ध्वस्त होने में बाहरी आवेग के रूप में कार्य किया।

इस प्रकार, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय गारंटी अवधि के भीतर झुक गये टावर को समय पर ठीक कराने हेतु इ.सी.आई.एल. पर करार की शर्तों को बाध्य करने में विफल रहा। उन्होंने झुकाव को ठीक कराने हेतु दो वर्षों तक कोई कार्रवाई भी नहीं की थी। टावर के अंततः ध्वस्त हो जाने से एंटीना तथा टावर लगाने पर किया गया ₹84.92 लाख का व्यय व्यर्थ हो गया।

मामला अक्टूबर 2014 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XI : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम कल्याण संगठन, कोलकाता

11.1 कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम कल्याण संगठन (श्र.क.सं.) बीड़ी कर्मकारों, लौह, मैंगनीज, क्रोमियम, चूना पत्थर खदानों एवं सिने उद्योगों में श्रमिकों के कल्याण हेतु निधियों की स्थापना करने के लिए संसद के अधिनियमों के क्रियान्वयन तथा इन कोषों से संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। श्र.क.सं., कोलकाता की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए नकली/एकाधिक कार्ड जारी किये जाने से बचने हेतु न तो कोई निर्धारित प्रक्रिया थी और न ही कोई नियंत्रण लगाये जा रहे थे। आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे तथा उपयुक्त डाटा बेस के अभाव में श्र.क.सं. यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि लाभ पात्र श्रमिकों तक समायोजित रूप से पहुँच रहे हैं।

प्रस्तावना

11.1.1 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, संसद के अधिनियमों¹ के माध्यम से बीड़ी श्रमिकों, लौह, मैंगनीज, क्रोमियम, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खदानों तथा सिने उद्योग के श्रमिकों के विकास हेतु निम्नलिखित निधियों की स्थापना की गयी।

- बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि;
- लौह/मैंगनीज/क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि;

¹ अन्नक खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1946

अक्टूबर 1963 से लागू लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि, अधिनियम 1961

01.12.1973 से लागू चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि, अधिनियम 1972

15.02.1977 से लागू बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि, 1976

सिने कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

- चूना पत्थर एवं डोलोमाईट खान श्रमिक कल्याण निधि;
- सिने कर्मकार कल्याण निधि;

अधिनियम में उपभोग/निर्यात किए खनिजों, बीड़ी के उत्पादन तथा चलचित्र के निर्माण पर उपकर के उद्ग्रहण, संग्रहण तथा क्रेडिट करने के प्रावधान हैं। निधियों का उपयोग पांच क्षेत्रों स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास, शिक्षा तथा मनोरंजन के अंतर्गत कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।

11.1.2 2010-11 से 2012-13 के वर्षों के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं. 1 में बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में विसंगतियाँ तथा निरन्तर आ रहे प्रतिकूल शेष प्रस्तुत किये गए हैं।

11.1.3 महानिदेशक (श्रम कल्याण) की अध्यक्षता में श्रम कल्याण संगठन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। कल्याण आयुक्त तथा नौ क्षेत्रीय कल्याण उपकर आयुक्त महानिदेशक के सहायक हैं।

क्षेत्रीय कल्याण उपकर आयुक्त, कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में निधियों का क्रियान्वयन करता है, के 2009-10 से 2013-14 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई।

वित्तीय स्थिति :

2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान श्रम कल्याण कार्यालय, कोलकाता में संग्रहित उपकर की राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
स्थापना का नाम	संग्रहित राशि	संग्रहित राशि	संग्रहित राशि	संग्रहित राशि	संग्रहित राशि
माईका	उ.न.				
लोहा	79.70	101.70	70.37	60.31	70.91
मैंगनीज					
क्रोम					
चूना पत्थर एवं डोलोमाईट	49.62	41.03	61.57	78.04	66.67
बीड़ी	4187.00	4491.00	4528.00	4584.88	उ.न.
सिने	11.70	15.80	16.10	11.70	19.10

(स्रोत : श्र.क.सं. द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

2009-10 से 2013-14 के दौरान कल्याण योजनाओं पर व्यय ₹213.67 करोड़ था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	योजना का नाम	2009-10 से 2013-14 हेतु कुल व्यय (₹ लाख में)
1.	बीड़ी एवं खान श्रमिकों के बच्चों हेतु कक्षा v तथा आगे (स्नातकोत्तर, एम.बी.बी.एस., बी.टेक, एल.एल.बी. एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों सहित) छात्रवृत्ति	13430.44
2.	बीड़ी/खान श्रमिकों हेतु संशोधित एकीकृत आवास योजना 2005	7166.4
3.	बीड़ी/सिने श्रमिकों हेतु सामूहिक बीमा योजना	316.93
4.	टी.बी. से पीड़ित खान एवं बीड़ी श्रमिकों का घर पर उपचार	146.9
5.	महिला बीड़ी/सिने श्रमिकों हेतु मातृत्व लाभ	94.25
6.	बीड़ी एवं खान श्रमिकों के स्कूल जा रहे बच्चों को पोशाक/स्लेट/काँपी/किताबों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता (कक्षा 1 से IV)	93.32
7.	बीड़ी/सिने श्रमिकों के अंतिम संस्कार के व्ययों के प्रति वित्तीय सहायता	46.26
8.	कैंसर से उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति	22.67

क्र.सं.	योजना का नाम	2009-10 से 2013-14 हेतु कुल व्यय (₹ लाख में)
9.	बीड़ी/खान/सिने श्रमिकों की विधवा/विधुर को उनकी पुत्री के विवाह व्ययों को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना	14.65
10.	मानक औषधालय के अनुरक्षण हेतु खान प्रबंधन को सहायता अनुदान	8.72
11.	खान/बीड़ी श्रमिकों द्वारा पुरी के अवकाश गृह में प्रवास	8.62
12.	हृदय रोग के उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति	5.96
13.	खनन क्षेत्रों में एकीकृत जल आपूर्ति	4.6
14.	बंध्याकरण हेतु आर्थिक क्षतिपूर्ति का भुगतान	3.31
15.	चूना पत्थर, माईका तथा बीड़ी श्रमिकों द्वारा छोटे रोगों के घर पर उपचार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति	1.96
16.	चश्में प्रदान करना	1.69
17.	मानसिक रोग से पीड़ित श्रमिकों को उपचार हेतु सुविधाएं प्रदान करना	0.06
18.	खेल/क्रीड़ा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना	0.03
19.	कुष्ठ रोग राहत	0.02
	कुल	21366.79

लेखापरीक्षा ने चार योजनाओं (उपर्युक्त तालिका का क्रम सं. 1, 2, 3 तथा 6) की जांच की, जिन पर ₹210.06 करोड़ का व्यय हुआ था, जो कुल व्यय का 98 प्रतिशत बनता है।

11.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

11.2.1 पहचान पत्रों को जारी करने में कमियाँ

श्र.क.सं., कोलकाता द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बीड़ी श्रमिकों के पास पहचान पत्र होना चाहिए। श्र.क.सं. कोलकाता के साथ-साथ पश्चिम बंगाल राज्य सरकार (प.बं.रा.स.) फरवरी 2008 तक बीड़ी श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत थे। उसके

पश्चात, संसदीय परामर्शी समिति के निर्देश के आधार पर, श्र.क.सं., कोलकाता पहचान पत्र जारी करने हेतु एकमात्र प्राधिकरण हो गया। अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि:

- प.बं.रा.स. के अनुमान के अनुसार, जून 2010 तक राज्य में 19.74 लाख बीड़ी श्रमिक थे। परंतु मार्च 2014 की समाप्ति तक केवल 16.94 लाख श्रमिकों (10.80 लाख प.बं.रा.स. द्वारा तथा 6.14 लाख श्र.क.सं., कोलकाता द्वारा) को पहचान पत्र (प.पत्र) जारी किए गए थे। यह संकेत देता है कि बीड़ी श्रमिकों की बड़ी संख्या विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता से वंचित रह गयी थी।
- श्र.क.सं., कोलकाता ने अपने 25 औषधालयों के माध्यम से जारी 6.14 लाख प. पत्रों के संबंध में कोई समेकित विवरण नहीं बना रखा था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पं.बं.रा.स. द्वारा जारी 10.80 लाख कार्डों के संबंध में आंकड़े भी प्राप्त नहीं किये थे। इस प्रकार औषधालयों अथवा प.बं.रा.स. द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों के साथ कोई सत्यापन किए बिना प. पत्र जारी किए गए थे।
- कार्ड धारकों के आवधिक सत्यापन हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं थे। यह सुनिश्चित करने का भी कोई तंत्र स्थापित नहीं था कि कार्ड धारकों की मृत्यु अथवा अपात्रता की स्थिति में प.पत्र रद्द कर दिए गए तथा तदनुसार आंकड़े अद्यतन किये जा रहे थे।
- फरवरी 2008 में इस उत्तरदायित्व से मुक्त होने के बावजूद भी प.बं.रा.स. द्वारा प.पत्र जारी करना जारी रहा जिससे इस प्रकार जारी किए गए कार्डों की संख्या के संबंध में सूचना के अभाव के कारण द्विरावृत्ति की आशंका और बढ़ गयी।

छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु निर्धारित प.पत्रों की प्रतियों की एक औषधालय में यादृच्छिक जांच में एक ही संख्या वाले तथा कुछ मामलों में बिना किसी सरकारी मुहर के प.पत्रों को जारी किए जाने के कुछ प्रकरण पाए गये।

श्र.क.सं., कोलकाता ने मार्च 2015 में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया।

अनुशंसा-1: मंत्रालय को पंजीकृत श्रमिकों को जारी प्रामाणिक प.पत्रों के सही एवं अद्यतन आंकड़े प्रविष्ट कर अनुरक्षित रखने हेतु तुरंत कदम उठाने चाहिए। द्विरावृत्ति से बचने के लिए प्रत्येक प. पत्र के अद्वितीय क्रम संख्या तथा आधार कार्ड संख्या या मतदाता प.पत्र संख्या जैसे वैधीकरण विवरण निर्दिष्ट किए जाएं।

11.2.2 संशोधित एकीकृत आवासीय योजना 2007

योजना अप्रैल 2007 से प्रभाव में आई। योजना के अंतर्गत, पात्र बीड़ी श्रमिक ₹40,000 प्रति आवास की सब्सिडी के हकदार हैं जिसे दो बराबर किशतों में जारी किया जाता है। प्रथम किशत राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित निर्धारित प्रारूप में आवेदन की प्राप्ति पर जारी की जानी थी। दूसरी किशत श्र.क.सं. के इंजीनियरों द्वारा शत प्रतिशत निरीक्षण किए जाने के पश्चात अदा की जानी थी। घर को 18 महीनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था जिसमें विफल होने पर सब्सिडी की राशि दण्डात्मक ब्याज सहित जब्त कर वसूल की जानी थी। समापन प्रमाण पत्र श्र.क.सं. द्वारा तथा उपयोग प्रमाणपत्र प.बं.रा.स. द्वारा जारी किए जाने थे।

यह पाया गया कि केन्द्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त प्रत्येक बीड़ी श्रमिक पश्चिम बंगाल बीड़ी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार से दो बराबर किशतों में ₹10,000 की एक समान सब्सिडी के भी हकदार थे।

2009-10 से 2013-14 के दौरान, श्र.क.सं., कोलकाता ने निम्नानुसार ₹ 71.66 करोड़ की राशि की सब्सिडी जारी की:-

वर्ष	पहली किश्त (श्रमिकों की संख्या)	दूसरी किश्त (श्रमिकों की संख्या)	अदा की गई राशि (₹करोड़ में)
2009-10	3890	6789	21.36
2010-11	3571	6142	19.79
2011-12	754	3071	7.65
2012-13	9390	742	20.26
2013-14	0	1303	2.60
कुल	17605	18047	71.66

(स्रोत: श्र.क.सं. द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

श्र.क.सं. द्वारा लाभार्थियों को जारी की जा रही सब्सिडी को दर्ज करने हेतु एक पंजिका का अनुरक्षण किया जाता है। इस पंजिका में लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि मार्च 2011 के पश्चात इसका अनुरक्षण नहीं किया गया था। पंजिका दर्शाती है कि प्रथम किश्त 4892 लाभार्थियों को मार्च 2011 तक जारी की गई थी जो श्र.क.सं. कोलकाता द्वारा प्रस्तुत 7461 की संख्या से भिन्न थी। श्र.क.सं. कोलकाता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की प्रमाणिकता की पुष्टि किसी भी विवरण या दस्तावेज द्वारा नहीं होती थी। पंजिका की और संवीक्षा से निम्नलिखित अनियमिततायें सामने आयीं:

11.2.2.1 सब्सिडी की गैर-वसूली

आवास का निर्माण पूरा किये जाने की समय सीमा 18 महीने थी। यह पाया गया था 4892 में से केवल 4342 लाभार्थियों द्वारा कुल ₹ 8.68² करोड़ की सब्सिडी की प्रथम किश्त प्राप्त की गई थी तथा दूसरी किश्त प.बं.रा.स. से उपयोग प्रमाणपत्र न प्राप्त होने के कारण 3 से 5 वर्षों के पश्चात भी जारी नहीं की गई थी। शेष 550 मामलों में भी श्र.क.सं., कोलकाता के पास ₹ 0.11³ करोड़ के उपयोग प्रमाण पत्र नहीं थे। श्र.क.सं., कोलकाता द्वारा 4342 मामलों में 18 महीनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात भी ₹ 8.68 करोड़ की सब्सिडी जुर्माने सहित वसूलने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

² 4342x₹ 20000.00

³ 550x₹ 20000.00

श्र.क.सं., कोलकाता ने बताया (मार्च 2015) कि वह अपने आप से सब्सिडी की दूसरी किश्त संस्वीकृत नहीं कर सकता था जब तक कि राज्य सरकार सब्सिडी की दूसरी किश्त प्रदान/संस्वीकृत करने की सिफारिश सहित श्रमिकों की विस्तृत सूची प्रेषित न कर दे। श्र.क.सं. योजना के संचालन हेतु उत्तरदायी था तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प.बं.रा.स. के साथ समन्वय रखना चाहिए था।

11.2.2.2 लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी

यह पाया गया था कि सब्सिडी का भुगतान केवल पश्चिम बंगाल के चार जिलों (नादिया, मालदा, पूर्वी एवं पश्चिमी मिदनापुर) के लाभार्थियों को ही किया गया था। यह तथ्य कि उक्त चुनिंदा भुगतान अन्य जिलों से प्राप्त 26417 आवेदनों को बिना कोई निर्दिष्ट कारण के 2010 से लंबित रखते हुए किया गया था जो दर्शाता है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। श्र.क.सं. ने अपने उत्तर (नवम्बर 2014) में आवेदनों की संवीक्षा से संबंधित विशाल कार्य को इसका कारण बताया। किन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्यों 2010 के बाद से केवल 4 जिलों से आवेदनों पर ही कार्यवाही की गयी।

11.2.2.3 अपर्याप्त निरीक्षण

सब्सिडी हेतु आवेदनों की संवीक्षा करते समय व्यवसाय तथा उसके अनुसार आवेदक की पात्रता को सत्यापित करने हेतु कोई निरीक्षण/पुनर्निर्धारण नहीं किया गया था। चूंकि प.पत्र को जारी करने तथा वैधता की प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी, अयोग्य श्रमिकों को लाभ पहुंचाए जाने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

11.2.2.4 सावधि जमा रसीदों का गैर-प्रतिधारण

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बैंक/डाक खाने से ₹ 5000 की सावधि जमा रसीद (आवेदक के नाम पर) कल्याण एवं उपकर आयुक्त को प्रस्तुत की जानी थी।

दूसरी किश्त जारी करते समय इस दस्तावेज को देय ब्याज सहित लाभार्थी को जारी किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मूल जमा प्रमाणपत्र की बजाए उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त की जा रही थी। जिसका कोई अभिलेख भी नहीं रखा जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह सुनिश्चित किए बिना कि आवेदक द्वारा दूसरी किश्त हेतु आवेदन किया गया था या उसे दूसरी किश्त प्रदान की गई थी, आवेदक के अनुरोध पर उसे राशि के साथ उस पर देय ब्याज का आहरण करने की अनुमति प्राधिकारियों द्वारा दी जा रही थी।

प.पत्रों को जारी करने तथा ₹ 71.66 करोड़ के उचित उपयोग में पायी गयी त्रुटियों सहित कमजोर आंतरिक नियंत्रणों के कारण संग्रहित उपकर के प्रत्याशित उद्देश्य हेतु उपयोग का आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

अनुशांसा-2: मंत्रालय को उपकर के उपयुक्त उपयोग के अधिक आश्वासन हेतु श्र.क.सं. में संसाधनों की उपलब्धता तथा संचालन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए योजना प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए।

11.3.1 कक्षा V तथा उससे आगे के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति: बीड़ी/सिने/खान श्रमिकों के लाभ हेतु छात्रवृत्ति योजना में सरकारी पंजीकृत विद्यालयों में कक्षा V तथा बड़ी कक्षाओं में पढ़ रहे इन श्रमिकों के बच्चों को ₹ 500 से ₹ 8000 प्रति बच्चा प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। श्रमिकों के पात्र बच्चों को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होता है जिसे संबंधित शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रेषित किया जाता है। छात्रवृत्ति की संस्वीकृति से पूर्व श्र.क.सं. द्वारा इन आवेदनों की संवीक्षा की जाती है।

2009-10 से 2013-14 के दौरान लाभार्थियों की संख्या तथा श्र.क.सं., कोलकाता द्वारा इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या				राशि (₹ करोड़ में)
	बीड़ी	सिने	खान	कुल	
2009-10	378077	236	667	378980	40.15
2010-11	296679	186	300	297165	33.06
2011-12	178885	176	394	179455	20.82
2012-13	177376	173	6	177555	20.82
2013-14	159499	161	7	159667	19.45
कुल	1190516	932	1374	1192822	134.30

(स्रोत: श्र.क.सं. द्वारा प्रस्तुत आंकड़े, लेखापरीक्षा को कोई संबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए गए थे)

योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई थीं:

11.3.1.1 कुल ₹ 11.79 करोड़ की राशि की छात्रवृत्ति को समय पर संवितरित नहीं किया गया था जैसा इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2010-11 से संबंधित 1.06 लाख बच्चों के दावों को बजट की सामयिक उपलब्धता की कमी के कारण 2012-13 में बैकलॉग के रूप में संस्वीकृत किया गया था जिससे बच्चे समय पर प्रत्याशित वित्तीय सहायता मिलने से वंचित रह गये।

11.3.1.2 मार्च 2011 में, श्रम मंत्रालय ने निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति को व्यक्तिगत बचत बैंक खातों के विवरण प्राप्त होने के पश्चात ही जारी किया जाना चाहिए। दो संस्वीकृति आदेशों में शामिल लाभार्थियों के आंकड़ों की संवीक्षा से एक ही खाता संख्या वाले बच्चों को भुगतान जारी किए जाने का पता चला जिनका विवरण निम्नानुसार है:

प्रत्येक मामले में एक ही खाता संख्या वाले बच्चों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या
2	38
3	20
4	2
5	2
7	1
8	1

11.3.1.3 778 लाभार्थियों वाले 389 मामलों में भुगतान एक ही नाम वाले तथा एक ही विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को किया गया था। परंतु, बीड़ी श्रमिकों के पहचान पत्र संख्या सहित अद्यतन किए गए आंकड़ों के अभाव में दोहरे भुगतान से बचने हेतु पारस्परिक सत्यापन संभव नहीं था।

छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सिने उद्योग में कार्य कर रहे माता-पिता की कुल पारिवारिक आय ₹ 8000 प्रतिमाह या एक वर्ष में रुपये एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। तथापि, आवेदनों की नमूना जांच से पता चला कि श्र.क.सं., कोलकाता ने वर्ष 2012-13 के लिए योजना हेतु निर्धारित सीमा से अधिक सिने श्रमिकों के 13 बच्चों को कुल ₹ 0.46 लाख राशि की छात्रवृत्ति संस्वीकृत की (मार्च-मई 2013)।

श्र.क.सं., कोलकाता ने मार्च 2015 में दोहरी प्रविष्टियों का कारण प.पत्रों के आंकड़ों तथा संबंधित सॉफ्टवेयर का अभाव बताया तथा यह भी कहा कि चार लाख में से केवल कुछ ही आवेदनों में दोहरी प्रविष्टियाँ पायी गई थीं।

11.4.2 विद्यालय जाने वाले बच्चों (कक्षा-I से कक्षा-IV) को वित्तीय सहायता

बीड़ी, सिने तथा खान श्रमिकों के विद्यालय जा रहे बच्चों को पोशाक/स्लेट/कॉपी/पुस्तकों (कक्षा I से IV) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता की योजना के अंतर्गत ₹ 250 प्रति छात्र प्रतिवर्ष, जो अधिकतम दो बच्चे प्रति अभिभावक तक सीमित है, की सहायता की अभिकल्पना की गई है। कर्मकारों के पात्र बच्चों द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन किया जाता है जिसे संबंधित शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेषित किया जाता है। छात्रवृत्ति की संस्वीकृति से पूर्व इन आवेदनों की श्र.क.सं. द्वारा संवीक्षा की जाती है।

लाभार्थियों की संख्या तथा लेखापरीक्षा के अंतर्गत अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या				राशि (₹ लाख में)			
	बीड़ी	सिने	खान	कुल	बीड़ी	सिने	खान	कुल
2009-10	12217	शून्य	शून्य	12217	30.54	शून्य	शून्य	30.54
2010-11	6137	शून्य	शून्य	6137	15.34	शून्य	शून्य	15.34
2011-12	8628	शून्य	शून्य	8628	21.57	शून्य	शून्य	21.57
2012-13	6143	21	7	6171	15.36	0.05	0.02	15.43
2013-14	4162	14	शून्य	4176	10.41	0.03	शून्य	10.44
कुल	37287	35	7	37329	93.22	0.08	0.02	93.32

(स्रोत : श्र.क.सं. द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी भी 'सिने' तथा 'खान' श्रमिक ने 2011-12 तक योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया था। बीड़ी श्रमिकों की श्रेणी में लाभार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर अस्थिरता को भी विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कल्याण आयुक्त ने मार्च 2013 में उचित सत्यापन के बिना बीड़ी श्रमिकों के 4494 बच्चों को शिक्षा (विद्यालय की पोशाक) हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रति ₹ 11.24 लाख संस्वीकृत किए। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों से बचत बैंक खाते के विवरणों की प्राप्ति के पश्चात ही राशियों को जारी करने के श्रम मंत्रालय के स्पष्ट निर्देश (मार्च 2011) के बावजूद आंकड़ों की नमूना जांच में छात्रवृत्ति योजना की तरह ही एक ही बैंक खाता संख्या वाले अलग-अलग बच्चों को भुगतान के मामले देखे गये।

एक ही खाता संख्या वाले बच्चों की संख्या	मामलों की संख्या
2	11
3, 4, 5 एवं 13	1 प्रत्येक

मार्च 2013 में संस्वीकृत राशियों के संबंध में निम्नानुसार कुछ अन्य अनियमितताएं, लेखापरीक्षा में देखी गयीं:-

अनियमितताओं की प्रवृत्ति	मामलों की संख्या	शामिल बच्चों की संख्या
एक से अधिक प.पत्रों वाले अभिभावकों के बच्चों को भुगतान	23	46
एक ही परिवार के दो से अधिक बच्चों को भुगतान।	8	24
दोहरा भुगतान-अभिभावक का नाम, प. पत्र सं. तथा छात्र का नाम समान था।	49	98
विभिन्न उपनाम परंतु एक ही प.पत्र संख्या एवं बैंक खाते वाले बच्चों को भुगतान	31	62

उपरोक्त अभियुक्तियों को सूचित किये जाने पर श्र.क.सं., कोलकाता ने बताया (फरवरी 2014) कि श्रमिक, जो अधिकांश अनपढ़ थे, ने अन्य श्रमिकों के बैंक खातों के माध्यम से लाभों को प्राप्त करने का प्रयास किया। श्र.क.सं. वैध लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के उत्तरदायित्व से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता तथा साथ ही केवल व्यक्तिगत बैंक खाते के प्रति ही भुगतान जारी करने हेतु प्रावधान मौजूद था।

अनुशंसा-3: - शिक्षा योजना के अंतर्गत निधियों को केवल पात्रता मापदण्ड की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात ही जारी किया जाना चाहिए जैसा योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। जब तक एक यथार्थ डाटा बेस का अनुरक्षण नहीं किया जाता तब तक सीधे लाभ की ऐसी योजनाओं को पारदर्शी रूप से संचालित नहीं किया जा सकता।

11.5.1 सामूहिक बीमा योजना

बीड़ी/सिने श्रमिकों हेतु सामूहिक बीमा योजना 01.04.1992 से प्रभाव में आई थी। सामूहिक बीमा योजना ऐसे बीड़ी/सिने श्रमिकों, जो 18-60 वर्ष की आयु समूह में हों जिन्हें विशिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई पहचान पत्र जारी किया गया हो परन्तु क.भ.नि.सं. द्वारा अंशदाता के रूप में पंजीकृत श्रमिकों को छोड़कर, तक सीमित है। श्रमिकों को प्राकृतिक मृत्यु के मामले में ₹ 10000/- तथा पूर्ण

रूप से अपंगता अथवा दुर्घटना में मृत्यु के मामले में ₹ 25000/- की राशि बीमाकृत की गयी थी। योजना के अंतर्गत, प्रीमियम ₹ 18/प्रति बीड़ी श्रमिक प्रति वर्ष की दर से जिसे 2013-14 के दौरान ₹ 20.00 कर दिया गया था, श्रम मंत्रालय द्वारा बीड़ी/सिने श्रमिक कल्याण निधि तथा जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि में से 50:50 के आधार पर अदा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दावे की प्राप्ति पर इसे कल्याण एवं उपकर आयुक्त द्वारा जी.बी.नि. को प्रेषित किया जाता है तथा हितलाभ जी.बी.नि. द्वारा सीधे दावाकर्ता को प्रदान किए जाते हैं। जी.बी.नि. द्वारा निपटान किए गए मामलों तथा सामाजिक सुरक्षा निधि से किए गए भुगतानों के संबंध में कार्यालय कोई अभिलेख अथवा विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका।

अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कल्याण एवं उपकर आयुक्त, कोलकाता ने 2009-10 से 2012-13 की अवधि हेतु ₹ 18 प्रति श्रमिक प्रति वर्ष की दर पर 429444 चयनित बीड़ी श्रमिकों के प्रति ₹ 77.30 लाख तथा 2013-14 हेतु ₹ 20 प्रति श्रमिक प्रति वर्ष की दर पर 472388 श्रमिकों हेतु ₹85.03 लाख का सामूहिक बीमा प्रीमियम अदा किया था। विवरण निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:

वर्ष	जी.बी.नि. को अदा किया गया प्रीमियम (₹ लाख में)	चयनित बीड़ी श्रमिकों की संख्या जिनके प्रति प्रीमियम अदा किया गया था।	जी.बी.नि. को प्रेषित मामलों की कुल संख्या	
			प्राकृतिक	दुर्घटनागत
2009-10	अदा नहीं किया गया	0	797	08
2010-11	77.30	4,29,444	1554	09
2011-12	77.30	4,29,444	687	10
2012-13	77.30	4,29,444	605	07
2013-14	85.03	4,72,388	653	04

(स्रोत : श्र.क.सं. द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

11.5.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि 2008-09 से 2011-12 की अवधि हेतु प्रीमियम के विलंबित भुगतान के कारण जी.बी.नि. द्वारा 2013-14 के

प्रीमियम में से ₹51.30 लाख का ब्याज समायोजित कर दिया गया (जून 2014) तथा उन्होंने बताया कि शेष राशि श्र.क.सं., कोलकाता को वापस कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त, जी.बी.नि. 2013-14 से सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत कोई भी दावा स्वीकार नहीं कर रहा था जबकि श्र.क.सं., कोलकाता ने 2013-14 तथा इसके बाद जी.बी.नि. को 657 दावे प्रेषित किए थे। अतः 2013-14 में योजना के अंतर्गत कोई भुगतान नहीं किये गये। इन अभ्युक्तियों के उत्तर में श्र.क.सं. ने बताया (मार्च 2015) कि जी.बी.नि. तथा श्र.क.सं. के बीच विवाद के उपयुक्त निपटान हेतु पूर्ण योजना को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा संशोधित, सुव्यवस्थित तथा परिवर्तित करना होगा।

11.5.3 लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि श्र.क.सं. उन बीड़ी श्रमिकों का कोई विवरण प्रदान नहीं कर रहा था जिनके प्रति प्रीमियम अदा किए गए थे तथा जी.बी.नि. को दावे प्रस्तुत किए गए थे। श्र.क.सं. ने बताया कि उनके पास श्रमिकों का पूर्ण डाटा बेस न होने के कारण नाम प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे।

अनुशंसा-4: - मंत्रालय को जी.बी.नि. तथा श्र.क.सं. के बीच के विवाद को सुलझाने हेतु उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। स.बी.यो. प्रीमियम के कारण भुगतान, जी.बी.नि. द्वारा लगाए गए ब्याज प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए, समय पर किया जाना चाहिए।

11.6 निष्कर्ष

श्र.क.सं., कोलकाता में फर्जी/एक से अधिक कार्डों को जारी किये जाने से बचने के लिए न तो कोई निर्धारित प्रक्रिया है और न ही कोई नियंत्रण लगाए गये हैं। आवासीय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया तथा सहायता का निर्गम त्रुटिपूर्ण था। इस प्रकार श्र.क.सं. यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि सब्सिडी का उपयोग प्रत्याशित उद्देश्य के लिए किया गया था। वे निरीक्षण करने तथा ₹ 8.68 करोड़ की सब्सिडी को वसूलने में शिथिल रहे। लाभार्थी डाटा के संबंध में दस्तावेजीकरण अपूर्ण अथवा अनुपलब्ध था तथा श्र.क.सं. द्वारा

समाधान किए बिना आंकड़ों के विभिन्न सेट प्रस्तुत किए जिससे सत्यापन नहीं किया जा सका। इन गंभीर कमियों के चलते योजना के लाभ लक्षित लाभार्थियों तक प्रत्याशित तरीके तथा सीमा के अनुरूप नहीं पहुंच रहे थे।

मामला जनवरी 2015 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XII : अल्प संख्यक मामलों का मंत्रालय

12.1 निधियों का असामयिक निर्गम

मंत्रालय ने “राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढीकरण” योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए बिना केन्द्रीय वक्फ परिषद (के.व.प.) को कुल ₹1.91 करोड़ की राशि समय से पूर्व जारी की। इससे भारत की समेकित निधि से रोकड़ की समयपूर्व निकासी हुई तथा के.व.प. के पास निधियाँ अनावश्यक रूप से पड़ी रही।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति (स्था.वि.स.) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) हेतु ₹32.18 करोड़ के परिव्यय सहित “राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढीकरण” की योजना को स्वीकृत किया (दिसम्बर 2013)। योजना के अंतर्गत, राज्य/सं.शा.क्षे. वक्फ बोर्डों को केन्द्रीय वक्फ परिषद (के.व.प.), जिसे योजना हेतु कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में नामित किया गया था, के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही मंत्रालय ने 31 दिसम्बर 2013 को के.व.प. को प्रथम किश्त के रूप में कुल ₹80 लाख समयपूर्व जारी किए। इसके पश्चात् फरवरी 2014 में ₹1.11 करोड़ की दूसरी किश्त जारी की गई। मंत्रालय द्वारा अकारण एक के बाद पुनः निधियाँ जारी किये जाने से यह के.व.प. के पास पड़ी रहीं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निधियां जारी किया जाना यह दर्शाता है कि ऐसा बजटीय प्रावधानों के व्यपगत होने से बचने के लिए किया गया था जो सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था। तत्पश्चात् सितंबर 2014 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लि. को योजना हेतु कार्यान्वयन अभिकरण बनाने का निर्णय लिया। निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि के.व.प. एक अन्य परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में विफल रहा था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2015) कि योजना के अंतिमीकरण में विलम्ब योजना के मसौदे पर राज्य सरकार से टिप्पणियाँ प्राप्त न होना तथा योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने में देरी के कारण था।

मंत्रालय ने बाद में कहा (मार्च 2015) कि के.व.प. द्वारा ब्याज सहित अनुदान वापस कर दिया गया था। उसने यह भी बताया कि एक परियोजना हेतु योजना का आरेखन विभिन्न चरणों जैसे योजना आयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति, स्था.वि.स. का अनुमोदन तथा फिर कार्यान्वयन के तौर-तरीकों सहित से गुजरता है। स्था.वि.स. ने योजना में के.व.प. को निधियां जारी करने के निर्देश सहित दिसम्बर 2013 में योजना को कुछ संशोधनों के पश्चात् स्वीकृत किया। योजना में कुछ संशोधन निधियों के निर्गम को रोकने हेतु वैध कारण नहीं थे विशेष रूप से जब सभी अपेक्षित औपचारिकताएं पहले ही पूरी की जा चुकी थीं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि योजना के तीव्र कार्यान्वयन हेतु इसे एक अन्य संस्था को स्थानांतरित कर दिया गया था।

उत्तर फिर भी मंत्रालय द्वारा एक के तुरंत बाद अगले निर्गम को स्पष्ट नहीं करता है। निधियों की दो किश्तें जारी करने के पश्चात बीच ही में कार्यान्वयन संस्था को बदलने का मंत्रालय का निर्णय स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण कार्यवाही का सूचक है। इससे मंत्रालय द्वारा निधियों के असामयिक निर्गम से के.व.प. के पास निधियों के अनावश्यक रखे जाने तथा संघ सरकार के बजट द्वारा लक्षित योजना के प्रतिपादन में विलम्ब पर लेखापरीक्षा के तर्क की पुष्टि होती है।

अध्याय XIII : पोत परिवहन मंत्रालय

मोर्मुगाओ पत्तन न्यास

13.1 डीपीआर के बिना एक घाट के विस्तार पर पूँजी लगाना

मोर्मुगाओ पत्तन न्यास ने विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट के बिना एक घाट के निर्माण पर ₹24.28 करोड़ की पूँजी लगा दी, जिससे उत्पन्न सुविधा से आनुपातिक लाभ मिलने बाकी हैं।

भारत सरकार की नवीन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग नीति के तहत मार्मुगाओ पत्तन न्यास (एम.पी.टी.) ने एक घाट (घाट संख्या 04) बनाने का इस विश्वास के साथ निर्णय लिया कि वह ऑफशोर जलयानों, लांचों इत्यादि का संचालन करेगा (29 जनवरी 2008)। जून 2010 में ₹15.05 करोड़ की लागत से इस घाट का निर्माण हुआ। एम.पी.टी द्वारा नवंबर 2009 में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई जिसमें पाँच कंपनियों ने मुख्यतः ऑफशोर सेवा बेस में रुचि दिखाई। तथापि, एम.पी.टी को यह अनुभूति हुई कि घाट (10 मीटर) की चौड़ाई, हैवी ड्यूटी चालित पत्तन क्रेन के संचालन में अपर्याप्त होगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (बोर्ड) ने घाट की चौड़ाई को 10 मीटर और बढ़ाने का निर्णय किया (28 जनवरी 2010)। चौड़ाई बढ़ाने का यह काम जनवरी 2012 में ₹9.23 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ।

जनवरी 2012 एवं मार्च 2012 में एम.पी.टी. ने घाट के लिए ऑफशोर आपूर्ति बेस बनाने हेतु लाईसेंस जारी करने का दो बार प्रयास किया लेकिन कोई भी प्रस्ताव पाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। अगस्त 2013 में, एम.पी.टी ने घाट तथा तीन एकड़ भूमि को 15 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव रखा जिसका अग्रिम प्रीमियम ₹17 करोड़ था तथा पट्टे का किराया स्केल ऑफ रेट्स एवं राजस्व की सहभागिता प्रतिशत के आधार पर थी। पट्टे की अवधि तथा अग्रिम प्रीमियम बाद में संशोधित कर (अक्टूबर 2013 में) क्रमशः 20 वर्ष

एवं ₹23 करोड़ कर दिए गए। एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसमें अग्रिम प्रीमियम ₹23 करोड़ था तथा पट्टे का किराया स्केल ऑफ रेट्स एवं राजस्व का सहभागिता अंश 40 प्रतिशत था। यह प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया (अक्टूबर 2013) जिसे अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष था।

पत्तन का प्रस्ताव विद्यमान भूमि नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं था जिसके अन्तर्गत पट्टे की अवधि की अनुमति केवल 11 माह के लिए संभव है। पोत परिवहन मंत्रालय ने एम.पी.टी. को निर्देश दिया (3 फरवरी 2014) कि प्रमुख पत्तनों द्वारा भूमि व्यवस्था के लिए नये नीति दिशा-निर्देशों के प्रकाश में वह अपने प्रस्ताव पर पुनः विचार करे (जनवरी 2014)। एम.पी.टी ने मंत्रालय को संशोधित प्रस्ताव नहीं भेजा बल्कि भूमि नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार पाँच वर्षों के लिए निविदा-कम-नीलामी प्रक्रिया द्वारा पोतों एवं अन्य छोटे जहाजों के लिए घाट की सुविधा के प्रयोग एवं शेड और शेड के आस-पास के क्षेत्र के लिए लाईसेन्स जारी करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2014)।

एम.पी.टी. घाट का संचालन स्वयं ही कर रही है तथा ₹24.28 करोड़ के निवेश पर ₹12.02 करोड़ की प्रक्षेपित वार्षिक आय की तुलना में इसने वर्ष 2012-13 में ₹14 लाख तथा वर्ष 2013-14 में ₹32 लाख की राजस्व वसूली की।

यह मामला दर्शाता है कि ₹24.28 करोड़ का निवेश विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/व्यवहार्यता प्रतिवेदन के बिना किया गया, न ही ऐसी सुविधा के लिए उद्योग की माँग का कोई आकलन किया गया।

घाट की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य किसी भी संबंधित इच्छुक पक्ष से कोई करार किये बगैर किया गया जिससे कि एक बार निर्मित होने के बाद सुविधाओं का प्रयोग सुनिश्चित हो सकता था।

प्रबंधन ने माना (अगस्त 2014) कि परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन/व्यवहार्यता प्रतिवेदन नहीं बनाया गया था तथा आय का अनुमान ऑफशोर आपूर्ति जलयानों से प्राप्त किरायों के आधार पर लगाया गया। तथापि, ऑफशोर आपूर्ति जलयान संचालकों से माँग में अचानक कमी आ गई, जो की एक अप्रत्याशित घटना थी जिसके बारे में विचार नहीं किया गया था। प्रबंधन ने आगे यह भी कहा कि नवनिर्मित घाट का प्रयोग छोटे जलयानों, जहाजों को रखने के लिए किया गया और इस प्रकार वह व्यर्थ नहीं रहा तथा परियोजना की वित्तीय संभावना तर्कसंगत थी क्योंकि निविदाकर्ता ₹23 करोड़ का अग्रिम प्रीमियम तथा 40 प्रतिशत राजस्व सहभागिता अंश देने के लिए सहमत था।

प्रबंधन का उत्तर ऑफशोर आपूर्ति जलयान संचालकों के लिए माँग के तर्कसंगत रूप से पर्याप्त आकलन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की आवश्यकता को और अधिक बल प्रदान करता है। 2012-14 के दौरान ₹24.28 करोड़ के निवेश की तुलना में सुविधा से केवल ₹46 लाख का अल्प लाभ प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, यह मत कि पत्तन को मिले प्रस्ताव ने परियोजना की वित्तीय संभावना को उचित ठहराया, स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि पत्तन को केवल मात्र यही एक प्रस्ताव मिला तथा यह भी विद्यमान भूमि नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं था और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

इस प्रकार, ₹24.28 करोड़ का निवेश मुख्यतः निष्प्रयोज्य रहा तथा बिना विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन प्रतिवेदन के एम.पी.टी. द्वारा जल्दबाजी में किये गए कार्यों के कारण परियोजना से बहुत ही अल्प राजस्व प्राप्त हुआ।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (अक्टूबर 2014), उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XIV : कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

भारतीय खेल प्राधिकरण

14.1 व्यर्थ व्यय होना

सुरक्षा मामलों की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना खेल अवसंरचना का निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹14.15 करोड़ मूल्य की अवसंरचना बेकार रही और ₹1.28 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त जनजातीय युवकों को खेल प्रशिक्षण देने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) ने हजारीबाग, झारखण्ड में निकटवर्ती¹ जिलों से जनजातीय युवकों को विभिन्न खेल अनुशासनों में प्रशिक्षण देने के लिए एक उप केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2001)। उप केन्द्र में इन्दोर तथा आउटडोर खेल सुविधाएं² सृजित की जानी थी। यद्यपि हजारीबाग एक लेफ्ट विंग अतिवाद प्रभावित क्षेत्र था तथापि, भा.खे.प्रा. ने उप केन्द्र के स्थान का चयन करते समय सुरक्षा के पहलू (खेल कर्मियों/प्रशिक्षकों की/निर्माण के दौरान) की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। राज्यमंत्री ने उजागर किया (अगस्त 2004) कि हजारीबाग एक उपद्रवग्रस्त क्षेत्र था तथा उप केन्द्र के स्थान को एक अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए कहा।

झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा हजारीबाग में पद्मा गांव में 47.5 एकड़ के माप वाली एक निःशुल्क भूमि का टुकड़ा इस शर्त पर कि इसका अभीष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग न होने के मामले में राज्य सरकार झारखण्ड को यह भूमि वापस कर दी जाएगी, आबंटित की गई (जून 2003)। भा.खे.प्रा. ने, परियोजना के लिए ₹15.66 करोड़ के प्रारंभिक अनुमान का अनुमोदन किया और प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की संस्वीकृति प्रदान की (जुलाई-अगस्त 2003)। भा.खे.प्रा.

¹ बोकारो, धनबाद, गिरिडिह, कोडर्मा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुर और साहेबगंज

² फुटबाल तथा हॉकी मैदान, बॉस्केटबाल, वॉलीबाल, कबड्डी आहाता, एथलेटिक ट्रैक, छात्र और छात्रा छात्रावास, प्रशासनिक भवन, बहुउद्देशीय हॉल तथा निवासीय क्वार्टर

ने सितम्बर 2003 में, परियोजना का निर्माण कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण कम्पनी लिमिटेड (रा.भ.नि.क.), भारत सरकार का एक उद्यम, को सौंपा गया था। यद्यपि, अनुबंध के अनुसार, निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि दिसम्बर 2004 थी, रा.भ.नि.क. ने दिसम्बर 2003 में कार्य आरम्भ किया और लगभग चार वर्षों के विलम्ब के बाद अर्थात् मई 2008 में पूर्ण किया गया था। विलम्ब को, मजदूरों की सुरक्षा पर आरोपित किया गया था। ₹14.15 करोड़ खर्च करने के पश्चात भा.खे.प्रा. ने, जून 2010 में, अवसंरचना अपने अधिकार में ली।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ (मार्च 2014) कि उप-केन्द्र को, राज्य सरकार से सुरक्षा स्वीकृति की प्रतीक्षा में परिचालनात्मक नहीं बनाया जा सका। इसी बीच, सीमा सुरक्षा बल, दक्षिणी बंगाल, फ्रन्टियर, कोलकाता (सी.सु.ब.) ने हजारीबाग स्थित भा.खे.प्रा. की अवसंरचना में अपनी रुचि दिखाई और पूरा परिसर थोक भाव से उनको हस्तांतरित करने के लिए प्रस्तावित किया (नवम्बर 2012)। भा.खे.प्रा. के महानिदेशक प्रस्ताव पर विचार करते हुए झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव ने जनवरी 2013 में, इस उद्देश्य हेतु सी.सु.ब. के साथ समझौता करते समय 'अनापत्ति' प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार द्वारा अभी मामले का उत्तर दिया जाना था (दिसम्बर 2014)। लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान यह और प्रकट हुआ कि केन्द्र के अनुरक्षण पर ₹1.28 करोड़³ और खर्च किए गए जो निष्फल सिद्ध हुए।

भा.खे.प्रा.-एन.एस.ई.सी. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि महानिदेशक के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय मामले का समाधान करने के लिए राज्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ सशक्त रूप से मामला उठा रहे थे। तथापि, ऐसी प्रारंभिक कार्रवाई का परिणाम अभी तक प्रतीक्षित था तथा अवसंरचना दिसम्बर 2014 तक अप्रयुक्त रहा।

³ तैनात किए गए प्रशिक्षकों/स्टाफ के वेतन और भत्ते: ₹89.28 लाख; बिजली का बिल ₹38.93 लाख (मार्च 2014 तक)

इस प्रकार, सुरक्षा मामलों का पर्याप्त ध्यान दिए बिना अवसंरचना के सृजन के परिणामस्वरूप ₹14.15 करोड़ का निवेश व्यर्थ हुआ और ₹1.28 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ (दिसम्बर 2014)।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2014 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

14.2 निष्फल व्यय

भा.खे.प्रा. द्वारा उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग में अभीष्ट सुविधा के उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाए बिना एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड की स्थापना का अनुमोदन करने से निर्माण कार्य को रद्द किया गया। स्थल पर किया गया ₹82 लाख का व्यय परिणामतः निष्फल सिद्ध हुआ।

भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) की वित्त समिति ने, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग में विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र (वि.क्षे.खे.) की स्थापना का अनुमोदन किया (अगस्त 2008)। इसमें ₹158.09 लाख तथा ₹358.11 लाख की लागत पर दो निर्माण कार्य अर्थात् क्रमशः 'हॉकी के लिए खेल मैदानों हेतु स्थलों का विकास' तथा 'हॉकी के लिए कृत्रिम सतह बिछाने' सहित एस्ट्रो टर्फ हॉकी फील्ड का सृजन शामिल है। निर्माण कार्य अगस्त 2012 तक पूरा किये जाने का अनुमान था जिसके लिए भा.खे.प्रा. ने दिसम्बर 2008 से अगस्त 2012 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) को ₹440.11 लाख की निधियां जारी की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.खे.प्रा. ने अभीष्ट उद्देश्य हेतु सुविधा के उपयोग की व्यवहार्यता सुनिश्चित किए बिना परियोजना का अनुमोदन किया था, महानिदेशक भा.खे.प्रा. ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के उपरांत निर्माण कार्य इस आधार पर रद्द कर दिया (अक्टूबर 2012) कि हॉकी न तो वि.क्षे.खे. शिलांग में एक अनुमोदित खेल अनुशासन था और न ही हॉकी मेघालय तथा असम में कोई प्रचलित खेल था। यह भी निर्णय किया गया था कि ऐसी सृजित अवसंरचना को अन्य खेलों के लिए सिंथेटिक टर्फ बिछाने या अन्य उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने यह और पाया कि परियोजना के बन्द होने के समय, के.लो.नि.वि. ने फील्ड के विकास पर ₹82 लाख की राशि व्यय की थी लेकिन 'कृत्रिम सतह' हेतु जारी की गई ₹358.11 लाख की राशि अप्रयुक्त रही। तदनुसार, भा.खे.प्रा. ने के.लो.नि.वि. को सूचित किया (अक्टूबर 2012) कि अव्ययित राशि को चल रही अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, जैसा कि परियोजना के बन्द होने के दौरान देखा गया, स्थल को अन्य खेलों हेतु विकसित नहीं किया जा सका (जनवरी 2015)।

इस प्रकार, भा.खे.प्रा. के परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाए बिना उसको कार्यान्वित करने के निर्णय से ₹82 लाख का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम सतह बनाने के लिए के.लो.नि.वि. को जारी ₹3.58 करोड़ में से ₹1.10 करोड़ (दिसम्बर 2008 में जारी), अन्य परियोजनाओं हेतु राशि का उपयोग करने के लिए अक्टूबर 2012 में निर्णय लेने तक चार वर्षों से अधिक समय तक के.लो.नि.वि. के पास अवरूद्ध रहे।

भा.खे.प्रा. ने बताया (जनवरी-2015) कि बजट प्रतिबंधों के कारण तत्कालीन म.नि., भा.खे.प्रा. द्वारा योजना की समीक्षा की गई थी तथा हॉकी जो उस क्षेत्र में बहुत कम प्रचलित खेल था, से संबंधित कृत्रिम सतह बिछाने का कार्य रद्द कर दिया था। तथापि कृत्रिम सतह बिछाने के लिए तैयार किया गया ब्लैक टॉप सतह को अन्य विविध खेल गतिविधि हेतु उपयोग किया जाएगा।

उत्तर यह प्रमाणित करता है कि भा.खे.प्रा.का परियोजना के प्रारंभ में पर्याप्त परिश्रम करने में विफल रहने के कारण परियोजना को, इस आधार पर कि हॉकी उस क्षेत्र में प्रचलित खेल नहीं था, बीच में ही रद्द करना पड़ा जो दोषपूर्ण योजना बनाने का सूचक है। आगे, भा.खे.प्रा. ने पहले से खर्च की गई राशि का लाभकारी उपयोग करने के लिए एक ठोस योजना अभी बनानी थी।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2014): उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XV : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता

15.1 नगरपालिका प्राधिकरण को अधिक भुगतान

सुसंगत अधिनियम की प्रचलित धारा का सत्यापन किए बिना नगरपालिका प्राधिकरण को नगरपालिका राशियों का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹1.47 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता (भा.सां.सं.) सांख्यिकी तथा संबंधित विधाओं में अनुसंधान, शिक्षण तथा उपयोग को समर्पित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। भा.सां.सं. पूर्णतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों द्वारा वित्तपोषित होता है।

कोलकाता नगर निगम (को.न.नि.) ने, भा.सां.सं. को उसके दो परिसरों अर्थात् 202 बैरकपुर ट्रंक (बै.ट्रं) रोड़ तथा 205, बी.टी. रोड़ पर जलापूर्ति की। 202, बी.टी रोड़ परिसरों में आपूर्ति किया गया जल संस्थान तथा शैक्षिक भवनों, प्रशासनिक भवन, अन्य सहायक यूनिटों और निवासीय बहिर्गृहों की आवश्यकता को पूरा करती है जबकि 205, बी.टी. रोड़ परिसर पर आपूर्ति जल निवासीय क्वार्टरों, छात्रावास भवनों, अतिथि गृह तथा चिकित्सा कल्याण इकाई के लिए उपयोग होता है। को.न.नि., भा.सां.सं. परिसरों में पूर्वोक्त दो कनेक्शनों में लगाए गए पानी के मीटरों के अनुसार जल की आपूर्ति हेतु बिल देता है तथा आवाधिक रूप से उस बिल का भुगतान किया जाता है।

को.न.नि. अधिनियम 1980 के अध्याय XXII की धारा 390(2) में भवन को अधिभोग आधार पर वर्गीकृत तथा परिभाषित किया गया है। निवासीय भवनों में सामान्य निवासीय उद्देश्यों हेतु उपलब्ध कराए गए भवन हैं तथा उसमें एक/द्वि/बहु परिवारिय निवास, छात्रावास आदि शामिल होते हैं तथा शैक्षिक

भवनों में, विद्यालय, महाविद्यालय या दिन के समय देखभाल उद्देश्यों हेतु उपयोग किए गए भवन हैं जिसमें उनको अनुदेश, शिक्षा या मनोरंजन हेतु सभा होना शामिल है। आगे यह उल्लेख किया गया है कि अधिभोग के उद्देश्य हेतु अधिभोग पर आर्थिक सहायता, जो इस पर आश्रित है, को शामिल करना माना जाएगा। अतः उन भवनों जिनमें को.न.नि. द्वारा जलापूर्ति की जाती है, को निवासीय तथा शैक्षिक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि उप सभी भवनों का मुख्य अधिभोग प्रशासनिक भवन जो पुनः इस पर आश्रित था, के अलावा या तो निवासीय उद्देश्यों के लिए थे या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए थे। उक्त अधिनियम के **अध्याय XVII** की धारा 238(2) (i) में निर्धारित है कि निवासीय तथा शैक्षिक भवनों को आपूर्ति जल को घरेलू उद्देश्यों हेतु आपूर्ति किए जाने वाला जल समझा जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2014) कि को.न.नि. ने भा.सां.सं. से घरेलू श्रेणी की बजाए 'औद्योगिक, वाणिज्यिक और सांस्थानिक' श्रेणी के अंतर्गत लागू दरों पर बिल वसूल किये थे। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2004 से अक्टूबर 2013 (उपलब्ध कराए गए रिकार्ड के अनुसार) तक की अवधि के लिए ₹1.47 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। यह भी पाया गया था कि भा.सां.सं. उपभोक्ता के प्रकार के वर्गीकरण के सुधार हेतु कभी भी को.न.नि. के पास नहीं गया था।

भा.सां.सं. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि उन्होंने श्रेणी में परिवर्तन हेतु तथा अधिक प्रभारित राशि की वापसी हेतु को.न.नि. के साथ मामला उठाया था।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2014 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

15.2 कर्मचारियों को अदेय लाभ

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा चिकित्सा बीमा योजना, जिसे अभी प्रशासनिक, मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाना था, के अपनाने से 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए कर्मचारियों से अंशदान की कटौती न किए जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को न्यूनतम ₹57.40 लाख का अदेय लाभ हुआ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (छठे के.वे.आ.) ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/ पेंशन भोगियों के लिए निर्धारित अंशदान की वसूली के अधीन स्वैच्छिक आधार पर एक स्वास्थ्य बीमा योजना की सिफारिश की (अगस्त 2008)। वर्ग क, ख और ग कर्मचारियों को वार्षिक प्रीमियम क्रमशः 30 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत देना होगा तथा शेष राशि का सरकार भुगतान करेगी। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, के.वे.आ. की विभाग से संबंधित सिफारिशें वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन अथवा अन्यथा हेतु तैयार की जाती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा.प.क.मं.), केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में बीमा योजना लागू करने वाला प्रशासनिक मंत्रालय है। स्वा.एवं प.क.मं. ने एक समूह स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना) बनाई जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना था।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (भा.सां.सं.) अपने स्टाफ को उनके परिसर में स्थित चिकित्सा कल्याण यूनिट के माध्यम से आउटडोर चिकित्सा सुविधाएं दे रहा था। इसके अतिरिक्त, भा.सां.सं. ने सी.एस. (एम.ए.) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार इंडोर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं। तथापि, भा.सां.सं. ने छठे के.वे.आ. की सिफारिश के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए सितम्बर 2010 में एक स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया। भा.सां.सं. ने प्रति वर्ष प्रति परिवार रचार लाख की राशि के लिए उत्प्लावक¹ आधार पर

¹ एक पॉलिसी जिसमें उसके/उसके परिवार के अतिरिक्त सदस्य कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर बीमाकृत सहित कवर किए जाते हैं।

योजना की छानबीन करने के लिए चार लोक क्षेत्र बीमा कम्पनियों के साथ चर्चा की (दिसम्बर 2010)। चार बीमा कम्पनियों से बोलियां आमंत्रित की गई थी तथा ₹1.45 करोड़ के वार्षिक प्रीमियम पर सबसे निम्नतम बोलीकर्ता वाले राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड (बीमाकर्ता) के प्रस्ताव का चयन किया गया था। बीमाकर्ता को मार्च 2011 में कार्य आदेश जारी किया गया था तथा वर्ष 2011-12 के लिए ₹1.46 करोड़ के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि भा.सां.सं. ने छठे कें.वे.आ. के अधीन निर्धारित दरों पर अंशदान वसूल नहीं किया था। इसी बीच, वर्ष 2012-13 के लिए ₹1.41 करोड़ राशि का वार्षिक प्रीमियम मार्च 2012 में बीमाकर्ता को और दे दिया था।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, भा.सां.सं. के वर्तमान तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक तथ्य निष्कर्ष समिति का गठन किया (मई 2012)। समिति ने सिफारिश की (जुलाई 2012) कि चिकित्सा बीमा योजना का पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात् 30.03.2011 से नियमन/कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव केन्द्रक मंत्रालयों के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि प्रस्तावों में वार्षिक प्रीमियम का 20 से 30 प्रतिशत की दर या विद्यमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से के.स.स्वा.यो. अंशदान की कटौती भी शामिल होनी चाहिए।

अभिलेख की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि भा.सां.सं. ने विद्यमान कर्मचारियों से 31 मार्च 2013 से 20 प्रतिशत की दर पर योजना के प्रति अंशदान की कटौती आरंभ कर दी थी। तथापि, भा.सां.सं. ने, कर्मचारियों से 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए अंशदान वसूल नहीं किया था। योजना के प्रति वसूल न किया गया अंशदान कम से कम² ₹57.40 लाख था। इसी बीच 2010-11 तथा

² 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान दिए गए ₹1.46 करोड़ तथा ₹1.41 करोड़ का 20 प्रतिशत।

2011-12 के दौरान क्रमशः ₹1.28 करोड़ तथा ₹1.84 करोड़ के बीमा दावे तैयार किए गए थे।

भा.सां.सं. ने बताया (जनवरी 2015) कि वह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने से पूर्व अपने कर्मचारियों के इंडोर उपचार हेतु सी.एस. (एम.ए.) नियमावली में अंशदान की कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर इस तथ्य कि स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदन अभी किया जाना था, छठे कें.वे.आ. की सिफारिश, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों से निर्धारित दरों पर प्रीमियम की वसूली करना अनुबद्ध था, के अनुसार भा.सां.सं. द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी, के प्रतिकूल है। इस प्रकार भा.सां.सं. का यह उत्तर, कि सी.एस. (एम.ए.) नियमावली में कोई प्रावधान न होने के कारण कर्मचारियों से प्रीमियम की वसूली नहीं की गई, सुसंगत नहीं था क्योंकि स्वास्थ्य बीमा योजना सी.एस. (एम.ए.) नियमावली की सीमा में नहीं आती थी।

तथ्य यह रहा कि यद्यपि भा.सां.सं. ने छठे कें.वे.आ. की सिफारिश के अनुसार मंत्रालय के पूर्वानुमोदन के बिना स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की तथापि वह छठे कें.वे.आ. तथा तथ्य निष्कर्ष समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों से भी प्रीमियम राशि वसूल करने में विफल रहा था। मार्च 2013 के बाद से प्रीमियम पर अनुवर्ती कटौतियां छठे कें.वे.आ. के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं से अपेक्षाकृत कम थीं। इस प्रकार, भा.सां.सं. द्वारा चिकित्सा बीमा योजना जिसको प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना था, के अपनाने से 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए कर्मचारियों से अंशदान की कटौती नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को न्यूनतम ₹57.40 लाख का अदेय लाभ हुआ।

मामला मंत्रालय को अक्टूबर 2014 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय XVI : पर्यटन मंत्रालय

16.1 लेखापरीक्षा के बताए जाने पर धन की वापसी

मंत्रालय ने एक परियोजना जिसका लक्ष्य चिन्हित पर्यटन स्थानों पर विश्वस्तरीय पर्यटन संरचना उपलब्ध करवाना था के लिए केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन को मार्च 2008 में ₹6.62 करोड़ की राशि जारी की। लेखापरीक्षा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद, मंत्रालय ने यह मुद्दा केन्द्र शासित प्रदेश के साथ उठाया जिसके उपरान्त ₹2.77 करोड़ की अप्रयुक्त राशि मंत्रालय को वापस कर दी गई।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च 2008, में चिन्हित प्रमुख पर्यटन स्थलों/सर्किटों में विश्वस्तरीय पर्यटन संरचना उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना “प्रोडक्ट/इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर डेस्टीनेशनस एण्ड सर्किट्स” के अन्तर्गत “ऑगमेंटिंग टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यू टी ऑफ लक्षद्वीप” नामक परियोजना के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹7.83 करोड़ अनुमोदित किये। मंत्रालय ने कार्य आरम्भ करने के लिए मार्च 2008 में केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन को अग्रिम के रूप में ₹6.26 करोड़ की पहली किस्त जारी की जो कि ₹7.83 करोड़ की केन्द्रीय सहायता राशि का 80 प्रतिशत थी। शेष 20 प्रतिशत राशि उपयोगिता एवं समापन प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरान्त जारी की जानी थी।

संस्वीकृति के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परियोजना का निष्पादन लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग (एल.पी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा किया जाना था तथा कार्य का प्रारम्भ संस्वीकृति की तिथि के अधिकतम एक वर्ष के भीतर यानि मार्च 2009 तक हो जाना चाहिए था। आगे, केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन को नियमित रूप से कार्य प्रगति रिपोर्ट एवं व्यय का विवरण केन्द्र सरकार, पर्यटन मंत्रालय को त्रैमासिक रूप से भेजना था। संस्वीकृति पत्र में यह भी उल्लिखित था कि

केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि को केन्द्र शासित प्रदेश/निष्पादन संस्था छः माह से अधिक समय तक अप्रयुक्त नहीं रखेगी। यदि निधि का उपयोग उस समय के अन्दर न हो पाया तो उसे केन्द्र सरकार को वापस कर दिया जायेगा या फिर उसे किसी दूसरी केन्द्रीय वित्त सहायता प्राप्त परियोजना में स्थानान्तरित/समायोजित करने के लिए केन्द्र सरकार से औपचारिक अनुमोदन लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2010 में एवं पुनः सितंबर 2012 में परियोजना के कार्य की धीमी गति एवं केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र न जमा करने के बारे में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को बताया। इसके उपरांत, मंत्रालय ने मार्च 2011 में मामले को केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ उठाया।

मंत्रालय ने बताया (जून 2014) कि केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने ₹6.26 करोड़ में से ₹3.49 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए थे एवं ₹2.77 करोड़ की अप्रयुक्त राशि मंत्रालय को वापस लौटा दी थी (₹1.77 करोड़ सितंबर 2013 में एवं ₹एक करोड़ फरवरी 2014 में)।

तथ्य यह रहा कि पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना की अपर्याप्त निगरानी के कारण पाँच वर्षों के बाद भी कार्य अपूर्ण रहा तथा इस दौरान ₹2.77 करोड़ की निधि अप्रयुक्त रही जिसे लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने के बाद ही मंत्रालय द्वारा वापस लिया गया। आगे, मंत्रालय ने ₹2.77 करोड़ की राशि पर ₹96.46 लाख ब्याज के रूप में केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन पर अभी तक (जून 2014) न लगाये और न ही वसूले हैं।

अध्याय XVII : जनजातीय कार्य मंत्रालय

17.1 अनुदान का अधिक निर्गम

मंत्रालय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ए.आ.आ.वि.) की स्थापना की योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय उचित सचेतना लागू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, इसने राज्य में दो ए.आ.आ.वि. में वास्तविक छात्र संख्या की गणना किए बिना अनुदानें जारी की जो ₹2.21 करोड़ के अधिक निर्गम का कारण बनी।

भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानों सहित राज्यों/सं.शा.क्षे. में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ए.आ.आ.वि.) की संस्थापना हेतु संशोधित दिशानिर्देश जारी किए (जून 2010)। ए.आ.आ.वि. का उद्देश्य दूरवर्ती क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च एवं व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों तथा सरकारी एवं सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण प्राप्त करने हेतु उनको समर्थ बनाने के लिए गुणवत्ता, माध्यमिक तथा उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत, विद्यालय की कुल संस्वीकृत संख्या 480 छात्रों की होनी चाहिए थी तथा विद्यालयों के प्रथम वर्ष के दौरान आवर्ती लागत को ₹42000 प्रति बच्चे की दर पर निर्धारित किया गया था। तदनुसार, मंत्रालय को अधिकतम 480 छात्र प्रति ए.आ.आ.वि. हेतु अनुदानें प्रदान करनी थी।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 2012-13 हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जुलाई 2012) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 10 ए.आ.आ.वि. की निरंतरता (₹2461.20 लाख), हाल में संस्वीकृत दो ए.आ.आ.वि. की आवर्ती लागत तथा ₹6958.99 लाख की कुल अनुमानित लागत पर राज्य में उच्च विद्यालयों में फर्नीचर प्रदान करना भी शामिल था।

लेखापरीक्षा जांच ने उजागर किया कि प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय मंत्रालय दो ए.आ.आ.वि. की वास्तविक छात्र संख्या की गणना करने में विफल

रहा तथा इसकी बजाय अनुदानें संस्वीकृत की जो 480 की अधिकतम छात्र संख्या हेतु स्वीकार्य थी तथा निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार सितंबर 2012 में अनुदान के 75 प्रतिशत की प्रथम किश्त जारी की:

ए.आ.आ.वि. का स्थान	अधिकतम स्वीकार्य संख्या	वास्तविक संख्या	जारी राशि (75 प्रतिशत)	स्वीकार्य राशि (₹42000x180x7 5 प्रतिशत)	अधिक निर्गम (₹ में)
जी.वी. वीधी बालक, जिला विशाखापत्तनम	480	168	15120000	5292000	9828000
डोर्नाला (बालिका), जिला प्रकासम	480	90	15120000	2835000	12285000
कुल					22113000

लेखापरीक्षा में यह इंगित किया गया था (दिसंबर 2014) कि मंत्रालय प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा तथा राज्य सरकार को स्वीकार्य अनुदान का गलत प्रकार से परिकलन किया जो ₹2.21 करोड़ के अधिक निर्गम का कारण बना।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि 2012-13 के दौरान संस्वीकृत राशि के 75 प्रतिशत के बाद राज्य सरकार को आगे कोई निर्गम नहीं किए गए थे तथा इसलिए वर्ष के दौरान राज्य सरकार को प्रदान कुल राशि अनुज्ञेय सीमा के भीतर थी।

उत्तर स्पष्ट रूप से एक बाद का विचार है तथा लेन-देन के समय पर अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त, बाद की अवधि के मंत्रालय के अभिलेखों ने दर्शाया कि इसने वास्तव में अनुवर्ती निर्गमों से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अधिक निर्गम का समायोजन करने की मांग की थी। मंत्रालय का यह कार्य लेखापरीक्षा मुद्दे की पुष्टि करता है।

अध्याय XVIII : सामान्य

18.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति के निरन्तर अनुदेशों/अनुशंसाओं के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने, लोक समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी 62 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारी/शोधक कार्रवाई टिप्पणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी। तथापि, पिछले पांच वर्षों से लम्बित का.टि. की स्थिति में सुस्पष्ट सुधार था।

लोक सभा सचिवालय ने, सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत होने के पश्चात इनमें निहित विभिन्न पैराग्राफों पर उपचारी/की गई शोधक कार्रवाई दर्शाते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को टिप्पणियां भेजने के लिए अप्रैल 1982 में अनुदेश जारी किए थे।

संसद में, 22 अप्रैल 1997 को प्रस्तुत किए गए अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित कार्रवाई टिप्पणियों (का.टि.) का प्रस्तुतीकरण तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा यह अनुशंसा की कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष तथा इसके बाद के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर का.टि., संसद में प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से चार माह के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से जांच कराकर उनको प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, 29 अप्रैल 2010 में संसद को प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में लो.ले.स. ने अनुशंसा की कि उपचारी कार्रवाई करने तथा लो.ले.स. को का.टि. प्रस्तुत करने में असामान्य विलम्बों के सभी मामलों

में व्यक्तिगत रूप से मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

लो.ले.स. ने यह भी इच्छा की थी कि का.टि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्बों से संबंधित मामलों को आवधिक रूप से, ज्यादातर तिमाही अंतराल पर सचिव समिति (स.स.) के समक्ष लाया जाना चाहिए ताकि सभी चूककर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा का.टि. के प्रस्तुतीकरण पर कार्रवाई की जाए।

लो.ले.स. की अनुशंसाओं के अनुसरण में, स.स. द्वारा कैबिनेट सचिवालय में तीन बैठकें की गई थीं जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:

- (i) मंत्रालय/विभागों में सचिव, जो मुख्य लेखांकन अधिकारी हैं, निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा पैराओं/लो.ले.स. प्रतिवेदनों पर का.टि./का.रि. को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- (ii) उपयुक्त शोधक उपाय करने के अतिरिक्त नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों के पैराओं पर का.टि. तथा लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर का.रि. के प्रस्तुतीकरण की मॉनीटरिंग हेतु प्रत्येक मंत्रालय द्वारा वित्तीय सलाहकार सहित सचिव/विशेष सचिव द्वारा अध्यक्षता वाली स्थायी लेखापरीक्षा समिति (स्था.ले.प.स.) स्थापित की जाएगी।
- (iii) का.टि. के तीव्र प्रस्तुतीकरण हेतु का.टि. अदालतों/कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

जनवरी 2012 से स.स. की कोई बैठक नहीं हुई थी। तथापि, का.टि. की प्रगति पर चर्चा करने के लिए 22 नवम्बर 2012 तथा 26 फरवरी 2014 को अधिकारियों के समूह की दो बैठकों का आयोजन किया गया था।

लो.ले.स. 'का.टि. के सामयिक प्रस्तुतीकरण में मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन न करने' के मामले पर वर्षों से गठित अपनी उप-समितियों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा का.टि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की आवधिक रूप से समीक्षा कर रही है।


लो.ले.स. की उप-समिति IV (2013-14 एवं 2014-15) ने 'का.रि.' के सामायिक प्रस्तुतीकरण में मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन न करने के मामले की जांच भी की है। उप-समिति उन मामलों में आलोचनात्मक रही है जिनमें मंत्रालय/विभाग पहली बार का.टि. प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं तथा जिनमें वह लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के पांच से दस वर्षों के पश्चात भी समिति को अंतिम का.टि. प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

लो.ले.स. द्वारा इसकी ग्यारहवीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में दिए गए निर्देश के अनुपालन में, लेखापरीक्षा पैरा मॉनीटरिंग प्रणाली (ले.प.पै.मा.प्र.) के रूप में जानी जाने वाली एक कम्प्यूटरीकृत वैब-आधारित मॉनीटरिंग प्रणाली को ले.म.नि. के कार्यालय द्वारा विकसित किया गया था। ले.प.पै.मा.प्र. को ऑनलाईन प्लेटफॉर्म के माध्यम से का.टि. के प्रस्तुतीकरण के कार्य को सुदृढ़ करने, व्यवस्थित बनाने तथा तीव्रतर करने हेतु एक प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रदान करना है। तथापि, 25 नवम्बर 2014 में प्रस्तुत अपनी प्रथम रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में लो.ले.स. द्वारा निराशा सहित यह पाया गया था कि 81 में से केवल 21 मंत्रालय पोर्टल का उपयोग कर रहे थे फिर भी वे मंत्रालय भी जो इस पोर्टल का उपयोग कर रहे थे, पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में अधिक स्पष्टवादी नहीं थे।

का.टि. की ऑनलाईन मॉनीटरिंग को पूर्ण कार्यात्मक बनाने के लिए लो.ले.स. के निर्देश को ध्यान में रखते हुए यह अत्यावश्यक है कि लेखापरीक्षा कार्यालयों को इन का.टि. के प्रति अपने पुनर्निरीक्षण टिप्पणियों को अपलोड करने में समर्थ

बनाने के लिए सभी मंत्रालय इन का.टि. के नियत होते ही अपलोड करना आरम्भ करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लो.ले.स. की लगातार सलाह तथा निर्देश के साथ लंबित का.टि. की स्थिति घटती हुई प्रवृत्ति की ओर जारी रही जैसा निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



2010 में 333 से 2014 में 144 तक लम्बित का.टि. की संख्या में 57 प्रतिशत की गिरावट थी। 31 मार्च 2014 की समाप्त अवधि तक लम्बित का.टि. को मंत्रालय वार स्थिति **परिशिष्ट XIV** में दी गई है। 144 पैराग्राफों, जिन पर का.टि. भेजी जानी अपेक्षित थी, में से 62 पैराग्राफों के संबंध में का.टि. बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई थी।

18.2 ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों के प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति के कहने पर जारी वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने इस प्रतिवेदन में शामिल 42 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से 21 के प्रत्युत्तर नहीं भेजे थे।

लो.ले.स. की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए

प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रत्युत्तर, पैराग्राफ की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए थे।


भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के इस प्रतिवेदन में शामिल 42 पैराग्राफों में से 21 में, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे। ब्यौरे परिशिष्ट XV में दर्शाए गए हैं।



नई दिल्ली
दिनांक: 01 मई 2015

(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली
दिनांक: 08 मई 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1

(अनुच्छेद न. 2.1 में उल्लिखित)

प्रत्येक उत्पादक द्वारा पी.एस.एफ कॉरपस में जमा तथा भुगतान करने से संबंधित विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	काँफी				रबड़				चाय	
	वर्गीकरण	प्रत्येक सदस्य		वर्गीकरण	प्रत्येक सदस्य		वर्गीकरण	प्रत्येक सदस्य		
		जमा	भुगतान		जमा	भुगतान		जमा	भुगतान	
2003	संकट में	0	1000	तेजी में	1000	0	सामान्य	500	500	
2004	सामान्य में	500	500	तेजी में	1000	0	सामान्य	500	500	
2005	तेजी में	1000	0	तेजी में	1000	0	सामान्य	500	500	
2006	तेजी में	1000	0	तेजी में	1000	0	सामान्य	500	500	
2007	तेजी में	1000	0	तेजी में	1000	0	सामान्य	500	500	
2008	तेजी में	1000	0	तेजी में	1000	0	तेजी में	1000	0	
2009	तेजी में	1000	0	सामान्य	500	500	तेजी में	1000	0	
2010	तेजी में	1000	0	तेजी में	1000	0	तेजी में	1000	0	
2011	तेजी में	1000	0	तेजी में	1000	0	सामान्य	500	500	
2012	तेजी में	1000	0	तेजी में	1000	0	तेजी में	1000	0	
कुल		8500	1500		9500	500		7000	3000	
प्रत्येक उत्पादक द्वारा शुद्ध जमा		7000			9000			4000		

अनुबंध-II

(अनुच्छेद संख्या- 2.1.1 में उल्लिखित)

2000 के दौरान भारत में कुल क्षेत्र तथा चाय के कुल उत्पादन, उत्पादन की लागत की गणना करने की संभावना

प्रदेश	10.12 हेक्टेअर तक						कुल		
	संख्या	कुल संख्या का प्रतिशत	क्षेत्र (हेक्टेअर)	कुल क्षेत्र का प्रतिशत	उत्पादन (टन)	कुल उत्पादन का प्रतिशत	संख्या	क्षेत्र (हेक्टेअर)	उत्पादन (टन)
उत्तर भारत	43992	97.32	50755	12.98	73951	11.54	45202	390906	640756
दक्षिण भारत	66404	99.40	46843	41.29	80262	38.93	66808	113460	206166
सम्पूर्ण भारत	110396	98.56	97598	19.35	154213	18.21	112010	504366	846922

2000 के दौरान भारत में छोटे उत्पादकों का क्षेत्र तथा चाय का उत्पादन

राज्य / जिला	10.12 हेक्टेअर तक			उत्पादन (टन)	उत्पादकता
	संख्या	क्षेत्र (हेक्टेअर)	उत्पादन (टन)		
उत्तर भारत					
असम					
डिब्रूगढ़	21144	24547	30681	1.25	
शिवसागर	15479	12102	20195	1.67	
कुल	36623	36649	50876	1.39	
उत्तर भारत के कुल छोटे उत्पादकों की प्रतिशतता	83.25	72.21	68.80		
सम्पूर्ण उत्तर भारत का प्रतिशत	81.02	9.38	7.94		

राज्य / जिला	10.12 हेक्टेअर तक			
	संख्या	क्षेत्र (हेक्टेअर)	उत्पादन (टन)	उत्पादकता
उत्तर भारत के कुल छोटे उत्पादक	43992	50755	73951	
दक्षिण भारत				
नीलगिरि	60378	41875	76383	1.82
दक्षिण भारत के कुल छोटे उत्पादकों की प्रतिशतता	90.93	89.39	95.17	
सम्पूर्ण दक्षिण भारत की प्रतिशतता	90.38	36.91	37.05	
दक्षिण भारत के कुल छोटे उत्पादक	66404	46843	80262	
कुल छोटे उत्पादक (सम्पूर्ण भारत)	110396	97598	154213	

अनुबंध-III
(अनुच्छेद संख्या - 2.1.1 में उल्लिखित)
पी एस एफ योजना में सम्मिलित उत्पादों के मूल्य प्रवाह का विश्लेषण

वर्ष / विवरण	चाय			कॉफी अरेबिका			कॉफी रोबस्टा			रबड़		
	आई.पी	उतार / चढ़ाव	परिवर्तन (प्रतिशत में)	आई.पी	उतार/चढ़ाव	परिवर्तन (प्रतिशत में)	आई.पी	उतार/चढ़ाव	परिवर्तन प्रतिशत में	आई.पी	उतार/चढ़ाव	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1994	41.41			100.93			78.25			34.67		
1995	44.42	चढ़ाव	7.27	104.01	चढ़ाव	3.05	84.55	चढ़ाव	8.05	50.3	चढ़ाव	45.08
1996	47.12	चढ़ाव	6.08	86.84	उतार	-16.51	58.2	उतार	-31.16	47.64	उतार	-5.29
1997	65.74	चढ़ाव	39.52	130.55	चढ़ाव	50.33	60.07	चढ़ाव	3.21	36.14	उतार	-24.14
1998	74.28	चढ़ाव	12.99	114.87	उतार	-12.01	69.5	चढ़ाव	15.70	28.84	उतार	-20.20
1999	71.47	उतार	-3.78	101.09	उतार	-12.00	60.82	उतार	-12.49	26.44	उतार	-8.32
2000	68.31	उतार	-4.42	93.71	उतार	-7.30	39.74	उतार	-34.66	30.07	चढ़ाव	13.73
2001	63.7	उतार	-6.75	61.23	उतार	-34.66	28.06	उतार	-29.39	27.32	उतार	-9.15
2002	60.75	उतार	-4.63	61.09	उतार	-0.23	26.68	उतार	-4.92	36.96	चढ़ाव	35.29
2003	60.55	उतार	-0.33	66.78	चढ़ाव	9.31	34.87	चढ़ाव	30.70	51.01	चढ़ाव	38.01
2004	63.9	चढ़ाव	5.53	79.77	चढ़ाव	19.45	32.69	उतार	-6.25	58.33	चढ़ाव	14.35
2005	59.11	उतार	-7.50	108.38	चढ़ाव	35.87	45.58	चढ़ाव	39.43	65.73	चढ़ाव	12.69
2006	71.86	चढ़ाव	21.57	112.21	चढ़ाव	3.53	59.7	चढ़ाव	30.98	95.1	चढ़ाव	44.68

वर्ष / विवरण	चाय			काँफी अरोबिका			काँफी रोबस्टा			रबड़		
	आई.पी	उतार / चढ़ाव	परिवर्तन (प्रतिशत में)	आई.पी	उतार/चढ़ाव	परिवर्तन (प्रतिशत में)	आई.पी	उतार/चढ़ाव	परिवर्तन प्रतिशत में	आई.पी	उतार/चढ़ाव	परिवर्तन (प्रतिशत में)
2007	64.99	उतार	-9.56	110.98	उतार	-1.10	71.39	चढ़ाव	19.58	94.49	उतार	-0.64
2008	86.83	चढ़ाव	33.61	130.08	चढ़ाव	17.21	92.02	चढ़ाव	28.90	112.55	चढ़ाव	19.11
2009	102.59	चढ़ाव	18.15	136.18	चढ़ाव	4.69	71.98	उतार	-21.78	93.17	उतार	-17.22
2010	106.68	चढ़ाव	3.99	167.16	चढ़ाव	22.75	72.82	चढ़ाव	1.17	166.94	चढ़ाव	79.18
2011	110.05	चढ़ाव	3.16	263.16	चढ़ाव	57.43	104.15	चढ़ाव	43.02	225.2	चढ़ाव	34.90
2012	123.35	चढ़ाव	12.09	211.01	उतार	-19.82	108.16	चढ़ाव	3.85	181.86	उतार	-19.25
चढ़ाव		11	3.16-39.52		10	3.05-57.43		11	1.17-43.02		10	12.69-79.18
उतार		7	0.33-9.56		8	0.23-34.66		7	4.92-34.66		8	0.64-24.14
कुल वर्षों की संख्यां		19			19			19			19	
औसत चढ़ाव			14.90			22.36			20.42			33.70
औसत उतार			-5.28			-12.95			-20.09			-13.02
1994-2002 के दौरान औसत उतार			-4.90			-13.78			-22.52			-13.42

अनुबंध-IV
(पैराग्राफ सं.3.1 देखें)
(राज्यों के पास पड़े अप्रयुक्त मोबाइल वैन किट)

क्र.सं.	राज्य	आपूर्ति किए गए मोबाइल वैन किटों की सं.	आपूर्ति की तिथि	तोल सेतु की सं.	वैनो की वर्तमान स्थिति	अप्रयुक्त वैनो की लागत (रुलाख में)	अभ्युक्तियां
1	गोवा	2	30.06.2008 (उच्च क्षमता) 12.04.2010 (निम्न क्षमता)	182	निम्न क्षमता वाली मोबाइल वैन उपयोग में है। एक बेकार पड़ी है (बड़ी)	52.82	उच्च क्षमता की मोबाइल वैन जुलाई 2011 से बेकार पड़ी थी और उसको निम्न क्षमता वाली मोबाइल वैन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
2	पश्चिम बंगाल	2	25.08.2008 08.12.2008	1851	उपयोग नहीं की गई	52.82 52.82	निदेशालय में मो.वै.कि. परिचालन/चालन हेतु प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध नहीं थे।
3	असम	3	मार्च 2008 जुलाई 2010 जुलाई 2010	370	एक बेकार पड़ी रही (बड़ी)	52.82	सड़के संकरी थी तथा लो.नि.वि. के पुलो की भार क्षमता भी अधिक नहीं थी। वाहन का सकल भार तथा माप अधिक होने के कारण वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।
4	मेघालय	4	1 (बड़ी) - जनवरी 2009 3 (छोटी)- अगस्त 2010 और मार्च 2011	87	एक बेकार पड़ी रही (बड़ी)	52.82	उच्च क्षमता वाली मो.वै कि नवम्बर 2010 से बेकार पड़ी थी। पर्वतीय क्षेत्र और संकरी सड़क के कारण मोबाइल टेस्ट किट का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका।
5	मिजोरम	2	1 (बड़ी) 23.12.2008 1(छोटी) 26.06.2014	19	एक बेकार पड़ी रही (बड़ी)	52.82	बड़ी मोबाइल वैन अगस्त 2013 से बेकार पड़ी थी क्योंकि उसकी मरम्मत होनी थी।

क्र.सं.	राज्य	आपूर्त किए गए मोबाइल वैन किटों की सं.	आपूर्ति की तिथि	तोल सेतु की सं.	वैनो की वर्तमान स्थिति	अप्रयुक्त वैनो की लागत (रुलाख में)	अभ्युक्तियां
6	आन्ध्रप्रदेश	4	दो - 2008 एक - 2010 एक - 2013	1828	एक बेकार पड़ी रही	52.82	2010 से एक किट मरम्मत की प्रतीक्षा में बेकार पड़ी थी क्योंकि क्रेन बेस में दरार पड़ गई थी।
7	तमिलनाडु	5	दो - अगस्त 2008 दो - जुलाई 2010 एक - मार्च 2014	2875	चार बेकार पड़ी रही	52.82 52.82 62.24 62.24	तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं था।
8	छत्तीसगढ़	2	17.09.2008	1334	उपयोग नहीं की गई	52.82 52.82	तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं था।
9	बिहार	2	12.08.2010	831	उपयोग नहीं की गई	62.24 62.24	तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं था।
10.	पंजाब	2	मार्च 2008 अक्टूबर 2008	2316	1 बेकार पड़ी रही	52.82	तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं था।
11	कर्नाटक	2	मार्च 2014	1250	उपयोग नहीं की गई	78.83 78.83	तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं था।
12	केरल	5	जुलाई 2008 अक्टूबर 2008 जून 2010 जून 2010 मार्च 2014	1162	4बेकार पड़ी रही	52.82 52.82 62.24 78.83	तीन मशीनी खराबी के कारण तथा एक मो.वे.कि. जिसका पंजीकरण मार्च 2014 में होना था अभी तक लम्बित था।
कुल						1287.17	22वैन

अनुबंध-V
(पैराग्राफ सं. 3.2 के संदर्भ में)
(ग्राम अनाज बैंक योजना के अंतर्गत भोजन घटक हेतु निधियों के अधिक निर्गम के विवरण)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	खाद्यान्न	दिए गए खाद्यान्न की मात्रा	खाद्यान्न की वास्तविक आर्थिक लागत	मंत्रालय द्वारा अपनाई गई आर्थिक लागत	जारी की गई राशि	स्वीकार्य राशि	अधिक निर्गम
1.	महाराष्ट्र	2006-07	चावल	4444 मि.ट.	13911.80	13950.00	61993800	61824039	169761
2.	मध्य प्रदेश	2008-09	गेहूँ	5996 मि.ट.	13805.80	14588.30	87471447	82779577	4691870
		2010-11	गेहूँ	5824 मि.ट.	14943.50	15439.30	89918483	87030944	2887539
3.	आन्ध्र प्रदेश	2009-10	चावल	6512 मि.ट.	18200.70	18937.10	123318395	118522958	4795437
		2011-12	चावल	1072 मि.ट.	21229.40	21842.00	23414624	22757917	656707
4.	उत्तर प्रदेश	2008-09	गेहूँ	3124 मि.ट.	13805.80	14588.30	45573849	43129319	2444530
5.	त्रिपुरा	2010-11	चावल	256 मि.ट.	19831.10	20431.40	5230438	5076762	153676
6.	ओडीशा	2010-11	चावल	584 मि.ट.	19831.10	20431.40	11931938	11581362	350574
7.	नागालैण्ड	2009-10	चावल	744 मि.ट.	18200.70	18937.10	14089201	13541321	547880
		2010-11	चावल	172 मि.ट.	19831.10	20431.40	3514201	3410949	103252
8.	पश्चिम बंगाल	2009-10	चावल	1600 मि.ट.	18200.70	18937.10	30299360	29121120	1178240
9.	उत्तराखंड	2006-07	चावल	220 मि.ट.	13911.80	12862.00	2829640	3060596	(-)230956
		2010-11	चावल	220 मि.ट.	19831.10	20689.50	4551690	4362842	(-)188848
कुल									17559662

अनुबंध-VI
(पैराग्राफ सं. 3.4 के संदर्भ में)
(राज्यों के पास पड़ी हुई अनुप्रायुक्त फ्लो मीटर किटों के विवरण)

क्र.सं.	राज्य	फ्लो मीटर किटों की संख्या	आपूर्ति की तिथि	फ्लो मीटर किटों की वर्तमान स्थिति	अनुप्रायुक्त फ्लो मीटर किटों की लागत (रूलाख में)	टिप्पणियां
1.	असम	2 (सी.एन.जी.) 2 (एल.पी.जी.)	जून*2012	2 (सी.एन.जी.) किटें तथा 1 (एल.पी.जी.) किट व्यर्थ पड़े हुए हैं।	7.76 x 3	राज्य में सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन की सुविधा नहीं है।
2.	केरल	2 (सी.एन.जी.) 2 (एल.पी.जी.)	जून* 2012	2 (सी.एन.जी.) किट व्यर्थ पड़ी हुई हैं।	7.76 x 2	राज्य में सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन की सुविधा नहीं है।
3.	अरुणाचल प्रदेश	2 (एल.पी.जी.)	जून* 2012	2 (एल.पी.जी.) किट व्यर्थ पड़ी हुई हैं।	7.76 x 2	एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन की सुविधा नहीं है।
4.	नागालैण्ड	2 (सी.एन.जी.) 2 (एल.पी.जी.)	जून* 2012	2 (सी.एन.जी.) किटें तथा 2 (एल.पी.जी.) किटें व्यर्थ पड़ी हुई हैं।	7.76 x 4	राज्य में सी.एन.जी. एवं एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन की सुविधा नहीं है।
5.	हिमाचल प्रदेश	2 (सी.एन.जी.) 2 (एल.पी.जी.)	जून* 2012	2 (सी.एन.जी.) किटें तथा 2 (एल.पी.जी.) किटें व्यर्थ पड़ी हुई हैं।	7.76 x 4	राज्य में सी.एन.जी. एवं एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन की सुविधा नहीं है।
6.	तमिलनाडु	2 (सी.एन.जी.) 2 (एल.पी.जी.)	सितम्बर 2012	2 (सी.एन.जी.) किटें व्यर्थ पड़ी हुई हैं।	7.76 x 2	तमिलनाडु में सी.एन.जी. वितरण इकाईयां कार्यात्मक नहीं हैं।
7.	ओडिशा	2 (एल.पी.जी.)	अक्टूबर 2012	2 (एल.पी.जी.) किटें व्यर्थ पड़ी हुई हैं।	7.76 x 2	तकनीकी स्टाफ की अनुपलब्धता।
9 एल.पी.जी. तथा 10 सी.एन.जी. फ्लो मीटर किटें व्यर्थ पड़ी हुई हैं।					कुल : 147.45	

*मि.ट. की आपूर्ति निर्धारित तिथि के अनुसार

अनुबंध - VII
(पैराग्राफ सं. 4.1 देखें)

रविन्द्र रंगशाला से संबंधित घटनाओं का कालानुक्रम

अवधि	कमी
मई 2002	एस.एन.ए ने बोर्ड के साथ मामला उठाया था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था तथा इस मामले पर रिज मैनेजमेंट बोर्ड की ओर से एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था।
जुलाई 2002 सितम्बर 2002 तथा फरवरी 2003	एस एन ए ने शपथ-पत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रयास किए थे।
मार्च 2003	कार्यकारी बोर्ड की बैठक में यह पता लगाया गया था कि रविन्द्र रंगशाला बहु प्राधिकारणों के अधीन था भूमि, भूमि तथा विकास अधिकारी के अधीन थी तथा अन्य क्षेत्र के.लो.नि.वि. (बागवानी विभाग) तथा रिज मैनेजमेंट बोर्ड के नियंत्रणाधीन थे। वित्तीय सलाहकार ने सुझाव दिया कि रविन्द्र रंगशाला संस्कृति विभाग को वापस कर दिया जाए। तथापि, तत्कालीन उप सभापति के सुझाव पर वह सहमत हो गया था कि अकादमी रिज मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा फाइल शपथपत्र को प्राप्त करके उसकी जांच कर सकती है।
अगस्त 2003	जैसाकि उपर्युक्त बैठक में माना गया है, मामला मुख्य सचिव रा.रा.क्षे. सरकार दिल्ली के साथ उठाया गया था।
2006	शपथपत्र अकादमी द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त किया गया था।
जुलाई 2006	रविन्द्र रंगशाला को पुनः चालू करने का मामला सभापति, रिज मैनेजमेंट बोर्ड को पुनः भेजा गया था।
अगस्त 2006	उत्तर में, सचिव (पर्यावरण), रा.रा.क्षे. सरकार दिल्ली ने बताया था कि यह क्षेत्र के.लो.नि.वि. द्वारा मई 2004 में अधिसूचना द्वारा वन विभागको सौंप दिया गया था।
जून 2013	अकादमी की सामान्य परिषद ने अपनी बैठक में निर्णय किया कि रविन्द्र रंगशाला का प्रबंधन संस्कृति मंत्रालय को वापस कर दिया जाए।
सितम्बर 2013	एस एन ए ने संस्कृति मंत्रालय को उक्त निर्णय के बारे में सूचित किया।
अक्टूबर 2014	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में एस.एन.ए. ने बताया कि मामला मंत्रालय के पास सक्रिय विचाराधीन था, तथापि उक्त मामले के संबंध में एक औपचारिक उत्तर संस्कृति मंत्रालय से प्रतीक्षित था।
दिसम्बर 2014	संस्कृति मंत्रालय द्वारा लिए गए नवीनतम निर्णय के अनुसार एस एन ए को, वाहन पार्किंग क्षेत्र, विद्यमान पहुँच सड़क की ब्लैक टॉपिंग, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ एक समकालीन निष्पादन स्थान के लिए अपेक्षित सभी सुविधाओं का प्रावधान करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाना था। संस्कृति मंत्रालय को भू.वि.अ. से अनापति प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना था तत्पश्चात प्रस्ताव वन विभाग को, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय रिज मैनेजमेंट बोर्ड रा.रा.क्षे. सरकार, दिल्ली को उसके और विचार हेतु भेजा जाना था।

अनुबंध - VIII
(पैराग्राफ सं. 6.2 के संदर्भ में)

किराए के लिए माहवार भुगतान पट्टादाता को किया गया था

माह	राशि (106728X @28प्र.मा.)
जुलाई 2011	1151916
अगस्त 2011	2975784
सितम्बर 2011	2975784
अक्टूबर 2011	2975784
नवम्बर 2011	2975784
दिसम्बर 2011	2975784
जनवरी 2012	2975784
फरवरी 2012	2975784
मार्च 2012	2975784
अप्रैल 2012	2975784
मई 2012	2975784
जून 2012	2975784
जुलाई 2012	2975784
अगस्त 2012	1487982
कुल	38349306

अनुबंध - IX
(पैराग्राफ सं. 7.1 के संदर्भ में)

₹7000/- या.भ. आहरित करने वाले डॉक्टरों की सूची

क्र.सं.	केन्द्रीय क्षेत्र डॉक्टरों के नाम	अवधि	या.भ. की आहरित राशि	या.भ.की देय राशि	अतिरिक्त भुगतान
1.	डॉ. जे.एन.दास (से.नि.)	दिसम्बर 08 सेजुलाई 09	68250	31200	37050
2.	डॉ.एन.सी.मांझी(से.नि.)	सितम्बर 08 सेमार्च 10	165410	75616	89794
3.	डॉ. के.गोस्वामी(से.नि.)	दिसम्बर 08 सेअक्तूबर 10	210000	96000	114000
4.	डॉ.बजरंग लाल(से.नि.)	जनवरी 09 सेजुलाई 11	296660	135616	161044
5.	डॉ.सुदामा जेसवानी (स्थानांतरण)	दिसम्बर 08 सेसितम्बर 09	86030	39328	46702
6.	डॉ.असित दास(से.नि.)	जनवरी 09 सेजनवरी 13	506100	231360	274740
7.	डॉ.वाय.पी.एस. तेजन	दिसम्बर 08 से जून 11	293720	134272	159448
8.	डॉ.एम.आर.भौमिक(से.नि.)	मार्च 08 to अगस्त 10	214060	97856	116204
9.	डॉ.मंजुला त्यागी(से.नि.)	दिसम्बर 08 से दिसम्बर11	360080	164608	195472
10.	डॉ.कीर्ति मालवीय(से.नि.)	दिसम्बर 08 से मई 11	283150	129440	153710
11.	डॉ.जगदीश सरन(से.नि.)	नवम्बर 08 से दिसम्बर 11	368200	168320	199880
12.	डॉ. बी.के. सागर(से.नि.)	नवम्बर 08 से सितम्बर 12	473620	216512	257108
13.	डॉ.के.दास.गुप्ता(से.नि.)	नवम्बर 08 से दिसम्बर 12	509740	233024	276716
14.	डॉ.प्रोमीला गौतम	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
15.	डॉ. आनन्द स्वरूप	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
16.	डॉ. अंजली चन्द्रीका टिग्गा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
17.	डॉ.मीरा चक्रवर्ती	नवम्बर08 से मार्च 14	707140	323264	383876
18.	डॉ.सी.के. मोहन्ती	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
19.	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
20.	डॉ. रीटा श्रीवास्तव	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
21.	डॉ.ज्योति पुरी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
22.	डॉ. कुमुद	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
23.	डॉ.सीमा त्यागी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
24.	डॉ.श्यामा गुप्ता	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
25.	डॉ.अनिल मनक्तला	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
26.	डॉ.जयप्रकाश	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
27.	डॉ. सुनिता रानी छाबड़ा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
28.	डॉ.जी.डी. पलिया	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
29.	डॉ. राजबाला कौशल	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
30.	डॉ. विजेन्द्र कुमार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
31.	डॉ. ललित डांग	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
32.	डॉ. सी.एम.के. चौहान	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
33.	डॉ.चालर्स मरान्डी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
34.	डॉ.सुनिल कुमार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876

केन्द्रीय क्षेत्र					
क्र.सं.	डॉक्टरों के नाम	अवधि	या.भ. की आहरित राशि	या.भ.की देय राशि	अतिरिक्त भुगतान
35.	डॉ.आलोक दीक्षित	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
36.	डॉ.एम.के.तोमर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
37.	डॉ.सुबीर राँय	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
38.	डॉ.स्वप्न तालुकदार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
39.	डॉ.एस के सिंह	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
40.	डॉ.अलका कोठारी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
41.	डॉ.एस.एन.जी. लुगान	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
42.	डॉ. नीरू कुमार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
43.	डॉ.मनीश सकसेना (स्थानांतरण)	नवम्बर 08 से सितम्बर 12	473620	216512	257108
44.	डॉ.मधु गुप्ता (स्थानांतरण)	नवम्बर 08 से मई 13	572740	261824	310916
45.	डॉ.बिधु भूषण (स्थानांतरण)	जून13 से मार्च 14	134400	61440	72960
46.	डॉ.संजय जैन (स्थानांतरण)	अक्टूबर 12 से मार्च 14	233520	106752	126768
47.	डॉ.मधु रायकवार (स्थानांतरण)	नवम्बर 08 से नवम्बर 12	497700	227520	270180
48.	डॉ.विनय हंस (स्वै.से.नि.से.)	दिसम्बर 11 से फरवरी 13	165200	75520	89680
			26419260	12077376	14341884
दक्षिण क्षेत्र					
1.	डॉ. जी.आर. मारवाह	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
2.	डॉ. चन्दा दत्ता	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
3.	डॉ. नूतन मेहता	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
4.	डॉ. रविन्द्र कुमार	नवम्बर 08से मार्च 14	707140	323264	383876
5.	डॉ. कुमकुम	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
6.	डॉ. प्रशान्त बोरकर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
7.	डॉ. बी.सी. दास	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
8.	डॉ. मुकुल कुमार कुलश्रेष्ठ	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
9.	डॉ. एस.आर.सिंह	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
10.	डॉ. पी.एस. तोमर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
11.	डॉ. उमा पस्सी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
12.	डॉ. के.के. मजूमदार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
13.	डॉ.कामिनी त्रिपाठी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
14.	डॉ.वी.एस. रावत (से.नि.)	नवम्बर 08 से जून 13	585340	267584	317756
15.	डॉ.सीमा चौधरी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
16.	डॉ. मन्जू श्रीवास्तव	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
17.	डॉ. मनीष खोबा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
18.	डॉ. पुष्पलता	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
19.	डॉ. दिपान्कर मिडा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
20.	डॉ. पूनम पुरी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
21.	डॉ. आर.पदमीनी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
22.	डॉ. सविता सिन्हा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876

केन्द्रीय क्षेत्र					
क्र.सं.	डॉक्टरों के नाम	अवधि	या.भ. की आहरित राशि	या.भ.की देय राशि	अतिरिक्त भुगतान
23.	डॉ. सुशील कुष्णन	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
24.	डॉ. सुरेश खुराना	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
25.	डॉ. रतन मंडल	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
26.	डॉ. टी.भुटिया	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
27.	डॉ. आर.के.पुनिया (से.नि.)	नवम्बर 08 से अप्रैल 13	560140	256064	304076
28.	डॉ. सुजाता चन्द्रा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
29.	डॉ. पूनम त्रिहान	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
30.	डॉ. विजय भूषण	नवम्बर 08 से सितम्बर 12	473620	216512	257108
31.	डॉ.नीता लाल	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
32.	डॉ. श्रीमती जानकी जंगपंगी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
33.	डॉ.नरेन्द्र कौर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
34.	डॉ.ओ.पी.सागर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
35.	डॉ.प्रौमिला चक्रवती	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
36.	डॉ. साधना राजवंशी	नवम्बर 08 से दिसम्बर 13	665140	304064	361076
37.	डॉ.नरेन्द्र सिंह	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
38.	डॉ.आर.सी.सोनोवाल	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
39.	डॉ.जगजीत सचदेवा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
40.	डॉ.एच.डेका	नवम्बर 08 से दिसम्बर 13	665140	304064	361076
41.	डॉ. सुधा सेठी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
42.	ए.डी.के रूप में पदोन्नत किए गए डॉ. कंवल कुमार	नवम्बर 08 से अप्रैल 12	414400	189440	224960
43.	डॉ. रूमी देवी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
44.	डॉ. डी.के. नारायण	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
45.	डॉ. यू.एस.पी. सिंह	नवम्बर 08 से जनवरी 14	679140	310464	368676
46.	डॉ.संतोष कटारिया	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
47.	डॉ. मीनाक्षी दुबे	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
48.	डॉ. वन्दना चक्रवर्ती	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
49.	डॉ.नीलम हिमतानी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
50.	डॉ.वत्सल शर्मा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
51.	डॉ.संदीप देब	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
52.	डॉ.योगीन्द्र कुमार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
53.	डॉ. मधु बाजपेयी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
54.	डॉ.आर.एस.पाल.	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
55.	डॉ.ज्योति रावत	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
56.	डॉ.जयन्ती मनी	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
57.	डॉ.रूपीन्द्र कौर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
58.	डॉ.अशोक कुमार भटनागर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
59.	डॉ.रन्जना कुमार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876

केन्द्रीय क्षेत्र					
क्र.सं.	डॉक्टरों के नाम	अवधि	या.भ. की आहरित राशि	या.भ.की देय राशि	अतिरिक्त भुगतान
60.	डॉ. पूर्णिमा छिब्वर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
61.	डॉ. रेणू वासुदेव	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
62.	डॉ. रजनी चक्रवती	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
63.	डॉ. नीना अहूजा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
64.	डॉ. रश्मी भटनागर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
			44349900	20274240	24075660
	के.स.स्वा.यो. मुख्यालय				
1.	डॉ.संगीता मल्होत्रा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
2.	डॉ. ए.एस. चावला	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
3.	डॉ.अरविंद कुमार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
4.	डॉ.हिमानी लाडे	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
5.	डॉ.वीना गंजू मल्ला	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
6.	डॉ.शान्तनु मंडल	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
7.	डॉ.एन.पी.एस. ओबराय	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
8.	डॉ.रोबीन प्रसाद	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
9.	डॉ.ए.के.हिन्डोचा (1/1/13 को सेवानिवृत्त)	नवम्बर 08 से दिसम्बर 12	509740	233024	276716
10.	डॉ.बी.एम. सिंह	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
11.	डॉ.हंस राज	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
12.	डॉ.बवानी सिंह (31.12.13 को सेवानिवृत्त)	नवम्बर 08 से दिसम्बर 13	665140	304064	361076
13.	डॉ.अशोक कुमार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
14.	डॉ.पी.के. मलिक	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
15.	डॉ.पुष्पवती सिंह	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
16.	डॉ. जसविंदर कौर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
17.	डॉ.अशोक कोहली (31.12.12 को सेवानिवृत्त)	नवम्बर 08 से दिसम्बर 12	509740	233024	276716
18.	डॉ.पी.के. शर्मा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
19.	डॉ.तरलोक चंद	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
20.	डॉ.कंवर सेन	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
21.	डॉ.अरुण कुमार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
22.	डॉ. ए.एस. निगम	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
23.	डॉ. ए.एस.नरूला	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
24.	डॉ. बीना एनलारत्ना	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
25.	डॉ.एस.वी. रामकृष्णा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
26.	डॉ.बानी सरकार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
			17948840	8205184	9743656

केन्द्रीय क्षेत्र					
क्र.सं.	डॉक्टरों के नाम	अवधि	या.भ. की आहरित राशि	या.भ.की देय राशि	अतिरिक्त भुगतान
	पूर्वी क्षेत्र				
1.	डॉ. ए.के.पाल	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
2.	डॉ. अल्का आहूजा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
3.	डॉ. बी.बी. सक्सेना	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
4.	डॉ. दीप्ति गोयल	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
5.	डॉ. जी.के नारंग	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
6.	डॉ. के.एस.राणा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
7.	डॉ. मोहनलाल	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
8.	डॉ. नलिनी अग्रवाल	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
9.	डॉ. आर.बी.आर्या	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
10.	डॉ. रमेश कुमार	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
11.	डॉ. रितु माथुर	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
12.	डॉ. एस.के. नरूला	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
13.	डॉ. एस.के.एस. कुशवाहा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
14.	डॉ. सुखबीर सिंह	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
15.	डॉ. सुमन नन्दा	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
16.	डॉ. सुरेश कुमार खनगवाल	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
17.	डॉ. तारकेशवर गुप्ता	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
18.	डॉ. डी.के. शाह	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
19.	डॉ. सुमन कतुरिया	नवम्बर 08 से मार्च 14	707140	323264	383876
20.	डॉ. डी.सी. सांडिल्य	नवम्बर 08 से फरवरी 14	693140	316864	376276
21.	डॉ. नरेश गोयल (स्थानांतरित)	नवम्बर 08 से अप्रैल 13	560140	256064	304076
22.	डॉ. आर.के.गुप्ता (स्थानांतरित)	नवम्बर 08 से अक्टूबर 13	638540	291904	346636
23.	डॉ. बी.पी. अरनेजा (स्थानांतरित)	नवम्बर 08 से अप्रैल 12	414400	189440	224960
24.	डॉ. प्रतिभा शर्मा (सेवानिवृत्त)	नवम्बर 08 से दिसम्बर 13	665140	304064	361076
25.	डॉ. एस.एस. चक्रवती (सेवानिवृत्त)	नवम्बर 08 से नवम्बर 13	651840	297984	353856
			17058860	7798336	9260524
	क्षेत्रों के नाम	अतिरिक्त भुगतान			
	के.स.स्वा.यो. केन्द्रीय क्षेत्र	14341884			
	के.स.स्वा.यो. दक्षिणी क्षेत्र	24075660			
	के.स.स्वा.यो. मुख्यालय	9743656			
	के.स.स्वा.यो. पूर्वी क्षेत्र	9260524			
	कुल योग	57421724			

अनुबंध - X

(पैराग्राफ सं. 7.2 के संदर्भ में)

जिपमेर, पुडुचेरी के गैर-हकदार अधिकारियों को @ ₹ 7000 के यात्रा भत्ते साथ उस पर म.भ. का अतिरिक्त भुगतान

क्र.सं.	कर्मचारी कोड	नाम	पदनाम	जिस अवधि के लिए ₹7000 का यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया है।			म.भ. समेत अतिरिक्त भुगतान
				निम्न से	निम्न तक	माहों की संख्या	
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)
1.	जे.डी.0028	अब्दुल हमीद @ अब्दूल मौलक	प्रोफेसर	मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
2.	जे.डी.0054	अदीथन सी.	प्रोफेसर	सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
3.	जे.डी.0028	अजित सहाय	प्रोफेसर (गैर-चिकित्सा)	सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
4.	जे.डी.0369	अनन्थनारायनन पी.एच	प्रोफेसर	सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
5.	जे.डी.0061	अशोक शंकर बड़े	प्रोफेसर	मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
6.	जे.डी.0047	बालचन्द्र जे	प्रोफेसर	सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
7.	जे.डी.0078	भावना अशोक बड़े	प्रोफेसर	अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
8.	जे.डी.0151	दासारी पापा	प्रोफेसर	अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
9.	जे.डी.0132	देवदत्त बसु	प्रोफेसर	अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
10.	जे.डी.0117	देवीन्दर मोहन थापा	प्रोफेसर	अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
11.	जे.डी.0065	दिलीप कुमारा पात्रो	प्रोफेसर	मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014

12.	जे.डी. 0183	दोराइराजन एल.एन.	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
13.	जे.डी.0098	दत्ता टि.के.	प्रोफेसर		सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
14.	जे.डी.0067	इलांगोवन एस	प्रोफेसर		मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
15.	जे.डी.0080	गौतम रॉय	प्रोफेसर		मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
16.	जे.डी.0163	गोपाल कृष्णा पाल	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
17.	जे.डी.0191	हरीश बी.एन.	प्रोफेसर		मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
18.	जे.डी.0033	हेमावती बालचन्द्र	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
19.	जे.डी.0095	जगदीश एस	प्रोफेसर		मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
20.	जे.डी.0092	जयशंकर टी.जे.	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
21.	जे.डी.0164	कादम्बरी डी.	शल्य चिकित्सा प्रोफेसर		जुलाई-11	नवम्बर-14	41	400950
22.	जे.डी.0202	लता चतुर्वेदुला	प्रसूति एवं स्त्रीरोग प्रोफेसर		अप्रैल-11	नवम्बर-14	44	425412
23.	जे.डी.0127	महादेवन एस	प्रोफेसर		मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
24.	जे.डी.0150	निरंजन बिसवाल	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
25.	जे.डी.0140	पंकज कुन्द्रा	प्रोफेसर		मार्च-11	नवम्बर-14	45	433566
26.	जे.डी.0071	प्रकाश चन्द	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
27.	जे.डी.0182	प्रेमराजन के.सी.	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
28.	जे.डी.0021	रामाचन्द्रा रॉवके	प्रोफेसर		सितम्बर-08	जून-14	70	590436
29.	जे.डी.0023	रवीन्द्रन आर	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
30.	जे.डी.0097	रेणुका श्रीनीवासन	प्रोफेसर		सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
31.	जे.डी.0174	सका विनोद कुमार	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
32.	जे.डी.0048	संतोष कुमार	प्रोफेसर		सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
33.	जे.डी.0094	सत्यानारायण रेड्डी. के	वरिष्ठ प्रोफेसर		सितम्बर-08	मई-14	69	579636
34.	जे.डी.0305	सिद्धा राजू एन.	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364

35.	जे.डी.0102	सिस्तला सरथ चन्द्र	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
36.	जे.डी.0138	सिस्तला सरथ सुजाता	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
37.	जे.डी.0039	सोन्द्रा राघवन एस.	प्रोफेसर		मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
38.	जे.डी.0154	श्रीधर एम.जी.	प्रोफेसर		मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
39.	जे.डी.0030	श्रीनीवासन के.	प्रोफेसर		मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
40.	जे.डी.0076	स्टीवन ऐबोर खार	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
41.	जे.डी.0006	सुभाष चन्द्र परीजा	प्रोफेसर		सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
42.	जे.डी.0179	सुब्रमण्यम डी.के.एस	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
43.	जे.डी.0193	सुनील के नारायण	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
44.	जे.डी.0192	सुनील कुमार सक्सेना	प्रोफेसर		जुलाई-11	नवम्बर-14	41	400950
45.	जे.डी.0077	सुरेन्द्र कुमार	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
46.	जे.डी.0055	सुरेश चन्द्र प्रधान	प्रोफेसर		सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
47.	जे.डी.0059	स्वामीनाथन आर.पी.	प्रोफेसर		मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
48.	जे.डी.0012	सेय्यद हबीबुल्ला	प्रोफेसर		सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
49.	जे.डी.0031	विक्रम कटे	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
50.	जे.डी.0185	वीरसिंह नेगी	प्रोफेसर		अक्टूबर-10	नवम्बर-14	50	473364
51.	जे.डी.0081	विष्णु भट्ट बी	प्रोफेसर		सितम्बर-08	नवम्बर-14	75	646326
52.	जे.डी.0103	विवेकानन्दम एस.	प्रोफेसर		मार्च-10	नवम्बर-14	57	526014
53.		तराकर एम.एम			सितम्बर-08	फरवरी-12	42	314388
54.		श्रीनीवासन एस			सितम्बर-08	नवम्बर-11	39	288036
55.		बद्रीनाथ एस			सितम्बर-08	अक्टूबर-12	50	387180
56.		वासुदेव आनन्द राव			सितम्बर-08	अक्टूबर-12	50	387180
57.	जे.डी.0198	अनिता रुस्तगी	सुपर टाइम प्रशासनिक गेड		अक्टूबर-08	नवम्बर-14	74	640062

अनुबंध - XI
(पैराग्राफ सं 7.3 के संदर्भ में)

वेतन के गलत निर्धारण के कारण ₹ 1.68 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

क्र.सं.	पद	नाम(कु./श्रीमती/श्री.)	राशि (₹)
1.	5539	मेबल सुनिल	175312
2.	5542	जयसम्मा सन्नी	175312
3.	5525	अनिता सिंह	175312
4.	5527	जोमोल सन्नी	175312
5.	5533	अनिता कटारिया	175312
6.	5535	विन्सेंट जॉन	175312
7.	5537	मैरी एलिजाबेथ जॉन	175312
8.	5541	शायनी मैथ्यू	175312
9.	5517	खस्ती पंत	175312
10.	5528	सीमा खान	175312
11.	5534	लैसी जॉर्ज	175312
12.	5536	एन्सी सायरिल	175312
13.	5555	सोनिया मल्होत्रा	175312
14.	5515	प्रौमिला	175312
15.	5523	नीशा जैम्स	175312
16.	5544	पेट्रीका जॉर्ज	175312
17.	5543	मिनी कुट्टी फिलीप	175312
18.	5547	नीना शर्मा	175312
19.	5551	जुडी सिपी	175312
20.	5516	जागृती शर्मा	175312
21.	5512	देवी कोहली	175312
22.	5514	अंजू अवस्थी	175312
23.	5513	सोनल ठाकुर	175312
24.	5576	शीबा सथीश	175312
25.	5577	रश्मी शर्मा	175312
26.	5578	सुनिता अल्लिगल सिंह	175312
27.	5570	चित्रा सतीश	175312
28.	5571	सुख कुमारी	175312
29.	5572	रेशमा	175312
30.	5566	सबीना परवीन	175312
31.	5568	शायनी सुरेश	175312
32.	5557	झुमा चटर्जी	175312

33.	5561	चयनिका	175312
34.	5562	सुमन वर्मा	175312
35.	5563	चरनजीत कौर	175312
36.	5565	उषा कम्बोज	175312
37.	5057	शशि रानी	88780
38.	5126	सुनिता सिंह	88780
39.	5051	वायलेट मिन्ज	88780
40.	5050	कमु मुन्ना यादव	88779
41.	5127	पुष्पा टेटे	88224
42.	5207	प्रवीन	90246
43.	5230	सुशीला वार्ष्णेय	90246
44.	5208	राजबाला सीताराम	90246
45.	5209	गीता एस शम्बर कर	90246
46.	5233	मीनाक्षी प्रकाश	90246
47.	5203	आशा परवीन	90246
48.	5206	सुनिता गौतम	90246
49.	5234	गोकर्णा बी भेले	90246
50.	4565	एलेअम्मा तमीचन	33208
51.	4210	कुंगा लामो	33208
52.	4214	रिबेला ए.लाल	33208
53.	4234	चन्दा ठाकुर	33208
54.	4231	शशि रोवल	33208
55.	4244	अन्नम्मा एंटनी	33208
56.	4587	सिसिली मैथ्यू अम्पडू	33208
57.	4585	पुष्पा.वी.सिसोदिया	33208
58.	4580	मिन्नी जोशी	33208
59.	4577	शर्मीला सिंह	33208
60.	4576	दीपा शर्मा	33208
61.	4566	गीता आर.कृष्णन	33208
62.	4573	किन्नन बाला	33208
63.	4312	पुरनिमल साहा	33208
64.	4634	नरेन्द्र कौर साहनी	33208
65.	4635	सुशील दुदेजा	33208
66.	4617	सीमा एस.प्रसाद	33208
67.	4616	कैलाश पाल	33208
68.	4620	टी.कुंजुमन	33208

69.	4592	ऊषा किरण	33506
70.	4582	संतोष रात्रा	33208
71.	4613	जय श्री वर्मा	33208
72.	4619	रजनी कोटनाला	33208
73.	4597	कविता पोपली	33506
74.	4823	नूरजी नवस	33208
75.	4803	डेजी जोसे	33208
76.	4798	लता कुमारी	33506
77.	4796	बी.ए.ट.जयाराजू	33506
78.	4795	कथरीनम्मा एन.साजी	33506
79.	4789	कुसुम शाह	33208
80.	4697	सरोज रानी	33208
81.	4670	लेथा मोहन	33208
82.	4662	सेली विजू	33208
83.	4661	कमलेश कैन	33208
84.	4671	दम्यन्ती	33208
85.	4786	किरण वर्मा	33208
86.	4785	बिनी.के.राघव	33208
87.	4777	सुभाषिणी सुदर्शन	33208
88.	4776	आर.के.दीवान	33208
89.	4775	एच.ए. सक्सेना	33208
90.	4637	लिसी जोसेफ	33208
91.	4677	कमलेश शर्मा	33506
92.	4673	पुष्पा देवी	33208
93.	4672	पुष्पा	33506
94.	4766	रजीनम्मा जॉर्ज	33208
95.	4765	सुजेन चाको	33208
96.	4764	जयश्री वज्जू	33208
97.	4770	मॉली जोसेफ	33208
98.	4700	बी.आर.एम. मेसी	33208
99.	4695	एम.के.जॉर्ज	33208
100.	4659	आर.सिवीचान	33208
101.	4655	कोचुरानी साब्	33208
102.	4653	अंसॉम टॉमी	33208
103.	4648	सुनिता जे.रजनी	33208
104.	4647	लिस्सी जॉर्ज	33208

2015 का प्रतिवेदन सं. 18

105.	4643	श्रेसियम्मा टोनी	33208
106.	4642	लिजेम्मा सजन	33208
107.	4641	उषा कैन	33208
108.	4640	लिल्या कुजूर	33208
109.	4684	रेणुका ए.हैरिसन	33506
110.	5218	सरोज टोप्पो	33506
111.	4679	मदजू रावत	33506
112.	4680	सैजी थॉमस	33506
113.	4681	सुनिता गाबा	33506
114.	4686	सी.टिग्गा	33208
115.	4693	कोचूथ्रेसिया जोसे कुट्टी	33208
116.	4690	शालिनी सेमसन	33208
117.	4687	कान्ता	33208
118.	4696	अन्सम्मा पॉल	33208
119.	5425	अंजू तंवर	125606
120.	5426	संगीता	125606
121.	5420	सुनिता भटनागर	125606
122.	5365	सी.एस. भुजेदे	125678
123.	5364	तारा मौर्या	125678
124.	5363	रेवम्मा सुरेश	125678
125.	5362	प्रोमिला यादव	125678
126.	5358	अजमल पी.खान	125678
127.	5346	कल्पना वी.धावड़	125678
128.	5355	बलजीत कौर	125678
129.	5353	किर्षना बाई	125678
130.	5350	पी.के.सी.दास	125678
131.	5344	दयावती	125678
132.	5343	सविता यादव	125678
133.	4912	कैलाश यादव	239093
134.	4910	मनोरंजना इवेन	89406
135.	4905	मनोरमा जेकब	89406
136.	4906	निशी पॉल	89406
137.	4913	नगीना भाटिया	89406
138.	4184	रिबेक्का जॉन	88780
139.	5210	अमिता रान्चे	90246
140.	4639	मीमूना खान	88780

141.	5054	शीला देवी	88780
142.	5118	कुसुमलता	88234
143.	5089	कुसुम बंदीवी	201602
144.	5211	सरोज आर.वकोडे	90246
145.	5202	सुशीला दहिया	90246
146.	5200	प्रेमलता	90246
147.	5288	मारिया गोरेट्टी टोप्नो	88239
148.	5214	प्रतीभा आर. घोरपडे	90246
149.	5215	सुनिता कुमारी	90246
150.	5216	फुलेश्वरी देवी	90246
151.	5217	कमलेश सरोआ	90246
152.	5053	लिओनी जाल्क्सो	88778
153.	5027	दीपा ई.मसिह	145699
154.	5232	पुष्प लता मौर्या	135402
155.	4774	अंटाकला आर. हीवारकर	33208
156.	5345	सुमित्रा टिग्गा	146524
157.	5346	उषा मल्होत्रा	146524
158.	5347	इंदिरा एम.चन्द्रीकापुरे	146524
159.	5348	सरोज बिहागा	146524
160.	5357	अन्जना रानी मिन्ज	146524
161.	5366	विद्या प्रशान्त राव जोशी	146524
162.	5367	सुनिता अरविंद लभाने	146524
163.	5372	माओमता ए.चन्द	126612
164.	5373	सन्त्रेश एन.कुमार	126612
165.	5038	आर.आर.कृष्णन	201982
166.	5036	सिसिली मथाई	201988
167.	5029	निर्मल डोगरा	202028
168.	5020	एस.लुकोस	202016
169.	5028	एस.जे.सिंह	201976
170.	5025	मीना गिल	201988
171.	5024	प्रेमलता चावला	201982
172.	5023	एस.मलिक	202016
कुल			16791802

अनुबंध - XII
(पैराग्राफ 7.4 देखें)
व्यक्तिगत स्टाफ के वेतनमान को बढ़ाने के मामले

नाम और पदनाम	वेतनमान		तिथि से प्रभावी	बढ़ाने के आधार	लेखापरीक्षा अभियुक्ति	31.03.14 तक अधिक भुगतान
	पूर्व	संशोधित				
सुश्री प्रेमलता निजी सहायक	5500-9000	6500-10500	02.07.98	परिषद की वित्त समिति की सिफारिश पर वेतनमान बढ़ाया गया तथा 08.05.2004 को कार्यकारी समिति द्वारा उसका अनुवर्ती अनुमोदन करना।	उच्च वेतनमान में वेतन बढ़ाना न तो कर्मचारी की पदोन्नति होने और न ही उसके पद को पुनः पदनाम करने/उच्च पद करने का परिणाम था। अन्य निजी सहायकों में वेतनमान 5500-9000 में रहे।	9,72,169
	6500-10500	8000-13500	03.10.03	6500-10500 के वेतनमान में चार वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर अकार्यात्मक वेतन बढ़ाना।	अकार्यात्मक वेतन बढ़ाना अनियमित था क्योंकि यह का.प्र.वि.(DOPT) आदेश सं. 5/4/2005-सी एस.॥ (पार्ट-1) दिनांक 25-01-2006 द्वारा निजी सचिव के लिए उपलब्ध था जबकि सुश्री प्रेमलता निजी सहायक के संवर्ग में थी।	
श्री अनिल कुमार आहलुवालिया, लेखा अधिकारी	7450-11000	10000-15200	04.03.04	विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उच्च वेतनमान इस आधार पर दिया गया था कि अधिकारी ने 7450-11500 के वेतनमान में साढ़े सात वर्ष से अधिक का समय पूर्ण कर लिया था इसलिए 10000-15200 के अगले वेतनमान में रहने के लिए न्यूनतम अपेक्षित पात्रता पूर्ण करता है।	परिषद की भर्ती-नियमावली में किसी ऐसे पदधारी जिसने निश्चित वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो के मामले में किसी विशेष पद के वेतनमान को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। उच्च वेतनमान में वेतन बढ़ाना कर्मचारी की किसी पदोन्नति/(एम)ए सी पी देने का परिणाम नहीं था।	10,09,381

श्री अनुपम दुआ कम्प्यूटर प्रोग्रामर	8000- 13500	10000- 15200	29.09.04	उच्च वेतनमान विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर दिया गया था।	भ.नि. के अनुसार कम्प्यूटर प्रोग्रामर का उस संवर्ग में उच्चतम पद था। पदधारक केवल ए सी पी/ एम ए सी पी द्वारा ही उच्च वेतन मान के लिए पात्र हो सकता है। श्री दुआ की इस पद पर 29.09.99 को नियुक्ति हुई थी तथा वह 29.09.04 को ए सी पी लेने का पात्र नहीं था। इसके अतिरिक्त एम सी आई में तैनात अन्य कम्प्यूटर प्रोग्रामर 5400 के ग्रेड वेतन (जो 8000-13500 के वेतनमान के अनुरूप है) में वेतन तथा भत्ते ले रहे हैं।	4,64,349
श्री विनीत कुमार अग्रवाल, सहायक लेखा अधिकारी	6500- 10500	8000- 13500	24.04.05	6500-10500 के वेतनमान में चार वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर अकार्यात्मक संवर्धन देना	सेवा में चार वर्ष पूर्ण होने पर सीएस एस के अनुभाग अधिकारियों को का.प्र.वि. के आदेश सं. 5/4/2005-सी एस 1 दिनांक 25-01-2006 तथा सी एस एस एस के वर्ग क तथा ख के आशुलिपिक (मिलाए गए) (निजी सचिव) को का.प्र.वि. के आदेश सं. 5/4/2005-सी एस 11 (भाग-1) दिनांक 25.01.2006 को ग्रेड में 8000-13500 का अकार्यात्मक वेतनमान दिया गया था। लेखा संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को अकार्यात्मक संवर्धित वेतनमान नहीं दिया गया था।	4,77,305
सुश्री माहेश्वरी हिन्दी अनुवादक	पे.सं. II, 9300- 34800 गे.पे. 4200	पे.सं II, 9300- 34800 गे.पे. 4600	02.01.06	<ul style="list-style-type: none"> छठे के.वे.आ. के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सुश्री माहेश्वरी को निम्नलिखित आधारों पर पे बैंड-II में 4600 ग्रेड वेतन दिया गया था। सुश्री माहेश्वरी की नियुक्ति के समय हिन्दी अनुवादक और मुख्य लिपिक एक 	वित्त मंत्रालय के का.जा.सं. एफ एन 1/1/2008-आई सी दिनांक 13-11-2009, जो सहायकों का ग्रेड वेतन 4600 तक संवर्धित करता है, में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि वे पद जो 6500-10500 के पूर्व संशोधित वेतनमान में था, उनको 1.1.2006 को वे बैंड-2 में 4600 का ग्रेड वेतन दिया जाएगा। सुश्री	2,57,028

<p>सुश्री अतुला के माथुर संचालक</p>	<p>पे.सै. II, 9300-34800 ग्रे.पे. 4200</p>	<p>पे.सै. II, 9300-34800 ग्रे.पे. 4600</p>	<p>02.01.06</p>	<p>ही वेतनमान में थे। <ul style="list-style-type: none"> मुख्य लिपिक को सहायक के रूप में पुनः पदनामित किया गया तथा 5500-9000 के वेतनमान में संवर्धित किया गया। वित्त मंत्रालय के का.जा.सं. एफ.एन. 1/1/2008-आई.सी. दिनांक 13.11.2009 के अनुसार सहायकों को 4600 ग्रेड वेतन दिया गया था। </p>	<p>माहेश्वरी 01.01.2006 में 5500-9000 के वेतनमान में थी। हिन्दी अनुवादक तथा सहायक के पदों के बीच आहरित वेतन की समानता गलत थी। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के आदेश सं.13/1/2009-रा.भा.(एस) दिनांक 29.09.2011- रा.भा.(एस) दिनांक 29.09.2011 के अनुसार कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों तथा सहायक के पदों के बीच कोई समानता नहीं थी। के.स.रा.भा. सं. के कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों को 4200 ग्रेड वेतन दिया जा रहा है।</p>	<p>5,44,326</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>छठवे के.वे.आ. के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सुश्री माथुर को सहायकों के साथ वेतन समानता देने के लिए वे बै.11 में 4600 ग्रेड वेतन दिया गया था। वित्त मंत्रालय के का.जा.सं. एफ एन 1/1/2008-आई सी दिनांक 13-11-2009 के अनुसार सहायकों को 4600 ग्रेड वेतन में वेतन दिया गया था।</p>	<p>वित्त मंत्रालय के का.जा.सं. एफ एन 1/1/2008-आई सी दिनांक 13.11.2009 जो सहायकों का ग्रेड वेतन 4600 तक संवर्धित करता है, में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि वे पद जो 1.1.2006 को 6500-10500 के पूर्व संशोधित वेतनमान में थे, उनको वे बै.11 में 4600 का ग्रेड वेतन दिया जाएगा। सुश्री माथुर 01.01.2006 को 5000-8000 के वेतनमान में थी।</p>	<p></p>

अनुबंध - XIII
(पैराग्राफ सं. 7.5 के संदर्भ में)
स्रोत पर कर की कम कटौती

क्र.सं.	कल्याण केन्द्र का नाम	भुगतान की अवधि	अभिकरण को किए गए भुगतान की राशि(₹में)
1.	दंत क्लीनिक, फरीदाबाद	01.02.12 से 30.06.13	9039487
2.	दंत क्लीनिक, श्रीनिवासपुरी	01.08.11 से 31.05.13	7739769
3.	दंत क्लीनिक, आर.के.पुरम	01.02.12 से 31.05.13	23116681
4.	दंत क्लीनिक, कालकाजी	01.04.12 से 31.01.13	4000762
5.	दंत क्लीनिक, किदवई नगर	01.11.11 से 30.11.12	5260165
6.	दंत क्लीनिक, मोतीबाग	01.01.12 से 31.05.13	9340268
7.	दंत क्लीनिक, पुष्प विहार	01.11.11 से 28.02.13	5238330
8.	दंत क्लीनिक, सादिक नगर	01.05.12 से 28.02.13	2601474
			66336936
स्रोत पर कर की कटौती न किए जाना = ₹ 66336936 का 10% = ₹ 6633693.60			

अनुबंध - XIV
(पैराग्राफ सं. 7.6 के संदर्भ में)
क्रय की गई एक्स-रे-फिल्मों के विवरण

क्र.सं.	एस.ओ.सं.	तिथि	कोडेक ड्राई विज लेजर फिल्म का आकार	125 चादरों के पैकेटों की संख्या	रा.म.लो. कर सहित प्रति इकाई का मूल्य	रा.म.लो. लागत	अ.भा.आ.वि.सं.का प्रति इकाई मूल्य	अ.भा.आ.वि.सं.की लागत	अंतर
1.	9448	3.2.11	14x17	40	16206.75	648270.00	11185.31	447412.40	200857.60
2.	14182	18.4.11	14x17	70	16206.75	1134472.50	11185.31	782971.70	351500.80
			10x12	30	7678.13	230343.90	5636.31	169089.30	61254.60
			8x10	40	5397.75	215910.00	3728.80	149152.00	66758.00
3.	16857	11.7.11	14x17	110	16206.75	1782742.50	11185.31	1230384.10	552358.40
			10x12	22	7678.13	168918.86	5636.31	123998.82	44920.04
			8x10	17	5397.75	91761.75	3728.80	63389.60	28372.15
4.	21321	10.12.11	14x17	60	16206.75	972405.00	11185.31	671118.60	301286.40
5.	3209	9.4.12	17x14	50	16206.75	810337.50	11185.31	559265.50	251072.00
6.	6058	26.6.12	17x14	70	16206.75	1134472.50	11185.31	782971.70	351500.80
7.	7053	20.9.12	11x14	32	10477.13	335268.16	7234.99	231519.68	103748.48
			10x12	50	7678.13	383906.50	5636.30	281815.00	102091.50
			8x10	20	5397.75	107955.00	3728.80	74576.00	33379.00

क्र.सं.	एस.ओ.सं.	तिथि	कोडेक ड्राई विड लेजर फिल्म का आकार	125 चादरों के पैकेटों की संख्या	रा.म.लो. कर सहित प्रति इकाई का मूल्य	रा.म.लो. लागत	अ.भा.आ.वि.सं.का प्रति इकाई मूल्य	अ.भा.आ.वि.सं.की लागत	अंतर
8.	9349	24.9.12	14x17	80	16206.75	1296540.00	11185.31	894824.80	401715.20
9.	9907	10.10.12	10x12	60	7678.13	460687.80	5636.30	338178.00	122509.80
			8x10	30	5397.75	161932.50	3728.80	111864.00	50068.50
			11x14	30	10477.13	314313.90	7234.99	217049.70	97264.20
10.	10833	5.11.12	14x17	100	16206.75	1620675.00	11185.31	1118531.00	502144.00
11.	773	18.01.13	14x17	120	16206.75	1944810.00	11185.31	1342237.20	602572.80
			11x14	40	10477.13	419085.20	7234.99	289399.60	129685.60
12.	934	23.1.13	10x12	60	7678.13	460687.80	5636.31	338178.00	122509.80
			8x10	40	5397.75	215910.00	3728.80	149152.00	66758.00
13.	2997	20.3.13	10x12	70	7678.13	537469.10	5636.31	394541.00	142928.10
			8x10	40	5397.75	215910.00	3728.80	149152.00	66758.00
14.	6412	14.6.13	14x17	76	16206.75	1231713.00	12678.75	963585.00	268128.00
15.	7517	9.7.13	10x12	90	7678.13	691031.70	6388.99	575009.10	116022.60
			8x10	60	5397.75	323865.00	4225.88	253552.80	70312.20
16.	9274	16.8.13	14x17	144	16206.75	2333772.00	12678.75	1825740.00	508032.00
कुल									5716508.57

अनुबंध - XV
(पैराग्राफ सं. 8.1 के संदर्भ में)
क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (फो.वि.प्र.शा.) की सूची:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे	आवंटित फो.वि.प्र.शा.	स.जा की तिथि	2010-11 के दौरान निर्गम अनुदान	2011-12 के दौरान निर्गम अनुदान	जारी किए गए कुल अनुदान
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	23.09.2010	147.00	218.00	365.00
2.	छत्तीसगढ़	1	03.06.2010	164.00	243.00	407.00
3.	गोवा	1	24.03.2011	164.00	243.00	407.00
4.	सिक्किम	1	--	147.00	218.00	365.00
5.	पुदुचेरी	1	--	147.00	218.00	365.00
6.	उत्तराखंड	1	30.07.2010	165.00	243.00	408.00

जिला मोबाइल फॉरेंसिक इकाइयों (जि.मो.फो.इ.) की सूची

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे का नाम	आवंटित जि.मो.फो.इ	स.जा.की तिथि	2010-11 के दौरान निर्गम अनुदान	2011-12 के दौरान निर्गम अनुदान	जारी किए गए कुल अनुदान
1.	अरुणाचल प्रदेश	1	23.09.2010	147.00	218.00	365.00
2.	छत्तीसगढ़	2	--	164.00	243.00	407.00
3.	गोवा	2	24.03.2011	164.00	243.00	407.00
4.	सिक्किम	2	--	147.00	218.00	365.00
5.	उत्तराखंड	2	30.07.2010	165.00	243.00	408.00
6.	पुदुचेरी	1	--	147.00	218.00	365.00
7.	अ. एवं नि. द्वीपसमूह	2	--	-	83.00	83.00
8.	दमन एवं दीव	2	04.06.2010	34.00	49.00	83.00

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे का नाम	आंवटित जि.मो.फो.इ	स.जा.की तिथि	2010-11 के दौरान निर्गम अनुदान	2011-12 के दौरान निर्गम अनुदान	जारी किए गए कुल अनुदान
9.	दादरा एवं नागर हवेली	1	04.06.2010	17.00	24.00	41.00
10.	मणिपुर	2	--	34.00	49.00	83.00
11.	मेघालय	2	06.07.2011	34.00	49.00	83.00
12.	मिजोरम	4	13.07.2011	34.00	49.00	83.00
13.	त्रिपुरा	2	07.07.2011	34.00	49.00	83.00
14.	हरियाणा	2	26.03.2012	-	83.00	83.00
15.	हिमाचल प्रदेश	2	26.04.2010	34.00	49.00	83.00
16.	जम्मू एवं कश्मीर	2	25.07.2011	-	83.00	83.00
17.	पंजाब	4	03.06.2010	68.00	96.00	164.00
18.	बिहार	4	13.07.2010	68.00	96.00	164.00
19.	पश्चिम बंगाल	2	--	34.00	49.00	83.00
20.	लक्षद्वीप	2	27.07.2010	34.00	49.00	83.00

अनुबंध - XVI
(पैराग्राफ सं. 8.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	आबंटित फो.वि.प्र.शा./जि.मो.फो.इ.	वर्तमान स्थिति
1.	अरुणाचल प्रदेश	1 फो.वि.प्र.शा. 1 जि.मो.फो.इ.	निधियों के उपयोग से संबंधित प्रस्ताव गृ.मं. के पास लंबित है। 04-08-2014 को गृ.मं. में इस संदर्भ में एक बैठक भी हुई थी।
2.	छत्तीसगढ़	1 फो.वि.प्र.शा. 2 जि.मो.फो.इ.	₹83 लाख की दर पर एक फो.वि.प्र.शा. एवं दो जि.मो.फो.इ. की स्थापना हेतु ₹3.24 लाख के व्यय हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। गृह विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा वर्तमान की स्थिति की सूचना नहीं दी गई थी।
3.	गोवा	1 फो.वि.प्र.शा. 2 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
4.	सिक्किम	1 फो.वि.प्र.शा. 2 जि.मो.फो.इ.	एक फो.वि.प्र.शा. तथा एक जि.मो.फो.इ. की शुरुआत की गई है।
5.	उत्तराखंड	1 फो.वि.प्र.शा. 2 जि.मो.फो.इ.	एक फो.वि.प्र.शा. तथा एक जि.मो.फो.इ. स्थापित किए जा चुके हैं।
6.	पुदुचेरी	1 फो.वि.प्र.शा. 1 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
7.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2 जि.मो.फो.इ.	एक जि.मो.फो.इ. स्थापित किया जा चुका है।
8.	दमन एवं दीव	2 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है।
9.	दादरा एवं नागर हवेली	1 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है।
10.	मणिपुर	2 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है।
11.	मेघालय	2 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया है।
12.	मिजोरम	4 जि.मो.फो.इ.	एक जि.मो.फो.इ. की इमारत के निर्माण तथा अन्य अवसंरचना में उपयोग हुई राशि
13.	त्रिपुरा	2 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	आबंटित फो.वि.प्र.शा./जि.मो.फो.इ.	वर्तमान स्थिति
14.	हरियाणा	2 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
15.	हिमाचल प्रदेश	2 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
16.	जम्मू एवं कश्मीर	2 जि.मो.फो.इ.	गृह विभाग द्वारा वर्तमान स्थिति अभी तक सूचित नहीं की गई है।
17.	पंजाब	4 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
18.	बिहार	4 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
19.	पश्चिम बंगाल	2 जि.मो.फो.इ.	एक जि.मो.फो.इ. की स्थापना हेतु दुर्गापुर में जमीन का एक हिस्सा प्राप्त किया गया है। दूसरे जि.मो.फो.इ. की स्थापना हेतु मालदा की जमीन का एक हिस्सा राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित हैं। गृह विभाग, पश्चिम बंगाल द्वारा अभी तक वर्तमान स्थिति सूचित नहीं की गई है।
20.	लक्षद्वीप	2 जि.मो.फो.इ.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुबंध - XVII
(पैराग्राफ सं. 8.2 के संदर्भ में)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	मद की नामावली	वर्ष	आपूर्ति न की गई प्रमात्रा	कॉलम सं 3 की मदों की 60% अग्रिम राशि	जिसको आदेश दिया गया	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7
1.	ए.जी.एल. हेतु राउंड 30 एम.एम.	2007-08	6523	260.22	ओ.एफ. चन्दा	सामग्री को अभी भी संबंधित फैक्टरी से प्राप्त किया जाना था।
2.	गन मशीन 7.62 एम.एम. मेग हेतु सी.ई.एस.	2007-08	02 प्रकार	36.73	एस.ए.एफ. कानपुर	04 प्रकार की सामग्री में से 02 प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई। ऑकड़े को विभाग द्वारा संशोधित किया गया।
3.	गन मशीन 7.62 एम.एम. मेग हेतु सी.ई.एस.	2008-09	01 प्रकार	9.87	एस.ए.एफ. कानपुर	04 प्रकार में से 03 प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई। ऑकड़े को विभाग द्वारा संशोधित किया गया।
4.	9 एम.एम. कार्बाइन हेतु सी.ई.एस.	2008-09	03 प्रकार	0.17	एस.ए.एफ. कानपुर	सामग्री को अभी भी संबंधित फैक्टरी से प्राप्त किया जाना था।
5.	7.62 एम.एम. मेग हेतु पुर्जे	2008-09	03 प्रकार	5.55	एस.ए.एफ. कानपुर	ऑकड़े को विभाग द्वारा संशोधित किया गया।
6.	84 एम.एम. सी.जी.आर.एल. हेतु पुर्जे	2008-09	02 प्रकार	0.24	जी.सी.एफ. कोसीपोर	03 प्रकार की सामग्री में से 01 प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई। ऑकड़े को विभाग द्वारा संशोधित किया गया।
7.	ए.जी.एल. हेतु राउंड 30 एम.एम.	2008-09	5000 सं.	219.71	ओ.एफ. चन्दा	ऑकड़े को विभाग द्वारा संशोधित किया गया।

8.	81 एम.एम. मोर्टार हेतु पुर्जे	2008-09	03 प्रकार	1.11	जी.सी.एफ. जबलपुर	06 प्रकार की सामग्री में से 03 प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई। ऑकड़े को विभाग द्वारा संशोधित किया गया।
9.	रॉकेट 84 एम.एम. हीट	2008-09	शून्य	शून्य	ओ.एफ. खमारिया	फैक्टरी ने लगभग 5 से 6 वर्षों तक राशि को रखने के पश्चात अग्रिम को वापस किया है।
10.	84 एम.एम. सी.जी.आर.एल हेतु पैसिव नाईट साईट	2010-11	683 सं.	788.96 + 714.93* =1503.89 (संशोधित मूल्य दिनांक 03.02.2014)	ओ.एफ. रायपुर	सकल मूल्य ₹ 13,14,94,043 था। अब संशोधित सकल मूल्य ₹ 25,06,48,678 है। कुल सकल मूल्य का 60% अग्रिम मूल्य ₹ 15,03,89,207 है। मूल्य को उपकरण के उच्च विभेदन के कारण संशोधित किया गया।
11.	बम 81 एम.एम. मोर्टार स्मोक	2011-12	5000 सं.	235.10	ओ.एफ. चन्दा	सामग्री को अभी भी संबंधित फैक्टरी से प्राप्त किया जाना था।
कुल				1557.66*		

* चूंकि ₹ 714.93 की अतिरिक्त राशि संशोधित रूपांतर के कारण 638 संख्या की उसी प्रमात्रा हेतु अदा की गई थी इसलिए हमने इस राशि को अवरूद्ध राशि में नहीं जोड़ा है।

अनुबंध - XVIII
(पैराग्राफ सं. 8.3 के संदर्भ में)
अप्राधिकृत व्यय के विवरण

हैदराबाद

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	राशि ₹ में
1.	बिजली का बिल	1,97,896
2.	फर्नीचर पर व्यय	46,750
3.	फर्नीचर पर व्यय	1,01,350
4.	फर्नीचर पर व्यय	5,19,000
5.	फर्नीचर पर व्यय	15,31,849
6.	फर्नीचर पर व्यय	6,23,400
7.	मैसर्स पायनियर इंडस्ट्रीज	37,316
8.	एन.एस.जी. सैनिकों द्वारा अपेक्षित वस्तुओं का क्रय	49057
9.	वाटर कूलर संख्या में 4	112000
10.	रखरखाव प्रभार	98014
11.	पेयजल की आपूर्ति	27560
12.	स्टील/अलमारी का क्रय	1709302
कुल		50,53,494

चैन्नई

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	राशि ₹ में
1.	कार्यालय उपकरण एवं अन्य सामग्री	1,73,191
2.	हाउसकीपिंग हेतु कार्यरत श्रमिक	1,70,800
3.	स्टील की अलमारी का क्रय	54,97,492
4.	हाउसकीपिंग हेतु कार्यरत श्रमिक	8,72,105
कुल		67,13,588

मुम्बई

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	राशि ₹ में
1.	पी.एच.। की हाउसकीपिंग के प्रति किया गया भुगतान	274361
2.	पायदान का क्रय	21531
3.	फर्नीचर	427628
कुल		723520

कोलकाता

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति/विवरण	राशि ₹ में
1.	ए.सी. की आपूर्ति	61750
2.	बिजली का बिल	180793
3.	रखरखाव बिल	41473
4.	-वही-	41473
5.	फर्नीचर आपूर्ति का बिल	282456
6.	बिजली का बिल	195039
7.	रखरखाव का बिल	41473
8.	बिजली का बिल	201728
9.	-वही-	202930
10.	फर्नीचर आपूर्ति का बिल	486553
11.	रखरखाव का बिल	41473
12.	-वही-	41473
13.	बिजली का बिल	194404
14.	पर्दों की आपूर्ति	249082
15.	फर्नीचर की आपूर्ति	403104
16.	रखरखाव का बिल	41473
17.	रखरखाव का बिल	41473
18.	बिजली का बिल	193681
19.	रखरखाव का बिल	41473
20.	बिजली का बिल	195468
21.	-वही-	197233
22.	रखरखाव का बिल	67945
23.	रखरखाव का बिल	67945
24.	बिजली का बिल	200958
25.	-वही-	229190
26.	रखरखाव का बिल	67945
27.	बिजली का बिल	242673
28.	उद्घाटन समारोह का पेंटिंग का काम	124719
29.	मोटर पम्प	7500
30.	अतिरिक्त मद	125
31.	मरम्मत एवं सर्विसिंग	300
32.	ए.एम.सी. का नवीकरण	5750
33.	ए.सी. की जगह बदलना	2000
34.	कम्प्यूटर माउस	120
	कुल	4393175

कुल अप्राधिकृत व्यय- ₹ 168.84 लाख

अभिकरण प्रभार (उपरोक्त पर 7%) - ₹ 11.82 लाख

कुल -

₹ 180.66 लाख

अनुबंध - XIX
(पैराग्राफ सं. 8.5 के संदर्भ में)
लागत में वृद्धि के विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	मात्रा	मई 2011 में लागत प्रति वाहन	कुल लागत (₹)	नवम्बर 2013 में लागत प्रति वाहन	कुल लागत
1.	4 स्ट्रेचर एम्बुलेंस	120	801804	96216480	801804	96216480
	बढ़ा हुआ उत्पाद शुल्क				17256.88	2070825
	कुल					98287305
	वैट		12.5%	12027060	13.125%	12900208
					108243540	
2.	ओ.ई.एम.से मानक उपकरण के साथ ए.सी. फिटींग	120	296600	35592000	335000	40200000
	वैट		12.5%	4449000	13.125%	5276250
	कुल			40041000		45476250
				148284540		156663764
लागत में वृद्धि						8379224

अनुबंध - XX
(पैराग्राफ सं. 9.4 के संदर्भ में)

जल कनेक्शन सं. 61416, 56100 एवं 62308 - सी II की मासिक बिल राशि

माह/अवधि	3 जल कनेक्शनों हेतु रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली द्वारा भुगतान की गई बिल की राशि (राशि ₹ में)
01/01/10 से 08/02/10	19,15,536
09/02/10 से 10/03/10	8,48,787
11/03/10 से 13/04/10	9,19,993
14/04/10 से 12/05/10	7,58,874
13/05/10 से 07/06/10	4,60,303
08/06/10 से 07/07/10	5,20,827
08/07/10 से 09/09/10	32,63,511
10/09/10 से 02/11/10	19,36,171
03/11/10 से 13/12/10	15,14,883
14/12/10 से 06/01/11	10,46,882
07/01/11 से 12/02/11	11,77,828
13/02/11 से 11/03/11	6,67,003
12/03/11 से 04/04/11	18,62,260
05/04/11 से 01/06/11	23,14,009
02/06/11 से 19/07/11	22,53,025
20/07/11 से 16/11/11	43,72,693
17/11/11 से 17/12/11	9,39,476
21/05/12 से 24/08/12	74,47,198
11/03/13 से 28/02/14	2,04,96,310
कुल	5,47,15,569
कुल 10% (छूट) = ₹ 54,71,557/-	

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

(पैराग्राफ 1.3 देखें)

उन निकायों की सूची जिन्होंने तीन माह से अधिक के विलम्ब के पश्चात लेखे प्रस्तुत किए

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
1.	पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	09.10.2013	3
2.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली	09.12.2013	5
3.	दक्षिणी केन्द्रीय अंचल सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर, महाराष्ट्र	08.11.2013	4
4.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	09.10.2013	3
5.	लक्षद्वीप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कावारत्ती, लक्षद्वीप	30.10.2013	3
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश, उत्तराखंड	16.12.2013	5
7.	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़	25.11.2013	4
8.	अ.बि. वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	12.12.2013	5
9.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश	01.10.2013	3
10.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	07.10.2013	3
11.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़	07.10.2013	3
12.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	07.10.2013	3
13.	प्रसारभारती, नई दिल्ली	17.10.2013	3
14.	राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली	18.10.2013	3
15.	राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, (सं.शा.क्षे.), चंडीगढ़	29.10.2013	3
16.	जिलाविधि सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़	23.12.2013	5

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की तिथि	विलम्ब (महीनों में)
17.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली	12.11.2013	4
18.	सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात संसाधन क्षेत्र, मुम्बई, महाराष्ट्र	02.05.2014	10
19.	भारतीय हज समिति, मुम्बई, महाराष्ट्र	11.04.2014	9
20.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल, मध्यप्रदेश	10.04.2014	9
21.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़	10.04.2014	9
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईज़ोल, मिजोरम	15.01.2014	6
23.	केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	16.01.2014	6
24.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम	24.03.2014	8
25.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रॉची, झारखंड	25.02.2014	7
26.	दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर, राजस्थान	23.04.2014	9

परिशिष्ट - II

(पैराग्राफ 1.4 देखें)

उन स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लेखापरीक्षित लेखे 31 दिसम्बर 2014 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय वार)
वर्ष 2011-12 के लिए	
	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
1.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
2.	भारतीय सड़क कांग्रेस
वर्ष 2012-13 के लिए	
	कृषि मंत्रालय
1.	राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव
	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
2.	राष्ट्रीय फार्माक्यूटिकल शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र, कोलकाता
	संस्कृति मंत्रालय
3.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, दिल्ली
	वित्त मंत्रालय
4.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
	कपड़ा मंत्रालय
5.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
7.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
8.	भारतीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली
	मानवसंसाधन विकास मंत्रालय
9.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग
11.	मध्य प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय वार)
12.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
13.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
	कपड़ा मंत्रालय
14.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड
	महिलाएवंबालविकासमंत्रालय
15.	केन्द्रीय दत्तक संस्थान प्राधिकरण, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली

परिशिष्ट - III

(पैराग्राफ 1.4 देखें)

स्वायत्त निकायों द्वारा संसद में 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय-वार)	लेखा परीक्षित लेखाओं के वर्ष	विलम्ब (महीनों में)
कृषि मंत्रालय			
1.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली	2012-13	1
2.	राष्ट्रीय कृषीय विस्तारण प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	2012-13	1
3.	तटीय जल संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई	2012-13	2
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय			
4.	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी	2011-12*	5
		2012-13	7
5.	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली	2011-12*	6
		2012-13	7
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			
6.	कॉफीबोर्ड बंगलुरु संचय निधि	2012-13	1
उपभोक्ता मामले मंत्रालय			
7.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	2012-13	1
8.	भाण्डागार तथा विकास नियामक प्राधिकरण	2012-13	1
संस्कृति मंत्रालय			
9.	एशियाई समिति, कोलकाता	2012-13	1
10.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दिमापुर	2012-13	1
11.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी	2012-13	2
12.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह	2012-13	2
13.	सालारजंग संग्रहालय बोर्ड, हैदराबाद	2012-13	2
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय			
14.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2012-13	1
15.	केन्द्रीय यूनानी औषधी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2012-13	1
16.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	2012-13	1

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय-वार)	लेखा परीक्षित लेखाओं के वर्ष	विलम्ब (महीनों में)
17.	राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बेंगलौर	2012-13	1
18.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	2012-13	1
19.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	2012-13	1
20.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	2012-13	2
21.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	2012-13	2
22.	उत्तर-पूर्वी इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग	2012-13	1
गृह मंत्रालय			
23.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली	2012-13	1
मानवसंसाधन विकास मंत्रालय			
24.	केन्द्रीय तमिलनाडु विश्वविद्यालय, थिरुवरूर	2012-13	1
25.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर	2012-13	1
26.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	2012-13	1
27.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई	2012-13	1
28.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2012-13	1
29.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल	2012-13	1
30.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2012-13	1
31.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	2012-13	1
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला	2012-13	1
33.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर	2012-13	1
34.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुराथकल	2012-13	1
35.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	2012-13	1
36.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता	2012-13	2
37.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	2012-13	2
38.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलौर	2012-13	2
39.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	2012-13	2
40.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचरापल्ली	2012-13	2
41.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलौर	2012-13	2

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय-वार)	लेखा परीक्षित लेखाओं के वर्ष	विलम्ब (महीनों में)
42.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	2012-13	2
43.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर	2012-13	2
44.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	2012-13	2
45.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई	2012-13	2
46.	राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	2012-13	2
47.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोआ	2012-13	2
48.	राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2012-13	2
49.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग	2012-13	2
50.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	2012-13	2
51.	योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा	2012-13	2
52.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	2012-13	2
53.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नोएडा	2012-13	2
54.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	2012-13	6
55.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार	2012-13	7
56.	भारतीय प्रबंधनसंस्थान, काशीपुर	2012-13	7
57.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद	2012-13	7
58.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, धनबाद	2012-13	7
59.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला	2012-13	7
60.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	2012-13	7
61.	संत लॉगोवाल अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल	2012-13	7
62.	केन्द्रीय तिब्बतीय विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	2012-13	7
63.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2012-13	8
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय			
64.	कर्मचारीराज्य बीमा निगम, नई दिल्ली	2012-13	1
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय			
65.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली	2012-13	2

क्र. सं.	स्वायत्त निकायों के नाम (मंत्रालय-वार)	लेखा परीक्षित लेखाओं के वर्ष	विलम्ब (महीनों में)
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
66.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली	2012-13	1
पोत परिवहन मंत्रालय			
67.	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड	2012-13	1
68.	पारादीप पत्तन न्यास	2012-13	1
69.	नाविक भविष्य निधि संगठन	2012-13	1
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय			
70.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	2012-13	1
71.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	2012-13	7
72.	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक	2012-13	7
73.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद	2012-13	8
74.	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून	2012-13	8
75.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	2012-13	7
76.	स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता एवं बहु अक्षम व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास	2012-13	7
कपड़ा मंत्रालय			
77.	कपड़ा समिति, मुम्बई	2012-13	1
78.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड	2012-13	1
शहरी विकास मंत्रालय			
79.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड	2012-13	1
जल संसाधन मंत्रालय			
80.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	2012-13	1
81.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	2012-13	1

* 2011-12 के दो लेखापरीक्षित लेखे जोड़कर 83 निकाय हो गए हैं।

परिशिष्ट - IV

(पैराग्राफ 1.5 के संदर्भ में)

बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
कृषि	1992-93	1	4.11
	1993-94	3	2.16
	1994-95	1	2.50
	1995-96	2	11.91
	2000-01	2	3.32
	2001-02	7	9.06
	2002-03	4	1.63
	2003-04	6	3.75
	2004-05	6	152.73
	2005-06	6	499.56
	2006-07	17	386.39
	2007-08	22	317.26
	2008-09	23	12965.96
	2009-10	40	6645.64
	2010-11	61	6184.87
2011-12	1333	531704.23	
2012-13	1555	679125.06	
	कुल	3089	1238020.14
विद्युत i) परमाणु ऊर्जा विभाग	1991-92	1	2.51
	1996-97	4	4.12
	1997-98	3	3.38
	1998-99	3	1.64
	1999-00	7	16.56
	2000-01	6	14.24
	2001-02	2	2.60
	2002-03	1	0.80
	2003-04	4	4.50
	2004-05	10	122.07
	2005-06	13	13.46

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2006-07	46	101.25
	2007-08	39	262.72
	2008-09	24	68.45
	2009-10	34	458.49
	2010-11	45	570.58
	2011-12	170	972.32
	2012-13	204	1418.48
	कुल	616	4038.17
कार्मिक, लोक शिकायत	2008-09	4	7.94
i) कार्मिक प्रशिक्षण विभाग	2009-10	2	7.12
	2010-11	1	1.50
	2011-12	0	0.00
	2012-13	20	54.80
	कुल	27	71.36
उपभोक्ता मामले	1996-97	8	3.24
(i) उपभोक्ता मामले विभाग	1997-98	7	2.43
	1998-99	4	1.35
	1999-00	1	0.23
	2000-01	3	0.86
	2001-02	2	0.90
	2002-03	10	15.93
	2003-04	2	2.79
	2004-05	4	6.66
	2005-06	0	0.00
	2006-07	9	19.00
	2007-08	1	2.50
	2008-09	0	0.00
	2009-10	3	6.48
	2010-11	4	55.95
	2011-12	5	153.59
	2012-13	17	250.42
	कुल	80	522.33

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
(ii) खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	2009-10	3	1129.00
	2010-11	1	26.28
	2011-12	3	137.65
	2012-13	3	110.93
	कुल	10	1403.86
संस्कृति	1990-91	1	0.05
	1991-92	7	2.09
	1992-93	233	893.88
	1993-94	320	1004.90
	1994-95	218	249.49
	1995-96	288	2395.98
	1996-97	85	351.10
	1997-98	113	213.38
	1998-99	68	2120.78
	1999-2000	37	219.61
	2000-01	81	289.02
	2001-02	34	267.75
	2002-03	95	768.67
	2003-04	84	501.48
	2004-05	131	350.93
	2005-06	95	705.96
	2006-07	130	1182.61
	2007-08	237	3719.29
	2008-09	96	1696.51
	2009-10	118	2304.16
2010-11	287	2948.21	
2011-12	488	2243.91	
2012-13	2	79.51	
कुल	3248	24509.27	
युवा मामले एवं खेल कूद i) युवा मामले विभाग	1987-88	19	10.44
	1988-89	71	36.11
	1989-90	116	30.59
	1990-91	164	72.27
	1991-92	111	51.97

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1992-93	225	145.19
	1993-94	219	167.72
	1994-95	143	168.68
	1995-96	189	239.25
	1996-97	209	267.39
	1997-98	64	77.45
	1998-99	251	393.01
	1999-2000	314	400.11
	2000-01	298	341.23
	2001-02	10	13.32
	2002-03	307	604.04
	2003-04	285	469.35
	2004-05	235	398.88
	2005-06	157	229.67
	2006-07	28	216.47
	2007-08	486	649.87
	2008-09	93	204.76
	2009-10	26	156.14
	2010-11	34	2404.61
	2011-12	11	3335.59
	2012-13	54	1340.72
	कुल	4119	12424.83
ii) खेल-कूद विभाग	1988-89	4	1.75
	1989-90	23	12.77
	1990-91	6	3.03
	1991-92	8	5.53
	1992-93	56	51.41
	1993-94	59	2398.89
	1994-95	21	15.53
	1995-96	71	62.10
	1996-97	40	86.11
	1997-98	47	36.51
	1998-99	43	13955.75
	1999-00	174	571.66
	2000-01	294	514.68

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2001-02	1	1.13
	2002-03	237	458.98
	2003-04	340	781.53
	2004-05	490	978.23
	2005-06	14	173.33
	2006-07	11	294.51
	2007-08	710	17.47
	2008-09	9	464.70
	2009-10	18	1065.49
	2010-11	31	660.22
	2011-12	19	972.93
	2012-13	114	4782.88
	कुल	2840	28367.12
iii) राष्ट्रमण्डल खेल विभाग	2008-09	6	5832.43
	2009-10	62	87273.31
	2010-11	73	10033.49
	कुल	141	103139.23
महिला एवं बाल विकास	1986-87	91	353.39
	1987-88	156	534.34
	1988-89	228	477.23
	1989-90	262	661.74
	1990-91	179	602.84
	1991-92	196	974.78
	1992-93	177	1068.06
	1993-94	283	794.43
	1994-95	251	926.58
	1995-96	181	698.03
	1996-97	335	1732.57
	1997-98	248	925.65
	1998-99	207	2642.41
	1999-2000	175	931.58
	2000-01	156	2004.82
	2001-02	247	1006.83
	2002-03	335	1714.34

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2003-04	117	983.08
	2004-05	151	1124.16
	2005-06	71	1004.71
	2006-07	33	595.70
	2007-08	54	1865.36
	2008-09	97	887.37
	2009-10	62	2150.87
	2010-11	121	1403.18
	2011-12	57	610.18
	2012-13	141	2597.42
	कुल	4611	31271.65
अल्पसंख्यक मामले	2008-09	1	5000.00
	2009-10	29	5456.70
	2010-11	126	1443.15
	2011-12	103	1117.04
	2012-13	73	594.86
	कुल	332	13611.75
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1987-88	208	156.02
	1988-89	519	618.68
	1989-90	247	338.64
	1990-91	432	459.71
	1991-92	462	517.35
	1992-93	332	585.04
	1993-94	545	885.69
	1994-95	690	1202.47
	1995-96	790	1303.37
	1996-97	395	754.65
	1997-98	430	9582.84
	1998-99	306	1075.40
	1999-00	238	2169.03
	2000-01	217	3623.17
	2001-02	335	4056.92
	2002-03	213	1098.86
	2003-04	306	1664.34

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2004-05	551	3271.39
	2005-06	422	1495.42
	2006-07	252	6779.39
	2007-08	712	5519.20
	2008-09	406	7421.34
	2009-10	105	607.94
	2010-11	249	2694.59
	2011-12	261	2005.34
	2012-13	423	5438.79
	कुल	10046	65325.58
पोत परिवहन	2008-09	01	10.00
	2009-10	00	0.00
	2010-11	02	7.63
	2011-12	03	57.86
	2012-13	06	224.28
	कुल	12	299.77
भारी उद्योग	2003-04	1	20.00
	2004-05	1	300.00
	2005-06	3	660.00
	2006-07	0	0.00
	2007-08	0	0.00
	2008-09	0	0.00
	2009-10	1	2559.00
	2010-11	1	11992.00
	2011-12	14	37111.00
	2012-13	उ.न.	उ.न.
	कुल	21	52642.00
रसायन एवं पेट्रोरसायन	2009-10	3	20.56
	2010-11	1	3.09
	2011-12	3	7.53
	2012-13	6	22.13
	कुल	13	53.31

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
भेषजीय	2008-09	1	1000.00
	2009-10	7	1681.14
	2010-11	4	700.10
	2011-12	1	45.00
	2012-13	11	2839.68
	कुल	24	6265.92
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1991-92	2	6.20
	1992-93	7	81.36
	1993-94	17	140.69
	1994-95	22	152.86
	1995-96	18	142.24
	1996-97	11	154.43
	1997-98	14	222.52
	1998-99	30	284.56
	1999-00	26	316.46
	2000-01	45	419.65
	2001-02	51	1172.85
	2002-03	61	1222.22
	2003-04	112	1576.71
	2004-05	163	1744.90
	2005-06	258	3385.69
	2006-07	267	3944.47
	2007-08	412	6577.19
	2008-09	243	3108.16
	2009-10	289	4152.77
	2010-11	304	5644.11
2011-12	173	7177.09	
2012-13	179	6731.81	
	कुल	2704	48358.94
मानव संसाधन विकास (i) उच्चतर शिक्षा विभाग	1977-78	1	3.50
	1978-79	23	29.26
	1979-80	16	18.32
	1980-81	9	17.20
	1981-82	11	21.10

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1982-83	32	67.65
	1983-84	19	36.31
	1984-85	15	28.56
	1985-86	77	382.02
	1986-87	26	94.96
	1987-88	91	491.51
	1988-89	76	359.36
	1989-90	75	515.23
	1990-91	12	11.75
	1991-92	40	297.96
	1992-93	45	427.15
	1993-94	57	553.33
	1994-95	17	122.33
	1995-96	20	180.59
	1996-97	20	270.76
	1997-98	29	337.27
	1998-99	32	169.99
	1999-00	90	382.05
	2000-01	80	648.53
	2001-02	85	736.64
	2002-03	161	1632.28
	2003-04	139	2052.71
	2004-05	145	4146.43
	2005-06	209	1309.50
	2006-07	65	6167.95
	2007-08	23	78.89
	2008-09	30	363.64
	2009-10	153	2490.29
	2010-11	304	8840.38
	2011-12	18	604.24
	2012-13	37	5804.15
	कुल	2282	39693.79
(ii) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	1982-83	1	5.00
	1983-84	0	0.00
	1984-85	1	0.60

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1985-86	9	5.05
	1986-87	19	17.70
	1987-88	4	13.09
	1988-89	21	74.24
	1989-90	33	55.61
	1990-91	9	20.84
	1991-92	7	8.93
	1992-93	10	77.23
	1993-94	27	298.03
	1994-95	34	461.22
	1995-96	49	1052.35
	1996-97	44	479.54
	1997-98	39	155.21
	1998-99	52	1338.09
	1999-00	54	422.78
	2000-01	38	1707.30
	2001-02	59	6382.57
	2002-03	96	8736.02
	2003-04	200	2943.31
	2004-05	131	1991.20
	2005-06	83	6786.26
	2006-07	95	7886.70
	2007-08	44	1998.58
	2008-09	49	1492.49
	2009-10	28	13792.81
	2010-11	24	8596.81
	2011-12	108	137429.63
	2012-13	239	751498.41
	कुल	1607	955727.60
श्रम एवं रोजगार	1979-80	1	0.01
	1980-81	0	0.00
	1981-82	0	0.00
	1982-83	2	0.13
	1983-84	0	0.00
	1984-85	0	0.00

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1985-86	3	1.62
	1986-87	0	0.00
	1987-88	3	2.94
	1988-89	1	6.21
	1989-90	9	10.10
	1990-91	14	19.29
	1991-92	8	26.59
	1992-93	1	0.31
	1993-94	5	3.89
	1994-95	3	3.71
	1995-96	13	92.10
	1996-97	100	182.82
	1997-98	4	4.31
	1998-99	14	16.36
	1999-00	19	25.56
	2000-01	23	41.49
	2001-02	13	38.21
	2002-03	8	4.64
	2003-04	5	23.34
	2004-05	17	94.04
	2005-06	4	7.05
	2006-07	13	449.39
	2007-08	20	302.49
	2008-09	22	743.47
	2009-10	26	416.98
	2010-11	47	1288.98
	2011-12	90	1915.91
	2012-13	108	3351.32
	कुल	596	9073.26
शहरी विकास	1985-86	1	1.00
	1987-88	1	3.00
	1989-90	1	1.50
	1993-94	2	2.56
	1999-00	2	8.19
	2003-04	6	29.91

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2005-06	8	926.51
	2006-07	5	279.42
	2007-08	13	299.85
	2008-09	8	1049.15
	2009-10	20	2668.84
	2010-11	24	4504.81
	2011-12	29	6908.11
	2012-13	30	11407.21
	कुल	150	28090.06
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	1995-96	1	2.20
	1996-97	1	1.10
	2003-04	7	1604.09
	2004-05	2	1356.52
	2005-06	1	481.77
	2006-07	22	361.73
	2007-08	1	4.38
	2008-09	2	226.45
	2009-10	6	1638.86
	2010-11	87	14824.52
	2011-12	138	9030.03
	2012-13	75	29576.32
	कुल	343	59107.97
खान	2011-12	0	0.00
	2012-13	4	158.87
	कुल	4	158.87
अंतरिक्ष	1976-77	1	0.05
	1979-80	1	0.05
	1980-81	1	0.38
	1981-82	1	0.03
	1982-83	5	0.69
	1983-84	1	0.02
	1984-85	3	0.97
	1985-86	1	0.05

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1986-87	5	1.30
	1987-88	2	4.88
	1989-90	2	0.07
	1993-94	1	0.10
	1998-99	1	0.20
	1999-00	2	1.30
	2000-01	3	34.87
	2001-02	5	60.91
	2002-03	11	162.75
	2003-04	15	198.48
	2004-05	13	218.74
	2005-06	23	101.61
	2006-07	16	25.88
	2007-08	13	40.30
	2008-09	12	134.30
	2009-10	36	150.80
	2010-11	25	78.68
	2011-12	28	79.07
	2012-13	54	433.62
	कुल	281	1730.10
जनजातीय मामले	2010-11	0	0.00
	2011-12	73	1490.00
	2012-13	91	35102.68
	कुल	164	36592.68
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1986-87	1	0.50
i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1987-88	1	12.00
	1988-89	0	0.00
	1989-90	0	0.00
	1990-91	0	0.00
	1991-92	0	0.00
	1992-93	0	0.00
	1993-94	7	63.38
	1994-95	1	0.31
	1995-96	54	188.02

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	1996-97	66	137.92
	1997-98	39	638.28
	1998-99	46	453.43
	1999-00	39	1136.47
	2000-01	53	1422.76
	2001-02	34	898.49
	2002-03	68	1691.54
	2003-04	149	2970.29
	2004-05	186	13355.20
	2005-06	231	17380.58
	2006-07	297	16851.80
	2007-08	207	13902.44
	2008-09	201	17105.46
	2009-10	211	13975.15
	2010-11	252	56586.01
	2011-12	923	188925.72
	2012-13	1236	1009123.99
	कुल	4302	1356819.74
ii) आयुष विभाग	1993-94	1	20.86
	1994-95	0	0.00
	1995-96	1	0.68
	1996-97	4	22.05
	1997-98	0	0.00
	1998-99	14	85.98
	1999-00	2	5.39
	2000-01	12	136.19
	2001-02	14	55.25
	2002-03	16	94.17
	2003-04	14	154.09
	2004-05	128	1305.61
	2005-06	126	636.44
	2006-07	280	9478.36
	2007-08	292	12419.49
	2008-09	358	21402.21

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2009-10	361	17394.30
	2010-11	203	15441.31
	2011-12	299	53208.62
	2012-13	2125	131861.00
	कुल		
iii) एड्स नियंत्रण विभाग			
	2003-04	13	576.56
	2004-05	9	354.81
	2005-06	11	424.44
	2006-07	6	85.49
	2007-08	11	392.52
	2008-09	16	753.17
	2009-10	13	311.03
	2010-11	1	0.30
	2011-12	8	316.61
	2012-13	181	62283.02
	कुल	269	65497.95
iv) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग			
	2011-12	5	7526.88
	2012-13	23	57540.00
	कुल	28	65066.88
आर्थिक कार्य			
	2011-12	0	0.00
	2012-13	2	0.30
	कुल	2	0.30
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम			
	2005-06	1	1.00
	2006-07	1	1.25
	2007-08	1	0.95
	2008-09	8	5.43
	2009-10	37	143.20

मंत्रालय/विभाग	अवधि, जिससे अनुदान संबंधित हैं (मार्च 2013 तक)	मार्च 2013 तक जारी अनुदानों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाणपत्र जो 31 मार्च 2014 तक देय थे	
		संख्या	राशि
	2010-11	70	699.05
	2011-12	29	335.41
	2012-13	95	6403.45
	कुल	242	7589.74
रसायन एवं उर्वरक (उर्वरक विभाग)	2011-12	0	0.00
	2012-13	1	164.23
	कुल	1	164.23
कुल योग		44329	4387499.40

परिशिष्ट - V

(पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

व्यक्तिगत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों पर महत्वपूर्ण अभ्यक्तियां

1. कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता

i. चालू देयताएं एवं प्रावधान - ₹ 2594.68 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों के पेंशन व उपदान की देयता क्रमशः ₹1913.80 करोड़ एवं ₹300.60 करोड़ (कुल ₹2214.40 करोड़) थी जिसके विरुद्ध ₹1332.32 करोड़ की निधियां उपलब्ध थी। यद्यपि इस तथ्य को लेखाओं पर टिप्पणी (क्र.सं. 32) में दर्शाया गया था, परंतु ₹882.08 करोड़ की कमी को लेखाओं में नहीं दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त 31.03.2014 को एवं उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन के बीमांकिक मूल्यांकन को ₹1693.38 करोड़ पर आंका गया था। इस प्रकार की देयता हेतु न तो किसी निधि का प्रावधान किया गया और न ही 31.03.2014 को समाप्त अवधि के लेखाओं में दर्शाया गया। अतः प्रोद्भूत पेंशन तथा उपदान की देयता के लिए प्रावधान न करने का परिणाम कर्मचारी लाभ के प्रावधान और घाटे को ₹2575.46 करोड़ तक की राशि द्वारा कम दर्शाए जाने में हुआ।

ii. विविध ऋणी-सरकारी बकाया –अन्य: ₹ 493.97 करोड़ तथा

विविध ऋणी : गैर-सरकारी बकाया – अन्य : ₹ 1075.96 करोड़

उपरोक्त में 2003-04 से पूर्व के ₹30.30 करोड़ के पुराने सरकारी बकाये तथा ₹31.37 करोड़ के गैर-सरकारी बकाये शामिल हैं। इस राशि की वसूली संदेहास्पद है क्योंकि इन दावों के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई भी फाईल/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। ऐसे ऋणियों के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसका परिणाम विविध ऋणियों को ₹61.67 करोड़ तक की राशि द्वारा अधिक दर्शाने में और घाटे को इतनी ही राशि के बराबर कम दर्शाने में हुआ।

2. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट

i. निवेश - ₹1682.47 करोड़

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा मैसर्स सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई में किये गये लम्बी अवधि के निवेश ₹30 करोड़ की अवनति हेतु प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया। यह लेखाकरण मानदण्ड-13, जो निवेश के लेखाकरण से संबंधित है, के विपरीत है।

ii. मियादी जमाओं व अन्य निधियों पर ब्याज – ₹92.72 करोड़

उपरोक्त में सांविधिक निधियों जैसे पूंजीगत परिसम्पत्तियों की प्रतिस्थापना, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु निधि तथा आकस्मिकता निधि एवं ऋणों में सुधार, पुनर्भुगतान से सम्बंधित ₹7.48 करोड़ की ब्याज की आय शामिल है। इसे संबंधित निधि में जमा किया जाना चाहिए था। अतः उपरोक्त आय को ₹7.48 करोड़ बढ़ा कर दर्शाया गया तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों की प्रतिस्थापना, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु निधि तथा आकस्मिकता निधि एवं ऋणों में सुधार, पुनर्भुगतान को क्रमशः ₹4.25 करोड़ व ₹3.23 करोड़ कम करके दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त इसके परिणामस्वरूप आयकर से पहले शुद्ध अधिशेष को ₹7.48 करोड़ बढ़ा कर दिखाया गया।

3. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट

i. नकदी व बैंक शेष

राष्ट्रीयकृत बैंकों में मियादी जमायें - ₹ 2646.28 करोड़

उपरोक्त में फरवरी 2014 में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में जमा करवाई गयी ₹71.19 करोड़ की राशि शामिल है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न तो मियादी जमा पावतियों प्रस्तुत कर सका और न ही बैंक से पुष्टिकरण उपलब्ध करवा सका। जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट ने बताया कि उसके द्वारा बैंक को मियादी पावती जारी करने या ब्याज सहित पैसा वापस करने के लिए कई अनुस्मारक भेजे गए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 6 मार्च 2014 को मामला सी.बी.आई. को भेजा गया तथा 7 मार्च 2014 को एफ.आई.आर. दर्ज की गयी।

इसका परिणाम नकदी व बैंक शेष का अधिकथन तथा लाभ को ₹71.19 करोड़ द्वारा अधिक दिखाने में हुआ।

ii. चालू देयताएं व प्रावधान - ₹1987.56 करोड़

इसमें पंच-निर्णय के आधार पर, जिसे ट्रस्टी बोर्ड द्वारा 6 मई 2014 की मीटिंग में स्वीकार किया गया, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को वापस की जाने वाली ₹5.99 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसका परिणाम चालू देयताओं को कम दिखाने एवं लाभ को ₹5.99 करोड़ बढ़ाकर दिखाने में परिणत हुआ।

4. कांडला पोर्ट ट्रस्ट

i. निवेश-पेट्रोनेट के साथ इक्विटी सह-भागिता - ₹ 5 करोड़

इसमें वर्ष 2000 के दौरान पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड में इक्विटी सह-भागिता के लिए निवेश किये गए ₹5.00 करोड़ शामिल हैं। पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड घाटे में चल रही थी तथा उसका निवल मूल्य ऋणात्मक था। इसे देखते हुए पेट्रोनेट वी.के. लिमिटेड में किये गए निवेश को बहूटे खाते में डाल देना चाहिए था। इसका परिणाम निवेश व लाभ को ₹5 करोड़ बढ़ाकर दिखाने में हुआ।

ii. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम - भविष्य निधि निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज- ₹ 21.65 करोड़

इसमें उत्तर प्रदेश का प्रदेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम, उत्तर प्रदेश सहकारी स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम में निवेश किये गये ₹8.23 करोड़ पर ₹7.55 करोड़ का ब्याज शामिल है। चूंकि कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किये गए प्रयासों के बावजूद, जिसमें कानूनी कार्यवाही भी शामिल है, राशि प्राप्त करने में असफलता रही, लेखों में संशयात्मक ऋण के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसका परिणाम भविष्य निधि के निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज व चालू देयताओं (भविष्य निधि) को ₹7.55 करोड़ की राशि द्वारा बढ़ाकर दिखाने में हुआ।

5. मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट

i. स्थायी/पूंजीगत परिसम्पत्तियां - सकल ब्लॉक - ₹ 637.17 करोड़

इसमें क्रमशः 3 मई 2010 एवं 4 मार्च 2010 को सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई से खरीदी गयी दो मार्गदर्शी नौकाओं अर्थात 'पुलिवसल' और 'शिगल' की खरीद पर किया गया ₹6.46 करोड़ का व्यय शामिल नहीं था। इसका परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों व चालू देयताओं के ₹6.46 करोड़ के कम कथन और अवमूल्यन एवं हानि के ₹1.29 करोड़ के कम कथन में हुआ।

ii. सामान्य

लेखाकरण मानक 15 - (सेवानिवृत्ति लाभों का लेखाकरण) के अनुसार जहाँ सेवानिवृत्ति लाभों संबंधी देयता के लिए ट्रस्ट के सृजन के माध्यम से धन का प्रबंध किया जाता है, वहाँ वर्ष के दौरान वहन लागत को बीमांकिक आधार पर नियत किया जाना चाहिए। बीमांकिक रिपोर्ट में मूल्यांकन अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले वार्षिक अंशदान का निर्धारण किया गया था। बीमांकिक रिपोर्ट में दर्शाये इस वार्षिक अंशदान को प्रतिवर्ष लाभ व हानि खाते पर भारित किया जाना चाहिए था। मो.पो.ट्र. द्वारा सेवानिवृत्ति निधि, सामूहिक उपदान निधि और छुट्टी नकदीकरण निधि का बीमांकिक देयता के आधार पर प्रावधान नहीं किया गया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

क्र.सं.	निधि का नाम	31 मार्च 2014 को बीमांकिक देयता	31 मार्च 2014 निधि का शेष	हानि
1.	पेंशन ट्रस्ट निधि	1149.11	484.40	664.71
2.	उपदान ट्रस्ट निधि	95.35	53.59	41.76
3.	छुट्टी नकदीकरण निधि	47.88	20.58	27.30
	कुल	1292.34	558.57	733.77

पेंशन निधि, उपदान निधि व छुट्टी नकदीकरण निधि का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान न किये जाने का परिणाम ₹733.77 करोड़ की राशि द्वारा देयता तथा हानि को कम दर्शाए जाने में हुआ।

6. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

ऋण एवं अग्रिम - सहायक कम्पनियों/पत्तनों को अग्रिम व ऋण – ₹ 1720.37 करोड़

इसमें पूर्ववर्ती बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड (बॉ.डॉ.ले.बो.) को, उसके द्वारा किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए, 1994 से 2014 के बीच दिए गए ₹1720.37 करोड़ का अग्रिम शामिल है। मु.पो.ट्र. द्वारा मंत्रालय को भेजा गया (सितम्बर 2005) दावा, मई 2006 एवं अगस्त 2007 में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि बॉ.डॉ.ले.बो. को कोई भी बजट सहायता नहीं दी जा सकती एवं इसे अपने संसाधन स्वयं जुटाने होंगे। चूंकि सरकार के पास कोई दावा विचाराधीन नहीं था तथा बॉ.डॉ.ले.बो. से इस राशि की वसूली होने की बहुत कम संभावना

थी, इसके लिए खातों में प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसका परिणाम प्रावधानों एवं हानि को ₹1720.37 करोड़ की राशि के बराबर कम दर्शाए जाने में हुआ।

7. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट

i. निवेश- सामान्य आरक्षित निधि का निवेश- ₹ 48.00 करोड़

पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मैसर्स सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड (से.स.कॉ.लि.), चेन्नई में किये गए ₹30 करोड़ के दीर्घ अवधि के निवेश में होने वाली कमी के मूल्यांकन का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया गया। यह निवेश के लेखाकरण से संबंधित लेखाकरण मानक-13 के विपरीत है।

ii. सहायक कम्पनियों/पत्तनों/न्यासों को अग्रिम एवं ऋण – ₹ 3.40 करोड़

वि.पो.ट्र. द्वारा मैसर्स आर.आई.टी.इ.एस. को आन्ध्र प्रदेश के दुग्गाराजपत्तनम में नए प्रमुख पत्तनों के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिये गये ₹5.56 करोड़ के भुगतान को राजस्व व्यय में दर्शाया गया। भारत सरकार के निर्णयानुसार, उपरोक्त व्यय भविष्य में बनने वाली संयुक्त उपक्रम कम्पनी में वि.पो.ट्र. की इक्विटी का हिस्सा बनेगा। अतः व्यय को राजस्व व्यय के स्थान पर अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसका परिणाम प्रबंधन व सामान्य प्रशासन संबंधी खर्चों के ₹5.56 करोड़ की राशि से अधिकथन तथा चालू परिसम्पत्तियों के अंतर्गत सहायक कम्पनियों/पत्तनों/न्यासों को अग्रिम एवं ऋण तथा कर पूर्व लाभ के इसी राशि से कम कथन में हुआ।

8. चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट

प्रावधान – कर्मचारियों से संबंधित लाभ - ₹ 50.17 करोड़

इसमें 01.01.2007 से 31.12.2011 और 01.01.2012 से 31.12.2013 की अवधि के लिए सीशोर कैंटीन के कर्मियों तथा चेन्नई डॉक लेबर बोर्ड महिला कल्याण संस्था के स्टाफ के वेतन संशोधन के बकाया की एकमुश्त अदायगी के लिए दिए जाने वाले ₹1.84 करोड़ शामिल नहीं है। इसका परिणाम प्रावधान व हानि को ₹1.84 करोड़ की राशि के बराबर कम दर्शाए जाने में हुआ।

9. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट

i. निधियों की प्रयोज्यता-स्थायी/पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ - निवल ब्लॉक - ₹ 422.30 करोड़

इसमें आई.सी.टी.टी. चैनल के पूंजीगत निष्कर्षण जिसे पूरा कर लिया गया था तथा अप्रैल 2013 में 14.5 मीटर ढांचे की घोषणा की गयी थी, पर होने वाला ₹10.40 करोड़ का व्यय शामिल था। इस व्यय को कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस के अंतर्गत लेखांकित किये जाने का परिणाम पूंजीगत कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस को ₹10.40 करोड़ को बढ़ाकर दर्शाए जाने में हुआ तथा प्रत्येक स्थाई परिसम्पत्तियों के इसी राशि के समकक्ष कम कथन में हुआ एवं जिसका क्रमिक परिणाम मूल्यहास व हानि को ₹0.10 करोड़ की राशि के बराबर कम दर्शाए जाने में हुआ।

ii. चालू देयताएं और प्रावधान - ₹478.29 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति पेंशन और उपदान संबंधी देयताएँ ₹2224.65 करोड़ थीं। तथापि 31 मार्च 2014 को जीवन बीमा निगम को दिए गए अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज मात्र ₹232.69 करोड़ था। अतः देय अंशदान में ₹1991.96 करोड़ की कमी थी, जिसका प्रावधान न करने का परिणाम देयताओं एवं प्रावधानों के कम कथन तथा परिणामस्वरूप ₹1991.96 करोड़ की हानि के कम कथन में परिणत हुआ।

10. वी.ओ.सी. पोर्ट ट्रस्ट

स्थाई परिसम्पत्तियाँ - भूमि- ₹ 14.44 करोड़

इसमें भूमि खरीदने के लिए, जिसके लिए ट्रस्ट द्वारा मार्च 2014 में ₹20.03 करोड़ का भुगतान किया गया था, लिया गया ₹10.01 करोड़ का ऋण शामिल नहीं था। इसका परिणाम भूमि और चालू देयताओं में से प्रत्येक को ₹10.01 करोड़ की राशि के बराबर कम दिखाने में हुआ।

11. कोलकाता डॉक लेबर बोर्ड

i. निर्धारित/एन्डोमेन्ट फण्ड - ₹7.42 करोड़

यह अनुरूप समान निवेश के बिना केवल बही शेष को दर्शाता है। इसलिए निर्धारित/एन्डोमेन्ट फण्ड के संबंध में समान निवेश की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया।

ii. चालू देयताएं और प्रावधान - ₹1119.53 करोड़

इसमें के.ओ.पी.टी. द्वारा बकाया किराये पर दावा किया गया ₹1.47 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है। इसका परिणाम चालू देयताओं के कम कथन के साथ-साथ और आय पर व्यय आधिक्य को ₹1.47 करोड़ की राशि के बराबर कम दर्शाए जाने में हुआ।

12. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण**चालू देयताएं और प्रावधान - ₹ 2.29 करोड़**

इसे निम्नलिखित कारणों से ₹429.91 लाख राशि के बराबर कम दिखाया गया:-

(₹ लाख में)

क.	एयर इण्डिया लिमिटेड के द्वारा भा.वि. आ.नि.प्रा. के कर्मचारियों को उपलब्ध करवाये गए हवाई टिकटों की देयता का प्रावधान न करना	3.96
ख.	वर्ष 2012-13 व 2013-14 के लिए लेखापरीक्षा फीस की देयता का प्रावधान	8.75
ग.	2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान भा.वि.प्रा. से ली गई श्रम सेवाओं का प्रावधान न करना	421.49
घ.	एअर इण्डिया लिमिटेड का देय पट्टे की देयता का अधिक प्रावधान	(-) 4.29
	कुल	429.91

परिणामतः आय पर व्यय के आधिक्य को ₹429.91 लाख की राशि द्वारा कम दिखाया गया।

13. डी.एम.आई.सी. परियोजना क्रियान्वयन न्यास निधि**अर्जित ब्याज - ₹40.74 करोड़**

इसमें वर्ष 2013-14 के दौरान निर्धारित निधि पर अर्जित ₹9.41 करोड़ का ब्याज शामिल है। इसे स्पष्ट व पृथक रूप से निर्धारित निधि की आय दर्शाया जाना चाहिए था तथा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज के कॉर्पस/पूंजीगत लेखा में अंतरित करने के बजाए निर्धारित निधि में अंतरित करना चाहिए था। इससे सहायता अनुदान की शर्तों का भी उल्लंघन होता है। इसका परिणाम कॉर्पस/पूंजीगत लेखा के अधिकथन तथा निर्धारित निधि के ₹9.41 करोड़ से कम कथन में हुआ।

14. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली

स्थायी परिसम्पत्तियाँ (सकल परिब्लॉक) - ₹4.29 करोड़

इसमें पिछले वर्षों में 'किराया, दरें एवं कर' में किए गए प्रावधान में से इण्डियन ऑयल लिमिटेड को देय/दिए गए फर्नीचर व फिक्चर (₹2.68 करोड़), कार्यालय उपकरण (₹0.38 करोड़) तथा संयंत्र एवं उपकरण (₹0.83 करोड़) का 3.89 करोड़ शामिल नहीं हैं। व्यय का पूंजीकरण करने एवं प्रावधान का प्रतिलेखन करने के बजाए है पै.प्रा.गै.नि.बो. द्वारा व्यय को 'किराया, दरें एवं कर' के अंतर्गत दर्ज किया गया।

इसका परिणाम स्थायी परिसंपत्तियों तथा 'पूर्वकालिक आय' को ₹3.89 करोड़ की राशि के बराबर कम दर्शाए जाने में हुआ। चूंकि उपयोग की गई परिसंपत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया था, मूल्यहास के प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

15. कपड़ा समिति

चालू देयताएं और प्रावधान - ₹ 1044.30 लाख

समिति की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(20) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त नहीं है क्योंकि समिति उस धारा के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरणों में से एक नहीं है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के अधीन आयकर छूट प्राप्त करने के लिए समिति धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। पिछले वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद, समिति द्वारा न तो राशि का अनुमान लगाया गया और न ही निर्धारण वर्ष 2003-04 से आयकर की देयता का प्रावधान किया गया।

16. खादी ग्राम और उद्योग आयोग

एण्डोमेंट फण्ड – ₹ 234.12 करोड़

i. आयोग द्वारा अपनायी गयी लेखांकन नीति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए योजनागत अनुदानों को भुगतान किए गए वर्ष में (अनुसूची 18-ए का पैरा 3.4) व्यय के रूप में दर्शाया गया है। दोषपूर्ण लेखांकन नीति के परिणामस्वरूप एण्डोमेंट फण्ड के शेषों, जोकि क्षेत्रीय कार्यालयों तथा आयोग के निदेशालयों के पास उपलब्ध, अव्ययित योजनागत निधि के शेषों का कुल योग था, को ₹509.47 करोड़ रुपये की राशि से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप 'रोकड़ एवं बैंक शेषों को समान राशि से कम बताया गया'।

ii. एण्डोमेंट फण्ड में आयोग द्वारा कई वर्षों में (प्रबंधन के पास 1964 से दिए गए अग्रिम तथा संवितरण के वास्तविक वर्षों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं थी) इसके यूनिट कार्यालयों, राज्य निर्देशकों, संस्थानों (₹55.31 करोड़) तथा नोडल बैंकों को (₹22.56 करोड़) दिए गए अग्रदाय अग्रिम के ₹114.95 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग के पास ₹36.18 करोड़ के अग्रदाय अग्रिमों का ब्यौरा नहीं है। प्रतिपूर्ति वाउचरों (अनुसूची 18-बी, पैरा 6.3) के अभाव में इन शेषों का समायोजन बकाया है। ठोस/निश्चित कार्रवाई किए बिना वसूली/समायोजन हेतु ऐसी पुरानी मदों को निरंतर अग्रिम दर्शाये जाने का परिणामस्वरूप एण्डोमेंट फण्ड शेषों तथा ऋण और अग्रिमों को ₹114.05 करोड़ की राशि तक अधिक बताया गया।

17. तेल उद्योग विकास बोर्ड

i. चालू देयताएं और प्रावधान - ₹ 629.14 करोड़

इसमें 2010-11 से असम सरकार को देय रॉयल्टी के अंतर का ₹4.25 करोड़ शामिल है जबकि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार, दिसम्बर 2010 से असम राज्य के आमगुड़ी क्षेत्र में तेल/संघनन का कोई उत्पादन नहीं हुआ तथा उससे पूर्व के सभी भुगतान कर दिए गए थे।

ii. अन्य प्रशासनिक व्यय - ₹9.46 करोड़

इसमें ते.उ.वि.बो. द्वारा अप्रैल 2006 के दौरान नोएडा में 90 वर्षों के पट्टे पर लिए गए भूखण्ड के लिए वार्षिक किराये के बदले भुगतान की गई एकमुश्त राशि के तौर पर फरवरी 2014 में जमा किए गए ₹2.49 करोड़ रुपये शामिल हैं। एकमुश्त राशि का भुगतान एक स्थायी परिसम्पत्ति है क्योंकि इसका लाभ 82 वर्षों के दौरान प्राप्त होगा।

18. दिल्ली विकास प्राधिकरण

i. छुट्टी नकदीकरण फण्ड - ₹ 466.23 करोड़

छुट्टी नकदीकरण फण्ड (छु.न.फ.) का उपरोक्त अंतिम शेष, अनुसूची-एफ-‘चिन्हित/वृत्तिदान निधि का निवेश’ में दर्शाए गए छुट्टी नकदीकरण फण्ड की ₹203.32 करोड़ की राशि के निवेश से मेल नहीं खाता। यह छु.न.फ. के निवेशों में ₹262.91 करोड़ के कमी को सूचित करता है।

ii. स्थापना तथा प्रशासन- ₹ 273.96 करोड़

क) 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए पेंशन व्ययों के ₹700.48 करोड़ के बीमांकिक मूल्यांकन के प्रति, दि.वि.प्रा. द्वारा केवल ₹150.84 करोड़ का प्रावधान किया गया। अतः दि.वि.प्रा. द्वारा, लेखाकरण मानक 15-‘सेवानिवृत्ति लाभ का लेखांकन’ के उल्लंघन में, ₹549.64 करोड़ का कम प्रावधान किया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को ₹549.64 करोड़ की राशि तक कम बताये जाने के साथ घाटे को उतनी राशि तक कम बताया गया।

ख) 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए छुट्टी नकदीकरण खर्चों के ₹67.96 करोड़ के बीमांकिक मूल्यांकन के प्रति दि.वि.प्रा. द्वारा केवल ₹24.54 करोड़ का प्रावधान किया गया। अतः दि.वि.प्रा. द्वारा लेखाकरण मानक 15-‘सेवानिवृत्ति लाभ’ के उल्लंघन में व्ययों का ₹43.42 करोड़ की राशि के बराबर कम प्रावधान किया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को ₹43.42 करोड़ की राशि तक कम बताए जाने के साथ घाटे को उसी वर्ष के लिए समान राशि तक कम बताया गया।

iii. तैयार स्टॉक- निर्मित मकान - ₹ 956.69 करोड़

कुछ प्रभागों (रोहिणी परियोजना प्रभाग- 6 और 10, पश्चिमी प्रभाग-3 तथा दक्षिणी-पश्चिमी प्रभाग-8) में निर्मित मकानों की सूची की नमूना जांच से पता चला कि मूल्यांकन पंजिका के अनुसार मकानों का अंतिम शेष 324 था जबकि प्रभाग के अभिलेखों के अनुसार मकानों का वास्तविक स्टॉक केवल 169 था। अतः 155 मकान जिनका मूल्य ₹18.48 करोड़ था, तैयार माल की सूची में दिखाए गए थे, जो पहले ही विक्रय कर दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप अंतिम स्टॉक को ₹18.48 करोड़ की राशि द्वारा अधिक बताया गया और घाटे को समान राशि तक कम बताया गया। चूंकि यह अभ्युक्ति नमूना जांच के मामलों में की गई थी, अन्य प्रभागों में इस प्रकार की अनियमितताओं की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

19. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली

विभिन्न जमा - ₹ 278.49 करोड़

उपरोक्त में क.भ.नि.स. द्वारा, नई पेंशन योजना के प्रति कर्मचारियों से प्राप्त ₹15.29 करोड़ रुपये के अंशदान के बराबर राशि का अनिवार्य अंशदान शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप व्यय व विविध जमाओं को उतनी ही राशि के बराबर कम बताया गया और राजस्व अधिशेष को ₹15.29 करोड़ की राशि के बराबर अधिक बताया गया।

20. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली**चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम – ₹ 463.82 करोड़**

वर्ष के दौरान प्रतिभूति जमाओं पर अर्जित ₹1.05 करोड़ का ब्याज विश्वविद्यालय की आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था क्योंकि इसे वापस नहीं किया जाना था। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा इसे प्रतिभूति जमाओं में दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप आय को ₹1.05 करोड़ रुपये की राशि को कम बताया गया और चालू देयताओं को उतनी ही राशि के बराबर अधिक बताया गया।

21. दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, दिल्ली**चालू देयताएं और प्रावधान – ₹ 1.59 करोड़**

दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय ने ₹7 करोड़ मूल्य के सेवानिवृत्ति लाभों व कर्मचारियों के प्रति अन्य देयताओं के लिए वार्षिक लेखाओं में प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और व्यय में से प्रत्येक को ₹7 करोड़ की राशि से कम बताया गया।

22. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली**चालू देयताएं व प्रावधान – ₹ 296.09 करोड़**

₹1.47 करोड़ के व्ययों, जो प्रोद्भूत थे परंतु जिनका भुगतान नहीं किया गया था, के लिए देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया जिसका परिणाम चालू देयताओं को कम बताए जाने व उतनी ही राशि के बराबर सामान्य निधि को अधिक बताए जाने में हुआ।

23. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली**चालू देयताएं व प्रावधान – ₹ 15.94 करोड़**

नई पेंशन योजना की ₹2.22 करोड़ की देयताओं और परिसम्पत्तियों को लेखाओं में नहीं दर्शाया गया जिसका परिणाम परिसम्पत्तियों व देयताओं को ₹2.22 करोड़ की राशि के बराबर कम बताए जाने में हुआ।

24. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद**चालू देयताएं और प्रावधान - ₹ 227.55 करोड़**

i. 31.3.2014 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों की ₹118.06 करोड़ की वास्तविक देयता के प्रति ₹10.4 करोड़ का प्रावधान करने के कारण चालू देयताओं

और प्रावधानों को ₹107.66 करोड़ की राशि तक कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय को भी ₹107.66 करोड़ की राशि के बराबर कम बताया गया।

ii. चालू देयताओं और प्रावधानों में प्रतिबंधन तथा नियंत्रण शास्ति शुल्क, जिसमें आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा छूट नहीं दी गई थी, के भुगतान के लिए ₹2.41 करोड़ की देयता का प्रावधान शामिल नहीं था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं व प्रावधानों तथा व्यय को ₹2.41 करोड़ की राशि तक कम बताया गया तथा पूंजीगत निधि को ₹2.41 करोड़ की राशि तक अधिक बताया गया।

25. राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम आदि- ₹ 34.11 करोड़

चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिम आदि में, आयातित विश्लेषणात्मक उपकरण तथा प्रयोगशाला उपस्कर जिन्हें संस्थान द्वारा पिछले वर्षों (2012-13) के दौरान स्थापित/सौंपा और उपयोग किया गया परंतु जिनका इस आधार पर, कि अग्रिम भुगतान के लिए परामर्शदाता (मैसर्स आर.आई.टी.ई.एस.) से अंतिम बिल प्राप्त नहीं हुए, पूंजीगत नहीं किया गया, के लिए ₹5.70 करोड़ का अग्रिम भुगतान शामिल है। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹5.7 करोड़ की राशि तक कम बताया गया तथा चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिम को उतनी ही राशि तक अधिक बताया गया। इस स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्याहस का प्रावधान भी नहीं किया गया था।

26. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

मूल्याहस - ₹ 26.73 करोड़

पुस्तकालय पुस्तकों पर, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित 60 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत मूल्याहस लगाये जाने के कारण इसे ₹3.09 करोड़ तक कम बताया गया जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत/कार्पस निधि को तथा स्थायी परिसम्पत्ति को ₹3.09 करोड़ की राशि द्वारा अधिक बताया गया।

27. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय (गु.घा.वि.), बिलासपुर**चालू देयताएँ और प्रावधान - ₹ 55.52 करोड़**

अंशदायी भविष्य निधि के लिए ₹1.73 करोड़ के नियोक्ता के हिस्से की देयता का प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों एवं व्यय को ₹1.73 करोड़ की राशि से कम बताया गया।

28. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर**स्थायी परिसम्पत्तियाँ - ₹ 7.36 करोड़**

राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज, रायपुर (जी.ई.सी.) से एन.आई.टी. (01.12.2005) में परिवर्तित होते समय एन.आई.टी. द्वारा जी.ई.सी. से परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ प्राप्त की गईं। तथापि, आठ वर्ष बीत जाने के बावजूद परिसम्पत्तियों व देयताओं की गणना नहीं की जा सकी तथा उन्हें तुलन पत्र में नहीं दर्शाया जा रहा है। इसका परिणाम परिसम्पत्तियों और देयताओं दोनों को उस सीमा तक कम दर्शाये जाने में हुआ।

29. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.आ.रा.प्रौ.सं.), भोपाल**स्थायी परिसम्पत्तियाँ : ₹225.89 करोड़**

इसमें विभिन्न पूंजीगत कार्य, जिन्हें वर्ष 2013-14 के दौरान पूरा किया परन्तु राजस्व व्यय के रूप में माना गया था, का ₹3.25 करोड़ का मूल्य शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों की मूल्यहास निवल राशि को ₹3.09 करोड़ की राशि से कम बताया गया तथा व्यय इसी राशि के बराबर अधिक बताया गया।

30. उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग**अन्य प्राप्ति: ₹ 146.85 लाख**

संस्थान की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों (अनुसूची-18) के अनुसार, भवनों से प्राप्त होने वाली आय को प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित किया जाना है। तथापि, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान शिलांग को किराये पर दिए गए भवन पर ₹108.65 लाख की प्रोद्भूत किराए की आय को लेखांकित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप आय को ₹108.65 लाख की राशि तक कम बताया गया और घाटे को समान राशि तक अधिक तथा समान राशि से चालू परिसम्पत्तियों को कम बताया गया।

31. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

पूँजीगत आरक्षित निधि तथा स्थायी परिसम्पत्तियाँ: ₹ 2541.90 करोड़

विश्वविद्यालय द्वारा, उसकी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में दिए गए दरों पर, वर्ष के दौरान मूर्त परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया। इसका परिणाम ₹15.01 करोड़ की राशि के बराबर मूल्यहास को कम बताए जाने और उतनी ही राशि तक पूँजीगत आरक्षित निधि तथा स्थायी परिसम्पत्तियों को अधिक बताए जाने में हुआ।

32. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

स्थायी परिसम्पत्तियाँ – ₹ 1395.10 करोड़

विश्वविद्यालय द्वारा 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान विभिन्न संस्वीकृत कार्यों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भुगतान के लिए ₹68.05 करोड़ के चैक तैयार किए तथा वास्तविक भुगतान से पहले ही इन्हें भवनों के अंतर्गत दर्ज किया। 2013-14 के अंत तक ये चैक के.लो.नि.वि. को नहीं सौंपे गए। इसके परिणामस्वरूप, 'भवन' को ₹68.05 करोड़ की राशि तक अधिक "बैंक शेष" शीर्ष के अंतर्गत 'चालू परिसम्पत्तियों' को उतनी ही राशि तक कम बताया गया।

33. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

शैक्षणिक व्यय - ₹5.00 करोड़

विश्वविद्यालय ने ₹1.26 करोड़ मूल्य की पत्रिका और प्रकाशन खरीदे परंतु इनका पूँजीकरण नहीं किया गया। इसकी बजाय इन मदों को शैक्षणिक व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक व्ययों को ₹1.26 करोड़ की राशि तक अधिक बताया गया और स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ मूल्यहास को भी क्रमशः ₹50.29 लाख तथा ₹75.43 लाख की राशि के बराबर कम बताया गया।

34. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

चालू देयताएं और प्रावधान

i. संस्थान ने 2013-14 के दौरान ₹3.36 करोड़ मूल्य की पुस्तकें, फर्नीचर व फीक्चर, कम्प्यूटर और बाह्य उपकरण, मशीनरी और उपकरण खरीदे परंतु इन मदों का पूँजीकरण नहीं किया गया क्योंकि भुगतान वर्ष के दौरान नहीं किया गया था। इसका परिणाम स्थायी

परिसम्पत्तियों व चालू देयताओं को ₹3.36 करोड़ की राशि के बराबर कम बताए जाने में हुआ।

ii. एम.टेक. के विद्यार्थियों की फेलोशिप के बकाया भुगतान की ₹1.88 करोड़ की राशि को चालू देयताओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। इसका परिणाम व्यय तथा चालू देयताओं को ₹1.88 करोड़ की राशि तक कम बताए जाने में हुआ।

iii. संस्थान ने पत्रिकाएं व आवधिक पत्रिका के संबंधित ₹1.22 करोड़ के बकाया भुगतान को चालू देयता शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप चालू देयता तथा स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹1.22 करोड़ की राशि तक कम बताया गया।

35. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

i. मूल्यहास - ₹ 27.25 करोड़

संस्थान द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी पर कंपनी अधिनियम में विनिर्दिष्ट 4.75 प्रतिशत के स्थान पर 9.5 प्रतिशत मूल्यहास लगाये जाने के कारण उपरोक्त राशि को ₹6.13 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसका परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों को इतनी ही राशि के बराबर अधिक बताए जाने में हुआ।

ii. अनुदान/आर्थिक सहायता - ₹ 140.16 करोड़

घोषित लेखाकरण नीति (अनुसूची 17 का क्र.सं. 6(बी)) के विपरीत तथा अनुरक्षण उद्देश्यों के लिए अनुदान के अप्रयुक्त शेष को पिछले वर्षों के दौरान निरंतर चालू देयताओं के रूप में दर्शाए जाने के कारण इस प्रकार के अनुदान के अव्ययित शेष की ₹23.04 करोड़ की राशि को आय खाते में रखा गया। अप्रयुक्त शेष का चालू देयताओं में अंतरण न किए जाने का परिणाम ₹23.04 करोड़ तक अनुदान/आर्थिक सहायता के अधिक बताए जाने, चालू देयताओं को कम बताए जाने के साथ उस वर्ष के घाटे को इतनी ही राशि के बराबर कम बताए जाने में हुआ।

36. विश्व भारती, शान्ति निकेतन

स्थायी परिसम्पत्तियाँ - ₹ 133.69 करोड़

स्थायी परिसम्पत्तियों के नवीकरण और निर्माण पर ₹2.94 करोड़ के खर्च को विकास (चिन्हित) निधि के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में दर्शाए जाने के कारण उपरोक्त राशि को

₹2.94 करोड़ तक कम बताया गया। इसका परिणाम चिन्हित निधियों को उसी सीमा तक कम बताए जाने में भी हुआ।

37. गनीखान चौधरी अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा

अनुदान/आर्थिक सहायता – शून्य

वेतन और मजदूरी के लिए ₹262.02 लाख के आवर्ती अनुदान को आय खाते में दर्ज न करके पूंजीगत लेखा में क्रेडिट किया गया यद्यपि इन मदों में किए गए खर्च को व्यय खाते में दर्ज किया गया था।

इसका परिणाम अनुदान/आर्थिक सहायता को ₹262.02 लाख की राशि के बराबर कम बताया तथा वर्ष की आय से व्यय आधिक्य को उतनी ही राशि के बराबर अधिक बताया गया।

38. त्रिपुरा विश्वविद्यालय

चालू परिसम्पत्तियाँ – ₹ 69.17 करोड़

₹14.61 करोड़ के 'बैंक शेष' व अन्य स्थायी परिसम्पत्तियों को जो राज्य विश्वविद्यालय की अवधि से संबंधित थे, अभी तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के खातों में शामिल नहीं किया गया है जिसका परिणाम कॉर्पस निधि और चालू परिसम्पत्तियों दोनों को ₹14.61 करोड़ की राशि के बराबर कम दिखाए जाने में हुआ।

39. जे.आई.पी.एम.ई.आर., पाण्डिचेरी

स्थायी परिसम्पत्ति - ₹ 690.13 करोड़

₹11.16 करोड़ के पूंजीगत व्यय (पुस्तकों व पत्रिकाओं, मशीनरी और उपकरण की खरीद तथा बड़े पूंजीगत कार्य) को आय एवं व्यय विवरणी में राजस्व व्यय के रूप में दिखाए जाने के परिणामस्वरूप स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹11.16 करोड़ की राशि तक कम बताया गया तथा उतनी राशि के बराबर व्यय और कॉर्पस निधि को अधिक बताया गया।

40. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (चेन्नई)

चालू देयताएं और प्रावधान- ₹ 76.43 करोड़

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डी.आर.डी.ओ., मा.सं. मंत्रालय, इसरो इत्यादि जैसे विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त परियोजनाओं की अप्रयुक्त निधियों को

मियादी जमाओं और बचत बैंक खातों में जमा किया गया। यद्यपि प्रायोजित करने वाले अभिकरणों के नियमानुसार परियोजनाओं के लिए दी गई निधियों पर अर्जित ब्याज को संबंधित परियोजना लेखाओं को क्रेडिट किया जाना चाहिए परंतु इन जमाओं पर अर्जित ₹25.04 करोड़ के ब्याज को आय माना गया। इसका परिणाम चालू देयताओं को ₹25.04 करोड़ की राशि तक कम बताने व आय को उतनी राशि तक अधिक बताए जाने में हुआ।

41. नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम – ₹ 21.26 करोड़

इन्हें 2013-14 की अवधि के दौरान 'नारियल बागानों का पुनः वृक्षारोपण और कायाकल्प' के अंतर्गत विभिन्न फार्मों को सामग्री की आपूर्ति के लिए बीजक के आधार पर 31 मार्च 2014 को लिखे गये 2 चैकों की ₹8.34 करोड़ की राशि द्वारा उपरोक्त राशियों को कम बताया गया जिसके लिए वास्तविक आपूर्ति तुलन पत्र की तिथि के बाद की गई तथा जिसके परिणामस्वरूप व्यय को उतनी ही राशि के बराबर अधिक बताया गया।

42. पी.जी.आई.एम.ई.आर., चण्डीगढ़

i. चिन्हित/वृत्तिदान निधियाँ – रोगी अनुदान - ₹ 2756.95 लाख

उपरोक्त में विभिन्न पैकेज प्रभारों (हृदय रोग विभाग: ₹62.82 लाख, स्त्रीरोग विभाग: ₹10.08 लाख और नैत्रिकी विभाग: ₹115.40 लाख) के लिए प्राप्त ₹188.30 लाख की राशि शामिल है जिसे संस्थान की आय में शामिल किया जाना चाहिए था इसका परिणाम देयता (रोगी अनुदान) को ₹188.30 लाख की राशि तक अधिक बताने के साथ आय और कॉर्पस/पूँजीगत निधि को उसी सीमा तक कम बताया गया।

ii. चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ - आपूर्तिकर्ताओं (मुख्य पी.जी.आई.) को अग्रिम भुगतान - ₹ 274.54 करोड़

उपरोक्त में संस्थान द्वारा 2013-14 तक आयातित व प्राप्त किए गए उपकरणों का 80 प्रतिशत मूल्य ₹7233.59 लाख शामिल हैं। संस्थान द्वारा माल प्राप्त होने व स्थापित हो जाने पर, किए गए उपरोक्त भुगतान को अग्रिम माना जाता है, जब तक कि अंतिम भुगतान प्राप्त न हो जाएं। तत्पश्चात अग्रिम का समायोजन किया जाना है और परिसम्पत्ति का पूँजीकरण किया जाता है। यह प्रणाली मानक लेखाकरण/लेखांकन परम्परा के अनुरूप नहीं है क्योंकि जैसे ही परिसम्पत्ति/उपकरण प्राप्त हो गया और स्थापित हो गया बही खातों में आवश्यक पूँजीकरण कर दिया जाना चाहिए था तथा शेष राशि के लिए देयता का प्रावधान

किया जाना चाहिए था। पूंजीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं (मुख्य पी.जी.आई) को ₹7233.59 लाख की राशि का अग्रिम भुगतान अधिक बताया गया तथा चालू देयताओं को ₹1944.09 लाख तक कम बताया गया व स्थायी परिसम्पत्तियों को क्रमशः ₹9177.68 लाख की राशि तक कम बताया गया। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में लेखांकन नीति को भी प्रकट नहीं किया गया।

43. सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत

अर्जित ब्याज - ₹ 16,081

संस्थान द्वारा केनरा बैंक में ₹18.60 करोड़ सावधि जमा निवेश किए गये। तथापि, 31.03.2014 तक ₹1.14 करोड़ की ब्याज की प्राप्त आय को लेखांकन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, अर्जित ब्याज और चालू परिसम्पत्तियों को ₹1.14 करोड़ की राशि तक कम और व्यय आधिक्य को अधिक बताया गया।

44. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर

चालू देयताएं तथा प्रावधान - ₹ 2929.50 लाख

संस्थान तथा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (ज.ना.व.वि.), जोधपुर के मध्य निष्पादित (फरवरी 2010) समझौता ज्ञापन के अनुसार दो वर्षों के लिए अस्थायी आधार पर, जिसे पारस्परिक सहमति से दिसम्बर 2013 तक बढ़ाया गया था। ज.ना.व.वि. से लिए गए परिसर के लिए ₹21,61,374.00 प्रति माह की दर से किराया दिया जाना था। संस्थान ने प्रारम्भ के दो वर्षों के लिए ₹518.73 लाख के किराए का भुगतान किया तथा जून 2012 तक के व्यय को दर्ज कर लिया। तथापि, जुलाई 2012 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए देय ₹453.89 लाख के किराये के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसका परिणाम खर्चों और चालू देयताओं को ₹453.89 लाख की राशि के बराबर कम बताए जाने में हुआ।

45. भारतीय खदान विद्यालय, धनबाद

स्थायी परिसम्पत्तियाँ- योजनागत - ₹ 118.44 करोड़

i. यद्यपि ₹5.10 करोड़ की लागत से निर्मित “60 कमरों वाले बालिका छात्रावास” का निर्माण व सुपुर्दगी के.लो.नि.वि., द्वारा 30.3.2011 को पूर्ण कर ली गई थी और 2011-12 में विद्यालय द्वारा इसका उपयोग भी प्रारम्भ कर दिया गया था, परंतु मूल्यहास 2011-12 से नहीं लगाया गया। मूल्यहास केवल 2013-14 से लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप,

मूल्यहास को कम तथा शीर्ष 'सड़कें और भवन' के अंतर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹1.02 करोड़ से अधिक बताया गया।

ii. विद्यालय ने जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान वैज्ञानिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए विभिन्न अभिकरणों को ₹271.00 लाख के अग्रिमों का भुगतान किया। 31.3.2014 तक, विद्यालय को ₹37.22 लाख का अंशदान प्राप्त हुआ। ₹233.78 लाख की शेष राशि को पत्रिकाओं की वास्तविक प्राप्ति से भी पहले, 'पुस्तकालयी पुस्तकें' शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 'पुस्तकालयी पुस्तकें' शीर्ष के अंतर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹233.78 की राशि के बराबर अधिक और अग्रिम को कम बताया गया।

46. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

स्थायी परिसम्पत्ति - ₹ 203.54 करोड़

लेखावर्ष के दौरान संस्थान को विभिन्न प्रकाशकों की पत्रिकाओं और जर्नल के ई-संसाधन डाटाबेस के उपागम्यता का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। संस्थान ने ई-संसाधन डाटाबेस की उपागम्यता के विशेषाधिकार का जिसकी लागत ₹3.14 करोड़ थी, 'पुस्तकालयी पुस्तकें' शीर्ष के तहत पूंजीकरण किया। चूंकि एक वर्ष के लिए डाटाबेस के उपयोग के अधिकार से संस्थान को डाटाबेस का न तो स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुआ और न ही ई-संसाधन डाटाबेस का स्थायी लाभ प्राप्त हुआ, लेखाओं में ई-संस्थान का पूंजीकरण किया जाना अनियमित था जिसका परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों को ₹3.14 करोड़ की राशि तक अधिक बताने और व्यय को कम बताने में हुआ।

परिशिष्ट - VI

(पैराग्राफ 1.6 (क) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनकी 2013-14 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
3.	स्वलीनता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु अक्षम व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास , नई दिल्ली
4.	भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली
5.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
6.	भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
8.	केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ, नई दिल्ली
10.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
11.	केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद, नई दिल्ली
12.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
13.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
15.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली
17.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
21.	भण्डारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
22.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
24.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
25.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
26.	जामिया मिलिया इस्लामियां, नई दिल्ली

27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
28.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
29.	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
30.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
31.	भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
32.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
33.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
34.	राष्ट्रीय अदालती अकादमी, भोपाल
35.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
36.	डा. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
37.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
38.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
39.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
40.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
41.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
42.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
43.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
44.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
45.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
46.	गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा
47.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी
48.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
49.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
50.	एशियाई समिति, कोलकाता
51.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
52.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
53.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
54.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा
55.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
56.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
57.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
58.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
59.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

60.	मोती लाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
61.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
62.	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड
63.	कोलकाता गोदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
64.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
65.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहटी
66.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
67.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
68.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), यूपिया, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
69.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पूर.क्षे.वि.प्रौ.सं.), नीरजूली, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
70.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति एवं अध्ययन संस्थान (के.हि.सं.अ.सं.), दाहोंग, पश्चिम कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश
71.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल
72.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल
73.	राष्ट्रीय यूनानी औषधीय संस्थान, बेंगलोर
74.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
75.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
76.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैंड
77.	नागालैंड विश्वविद्यालय, लूमामी
78.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
79.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
80.	तटीय जल संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
81.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
82.	राष्ट्रीय सिध्दा संस्थान, चेन्नई
83.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डीडीगुल, तमिलनाडु
84.	केन्द्रीय सिध्दा अनुसंधान परिषद, तमिलनाडु
85.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, सिरीपेरम्पुदुर
86.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझीकोड
88.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पूणे
89.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
90.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा
91.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा

92.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेन्द्रगढ़
93.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव
94.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
95.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
96.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
97.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
98.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
99.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
100.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
101.	मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर
102.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
103.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
104.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
105.	नव नालन्दा महाविहार, बिहार
106.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
107.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, राँची
108.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
109.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
110.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
111.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर
112.	भारतीय विमान पत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
113.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली
114.	डी.एम.आई.सी. परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट निधि, नई दिल्ली
115.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
116.	वस्त्र समिति, मुंबई
117.	कलकता गौदी श्रमिक बोर्ड, कोलकाता
118.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
119.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, गुवाहटी
120.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
121.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, लक्षद्वीप
122.	कोयर बोर्ड, नई दिल्ली
123.	भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

परिशिष्ट - VII

(पैराग्राफ 1.6 (ख) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनमें वर्ष 2013-14 के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
2.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
4.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
5.	भारतीय प्रैस परिषद, नई दिल्ली
6.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
7.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
8.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
11.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
12.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
13.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
15.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
17.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
18.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
19.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
20.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
21.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
23.	अटल बिहारी बाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
24.	पं.द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, जबलपुर
25.	डा. हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश

26.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
28.	राष्ट्रीय मानसिक अपंगता संस्थान, सिकंदराबाद
29.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
30.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
31.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
32.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
33.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट
34.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
35.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
36.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
37.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
38.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
39.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता
40.	गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा
41.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
42.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी (पुस्तकों को छोड़ते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है)
43.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (एस.आर.आई.सी. परिसम्पत्तियों को छोड़ते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है)
44.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
45.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
46.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
47.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
48.	एशियाई समिति, कोलकाता
49.	विक्टोरिया स्मारक हॉल, कोलकाता (कला वस्तु को छोड़ते हुए प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है)
50.	विश्वभारती, शांतिनिकेतन
51.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
52.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा
53.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
54.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
55.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
56.	मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

57.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
58.	हेमवती नंदन बहुगुना, गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
59.	पारादीप पतन न्यास
60.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
61.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, झारखण्ड
62.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
63.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (रा.गा.वि.) दोईसुख, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
64.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), यूपिया, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
65.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं.), नीरजूली, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
66.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल, मिजोरम
67.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल मिजोरम
68.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैण्ड
69.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लूमामी
70.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
71.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
72.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर
73.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
74.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर
75.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डीडीगुल, तमिलनाडु
76.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा उत्पादन संस्थान, कांचीपुरम
77.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
78.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, सिरीपेरम्पुदुर
79.	ओरोविले प्रतिष्ठान, पुदुचेरी
80.	केन्द्रीय सिध्दा अनुसंधान परिषद, चेन्नई
81.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
82.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड
83.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
84.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण अपंगता संस्थान, मुंबई
85.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
86.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा

88.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
89.	डा.बी.आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
90.	भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली
91.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपर
92.	संत लॉंगवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉंगवाल
93.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेन्द्रगढ़
94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
95.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
96.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
97.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
98.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
99.	मणिपुर विश्वविद्यालय
100.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
101.	मालविया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
102.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
103.	नंदनी नागर महाविद्यालय, नालंदा
104.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
105.	खुदा बक्श औरियंटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना
106.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
107.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
108.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
109.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
110.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
111.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
112.	पहले का बाम्बे गोदी श्रम बोर्ड, मुंबई
113.	मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई
114.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, मुंबई
115.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुंबई
116.	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
117.	वस्त्र समिति, मुंबई
118.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुख्य कार्यालय नई दिल्ली
119.	राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली

2015 का प्रतिवेदन सं. 18

120.	तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर
121.	पारादीप पत्तन न्यास
122.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
123.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोलकाता
124.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
125.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
126.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश
127.	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई
128.	नया मंगलौर पत्तन न्यास, कर्नाटक
129.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
130.	मसाला बोर्ड, नई दिल्ली
131.	भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

परिशिष्ट - VIII

(पैराग्राफ 1.6 (ग) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनमें वर्ष 2013-14 के दौरान
वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
2.	दीन दयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगता संस्थान (शा.वि.सं.), नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (रा.पि.व.आ.), नई दिल्ली
4.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
5.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
6.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
7.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
12.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
13.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
16.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली - (क्षे.का, मदुरई तथा क्षे.का. कोयम्बटूर, उ.क्षे.का. लक्ष्मी नगर के मामले में नहीं किया गया था)
17.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
19.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
20.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
21.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
23.	अटल बिहारी बाजपेयी - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
24.	पं. द्वारका प्रसाद मिश्रा - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, जबलपुर
25.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
26.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

27.	हैदराबाद विश्वविद्यालय
28.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
29.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद
30.	राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान, सिकन्दराबाद
31.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
32.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
33.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
34.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
35.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
36.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
37.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
38.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
39.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
40.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
41.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा
42.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
43.	रामपुर राजा पुस्तकालय, रामपुर
44.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
45.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की
46.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
47.	हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड
48.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नोएडा
49.	पारादीप पत्तन न्यास
50.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
51.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
52.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
53.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.प्रौ.सं.), यूपिया, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
54.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं.), नीरजूली, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
55.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल
56.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल
57.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैण्ड
58.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, लूमामी
59.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला

60.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला
61.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
62.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडीगुल, तमिलनाडु
63.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई
64.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, सिरीपेरम्पुदूर
65.	केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद, चेन्नई
66.	जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
67.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाईन एवं उत्पादन संस्थान, कांचीपुरम
68.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, थिरुवंतापुरम
69.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
70.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
71.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
72.	डा.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर
73.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
74.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
75.	संत लॉगवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगवाल
76.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, नारनौल/महेन्द्रगढ़
77.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
78.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
79.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
80.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
81.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
82.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
83.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर
84.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
85.	नव नालंदा महाविहार, बिहार
86.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
87.	खुदा बक्श औरियंटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना
88.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, राँची
89.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
90.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
91.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
92.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची

2015 का प्रतिवेदन सं. 18

93.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
94.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी लेखे, सूरत
95.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर
96.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, दिल्ली
97.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुख्य कार्यालय नई दिल्ली
98.	वस्त्र समिति, मुंबई
99.	पारादीप पत्तन न्यास
100.	कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता
101.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
102.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली
103.	भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

परिशिष्ट - IX

(पैराग्राफ 1.6 (घ) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश के प्रतिमानों के अनुसार भविष्य निधि शेषों का निवेश नहीं किया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
2.	लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, नई दिल्ली
3.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली
4.	दीन दयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगता संस्थान, नई दिल्ली
5.	भारतीय पुनर्वास परिषद (भा.पु.प.) नई दिल्ली
6.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली
7.	भारतीय केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
8.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
9.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
10.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
11.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
12.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
13.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
15.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, दिल्ली
16.	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली
17.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
18.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
19.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली
20.	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
21.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
22.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
23.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
24.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
25.	राजीव गांधी आई.आई.एम., शिलांग

26.	डा. हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
27.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर
28.	सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
29.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद
30.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
31.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
32.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
33.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता
34.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
35.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
36.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
37.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
38.	राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता
39.	विक्टोरिया स्मारक हाल, कोलकाता
40.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा
41.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (रा.गां.वि.), दोईमुख, पापुम्परे जिला, अरुणाचल प्रदेश
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (रा.प्रौ.सं.), यूपिया, पापुम्परे जिला, अरुणाचल प्रदेश
43.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (उ.पू.क्षे.वि.प्रौ.सं.), नीरजूली, पापरुम्परे जिला, अरुणाचल प्रदेश
44.	केन्द्रीय हिमालयी संस्कृति एवं अध्ययन संस्थान, दाहोंग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश
45.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल, मिजोरम
46.	डा.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
47.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
48.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपूर
49.	संत लोंगवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगवाल
50.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
51.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुड़गांव
52.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
53.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
54.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
55.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
56.	नव नालंदा महाविहार, बिहार

57.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
58.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
59.	खुदा बक्श औरियंटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना
60.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौ.सं., पटना
61.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, रांची
62.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
63.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
64.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
66.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
67.	मुख्य पत्तनों हेतु टैरिफ प्राधिकरण, मुंबई
68.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, दिल्ली

परिशिष्ट - X

(पैराग्राफ 1.6 (ड) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जो नकदीकरण/ नकद आधार पर अनुदानों का लेखांकन कर रहे हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली
4.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय नशा जांच प्रयोगशाला प्राधिकरण, नई दिल्ली
8.	गोदाम विकास तथा नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
10.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
11.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
12.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
13.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
14.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
15.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली
16.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
17.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
18.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
20.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली
22.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
24.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
25.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
26.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली
27.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
28.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली

29.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
30.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
31.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
32.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
33.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
34.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग
35.	महाऋषि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
36.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
37.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
38.	राष्ट्रीय अदालती अकादमी, भोपाल
39.	राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद
40.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
41.	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद
42.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
43.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
44.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
45.	योजना एवं वास्तुशिल्प विद्यालय, विजवाड़ा
46.	सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद
47.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद
48.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
49.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक
50.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
51.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
52.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
53.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
54.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बी.एच.यू., वाराणसी
55.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा मण्डल, आगरा
56.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, देहरादून
57.	तिब्बती अध्ययन केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सारनाथ वाराणसी
58.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
59.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड
60.	चाय बोर्ड, कोलकाता
61.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

62.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
63.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल, मिजोरम
64.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल, मिजोरम
65.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैण्ड
66.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई
67.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
68.	केरल केन्द्रीय विद्यालय, कसरगोड
69.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड
70.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
71.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
72.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
73.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
74.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
75.	राष्ट्रीय तिहलन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव
76.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
77.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
78.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
79.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
80.	नव नालंदा महाविहार, बिहार
81.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
82.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
83.	खुदा बक्श ओरियंटल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना
84.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
85.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
86.	मुख्य पत्तनों हेतु यातायात प्राधिकरण, मुंबई
87.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, दिल्ली
88.	केन्द्रीय बिजली नियामक आयोग, नई दिल्ली
89.	तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर
90.	चाय बोर्ड, कोलकाता
91.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
92.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
93.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, राय बरेली
94.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली

परिशिष्ट - XI

(पैराग्राफ 1.6 (च) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाबद्ध नहीं किया है।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय पुनर्वास परिषद (भा.पु.प.) नई दिल्ली
2.	लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, नई दिल्ली
3.	केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
6.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
8.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
9.	गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति, नई दिल्ली
10.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
11.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
12.	सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
13.	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली
14.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
17.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
18.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
19.	उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग
20.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग
21.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
22.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
23.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
24.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक
25.	राष्ट्रीय अदालती अकादमी, भोपाल

26.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल
27.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर
28.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
29.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
30.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट
31.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
32.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
33.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर
34.	व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कोलकाता
35.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
36.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
37.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
38.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
39.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
40.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
41.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर
43.	एशियाई समिति, कोलकाता
44.	विक्टोरिया स्मारक हॉल, कोलकाता
45.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
46.	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी
47.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर
48.	केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ
49.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
50.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
51.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
52.	बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
53.	पारादीप पत्तन न्यास
54.	कोलकाता पत्तन न्यास
55.	कोलकाता गोदी श्रम बोर्ड
56.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन
57.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता

58.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईजोल, मिजोरम
59.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर, नागालैण्ड
60.	अरुविले प्रतिष्ठान, पुदुचेरी
61.	जवाहर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
62.	तटीय जल संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
63.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
64.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
65.	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई
66.	राष्ट्रीय बहु अपंगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु संस्थान, चेन्नई
67.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, त्रिची
68.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, थंजावुर
69.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान परिषद, सिद्ध, चेन्नई
70.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
71.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदूर
72.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा उत्पादन संस्थान, कांचीपुरम
73.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्ची
74.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोझीकोड
75.	राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड
76.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
77.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, (रा.औ.अ.प्र.सं.) मुंबई
78.	भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पूणे
79.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
80.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान
81.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
82.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (प्र.बो.) मुम्बई
83.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
84.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा
85.	डा.बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
86.	भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली
87.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपर
88.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
89.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला

90.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
91.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
92.	संत लॉगवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगवाल
93.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र
95.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव
96.	राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव
97.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
98.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
99.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
100.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
101.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
102.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़
103.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
104.	नव नालंदा महाविहार, बिहार
105.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
106.	खुदाबक्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
107.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
108.	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
109.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
110.	राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
111.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर
112.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
113.	कांडला पत्तन न्यास (अवकाश नकदीकरण के लिए)
114.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, मुम्बई
115.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई
116.	कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
117.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली
118.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
119.	राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली
120.	तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर
121.	पारादीप पत्तन न्यास

122.	कोलकाता पत्तन न्यास
123.	कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड
124.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन
125.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता
126.	दिल्ली विकास प्राधिकरण
127.	चेन्नई पत्तन न्यास
128.	कोचीन पत्तन न्यास,कोचीन
129.	बी.ओ. चिदाम्बरनार पत्तन न्यास तूतीकोरिन
130.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
131.	मसाला बोर्ड, कोच्ची
132.	कॉयर बोर्ड, कोच्ची
133.	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली
134.	वस्त्र समिति, मुम्बई
135.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली

परिशिष्ट - XII

(पैराग्राफ 1.6 (छ) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
2.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
5.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय संस्कृत संगठन, नई दिल्ली
7.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
9.	भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
10.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
11.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता
12.	भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
13.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
14.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन
15.	इलाहाबाद संग्रहालय समिति, इलाहाबाद
16.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
17.	डा. बी.आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
18.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
19.	संत लोंगवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगवाल
20.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
22.	मोरमुगांव पत्तन न्यास, गोवा
23.	खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, नई दिल्ली

परिशिष्ट - XIII

(पैराग्राफ 1.6 (ज) के संदर्भ में)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में अपने लेखाओं को संशोधित किया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
3.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली
5.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
6.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय (रा.गा.वि.), दोईमुख, पापुम्पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश
7.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलोर
8.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
9.	राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बेंगलोर
10.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान, बेंगलोर
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूर्यकल, मंगलौर
12.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
13.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
14.	तटीय जल संस्कृति प्राधिकरण, चेन्नई
15.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई
16.	जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
17.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
18.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
19.	राष्ट्रीय सिध्दा संस्थान, चेन्नई
20.	बहुअपंगताओं वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई
21.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा उत्पादन संस्थान, कांचीपुरम
22.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, करायकल
24.	केन्द्रीय सिध्दा अनुसंधान परिषद, चेन्नई

2015 का प्रतिवेदन सं. 18

25.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
26.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़
27.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
28.	विशिष्ट परिसम्पत्ति स्थिरीकरण निधि, मुंबई
29.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम
30.	सामान्य निधि कॉफी बोर्ड, बेंगलोर
31.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

परिशिष्ट - XIV

(पैराग्राफ सं. 18.1 के संदर्भ में)

दिसंबर 2014 को, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2014 को समाप्त वर्ष तक प्रतीक्षित कार्रवाई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन
1.	कृषि	1997	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2012	-	-	-	1	-	1	1	-	1
2.	नागरिक उड्डयन	2009	2	1	1	-	-	-	2	1	1
	उपभोक्ता मामले	2011	-	-	-	1	-	1	1	-	1
3.	खाद्य एवं लोक संवितरण	2013	1	1	-	-	-	-	1	1	-
4.	वाणिज्य एवं उद्योग	2012	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		1998	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2001	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2004	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5.	संस्कृति	2011	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2012	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2013	2	2	-	2	2	-	4	4	-

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल				स्वायत्त निकाय			कुल				
			बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन			
6.	कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन	2011	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1		
		2013	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-		
7.	योजना आयोग	2013	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-		
		2009	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1		
8.	विदेश मामले	2011	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1		
		2012	1	-	1	1	-	1	2	-	-	2		
		2013	7	6	1	-	-	7	6	-	-	1		
9.	वित्त	2010	2	-	2	-	-	2	2	-	-	2		
		2013	3	3	-	-	-	3	3	-	-	-		
10.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1999	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	
		2000	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	
		2003	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	
		2007	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	
		2008	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	2	
		2009	2	-	2	1	-	1	3	-	-	-	3	
		2010	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	
		2011	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	2	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल				स्वायत्त निकाय			कुल		
			बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुई	कुल	
		2012	4	1	3	1	-	1	5	1	4	
		2013	2	2	-	2	2	-	4	4	-	
12.	गृह	2010	1	-	1	2	-	2	1	-	1	
		2012	2	1	1	-	-	-	2	1	1	
		2013	2	2	-	-	-	-	2	2	-	
		2012	11	7	4	-	-	-	11	7	4	
13.	गृह (संघ शासित क्षेत्र)	2013	5	5	-	-	-	5	5	-		
14.	मानव संसाधन विकास	2001	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		2002	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		2004	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
		2007	-	-	-	2	1	1	2	1	1	
		2008	-	-	-	1	1	-	1	1	-	
		2009	-	-	-	2	-	2	2	-	2	
		2010	-	-	-	4	1	3	4	1	3	
		2011	-	-	-	2	-	2	2	-	2	
		2012	2	1	1	4	2	2	6	3	3	
		2013	2	2	-	6	6	-	8	8	-	
		2000	1	-	1	-	-	-	1	-	1	
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1	
2011	1	-	1	-	-	-	1	-	1			

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल				स्वायत्त निकाय			कुल		
			बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुई	कुल	पत्राचाराधीन
		2012	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
		2013	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		2009	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1
		2012	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
		2013	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
17.	विधि एवं न्याय	2003	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
18.	खान	2012	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
19.	प्रवासी भारतीय मामले	2012	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		2002	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		2010	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		2012	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		2013	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		1996	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		2003	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		2006	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		2010	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
22.	जनजातीय कार्य	2006	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट	सिविल				स्वायत्त निकाय			कुल		
			बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी भी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	बकाया	कभी प्राप्त नहीं हुई	पत्राचाराधीन	
23.	महिला एवं बाल विकास	2003	1	-	1	-	-	1	-	-	1	
		2011	2	1	1	-	-	2	1	1		
		2012	1	-	1	-	-	1	-	1		
24.	युवा मामले एवं खेल	2010	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
		2011	1	1	-	1	-	2	1	1		
		2012	1	-	1	-	-	1	-	1		
		2013	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
	कुल		85	44	41	59	18	41	144	62	82	

परिशिष्ट - XV

(पैराग्राफ 18.2 के संदर्भ में)

ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	पैराग्राफों की कुल सं.	उन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैराग्राफों की सं. तथा संदर्भ जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
1.	वाणिज्य एवं उद्योग	3	2(2.2,2.3)
2.	उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा लोक संवितरण	4	-
3.	संस्कृति	2	1(4.1)
4.	विदेश मामले	3	-
5.	वित्त	2	1(6.1)
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6	4(7.1,7.4,7.5,7.6)
7.	गृह मामले	5	-
8.	मामले संसाधन विकास	6	6(9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6)
9.	सूचना एवं प्रसारण	2	1(10.2)
10.	श्रम एवं रोजगार	1	1(11.1)
11.	अल्पसंख्यक मामले	1	-
12.	पोत परिवहन	1	1(12.1)
13.	कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामले एवं खेल	2	2(13.1, 13.2)
14.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	2	2(14.1,14.2)
15.	पर्यटन	1	-
16.	जनजातीय मामले	1	-
कुल		42	21

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
वेबसाइट : www.cag.gov.in